राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृतान्त

अङ्क 1] चतुर्थ विधान सभा के प्रथम सत्र का 70 वां दिवस [संख्या 31

मंगलवार, दिनांक 11 जुलाई, 1967

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.1 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री निरंजननाथ आचार्य अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

———

(अकाल सहायता, सामान्य प्रशासन, गृह, राजस्व, उद्योग, चिकित्सा, सिंचाई, विद्युत विभाग)।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न।

श्री रामसिंह कुड़ी

नाजायज़ अफीम के मामले

724. **श्री रामसिंह कुड़ी** (जायल) (श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनू) द्वारा पूछा गया) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) गत पांच वर्षों में पकड़ी गई नाजायज अफीम कुल कितनी विभिन्न अदालतों के संरक्षण में पड़ी है एवं कितनी अफीम आबकारी सहायकों के संरक्षण में है? जिलेवार आंकड़ों की सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या नाजायज अफीम जो पकड़ी जाती है, उसे सरकार गाजियाबाद में या अन्य किसी जगह जमा कराती है? यदि हां, तो पिछले पांच सालों में किस किस जिले से कितनी कितनी अफीम कब कब जमा कराई गई ?

(3) क्या यह सही है कि नागौर जिले में इस तरह की अफीम असल तो ब्लेक में बेच दी गई और उस अफीम की जगह रसांद व गुड आदि का मलबा अफीम जैसे रंग का बनवाकर गाजियाबाद भेज दिया गया जिससे सरकार को एक लाख से ऊपर का नुकसान हुआ ? यदि हां, तो क्या सरकार इस मामले में जांच कराने का विचार रखती है ?

आबकारी मंत्री (श्री मथुरादास माथुर): (1) उपलब्ध सूचना की सूची संलग्न है।

(2) जी हां। सूची संलग्न है।

Page No.2

(श्री मथुरादास माथुर)

(3) विभाग को कोई ऐसी जानकारी नहीं है ।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : क्या राज्य सरकार को मालूम है........

श्री मथुरादास माथुर: सुनाई नहीं दिया ।

श्री दौलतराम सारण : ओपियम एक्ट के अनुसार ओपियम का सेम्पल रखा जाता है ?

श्री मथुरादास माथुर : अदालतों से यदि पकड़ा जाता है तो मिलता है वह रिकार्ड में है ।

श्री दौलतराम सारण : सेम्पल को एक्स्पर्ट से जांच करवाते है ?

श्री मथुरादास माथुर : ओपियम मिल जाता है चाहे अदालत से मिल जाता है वह कोई नहीं वेच सकता । गाजियाबाद से केमिकल निर्णय होकर भाव के अनुसार पैसा मिल जाता है यह ओपियम एक्ट की धारा के अनुसार है ।

श्री अध्यक्ष : श्री कृष्ण कुमार गोयल ।

कोटा नगर के भीमगंज मंडी वार्ड में आयातित गेहूं की सस्ते गल्ले की दुकान

725. **श्री कृष्ण कुमार गोयल** (कोटा): क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि कोटा नगर के भीमगंज मण्डी वार्ड में एक व्यक्ति विशेष को आयातित गेहूं की सस्ते गल्ले की दुकान व शक्कर की दुकान का लाइसेन्स दिया हुआ है ? अगर हां, तो कब से ?

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त व्यक्ति पहिले भीमगंज मण्डी स्थित उपभोक्ता भंडार का मैनेजर था ?

(3) उपरोक्त व्यक्ति विशेष की दुकान को कब कब कितना कितना आयातित गेहूं व शक्कर दी गई ? तालिका देने का कष्ट करें ।

(4) क्या यह सही है कि हलवाइयों के शूगर का कोटा हलवाई संघ को दिया जाता है ? अगर हां, तो भीमगंज मण्डी के हलवाई अपनी शक्कर कहां से प्राप्त करते हैं ?

खाद्य मंत्री (श्री परसराम मदेरना): (1) जी हां । श्री माधोलाल जैन को गेहूं का वितरण कार्य दिनांक 22.8.66 से व शक्कर का वितरण कार्य अक्टूबर 66 से दिया गया था ।

(2) जी हां ।

(3) तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है ।

Page No.3

(श्री परसराम मदेरणा)

(4) जी हां। भीमगंज मंडी को हलवाइयों का मासिक कोटा उनके स्वयं के लिखित रूप से देने पर ही मे० केसरीलाल माधोलाल के द्वारा वितरित कराया जाता है।

(कृपया परिशिष्ट 1 देखिये)

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि, जो प्रश्न के खंड 2 में जवाब दिया है जी हां, यह सहकारी उपभोक्ता भंडार जिसका माधोलाल मैनेजर था आरम्भ के अन्दर और आज आपने आयातित गेहूं का कोटा दिया है वह उपभोक्ता भंडार लिक्विडेशन में चल रहा है ?

श्री परसराम मदेरणा : सहकारी उपभोक्ता भंडार भीमगंज मंडी की जनता में वितरित करने हेतु गेहूं और शक्कर का कोटा इसलिये नहीं दिया गया कि समय पर वितरित नहीं कर सके इसलिये जनता की शिकायतें थीं और जनता परेशान थी और इसीलिये मैसर्स माधोलाल केसरीमल को दिया गया।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि उपभोक्ता भंडार की दुकान और जिसको आयातित गेहूं का परमिट दिया गया है दोनों की आमने सामने दुकानें हैं ?

श्री परसराम मदेरणा : दुकानों की सिचुएशन कहां है यह मुझे नहीं मालूम।

श्री कृष्णकुमार गोयल : भीमगंज मंडी के लोगों की शिकायतें थीं कि कन्ज्युमर्स गुड्स आयातित गेहूं और शक्कर का कोटा व्यक्ति विशेषको न दिया जाय उसका आधार क्या है ?

श्री परसराम मदेरणा : समय पर गेहूं चीनी का वितरण नहीं करना इसीलिये प्राइवेट आदमी को दिया गया।

श्री कृष्णकुमार गोयल : स्वयम् माधोलाल उपभोक्ता भंडार का मैनेजर है। एक व्यक्ति विशेष की हैसियत में आयातित गेहूं और चीनी का कोटा लेकर बेच रहा है तो मैनेजमेन्ट तो एक ही है ?

श्री परसराम मदेरणा : बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स में एक डाइरेक्टर था।

श्री कृष्णकुमार गोयल : यह इम्पोर्टेड वीट का कोटा दुकानों को दिया जाता है वह किन आधारों पर दिया जाता है ? कितनी बोरी दिन भर में या महीने भर में वेचें ? इसका आधार क्या है ?

श्री परसराम मदेरणा : यह कलेक्टर के डिस्क्रिशन पर छोड़ा है कि वह चीप ग्रेन शोप्स किन को दें। चीप ग्रेन शोप्स के अलावा चीनी के वितरण का लाइसेन्स किसको दे यह भी उसके डिस्क्रिशन पर है। कलेक्टर ने जिसको ठीक समझा उसको दिया।

श्री कृष्णकुमार गोयल : कलेक्टर के डिस्क्रिशन पर उसको देते हैं। कितना कोटा एक दुकान पर दिया जाता है। कितनी

Page No.4

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

बोरी गेहूं चीनी एक दुकानदार बेचे इसका आधार क्या है ? इस दुकानदार को परमिट दिया है तो यह कितनी बोरी दिन भर में या महीने भर में बेचे ?

श्री परसराम मदेरणा : पाबन्दी इस आधा पर नहीं लगा सकते। पर्टीक्युलर वार्ड में जितने राशन कार्डस हैं जितना अनाज उठा सकते हैं यह राशन की सप्लाई पर मुनहसर है। कस्बों में वार्डस हैं और मात्रा निर्धारित हैं उतनी ही दे सकते हैं। उसकी मिकदार को हम घटा बढ़ा नहीं सकते हैं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : मंत्री महोदय को आपके माध्यम से अध्यक्ष महोदय, यह सूचना देना चाहूंगा कि प्रश्न के उत्तर से यह निश्चित किया होगा कि किस एक्सक्यूज पर एक व्यक्ति को ओब्लाइज करते हैं जो उपभोक्ता भंडार का मैनेजर था बाद में इंडिविजुअल केपेसिटी पर दुकान दे दी जाती है उसको और शक्कर देते हलवाइयों को हलवाई संघ होते हुए भी उसको दी जाती है, वह बेचता है। यह व्यक्ति को फायदा पहुंचाने की गरज से यह कोटा इस प्रकार का दिया जाता है यह इसलिये कि डी. एस. ओ. और कलेक्टर एक दुकान से ओब्लाइज होते हैं।

श्री परसराम मदेरणा : ऐसी कोई शिकायत राज्य सरकार के पास नहीं आयी है।

श्री अध्यक्ष : Next.

(प्रश्न संख्या 726)

श्री रामानन्द अग्रवाल ।

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

श्रीमती कान्ता कथूरिया ।

बीकानेर जिले के अकाल ग्रस्त क्षेत्र के लिए स्थायी योजना

727. **श्रीमती कान्ता कथूरिया** (कोलायत) : क्या मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

बीकानेर जिले के अकाल ग्रस्त क्षेत्र के लिए क्या कोई स्थायी योजना चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में रखी गई है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ?

योजना मन्त्री (श्री मथुरादास माथुर) : अकाल पीड़ित व आर्थिक रूप से पिछड़े स्थानों के द्रुत गति से विकास हेतु 26. 68 करोड़ रुपयों की योजना बना कर गत वर्ष भारत सरकार को भेजी गई थी और यह प्रार्थना की गई थी कि यह राशि राज्य सरकार की चतुर्थ योजना के प्रावधान के अलावा सहायता के रूप में राज्य सरकार को मिलनी चाहिये। इस योजना में बीकानेर जिले को भी सम्मिलित किया गया था क्योंकि अकाल की दृष्टि से यह जिला अत्यधिक प्रभावित हुआ। बीकानेर जिले के लिये 360. 24 लाख रुपये प्रस्तावित किये गये थे जिसका मदवार विवरण निम्न प्रकार है:—

(श्री मथुरादास माथुर)

मद	धनराशि (लाख रु.
1. भू संरक्षण कार्य	
(1) हर पंचायत समिति में 2,000 एकड़ के 2 चरागाह विकास खंड स्थापित करना (कुल विकास खंड 8)	3.60
(ii) हर पंचायत समिति में 20,000 एकड़ जमीन पर पायलेट प्रोजेकट के तरीके से भूमि संरक्षण के तरीके को प्रदर्शन करने हेतु प्रोजेक्ट चालू करना (कुल पायलेट प्रोजेकट 4)	72.00
2. **पशु पालन**	
(i) खाद्य एवं चारा विकास :	
(क) बीज गुणन प्रक्षेत्र 1	
(ख) चरागाह प्रदर्शन प्लाट्स 4	
(ग) सुधरे बीज का वितरण (2,500 मन)	
कुल लागत	6.25
(ii) एक मिल्क कीमनरी की स्थापना	30.00
3. ग्रामीण विद्युतीकरण (एक मुश्त राशि)	12.50
4. **सड़क निर्माण कार्य** :	
(i) चालू सड़क निर्माण कार्यों को पूरा करने, आवश्यक नए कार्य कराने तथा अकाल सम्बन्धी राहत कार्यों को पूरा करने हेतु	64.00
(ii) डेयरी प्रोजेक्ट सड़कें : रीजनल ट्रान्सपोर्ट सर्वे विभाग द्वारा किये गये सर्वेक्षण में बताई गई 168 मील की सड़कें दूध क्षेत्र के विकास हेतु	48.00
5. **पेय जल योजना** :	
1. नल जल योजना 8	88,25
2, नये कुओं का निर्माण 10	2.44
3. पुराने कुओं की मरम्मत 193	4.99
4. तालाब, डिग्गी व पम्प सेट 65	28.21
कुल योग	123.89

इन योजनाओं को 3 वर्ष में पूरा करने का प्रस्ताव है।

अभी तक यह प्रस्ताव भारत सरकार के योजना कमीशन के विचाराधीन है।

श्रीपती कान्ता कथूरिया : राजस्थान सरकार ने राजस्थान लेवल पर भारत सरकार को इसकी योजना बनाकर भेजी थी

(श्रीमती कान्ता कथूरिया)

उसके अलावा छोटी मोटी योजना वहां के अकाल की व्यवस्था को हल करने के लिए कोई राजस्थान सरकार ने नहीं बनाई ?

श्री मथुरादास माथुर : राजस्थान सरकार अकाल के लिए इमीडिएट रिलीफ देने के लिए नॉन-प्लान एक्सपेन्डीचर में फेमिन रिलीफ आपरेशन्स के काम करती है लेकिन अकाल नहीं हो और आगे हो भी तो लोगों को राहत मिलती रहे इसलिए इकॉनोमीकली अण्डर डेवेलप्ड डिस्ट्रिक्ट जो होते हैं उनके लिए यह योजना बना कर भारत सरकार को भेजी थी और इसको तीन साल में पूरा करने का मामला था वह योजना अभी प्लानिंग कमीशन और गवर्नमेंट आफ इन्डिया के रेस्पेक्टिव मिनिस्ट्री में विचाराधीन है उसका निर्णय होने पर उस पर कार्यवाही करेंगे।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल बाजार : क्या इस सम्बन्ध में किसी फण्ड का निर्माण किया गया है ?

श्री मथुरादास माथुर : राजस्थान सरकार ने फेमिन फण्ड का निर्माण जरूर किया है लेकिन वह फण्ड तो रिलीफ आपरेशन्स के लिए है जो कि अकाल पड़ने पर खर्च होता है लेकिन यह जो योजना है यह परमानेन्टली उन लोगों को रिलीफ पहुंचाने और डेवेलप करने के लिए है । तो राजस्थान सरकार ने फेमिन फण्ड का जरूर निर्माण किया है और उसमें कुछ कन्ट्रीब्यूट भी करते हैं और उस फण्ड में से रिलीफ आपरेशन्स के काम भी करते हैं और उसमें भारत सरकार भी अपना हिस्सा देती है ।

श्री भैरोंसिंह : राज्य सरकार ने जो फण्ड का निर्माण किया था उसमें राज्य सरकार की ओर से जो कन्ट्रीब्यूशन क्लियरली होना चाहिये वह पिछले वर्षों में नहीं किया गया, क्या यह सही है ?

श्री मथुरादास माथुर : बिगिनिंग में हुआ था लेकिन हमारे नॉन प्लान रिसोर्सेस भी कुछ ऐसे रहे कि हम उनमें कन्ट्रीब्यूशन क्या करें पहले तो कुछ किया था लेकिन इन दिनों में ऐसी हालत रही कि कम कन्ट्रीब्यूट नहीं कर सके लेकिन अब यदि किसी साल अकाल नहीं पड़े तो उस साल में हमारे रिसोर्सेस सरप्लस होंगे तो उस फण्ड में कन्ट्रीब्यूट करेंगे।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : क्या राज्य सरकार आवश्यक नहीं समझती कि बीकानेर जिले में अभाव की स्थिति को पूरा करने के लिए जो प्रस्तावित लिफ्ट इरिगेशन की योजना है वह जल्दी से जल्दी पूरी की जाये ? यदि ऐसा किया जाता है तो उससे अकाल निवारण में भी हमें सहायता मिलेगी ।

श्री मथुरादास माथुर : राज्य सरकार ने लिफ्ट इरिगेशन की जो योजना बनाई वह टेक्नीकल सेक्शन के लिए प्लानिंग कमीशन की एप्रूवल के लिए फोर्थ फाईव ईयर प्लान में समावेश है वह भेजी है लेकिन वह प्रिलिमिनेरी स्टेज पर है

(श्री मथुरादास माथुर)

अगर वह स्कीम पूरी होगी तो बीकानेर इलाके में लाखों एकड़ जमीन आवपाशी में आयेगी और उससे लोगों को इरिगेशन वाटर और ड्रिंकिग वाटर आदि के लिए सहायता पहुंचेगी।

श्री दौलतराम सारण : क्या सरकार के ध्यान में है कि विभिन्न पन्चायत समितियों ने कुओं से सिचाई होने की योजना राज्य सरकार के पास बनाकर भेजी है और उन कुओं के लिए बिजली की आवश्यकता है और लोगों ने जैसे उदाहरण के लिए हमारे क्षेत्र में मेंडसर में कुए बना रखे हैं लेकिन उन्हें बिजली नहीं मिली है क्या सरकार का ध्यान इस तरफ है ?

श्री मथुरादास माथुर : राज्य सरकार के पास हर एक पंचायत समिति ने जो योजना बनाकर भेजी है उसको मैं कम्पाइल करके आपके सामने रखूं तो वह अरबों रुपयों की योजना होगी लेकिन खास तौर से बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में जहां कि अकाल पड़ता रहता है वहां के लिए जो प्रोपोजल्स बनाये उनको हम कन्सीडर कर सकते हैं और कर रहे हैं। मैं आउट साइड दी प्लान यह सोच रहा हूं।

श्री दौलतराम सारण : मैं बीकानेर जिले की बात कह रहा हूं और नोखा पंचायत समिति और बीकानेर पंचायत समिति के द्वारा भेजी गई योजना का जिक्र कर रहा हूं। मेंडसर ने कहा है कि वहां पर कुओं में पानी बहुत ऊंचा है केवल वहां बिजली की आवश्यकता है। लोगों ने वहां पर 50 कुए बना रखे हैं और यदि आप वहां पर बिजली के कनेक्शन दें दे तो हजारों मन अतिरिक्त अनाज पैदा हो सकता है और यह अकाल की स्थिति को दूर करने में सहायक हो सकता है लेकिन राज्य सरकार का ध्यान ऐसी योजनाओं की तरफ नहीं जाता।

श्री मथुरादास माथुर : राज्य सरकार का ध्यान जैसा माननीय सदस्य कह रहे हैं उस तरफ है और इसीलिए मैंने जो उत्तर दिया है उसमें विद्युतिकरण देहाती इलाके के लिए धनराशि रखी गई है और प्लान में रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन का प्रोवीजन है उसमें से भी मिल सकती है बिजली इसलिए नहीं कह सकते कि राज्य सरकार का ध्यान नहीं है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : क्या इस जिले के लिए योजनाओं के सम्बन्ध में सरकार ने ऐसी कोई योजना निर्धारित की है कि जिसके द्वारा कम से कम हर एक गांव में शुद्ध पेय जल की व्यवस्था हो सके ?

श्री मथुरादास माथुर : राज्य सरकार ने शुद्ध पेय जल की योजना का एक मास्टर प्लान बना रखा है और मैंने अपने उत्तर में भी बताया है कि पेय जल योजना के अन्तर्गत नल जल योजना में 88.25 लाख रुपये, नए कुओं का निर्माण-10 के अन्दर 2.44 लाख रुपया, पुराने कुओं की मरम्मत जिनकी संख्या 193 है उसमें 4.99 लाख रुपया और तालाब, डिग्गी व पम्प सेट-65 के लिए 28 21 लाख रुपया रखा है और

(श्री मथुरादास माथुर)

इस तरह से इस सारी धनराशि का टोटल 123.89 लाख होता है इतना प्रावधान इसके अन्दर रखा गया था।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : लिफ्ट इर्रीगेशन वगैरह की तो पेपर स्कीम है यह तो दूसरी बात है लेकिन कम से कम कोई योजना हो तो इतना तो आप करें कि हर एक गांव में शुद्ध पेय जल की व्यवस्था हो तब तो मेरे ख्याल में कोई योजना है आपकी और 20 साल का राज्य भी आपका चरितार्थ है। यह तो पेपर स्कीम है लिफ्ट इर्रीगेशन वगैरह की तो कम से कम इतना तो काबू में होना चाहिए कि हर एक गांव में पेय जल की आप व्यवस्था करें।

श्रीमती कान्ता कथूरिया : क्या यह सही है कि बीकानेर डिस्ट्रिक्ट के लिए उसके अपलिफ्टमेन्ट के लिए कभी नहीं सोचा गया। वहां पर चाइना क्ले और लिग्नाइट वगैरह जैसी चीजें मौजूद हैं इनको बेस मानकर आपने कोई भी इन्डस्ट्री स्थापित नहीं की और वहां पर एक पलाना माइन्स है उसको भी आप बन्द करने की सोच रहे हैं, इसके बाद में वुलन मिल की भी बात थी लेकिन गवर्नमेन्ट ने इस डिस्ट्रिक्ट की तरफ कभी सोचा ही नहीं।

श्री मथुरादास माथुर : राज्य सरकार ने बीकानेर जिले के अन्दर जो वहां पर रॉ मेटेरियल्स हैं जैसे वूल है उसके लिए वहां पर एक मिल स्थापित करने की है और इस साल के अन्त तक वुलन मिल चालू हो जायेगी। उसके लिए मकान बनने शुरु हो गये हैं मशीनें पहुँच गयी हैं और इसलिए माननीय सदस्या का कहना कि इस डिस्ट्रिक्ट को निगलेक्ट किया जा रहा है यह गलत है। लिफ्ट इर्रीगेशन के लिए अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर चुका हूं कि हमने रशियन एक्सपर्टस से प्रोजेक्ट बनवा लिया था और इसके लिए जो धनराशि 12 करोड़ रुपये की मिलने वाली थी वह नहीं मिली वर्ना यह चालू हो जाता। पलाना के लिए भी मैंने कहा है कि वह कोयला नहीं बिकता है और वह आग पकड़ लेता है इसलिए उसको बन्द किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : Next श्री मूलचन्द डागा।

पंचायत समिति, पाली द्वारा कुओं के लिए ऋण

728. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) पाली पंचायत समिति ने कुओं के लिए किन किन को कर्जा दिया ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि कुछ लोगों ने कुए नहीं बनाये ? यदि हां, तो जिन्होंने कुए नहीं बनाये उनसे कर्जे की रकम वसूल करली गयी है या नहीं ? यदि वसूल नहीं की गई है, तो क्यों ?

पंचायत मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) : (1) सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

Page No.9

(श्री मथुरादास माथुर)

(2) जी हां, जिन्होंने कुएं नहीं बनाये, उनसे पेनल ब्याज के साथ रकम एक मुश्त वसूल की जा रही है।

(विस्तृत सूची होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रख दी गई है)

श्री मूलचन्द डागा : क्या आप बता सकते हैं कि किन किन व्यक्तियों ने कुए नहीं बनाये ?

श्री परसराम मदेरणा : 705 व्यक्तियों को कुओं के लिए कर्जा दिया गया उसमें से 72 व्यक्तियों ने ऋण का उपयोग नहीं किया है।

श्री मूलचन्द डागा : इन 72 व्यक्तियों से ऋण की वसूली की ?

श्री परसराम मदेरणा : एक मुश्त में पीनल इन्टरेस्ट के साथ में वसूली की कार्यवाही चल रही है।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह ।

श्री भैरोंसिंह : प्रश्न संख्या 729

अजमेर जिले में अकाल राहत कार्य

729 **श्री भैरोंसिंह शेखावत** (किशनपोल, जयपुर) : क्या अकाल सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(क) अजमेर के भूतपूर्व जिलाधीश श्री तेजकुमार द्वारा श्री जोरावर सिंह राहत कार्य आयुक्त, जयपुर को लिखे गये पत्र D. O. No. D. R. A. / XI 1 66-67/144 dt. Ajmer, 9th Feb. 1967 में जिन गांवों का उल्लेख है वह कौन कौन से गांव हैं ?

(ख) इस सम्बन्ध में जिलाधीश द्वारा भेजी गई जिन्सवार के अनुसार किस किस गांव में काश्त गिरदावरी के समय अकाल पाया गया और फसल के कितने कितने नुकसान का उल्लेख है ? कृपया तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(ग) उपरोक्त गांवों में कब कब किस-किस की आज्ञा से अकाल राहत कार्य चालू किये गए ?

(घ) यह कार्य कब कब बन्द किये गये और उन पर कितना कितना खर्चा हुआ ?

(ङ) क्या यह सही है कि इन गांवों में अकाल राहत कार्य चालू करने के सम्बन्ध में तथा इन को अकाल ग्रसित घोषित करने में राज्य को सामान्य प्रक्रिया की अवहेलना की गई ? यदि हां, तो क्यों और किस के द्वारा ?

अकाल सहायता उपमंत्री : (श्री गंगाराम चौधरी): अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में पूरी जानकारी नहीं मिल सकी है इसलिए इसे स्थगित किया जाये।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न पर पहले भी बहुत चर्चा हो चुकी है। जिस लैटर का इसमें जिक्र है उसको सदन

(श्री भैरोंसिंह)

की मेज पर रख दिया गया है फिर ऐसी कौनसी जानकारी है जो नहीं मिल पाई है ।

श्री गंगाराम चौधरी : क्योंकि जानकारी जो मांगी है वह बहुत विस्तृत है इसलिए वह नहीं मिली है....

श्री भैरोंसिंह : सवाल यह है कि लैटर में जिन गावों का उल्लेख आया है वह कौन कौन हैं....

श्री अध्यक्ष : जो कुछ जानकारी है उससे आप सन्तुष्ट हो जायेंगे ?

श्री भैरोंसिंह : वे दें तो सही उसके बाद आप निर्णय दे देना ।

श्री अध्यक्ष : मैं निर्णय दूंगा तो उसकी पाबन्दी होगी ?

श्री भैरोंसिंह : मैं आपके निर्णय को अक्षरशः मानूंगा ।

राजस्व मन्त्री (श्री बृजसुन्दर शर्मा): जितनी जानकारी है उसके आधार पर अगले टर्न पर उत्तर दे दिया जायेगा ।

श्री भैरोंसिंह : अगला टर्न तो नहीं आयेगा । इस प्रश्न को जानबूझ कर टाला जा रहा है । इस पर आप भी पहले आदेश दे चुके हैं ।

अध्यक्ष : आदेश नहीं था सजेशन था ।

श्री भैरोंसिंह : यदि कोई सेन्सीबल एम०एल०ए० होगा तो सजेशन को ही आदेश मानेगा और वह नहीं माने तो दूसरी बात है ।

श्री अध्यक्ष : विधान सभा के सभी सदस्य सेन्सीबल हैं ।

श्री भैरोंसिंह : इस मामले में, अध्यक्ष महोदय, कागजात को टेम्पर-विथ किया जा रहा है और जितनी सरकार के पास जानकारी और है वह देनी चाहिए । केवल इस बात की कोशिश की जा रही है कि इस चीज को करने के लिए किस प्रकार के कागजात बनाये जायें और किसी प्रकार से जो इन्सपेक्टर की रिपोर्ट है उसमें तरमीम की जाये । अध्यक्ष महोदय, इसको टाला जा रहा है । मैं निवेदन करना चाहूंगा कि न्याय की दृष्टि से और जो सरकार कहती है कि हमने अकाल के कामों में राजनैतिक कारणों से पैसा खर्च नहीं किया । तो इस फाइल का आप मुलाहिजा कर लें और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आप कन्विन्स हो जायेंगे कि राजनैतिक कारणों के आधार पर जिन गांवों में अकाल नहीं पड़ा था वहां पर भी नियमों के विपरीत अकाल राहत के कार्य शुरू कर

श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा : क्या आपने मुकदमा चलाने से पूर्व ग्राम पंचायत और पंचायत समिति की फाइल को मंगवाया था ? और पंचों को भी बुलाया था ?

श्री परसराम मदेरणा : पंचायत के सरपंच और पूरी पंचायत के पंचों को नोटिस दे करके उनको हियरिंग का मौका दिया था और उन सब को सुनने के बाद राज्य सरकार ने यह उचित समझा कि सरपंच के प्रोसीक्यूशन की सेंक्शन दी जानी चाहिए ।

श्री कृष्ण कुमार गोयल (कोटा) : यह मुकदमा चलाने की परमिशन किस तारीख को दी गई और किस तारीख को नोटिस इश्यू करके सरपंच और पंचों को अपनी सफाई पेश करने का मौका दिया ?

श्री परसराम मदेरणा : प्रोसीक्यूशन की सेंक्शन 21-11-66 को दी गई । सरपंच और पंचों को बुलाने के नोटिस की डेट इस समय मेरे पास नहीं है लेकिन नवम्बर के और जून के बीच में उनका बुलाया गया ।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : क्या यह सही है कि जिस अनधिकार प्रवेश तथा मदाखलत बेजा की बात आप कह रहे हैं तो वह तामीर एक व्यक्ति ने बिना किसी परमिशन के बना ली थी और उसको तुड़वाने के लिए सारी पचायत ने निर्णय लिया था ? जिस व्यक्ति ने निर्माण किया है उसने अनधिकृत रूप से एक आयल फैक्ट्री का निर्माण वहां पर कर लिया था ?

श्री परसराम मदेरणा : पंचायत को कोई अधिकार नहीं था कि वह जाकर के इस दीवार को गिराती ? पंचायत को सिर्फ अधिकार होता है परबन लेंड के बारे में । आबादी जमीन अगर वह होती तो उसके बारे में पंचायत को निर्णय लेने का अधिकार था लेकिन आबादी जमीन नहीं होते हुए भी उन्होंने इस प्रकार का निर्णय लिया । इसके अलावा उन्होंने 31 तारीख को दीवार गिराने से पहले तहसीलदार से शिकायत की कि यह जमीन एग्रीकल्चरल लेंड है जिस पर अवैधानिक रूप से निर्माण कर लिया गया है । जब वे जानते थे कि उनको इसमें हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है फिर भी उन्होंने अवैधानिक रूप से कानून को हाथ में लेकर दीवार गिराने की कार्यवाही की जिससे यह सिद्ध हो गया कि यह कार्यवाही मेलाफाइडी की गई और इसीलिए सरपंच का प्रोसीक्यूशन किया गया ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न बिल्कुल स्पष्ट है कि बिना किसी इजाजत के एक व्यक्ति ने सरकारी किले को तोड़ कर एक फैक्ट्री का निर्माण किया था, क्या यह सही है ।

श्री मूलचन्द डागा : This case has been referred to a Court of Law and this should not be allowed here.

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : No.

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : This question is pending in a Court of Law.

(श्री भैरोंसिंह)

दिए गए और अब इस चीज को छुपाने के लिए यह सारी कोशिश की जा रही है।

श्री अध्यक्ष : Next.

श्री भैरोंसिंह : नहीं, अध्यक्ष महोदय, इसका जवाब आना चाहिए।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जहां तक टेम्पर विथ करने का ताल्लुक है, मैं यह कहना चाहूंगा कि कोई टेम्पर विथ नहीं किया जा रहा है और न टेम्पर विथ करने दिया जायगा। जैसी भी स्थिति होगी, अध्यक्ष महोदय के सामने रख दी जायगी।

श्री भैरोंसिंह : आप तो यह बताइए कि फाइल अध्यक्ष महोदय के सामने पेश की जाएगी या नहीं? आपका इतना विश्वास अध्यक्ष महोदय के अन्दर है या नहीं कि उनके सामने फाइल रख सकें।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : फाइल अध्यक्ष महोदय के सामने एक दफा क्या सौ दफा रख दी जाएगी।

श्री अध्यक्ष : मैं तो एक ही दफा चाहूंगा।

(हंसी)

प्रश्न सं० 730

श्री जसराज !

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा।

सरपंच पर मुकदमा चलाने की स्वीकृति

731. **श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा** : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) मनोहर ग्राम पंचायत समिति मनोहरथाना के सरपंच पर मुकदमा चलाने की स्वीकृति किन कारणों से दी गई थी?

(2) मुकदमा केवल सरपंच पर ही चलाया गया है अथवा समस्त पंचायत के पंचों एवं कर्मचारियों पर?

(3) क्या पंचायत के समस्त पंचों को स्पष्टीकरण हेतु जयपुर बुलाया गया था?

(4) जिस विवादग्रस्त भूमि पर यह अभियोग चलाया गया अन्ततः वह भूमि किसकी है पंचायत की, रेवेन्यू की, पी. डब्ल्यू. डी. की अथवा काटन जिनिंग फैक्ट्री की?

पंचायत मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) : (1) अनधिकार प्रवेश तथा मदाखलत बेजा के आरोप पर।

(2) केवल सरपंच पर।

(3) जी हां।

(4) कुछ भूमि राजस्व की है व कुछ भूमि जिनिग फैक्ट्री की है।

Page No.13

श्री अध्यक्ष : This is regarding the facts of the case and not entirely about the evidence of the case.

श्री मूलचन्द डागा : But the case is pending before a Court of Law.

श्री अध्यक्ष : I will not allow analysis of the evidence, or anything pertaining to the evidence.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कोर्ट आफ लॉ में कौन सा केस चल-रहा है और किस के खिलाफ चल रहा है ?

श्री परसराम मदेरणा : सरपंच के विरुद्ध ।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : सरपंच के विरुद्ध ही क्यों ?

श्री परसराम मदेरणा : क्यों कि इसमें मेलाफाइडी सरपंच की ही मालूम हुई इसलिए सरपंच के खिलाफ कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया और इसीलिए सरपंच के खिलाफ मुकदमा चलाने की इजाजत दी गई है ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि जिस तामीर का निर्माण बिना किसी इजाजत के उस व्यक्ति ने किया है और वहां पर आयल फैक्टी का निर्माण किया था और उसको तोड़ने का पंचायत ने निर्णय किया ?

श्री परसराम मदेरणा : जैसा मैंने प्रश्न के उत्तर में निवेदन किया है कि सात बिस्वा तो फैक्ट्री की जमीन थी और आठ बिस्वा रेवेन्यू विभाग की जमीन थी । अब अगर उसने रेवेन्यू विभाग की जमीन पर ट्रेस पास किया है तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट उस पर एक्शन लेता लेकिन पंचायत को इसमें इन्टरफियर करने का क्या अधिकार था !

श्री भैरोंसिंह : लेकिन यहां तो उस किले की दीवार को तोड़ने का सवाल था ।

श्री परसराम मदेरणा : उन्होंने जो दीवार बनाई थी वह फैक्ट्री की जमीन के अन्दर बनाई थी और फैक्ट्री के अन्दर की दीवार को इन्होंने तोड़ने की कोशिश की....

श्री भैरोंसिंह : लेकिन दीवार किसके अधिकार में थी ?

(कोई उत्तर नहीं)

श्री अध्यक्ष : Is it pending before the Court ?

श्री मूलचन्द डागा : चालान कर दिया गया है ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : There is no question of challan.

श्री भैरोंसिंह : पंजशन फैक्ट्री का था और फैक्ट्री ने दीवार को खड़ा किया था और उसको तोड़ने का निर्णय सारी पंचायत ने

(श्री भैरोंसिंह)

मिलकर किया तो इसमें केवल सरपंच की मेलाफाइडो ही कैसे हो गयी ?

श्री अध्यक्ष : इस पर अधिक ववेश्चन नहीं होंगे ।

श्री परसराम मदेरणा : इसकी शिकायत कलेक्टर के पास की गई थी और कलेक्टर ने यह रिकमण्ड किया...

श्री अध्यक्ष : Order please ! मंत्री महोदय !

श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा : यह पूरी पंचायत ने....

श्री अध्यक्ष : Order please ! प्रश्न संख्या 732 ।

(व्यवधान-शोरगुल-अश्रव्य)

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि पंचायत में सरपंच और अन्य पंचों ने बैठकर कोरम के साथ यह निर्णय लिया था कि इस दीवार को तोड़ा जाय ? इसमें सरपंच ने व्यक्तिगत रूप से निर्णय नहीं लिया था बल्कि समूची पंचायत ने निर्णय लिया था कि दीवार को तोड़ दिया जाय तो फिर सरपंच का मेलाफाइडी इण्टेशन कैसे रहा ?

श्री परसराम मदेरणा : यह मामला लॉ डिपार्टमेंट को रेफर किया गया था और लॉ डिपार्टमेंट को ऐसी एडवाईज रही कि जहां तक दूसरे पंचों का प्रश्न है सारे रिकार्ड को देखने के बाद दुर्भावना सरपंच की ही प्रतीत होती है और इसलिए उसका ही प्रोसीक्यूशन किया जाना चाहिये । लॉ डिपार्टमेंट की एडवाईज के अनुसार ही सरपंच का प्रोसीक्यूशन करने की सेंक्शन दी गई ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : क्या कोर्ट के अन्दर पेंडिंग है केस अभी भी ?

श्री परसराम मदेरणा : अभी जेर तजबीज है । It is pending in the Court of law.

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : कोर्ट में है या सरकार के विचाराधीन है ?

श्री परसराम मदेरणा : कोर्ट में है ।

श्री अध्यक्ष : श्री गणेशलाल !

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, इस सारे मामले में पोलीटिकल रीजन्स हैं । वहां का सरपंच चूंकि कांग्रेस के खिलाफ है और कांग्रेस के एक आदमी ने अनधिकृत रूप से एक आयल मिल का निर्माण कर लिया था जिसे तुड़वाने का पंचायत ने निर्णय लिया था और इसीलिए इस सारे मामले में गवर्नमेंट एक्शन ले रही है सरपंच के खिलाफ ।

श्री परसराम मदेरणा : इसमें पोलिटिकल रीजन्स का प्रश्न नहीं है।

विरोधी पक्ष के कई सदस्य : बिल्कुल पोलिटिकल सवाल है।

(व्यवधान-शोरगुल)

श्री परसराम मदेरणा : इसमें पोलिटिकल रीजन्स का कोई सवाल नहीं है। सरपंच के इस एक्शन के खिलाफ राज्य सरकार के पास शिकायत आई इस पर कलेक्टर को लिखा गया और कलेक्टर ने इन्क्वायरी करके रिपोर्ट की कि सरपंच को फौरन प्रोसीक्यूशन किया जाना चाहिये। फिर भी राज्य सरकार ने सतर्कता बरती और उनको एक मौका दिया हियरिंग का और हियरिंग करने के बाद भी केस को लॉ डिपार्टमेंट को भेजा गया और लॉ डिपार्टमेंट ने फाइल को देखकर यह राय दी...

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्री महोदय, अब इस पर आगे कोई सवाल नहीं होंगे।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह : नहीं, अध्यक्ष महोदय, इसकी स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए....

श्री कृष्णकुमार गोयल : जिस व्यक्ति ने एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर फैक्ट्री का निर्माण कर लिया तो क्या उसके मालिक के खिलाफ कोई एक्शन लिया गया ?

श्री परसराम मदेरणा : यह प्रश्न....

श्री अध्यक्ष : मैं कोई क्वेश्चन अलाउ नहीं करूंगा अब।

(व्यवधान-शोरगुल-अश्रव्य)

श्री भैरोंसिंह : इसमें एक ही आदमी को प्रोसीक्यूट करने का मतलब साफ है....

श्री अध्यक्ष : Order please ! यह सारी स्थितियां अदालत के सामने होंगी कि किसको प्रोसीक्यूट किया जाना चाहिये था और किसको नहीं किया गया। अब मैं इस पर आगे क्वेश्चन अलाउ नहीं करूंगा।

श्री भैरोंसिंह : मुकदमा चल रहा है तो....

श्री अध्यक्ष : The case is before the Court. No more questions. All these questions of bonafides and malafides. यह अदालत के सम्मुख होगा।

श्री भैरोंसिंह : जब आप कह रहे हैं कि अदालत में निर्णय होगा तो मन्त्री महोदय यह किस आधार पर कह रहे हैं कि दीवार तोड़ने के मामले में सरपंच की मेलाफाईडी थी ? यह किस बेसिस पर कह रहे हैं ?

(व्यवधान-शोरगुल-अश्रव्य)

Page No.16

प्रश्न सं. 732

श्री अध्यक्ष : श्री गणेशलाल !

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

श्री विजयसिंह रावत :

(पुनः प्रश्न सं. 731)

श्री देवीदत्त गाड़िया : नहीं साहब, इसका जवाब आना चाहिये जब मामला कोर्ट में चल रहा है और उधर मन्त्री महोदय कहते हैं कि सरपंच का मेलाफाइडी था तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मन्त्री महोदय के इन शब्दों को एक्सपंज करवा दें ताकि कोर्ट में जाकर उनका दुरुपयोग न किया जा सके।

श्री भैरोंसिंह : आप यह मानते हैं कि मामला सब जुडिस है तो मन्त्री जी का यह कहना की दीवार तुड़वाने में सरपंच का मेलाफाइडी इन्टेशन था तो इन चीजों को एक्सपंज करवाया जाय !

श्री अध्यक्ष : Prosecution story ! श्री विजयसिंह रावत !

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न में व्यक्ति का सवाल नहीं है। सवाल यह है कि कोई पंचायत या नगरपालिका सामूहिक रूप से बैठकर प्रस्ताव पास करे और प्रस्ताव पास करने के बाद निर्णय ले तो निर्णय लेने के आधार पर सारी पंचायत या म्युनिसिपैलिटी को पिक अप करके एक फैक्ट्री के मालिक को नहीं जिसने कि एन्क्रोचमेंट किया या उसके बारे में कार्यवाही नहीं करे और एक व्यक्ति के खिलाफ बतायें तो यह बड़ा भारी डिस्क्रीमिनेशन का केस है।

श्री अध्यक्ष : Order please.

श्री देवीदत्त गाड़िया : जिस भूमि पर उसने निर्माण किया है, उस भूमि को सरकार ने ग्राम पंचायत को एलाट की थी....

श्री अध्यक्ष : Order please !

श्री देवीदत्त गाड़िया : माननीय अध्यक्ष जमीन पंचायत को एलॉट की हुई है.......

श्री अध्यक्ष : सभी न्यायालय में है, किसको एलाट की थी, बोनाफाइड्स क्या हैं, किसकी जमीन है, और प्रश्न हैं, रिजोल्यूशन हैं यह सब सरकम्स्टान्सेज बेस्ड अपोन एवीडेन्सेज अदालत के सामने हो चुके हैं।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मन्त्री महोदय ने कैसे कहा कि मैलाफाइड है सरपंच का !

श्री अध्यक्ष : Prosecution story.

श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा : अकेले सरपंच पर ही क्यों सारी पंचायत पर मुकद्दमा चलाया जाय।

श्री अध्यक्ष : Order please !

श्री देवीदत्त गाड़िया : अध्यक्ष महोदय, मामला बड़ा गम्भीर है। राजनैतिक आधार पर सरपंच के खिलाफ बदला लेना चाहते हैं।

Page No.17

श्री अध्यक्ष : Order please !

माननीय भैरोंसिंहजी ने निवेदन किया सदन को, वही माननीय सतीशचन्द्रजी ने किया, वही आप कर रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह : हमने तो किया है लेकिन उनके दिमाग में असर नहीं हुआ इसलिए वार वार कहने की आवश्यकता है।

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा : मैं अर्ज कर रहा हूं...............

श्री अध्यक्ष : Order please !

श्री रावत !

राजस्थान में माल लेकर आने वाले ट्रकों से रोड टैक्स व गुड्स टैक्स की वसूली

733. **श्री विजयसिंह रावत** (नसीराबाद) : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि माल ढोने वाले ट्रक्स जो समीपवर्ती राज्यों से राजस्थान में माल लेकर आते हैं उनसे राजस्थान सरकार रोड टैक्स व गुड्स टैक्स एक सप्ताह का लेती है, जब कि अन्य समस्त राज्यों में राजस्थान ट्रक गुड्स सर्विस से एक बार की प्रविष्टि (एन्ट्री) पर पूरे मास का रोड टैक्स व गुड्स टैक्स लिया जाता है, और इस प्रकार से राजस्थान ट्रक गुड्स सर्विस को काफी नुकसान पहुंचता है व राज्य सरकार को भी घाटा आता है ? यदि हां, तो सरकार ने एक सप्ताह का टैक्स लेने की व्यवस्था क्यों कर रखी है ?

वित्त मन्त्री (श्री मथुरादास माथुर) : समीपवर्ती राज्यों में से राजस्थान में माल लेकर आने वाले ट्रक्स से राजस्थान सरकार रोड टैक्स कम से कम एक सप्ताह का और गुड्स टैक्स प्रत्येक केलेन्डर दिन के लिए वसूल करती है।

अन्य समस्त राज्यों में रोड टैक्स और गुड्स टैक्स कितना लिया जाता है यह सूचना उपलब्ध नहीं है। प्राप्त होने पर सदन की मेज पर रखी जावेगी।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : प्रश्न जब पूछा गया तो मगाने की कोशिश की क्या ?

श्री मथुरादास माथुर : मैं किसी क्वेश्चन के जवाब में राजस्थान सरकार के पास जो सूचना है उसको मंगा सकता हूं। दूसरी स्टेटों से कम्पेरेटिव चार्ट मंगाने के लिए दूसरी राज्य सरकारों को कोई प्रेस नहीं कर सकता हूं।

श्री रामकिशन (वैर) : यह टैक्सेशन विभाग है उसके पास सूचना होगी........

श्री अध्यक्ष : Order please !

नेता महोदय, विरोधी पक्ष।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : अध्यक्ष महोदय मैं समझता हूं कि ऐसी अन्य राज्यों से सूचना प्राप्त की जाती तो आप इस प्रश्न का उत्तर सुचारु रूप से देने की स्थिति में होते । आपने अन्य राज्यों से सूचना प्राप्त नहीं की इस कारण से आप इसका उत्तर भी नहीं दे सकते, और आपकी जो यह व्यवस्था है उस सम्बन्ध में आप कोई निश्चित रूप से निर्णय भी नहीं ले सकते । आपका उत्तर अधूरा है ।

श्री मथुरादास माथुर : मेरा उत्तर तो पूरा है क्योंकि इसका जवाब पहले से दे चुका हूं ।

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह है कि मन्त्रीजी कहते हैं कि और राज्यों से सूचना नहीं मगाई तो आपके विभाग में वह सूचना होती है । जब कम्पेरेटिव टैक्स लगाते हैं तो उनको पता रहता है कि किस स्टेट में क्या टैक्स है ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : He must know.

सूचना होते हुए भी डिनाई करते हैं ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : गवर्नमेंट आफ इंडिया की तरफ से कौन्सिल अरेन्ज की जाती है। टैक्सेशन के मामले में बिल्कुल युनिफार्मिटी बरती जाय, रेसीप्रोसीटीज स्टेट्स आपस में बरतें । जब खुद गवर्नमेंट के नोटिस में यह मामला था तो सूचना रखनी चाहिए थी । एक प्रश्न के रूप में एक माननीय सदस्य ने नोटिस में रखा है फिर भी आपने रेसीप्रोकल अरेन्जमेंट नहीं करके जानकारी नहीं की और जो डिस्क्रीमिनेशन हो रहा है उसको रोका नहीं ।

श्री मथुरादास माथुर : जो नये बजट मुख्तलिफ स्टेट्स में हुए हैं और उनमें जो रिवीजन हुए हैं उनकी सूचना लेटेस्ट मेरे पास में नहीं है । पुरानी सूचना का जवाब दे सकता हूं लेकिन वह लेटेस्ट नहीं है । वह लेटेस्ट क्यों नहीं हैं कि 8-10 दिनों में सब जगह से सूचना उपलब्ध नहीं हो सकती है । किसी स्टेट में बजट पास हो रहा है और किसी में अभी नहीं हुआ है इसलिए यह संभव नहीं था कि सूचना उपलब्ध की जा सके ।

श्री विजयसिंह रावत : मैं तो बजट पास होने के पहले आज से 6 महीने पहले की बात कहता हूं कि वहां से आने वालों पर गुड्स और रोड टैक्स एक महीने का एन्ट्री टैक्स वे ले लेते है और जब वह राजस्थान में आये तो यहां राजस्थान सरकार डेली गुड्स टैक्स लेती है प्रति दिन के हिसाब से 5 दिन हों तो 5 दिन का और 7 दिन का हो तो 7 दिन का लेते हैं । यह डिस्क्रीमिनेशन होने से क्या राजस्थान सरकार को घाटा नहीं है, क्या राजस्थान की जो गुड्स ट्रान्सपोर्ट कम्पनीज है उनको घाटा नहीं है ?

श्री मथुरादास माथुर : राजस्थान सरकार को इस पर कतई घाटा नहीं है । सवाल इतना सा ही है कि टेम्परेरी परमिट्स पर केरियर जो यहां पर आता है तो यू. पी. देता है एक हफ्ते के लिए और ह

(श्री मथुरादास माथुर)

भर का टैक्स ले लेता है। गुजरात एक महीने भर का देता है और एक महीने का टैक्स ले लेता है । एक महीने का टैक्स ले लेने के बाद वह कैरियर 25 दफा प्लाई करे और वह महीने भर का टैक्स ले लेते हैं । हम लोग राजस्थान में यू. पी. के पैटर्न के आधार पर चलते हैं जब ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट बना था उस समय हमारे यहां यू. पी के डाईरेक्टर आये थे । वहां पर एक हफ्ते भर का लेने की प्रणाली थी । एक दिन का करके 7 दिन रहता है तो 7 दिन का ले लेते हैं । कोई ट्रक तीन दिन तक रहकर चला जाता है और हफ्ते भर रहता है तो 2-3 ट्रिप कर लेगा । यह जरूरी है कि राजस्थान सरकार के मामला विचाराधीन है । यू. पी. में हफ्ते भर का है, गुजरात में महीने भर का है, मध्यप्रदेश में महीने भर का है, कई स्टेटों में फोर्टनाइट का है । ऐसी बात नहीं है कि राजस्थान सरकार को घाटा होता है । यह मामला विचाराधीन है । यू. पी. में भी सोचा जा रहा है और सोचकर ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर की कान्फ्रेन्स में तय हो जायगा वह कर लेंगे ।

श्री विजयसिंह रावत : क्या यह सही है कि इसी मामले को लेकर गुड्स ट्रान्सपोर्ट की हड़ताल हुई थी और जिस वक्त राज्य सरकार ने उनको आश्वासन दिया था कि तटवर्ती राज्यों के मुताबिक हमारे यहां टैक्स लगाया जायेगा ?

श्री मथुरादास माथुर : यह बात सही नहीं है कि इसी मामले को लेकर हड़ताल हुई थी । यह पैसेन्जर और गुड्स टैक्स का रिवीजन हुआ था और टैक्स स्ट्रक्चर ज्यादा बढ़ गया था कोई बड़ा भारी इश्यू नहीं था ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यहां पर 7 दिन का टैक्स होने की वजह से और वहां पर एक महीने का समय देना पड़े इस कारण से जो बस या ट्रक आपरेटर्स हैं जो गुजरात और राजस्थान के बीच में प्लाई होते हैं तो गुड्स ट्रान्सपोर्ट सारा डाइवर्ट हो जायगा गुजरात में । एक हफ्ते के लिए टैक्स देना पड़ता है और अगर एक ट्रक को गुड्स लाने के लिए एन्गेज किया जाता है तो गुजरात वाले को एन्गेज करेंगे राजस्थान वालों को नहीं क्योंकि राजस्थान वाले को एक हफ्ते का टैक्स देना पड़ता है और गुजरात वालों के पास महीना भर का होता है तो इससे सारा ट्रक बिजीनेस गुजरात वालों के पास चला जायगा ।

श्री मथुरादास माथुर : यह बात सही नहीं है। अगर आप इसको समझें तो एक हफ्ते भर के लिए है तो हफ्ते भर प्लाई करेगा । किसी के पास बिजीनेस 3 दिन का है तो भी उससे महीने का ले लेते हैं । उसको महीने का टैक्स देना पड़ेगा । हमारे यहां हफ्ते भर का है और हफ्ते भर का टैक्स देता है तो हफ्ते भर प्लाई करेगा ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपका ट्रक गुजरात में जायेगा तो गुजरात में महीने भर का लिया जायगा ।

श्री मथुरादास माथुर : मैं गुजरात का नहीं कहता । यू० पी० में हफ्ते भर का है ।

श्री विजयसिंह रावत : जयपुर की एक कम्पनी से मिलकर जिसका दिल्ली में रजिस्ट्रेशन किया हो और उसका गुड्स ट्रान्सपोर्ट दिल्ली के रजिस्ट्रेशन से चलता है, इस कारण....

श्री अध्यक्ष : Order please ! Next. श्री आलम अली !

श्री विजयसिंह रावत : दूसरी गुड्स ट्रान्सपोर्ट को नहीं दिया जाता है। अध्यक्ष महोदय, यह मामला गम्भीर है। इससे राजस्थान की गवर्नमेंट को बहुत घाटा होता है और गुड्स ट्रान्सपोर्ट को बहुत घाटा होता है और मंत्री महोदय छिपाकर यह कहना चाहते हैं कि घाटा नहीं होता है।

श्री मथुरादास माथुर : 'छिपाकर' चाहे जैसी भाषा बोल देते हैं। माननीय सदस्य की आदत पड़ गई है।

श्री विजयसिंह रावत : मेरी आदत नहीं है। भाषा आप बोलते हैं और दूसरों को कहते हैं।

× × ×

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ने यह जो आखिरी शब्द कहे हैं उनको निकाल दिया जाय। आर्डर प्लीज।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : आप तो आर्डर कर सकते हैं लेकिन मंत्री महोदय क्यों सदस्यों को धमकी देते हैं और विठा देते हैं....

श्री अध्यक्ष : दोनों ओर से धमकियां हैं।

श्री नत्थीसिंह : माननीय मंत्री महोदय को आदत पड़ गई है और सदस्यों को डांट देने की हिमाकत कर देते हैं।

श्री विजयसिंह रावत: आदत के आधार पर....

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य ! Order please ! अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री विजयसिंह रावत: अध्यक्ष महोदय, मेरा यह अर्ज करना है कि यह जो प्रश्न है इसको स्टे किया जाय और तटवर्ती राज्यों से इसकी जानकारी मंगाई जाय और जानकारी आ जाय तो और जानकारी करने के बाद में सदन में बताइये कि गुजरात में कितना लिया है, किस रेट पर लिया जाता है और यहां पर क्या लिया जाता है और यह डिस्क्रिमिनेशन क्या है ?

श्री अध्यक्ष : Next। श्री आलम अली !

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से एक सप्लीमेन्ट्री मैं पूछना चाहता हूं। मंत्री महोदय को यह अधिकार है, इस सम्बन्ध में पूरी जानकारी उनके पास है तदुपरान्त भी सदन को नहीं देना चाहते है या प्रश्नकर्त्ता को नहीं देना चाहते हैं तो यह उनका अधिकार है कि न दें

× × × अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार निकाले गये।

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

किन्तु यह प्रश्न मैं समझता हूं, इन्टर स्टेट ट्रांसपोर्ट का है। इन्टर स्टेट ट्रांसपोर्ट की अगर यह समस्या है और वास्तविक रूप से होनी चाहिए, और है, तो मेरे ख्याल में सरकार को चाहिए कि कोई न कोई गुड्स को टैक्स करने की व्यवस्था में सामंजस्य होना चाहिए उदाहरणार्थ मैं अभी निवेदन करूं, मैं भाषण नहीं दे रहा हूं, मैं उदाहरण देता हूं कि अभी आपने स्पेअर पार्ट्स को टैक्स किया है, मोटर स्पेअर पार्ट्स को टैक्स किया है, जब कि मोटर पार्ट्स अहमदाबाद में सस्ते मिलते हैं और दिल्ली में सस्ते मिलते हैं, तो आपकी यह अदूरदर्शी टैक्स की नीति है, उसके द्वारा भी राजस्थान के स्पेअर पार्ट्स के बिजनेस को नुकसान हुआ है। इसी तरह से, मैं समझता हूं इसमें भी नुकसान हो हो रहा है। अगर आप जानकारी नहीं दें तो न दें लेकिन इन्टर स्टेट ट्रान्सपोर्ट की चीज है उसमें बिना सामंजस्य के मनमाने रूप से अगर आप करते हैं तो क्या आप उचित करते हैं ? मैं समझता हूं कि नहीं करते हैं।

श्री मथुरादास माथुर : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न इतना ही था कि हम लोग टेम्प्रेरी परमिट एक हफ्ते के लिए देते हैं, यू. पी. भी एक हफ्ते के लिए देता है टेम्प्रेरी परमिट। अब रेट्स और स्ट्रक्चर गुडस टैक्स में क्या है, इसका कोई प्रश्न नहीं है क्योंकि इसका सवाल नहीं पूछा गया है। मध्य प्रदेश में एक महीने के लिए देते हैं। हम लोग यू. पी. के पेटर्न के ऊपर एक हफ्ते के लिए देते आये हैं। इसमें न राज्य सरकार को घाटा होने का प्रश्न है और न कोई ट्रेड बैलेन्स बिगड़ने वाला है। अब सदन के अन्दर यह डिमाण्ड की गई कि एक महीने का कर देना चाहिए, तो मैंने कहा कि इसमें विचार कर रहे हैं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : विचार क्या कर रहे हैं ? आपको रेल्वेज में और इसमें क्या फर्क है। हमारे यहां मेजर ऑफ यूनिफार्मिटी होना चाहिए। यह सामान्य बुद्धि को और कॉमन सेन्स की बात है, अध्यक्ष महोदय।

श्री मथुरादास माथुर : मैं यही कह रहा हूं, यह कामन सेन्स की बात है और नेता महोदय सोचें तो यह मालूम होगा कि कामन सेन्स की बात है। यू. पी. एक हफ्ते के लिए टेम्प्रेरी परमिट देता है जो नेबरिंग स्टेट है मेरा। यू. पी. एक हफ्ते के लिए देता है और मैं भी एक हफ्ते के लिए देता हूं और एक हफ्ते के लिए क्यों देता हूं— इसका मैंने कारण बता दिया कि हमारे यहां शुरू में यू. पी. के अधिकारी आये थे और उन्होंने यू. पी. का यह पेटर्न एडाप्ट किया और एक हफ्ते के लिए कर दिया। अब मध्य प्रदेश और गुजरात के अन्दर एक महीने का करते हैं। यह टेम्प्रेरी परमिट एक हफ्ते के लिए दें या एक महीने के लिए दें—यह कोई बड़ा मसला नहीं है और इनसे ट्रेड बेलेन्स बिगड़ता है। सवाल यह है कि महीने भर का दें। इसके लिए मैंने कहा कि यू. पी. और हम जो एक हफ्ते के लिए देते हैं वह एक हफ्ते से एक महीने का टाइम बढ़े इस प्रश्न को हमने डिस्कस किया है,

(श्री मथुरादास माथुर)

जो कान्फ्रेन्स हुई थी उसमें डिस्कस किया था ।

श्री विजयसिंह रावत : यह सात दिन के लिए देने से पहले एक महीने के लिए दिया जाता था—यह बताइये आप ?

(विराम)

नहीं दिया जाता था कभी ?

श्री अध्यक्ष : Order please !

श्री विजयसिंह रावत : पहले एक महीने का दिया जाता था ?

श्री अध्यक्ष : Order please ! अध्यक्ष महोदय पैरों पर हैं । कृपया स्थान ग्रहण करें । स्थान ग्रहण करें ।

श्री आलम अली !

तहसीलदार फतेहपुर के विरुद्ध गबन के आरोप

734. **श्री आलम अली खां** (फतेहपुर) : क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि फतेहपुर तहसील के तहसीलदार के विरुद्ध अनाज में गबन के आरोप की जांच कलेक्टर व ट्रेजरी ऑफीसर व भ्रष्टाचार निरोधक विभाग ने की ? अगर हां, तो किस किस ऑफीसर ने किस किस तारीख को जांच समाप्त की ?

(2) यदि कोई जांच हुई है तो जांच रिपोर्ट राज्य सरकार के पास कब पहुँची और राज्य सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की ? अगर नहीं की, तो क्यों नहीं ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त तीनों ही रिपोर्टों में तहसीलदार के विरुद्ध गबन के गम्भीर आरोप को प्रमाणित पाया गया है ?

खाद्य मन्त्री (श्री परसराम मदेरणा): (1) जी हां, यह सही है । ट्रेजरी ऑफिसर, सीकर ने दिनांक 19-9-66 को व भ्रष्टाचार निरोधक विभाग ने दिनांक 5-1-67 को जांच समाप्त की है । यह जांच जिलाधीश, सीकर ने करवाई थी ।

(2) जो जांच ट्रेजरी ऑफिसर, सीकर द्वारा की गई थी उसकी रिपोर्ट राज्य सरकार के पास सितम्बर, 66 में प्राप्त हुई थी। उस पर राज्य सरकार ने तहसीलदार फतेहपुर के विरुद्ध आरोप पत्र तैयार करने हेतु जिलाधीश, सीकर को आदेश दिये, और जिलाधीश, सीकर ने आरोप पत्र का प्रारूप तैयार कर भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को पहुंचा दिया जिस पर भ्रष्टाचार निरोधक विभाग ने मामले की जांच करके उसे राजस्व मण्डल को जनवरी, 67 में भेजा । राजस्व विभाग द्वारा आरोपों की जांच हो रही है, जो अभी पूरी नहीं हुई है ।

(3) ट्रेजरी ऑफिसर व भ्रष्टाचार निरोधक विभाग की रिपोर्ट में तहसीलदार के विरुद्ध लगाये गये आरोप सही प्रतीत होते हैं किन्तु वास्तव में यह आरोप कहां तक सही हैं इसका सही पता तभी लग सकेगा जब

Page No.23

(श्री परसराम मदेरणा)

राजस्व मण्डल द्वारा विभागीय जांच पूरी कर ली जावेगी।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : इसये गबन कितने रुपये का है ?

श्री परसराम मदेरणा : यह गबन नहीं है। इसमें ऐसा है कि सीकर और कोटा से 1,100 टन जवार, जो सीकर डिस्ट्रिक्ट के लिए एलाट की गई थी वह उन्होंने कम रेट पर बेची। बेची 48 रुपये पर-क्विन्टल जब कि 57 रुपये पर क्विन्टल में बेचनी चाहिए थी। इससे राज्य को 27 हजार 63 का घाटा हुआ है। यह किसकी नेगलीजेन्स से हुआ है या किसकी कनाइवेन्स से किया है–इसकी जांच हुई और जांच एन्टी-करप्शन डिपाटमेंट ने की है और जांच के बाद में स्टेटमेंट आफ एलीगेशन्स और चार्ज शीट है वह एन्टी करप्शन डिपार्टमेंट ने बोर्ड आफ रेवेन्यू में भेज दी है और वहां पर विचाराधीन है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि ट्रेजरी ऑफिसर की इन्क्वायरी से यह चीज सिद्ध हुई है कि जो कीमत का डिफरेन्स था वह तहसीलदार ने वसूल कर लिया है और सरकारी खजाने में जमा नहीं कराया है ? और चार्ज किया है?

श्री परसराम मदेरणा : उन्होंने जो रिपोर्ट दी है ट्रेजरी ऑफिसर ने, उन्होंने यह दी है कि उन्होंने कम चार्ज किया है, इससे राज्य सरकार को नुकसान हुआ है और उनकी नेगलीजेन्स से हुआ है। इसमें कलेक्टर सीकर को लिखा गया कि इसमें स्टेटमेंट आफ एलीगेशन्स और........

श्री भैरोंसिंह : क्वश्चन मेरा यह नहीं है। क्वश्चन मेरा यह है, आप जवाब दूसरा दे रहे हैं, क्या यह चार्ज इन्क्वायरी से सिद्ध हुआ है कि कीमत का डिफरेन्स तहसीलदार ने वसूल कर लिया है लेकिन सरकारी खजाने में जमा नहीं कराया ?

श्री परसराम मदेरणा : ट्रेजरी आफिसर की रिपोर्ट मैंने पढ़ी नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : पढ़ी नहीं है तो फिर जवाब क्या देते हैं ?

श्री अध्यक्ष : मैं इसको पोस्टपोन करता हूं।

श्री रघुनाथ विश्नोई !

प्रश्न संख्या 735

श्री रघुनाथ विश्नोई : 735.

श्री भैरोंसिंह : on a point of order, अध्यक्ष महोदय। यह प्रश्न जो पूछा जा रहा है. यह एक व्यक्ति के खिलाफ पूछा जा रहा है। आप सीरीज आफ क्वश्चन आफ माननीय सदस्य देख लीजिये, उनके हर क्वश्चन में मिश्रीमल वकील का नाम निश्चित रूप से आया है। इनके और उनके बीच में...

श्री रघुनाथ विश्नोई : यह सवाल नहीं है।

Page No.24

श्री भैरोंसिंह : मुझे कहने दीजिये। इनके और उनके बीच में पोलिटिकल कंट्रोवर्सी चल रही है....

श्री रघुनाथ विश्नोई : इसमें पांच हजार रुपये के वेचान का प्रश्न है...

श्री अध्यक्ष : Order please ! पाइन्ट आफ आर्डर है।

श्री भैरोंसिंह : इन दोनों के बीच में पोलिटिकल कन्ट्रोवर्सी चल रही है, वह प्रधान है और एडवोकेट है, उनसे रंजिश के कारण जितने भी प्रश्न इनके द्वारा पूछे जाते हैं उनमें मिश्रीमल वकील का नाम निश्चित रूप से आना चाहिए। यह प्रश्न पूछा जा रहा है, इसमें भी मिश्रीमल का नाम है। वैसे आपने व्यवस्था दी है कि व्यक्तिगत परवी या व्यक्तिगत खिलाफत करने के सम्बन्ध में प्रश्न नहीं पूछे जायेंगे। यह जो प्रश्न पूछा है इसमें रजिस्ट्रेशन का मामला है....

श्री रघुनाथ विश्नोई : यह प्रश्न पर्सनल नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : चौथे भाग में मिश्रीमल का नाम शामिल हो गया है और पूछा है कि बार कौंसिल के अधिनियम के तहत क्या एक्शन लिया है और गवर्नमेंट क्या एक्शन लेना चाहती है, मिस कन्डक्ट बनता है या नहीं ? इसका सार यह है कि मिश्रीमल के खिलाफ गवर्नमेंट एक्शन लेना चाहती है या नहीं ? बार कौंसिल अधिनियम के तहत उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहती है या नहीं ? इस तरह के व्यक्तिगत दुश्मनी के कारण पूछे गये सवालों को....

श्री रघुनाथ विश्नोई : व्यक्तिगत सवाल कतई नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : इजाजत दी गई तो इसकी कोई सीमा नहीं रहेगी। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रश्न को नहीं लिया जाय।

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, जनसंघ के माननीय नेता ने जो पाइन्ट आफ आॅर्डर उठाया है इस प्रश्न के मुतल्लिक इस प्रश्न को देखने से मालूम होगा कि यह सूचना का प्रश्न है और इसमें रजिस्ट्रेशन का और ड्यूटी का प्रश्न आया है। यह सवाल सिर्फ एक जांच का सवाल है। जांच हुई है या नहीं उसकी इन्फार्मेशन चाही है। इसमें कहीं पर्सनल रन्जिश का सवाल नहीं है....

श्री भैरोंसिंह : क्लीअर है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : आप मेरे तमाम प्रश्न उठा कर देख लीजिये, पांच साल में मैंने कभी मिश्रीमल की खिलाफत या पैरवी नहीं की है। आप किसी की पैरवी कर रहे होंगे। मेरा प्रश्न यह नहीं है इसमें रन्जिश का प्रश्न नहीं है। यह सूचना का सवाल है। हमेशा आपकी ओर के बैठने वाले माननीय सदस्यों के पचासों प्रश्न आते है ; जिनमें व्यक्तिगत इन्ट्रेस्ट क्लेस होने पर किसी की पैरवी करने का प्रश्न होता है....

श्री भैरोंसिंह : मैं पैरवी नहीं करना चाहता लेकिन आपको पैरवी नहीं करने देना चाहता।

श्री रघुनाथ विश्नोई : इसमें का प्रश्न नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : उस व्यक्ति के खिलाफ आपकी रन्जिश है, उसको सदन में निकालने की आज्ञा नहीं दी जा सकती ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : आपके पचासों प्रश्न ऐसे हैं। चेअर की पालिसी आपके कहने से नहीं बदलेगी । अध्यक्ष महोदय ने इसको एडमिट किया है, उन्होंने फैक्ट देखे हैं। आपने पाइन्ट आफ ऑर्डर उठाया है, वैसे हमने भी पाइन्ट आफ आर्डर उठाये हैं। कई मामलों के आपके सवाल होते हैं उनके अन्दर पर्सनल इन्ट्रेस्ट की पैरवी करते हैं...

श्री भैरोंसिंह : कभी भी आप मेरे साथ में रियायत मत कीजिये ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : आपके पचासों सवाल ऐसे हैं। इसमें कोई व्यक्तिगत रजिश का सवाल नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : जो व्यवस्था का प्रश्न माननीय भैरोंसिंह जी ने उठाया है, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है और मुझको भी अवसर इस प्रश्न के उठने पर इस सदन को संसदीय स्थिति से अवगत कराने का यह मौका मिल गया। मैं यह समझता हूं कि व्यक्तिगत प्रश्न इस सदन में उठाया जाना उचित नहीं है। और ऐसे व्यक्तिगत प्रश्न, जो वास्तव में व्यक्तिगत हैं और जनहित का जिसमें लाभ नहीं होगा। इस प्रश्न पर भी यद्यपि यह एडमिट कर लिया गया है, अच्छा होता यदि व्यक्ति विशेष को नामांकित किया जाकर नहीं पूछा जाता ।

(हिअर-हिअर)

श्री रघुनाथ विश्नोई : ऐसे आप पचासों प्रश्न पूछते हैं।

श्री अध्यक्ष : और मैं यह भविष्य के लिये इस ओर संकेत कर देना चाहता हूं कि व्यक्तिगत एडवाकेसी के लिए व्यक्तिगत रूप से किसी व्यक्ति को सदन में लाना उचित नहीं है। किन्तु चूंकि श्री मिश्रीमल का नाम सदन में आ गया है और उसके सम्बन्ध में आरोप हैं और यह प्रश्न एडमिट हो गया है इसलिये मैं इसको पूछने की इजाजत देता हूं पर इसके सप्लीमेंटरी नहीं पूछे जायेंगे ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि आप इसे संसदीय परम्परा से व्यक्तिगत समझते हैं तो मैं इस प्रश्न को पूछना नहीं चाहता ।

श्री अध्यक्ष : यह संसदीय स्वस्थ परम्परा को सहयोग होगा ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : लेकिन माननीय सदस्य इसे व्यक्तिगत समझते हैं तो इस तरह के प्रश्न उनकी तरफ से पूछे जाते रहे हैं....

प्रश्न संख्या 736

श्री अध्यक्ष : श्री पुखराज कालानी !

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री मूलचन्द डागा : माननीय अध्यक्ष, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिये इसका उत्तर दिलाया जाय ।

सतीशचन्द्र अग्रवाल : नहीं, उनको खुद को पूछना चाहिये....

(अनेक माननीय सदस्य विरोधी पक्ष की ओर से बोलने लगे)

श्री अध्यक्ष : यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह माननीय सदस्य कहते हैं, समय रहा तो मैं देखूंगा।

प्रश्न संख्या 737।

श्री हरजी राम बुरड़क!

ग्राम कुसुम्बी अलीपुर में कुओं के लिए दिये गये ऋण का उपयोग

737. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं): क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) ग्राम कसुम्बी अलिपुर तहसील लाडनूं जिला नागौर में 1 अप्रेल, 1956 से 31 मार्च, 1967 तक कितने व्यक्तियों को खेती के कुए बनाने के लिए ऋण दिया गया और उनके पास कितनी-कितनी बीघा भूमि है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(ख) क्या राज्य सरकार ने कोई नीति निर्धारित की है कि कितनी भूमि होने पर खेती के लिए कुआ बनाने के लिये ऋण दिया जाय ?

(ग) उपरोक्त ग्राम में जिन व्यक्तियों ने कुए नहीं बनाये उनसे रकम वसूली के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

(घ) क्या राज्य सरकार ने उक्त ग्राम में कृषि कुओं के लिये दिये गये ऋण का समय पर ऋण लेने वालों ने सही उपयोग किया या नहीं इस बात की जानकारी समय पर की ? यदि हां तो वे कौन-कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने ऋण लेने के बाद आज तक न तो कोई कुआ ही बनाया और न रकम वापस जमा करवाई है ?

कृषि मन्त्री (श्री परसराम मदेरणा) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न के सम्बन्ध में पूरी जानकारी प्राप्त नहीं हुई है इसलिए इसे पोस्टपोन किया जाय।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया। प्रश्न संख्या 738। श्री देवीदत्त गाड़िया!

तहसील किशनगंज के ग्रामों में बंगाली विस्थापितों को बसाने हेतु मंगाया गया सामान

738. **श्री देवीदत्त गाड़िया** (बारां): क्या पुनर्वास मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे :—

(1) तहसील किशनगंज के ग्राम घट्टा-घट्टी, परानियां एवं गोरधनपुरा तीनों बंगाली कॉलोनिज में बंगाली विस्थापितों को बसाने के लिये क्या-क्या सामान मंगाया गया था ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

Page No.27

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

(2) क्या यह सही है कि बंगाली विस्थापितों के लिये मंगाये गये सामान में से टेन्ट्स व छोलदारियां आदि सामान उप-जिलाधीश की सुपुर्दगी में पड़ा हुआ है ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त पड़े हुए सामान में से बहुत सा सामान खराब हो गया है ? यदि हां, तो क्या सामान खराब हुआ ? और उस विषय में क्या कार्यवाही हो रही है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री बृजसुन्दर शर्मा) : (1) तहसील किशनगंज के ग्राम घट्टा-घट्टी, परानियां एवं गोग्धनपुरा में पूर्वी पाकिस्तान से आये हुए बंगाली विस्थापितों को बसाने के लिए निम्न सामान आया था :

गेंतियां 600, फावड़ा 600, खुरपी 400, हांसिया 195, तगारी 600, कुल्हाड़ी 600, कुसिया लोहा 753, सम्बल 300, कम्बल 1996, छोलदारियां 1000, वाटर पम्प 2 व पाइपलाइन आधा इन्ची 1116½ आर. एफ. टी.।

(2) उक्त सामान में से केवल 21 छोलदारियां उपजिलाधीश, बारां के कार्यालय में इस समय रखी हुई हैं।

(3) उपजिलाधीश, बारां के कार्यालय में रखी हुई 21 छोलदारियां विस्थापितों को बसाने के कार्य में प्रयोग करने पर ही खराब हो चुकी थीं। उप जिलाधीश बारां के कार्यालय में छोलदारियां खराब नहीं हुई। अब चूंकि ये छोलदारियां प्रयोग के योग्य नहीं है, इसलिये इनके डिस्पोजल की कार्यवाही जारी है।

श्री जुझारसिंह (रामगंज मंडी) : कुछ भी सुनाई नहीं दिया।

श्री देवीदत्त गाड़िया : क्या यह सही है कि यह जो सामान बंगाली विस्थापितों के लिये मंगाया वह उनको पूरा वितरण नहीं किया गया ? यदि हां, तो कितना उनमें वितरण किया गया और कितना स्टॉक में पड़ा हुआ है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जो सामान बाकी बचा हुआ है वह है - गेंतियां 198, फावड़े 180, हंसिया 1 कुल्हाड़ी 400, कुसियां 461, सम्बल 1 वाटर पम्प 2, पाइपलाइन आधा इन्ची ...

श्री देवीदत्त गाड़िया : ये छोलदारियां किनको दी गई और अब कहां हैं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : उन विस्थापितों को रहने के लिये दी गई और वहीं वे रहीं।

श्री देवीदत्त गाड़िया : 21 छोलदारियां उपजिलाधीश बारां के कार्यालय में हैं, यह आपने कहा, वहां वे कितने समय से पड़ी हुई हैं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : उनके प्रयोग में आने से खराब हो गई और बारां उपजिलाधीश के कार्यालय में जमा हैं।

Page No.28

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : 1000 छोलदारियां आईं, वे काम में आने के बाद कहां गईं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जो बिल्कुल खराब हो गईं वह उन्हीं के पास रह गई होंगी।

श्री भैरोंसिंह : रही होंगी नहीं। सारी 1000 छोलदारियां उनके लिये मंगाई गई, और उनके लिये हट्स बना दी गई तो फिर उसके बाद में वे सारी छोलदारियां कहां गईं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा: 21 छोलदारियां बची हुई हैं, बाकी उन्हीं के काम में आईं, उन्हीं के पास रहीं....

श्री अध्यक्ष : जो उनको छोलदारियां दी गईं, खपने लगीं खलने लगीं उनके अवशेष क्या सरकार के पास वापिस आये हैं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : अवशेष लेने की जरूरत नहीं।

श्री कृष्ण कुमार गोयल (कोटा) : किन-किन डेट्स को कितनी - कितनी छोलदारियां आईं, किन-किन डेट्स को विस्थापितों को दी गई और किन-किन डेट्स को वे सरकार के पास वापिस आई, यह मंत्री महोदय बता दें ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : यह सूचना अभी उपलब्ध नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि 6 महिने तक ये छोलदारियां विस्थापितों के पास रहीं और बाद में उन्हें हटा लिया ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जब तक हट्स नहीं बनीं तब तक उन के काम में आईं।

श्री भैरोंसिंह : हट्स बनने में 6 महीने भी नहीं लगे। अध्यक्ष महोदय, मैं स्वयं वहां गया हूं। लाखों रुपया भारत सरकार का और राजस्थान सरकार का खर्च हो गया, 6 महीने में कोई छोलदारी खराब नहीं होती है। वे छोलदारियां कहीं गईं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : यह उन्हीं के पास रहीं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : उनके पास कैसे रह सकती हैं ?

श्री भैरोंसिंह : उनके लिये हट्स बना दीं तो उनके पास कैसे रह सकती है ?

श्री देवीदत्त गाड़िया : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि ये छोलदारियां 100 मंगवाई गईं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिस समय बंगाली विस्थापित आये, तब तक हट्स बन चुकी थीं। टेम्परेरिली, कुछ समय के लिये बरसात में कुछ शामियाने उनको दिये गये थे। पी.सी. बनर्जी थे उनके पास थे। उसके बाद बारां के गोडाउन में सारी छोलदारियां आईं और उनका बाद में पता नहीं यह मैं निश्चित रूप से कहता हूं..........

(विरोधी पक्ष की ओर से शेम, शेम की ध्वनि)

श्री अध्यक्ष : अभी उत्तर आना शेष है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जहां तक छोलदारियों का प्रश्न है, बारां उप जिलाधीश से सूचना आई है कि 21 छोलदारियां उनके कार्यालय में हैं.............

श्री अध्यक्ष : प्रश्न वह है कि छोलदारियां उनको दी गईं वे उनको हमेशा के लिये दी दे गईं या वापिस लेने के लिये दी गईं ? यदि वापिस लेने के लिये दी तो वापिस ली या नहीं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा: इसकी डिटेल्स में जाकर ही निवेदन कर सकता हूं ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : जिनको छोलदारियां दी गईं, क्या उनके हस्ताक्षर कराये गये थे कि छोलदारी मुझे दी गई ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा . इतनी जानकारी मुझे इस समय नहीं है ।

(शोरगुल)

श्री भैरोंसिंह : 1 हजार छोलदारियां गवर्नमेंट की आईं, उनका पता नहीं और आप कहते हैं कि जानकारी नहीं है ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : एक एक छोलदारी एक एक हजार रुपये की कीमत की थी। 1,000 छोलदारियां मंगाई गईं, 10 लाख की कीमत की छोलदारियों के लिये मन्त्री महोदय कहते हैं कि पता नहीं है।

श्री जुझारसिंह : छोलदारियों को यदि वापिस लेने का नियम नहीं था तो 21 छोलदारियां वापिस क्यों ली गईं ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : छोलदारियां दी गईं, उनको वापिस लिया गया य नहीं? नहीं लिया गया तो गवर्नमेंट की 10 लाख की प्रॉपर्टी इस तरह लोग खा जायं और गवर्नमेंट के पास फैक्ट्स नहीं हैं इसके सम्बन्ध में । इसलिये, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि इस क्वेश्चन को 5 या 6 दिन के लिये पोस्टपोन कर दिया जाय ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : 21 छोलदारियां वापिस आईं पर प्रश्नकर्ता द्वारा कहा गया कि 1 हजार छोलदारियां थीं ? तो क्या मन्त्री महोदय मानने को तैयार हैं कि वास्तव में 1 हजार छोलदारियां थीं, वे विस्थापितों को दी गईं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : एक हजार छोलदारियां आई हैं और विस्थापितों के लिये आई हैं, जो उनको दी गईं ।

श्री जुझारसिंह : यह सही है कि 300 परिवार ही विस्थापितों के आये और छोलदारियां 1000 आईं ?

श्री अध्यक्ष : Order !

श्री देवीदत्त गाड़िया : इस प्रश्न का क्या हुआ ? क्या इसे स्थगित कर दिया ?

श्री अध्यक्ष : Order !

जो छोलदारियां बंगाली विस्थापितों के लिये आई वे कितनी आईं ? बंगाली विस्थापितों को कितनी दी गई? किन कन्डीशन्स में दी

Page No.30

(श्री अध्यक्ष)

गई ? वापिस कितनी आई ? यदि नहीं आई, तो क्यो नहीं आई, इस सारी स्थिति पर मन्त्री महोदय इसकी जांच कर लेंगे ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय यह बहुत जरूरी है, आवश्यक है कि मन्त्री महोदय, आन दी फ्लोर आफ दी हाउस यह कमिटमेंट दें कि एक हजार छोलदारियां आई; बंगाली विस्थापितों को इतनी दी गई नहीं तो बीच में ही टेम्पर विध करके 200 ही रह जायेंगी । आप कहें कि एक हजार दी गई या नहीं ?

(12 मध्यान्ह)

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जैसी भी परिस्थिति है, हमारे पास जो जानकारी है, यह तो निश्चित रूप से जानकारी है कि एक हजार छोलदारियां आई । यह भी निश्चित है कि 21 छोलदारियां उनमें से बारां में पड़ी हुई हैं । बाकी छोलदारियां कहां-कहां दी गई, किस प्रकार दी गई, अब उनकी क्या स्थिति है, मैं निश्चित रूप से उसकी जानकारी कराऊंगा ।

महारावल श्री लक्ष्मण सिंह : मंत्री महोदय बड़े टैक्टफुल हैं । वह कह रहे हैं कि छोलदारियां आई या नहीं । एक हजार आई, कुल की कुल बंगाली रिफ्यूजीज को दी गई या नहीं ? अगर आई, उनमें से 500 बंगालियों को दी गई । आपका कोई भरोसा नहीं कर सकता आज के जमाने में आपकी करनी और कथनी बिल्कुल विभिन्न है । कृपया यह आश्वासन दिया जाय, I want this commitment from you here categorically. एक हजार छोलदारियां आई और जब आई तो वही की वही सब बंगालियों को दी । क्या आप मानते हैं या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : सारी स्थिति की मन्त्री महोदय जांच करा लेंगे ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : He will wiggle out from this awkward situation, I know.

श्री अध्यक्ष : Facts are facts. फैक्ट्स बहुत साफ हैं. दी गई....

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : He should make a commitment in the house then about it.

श्री बृजसुन्दर शर्मा : I will enquire into the matter.

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : And he will apprise the House of it.

श्री अध्यक्ष : He will make enquiries into the case and will apprise the House about the details and facts of the case.

श्री ओमदत्त भाटी !

मण्डोर डिस्टिलरी का गन्दा पानी

739. **श्री ओमदत्त भाटी** (सरदारपुरा, जोधपुर), (श्री फूलचन्द बाफना (सुमेरपुर) द्वारा पूछा गया) : क्या आबकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि मंडोर डिस्टिलरी का स्पेन्ट वाटर (बदबूदार पानी) डिस्टिलरी के नाले द्वारा आबादी के अन्दर ही डाला जाता है ?

(2) क्या यह सही है कि करीब 5 मास पूर्व यह नाला टूट जाने के कारण स्पेन्ट वाटर फूलबाग के बेरे में चला गया जिसके कारण उस कुए का पानी पीने लायक नहीं रहा ?

(3) इसके कारण जनता इस कुए से कितने समय तक पानी नहीं प्राप्त कर सकी ?

(4) इस कुए से इस स्पेन्ट वाटर पानी को निकालने पर कितना खर्च हुआ ?

(5) क्या यह सही है कि उपरोक्त नाले के पास तीन चार कुओं में भी नाले का पानी जमीन में सोखकर पहुँच गया और उन कुओं का पानी भी जनता और पशुओं के पीने लायक नहीं रहा ?

(6) क्या यह सही है कि इस नाले का पानी पशुओं द्वारा पीने पर पशुओं के दूध में भी हानिकारक और नशीले तत्व आ जाते हैं ?

(7) जिन कुओं का पानी इससे खराब हो गया है उनके मालिकों को क्या सरकार मुआवजा देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(8) इस स्पेन्ट वटर को कहीं अन्यत्र ले जाने के लिये सरकार की क्या जोजना है ?

आबकारी मन्त्री (श्री मथुरादास माथुर) : (1) जी नहीं। डिटिस्लरी से स्पेन्ट वाटर एक पक्के नाले से होकर आबादी से काफी दूर एक नाले में गिरता है।

(2) लगभग आठ माह पूर्व किसी व्यक्ति द्वारा इस नाले को तोड़ देने के कारण यह पानी फैल गया और सम्भवतया कुछ पानी फूलबाग के बेरे में भी गया हो ।

(3) विभाग को कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

(4) विभाग में क्षतिपूर्ति के लिए कोई प्रार्थना-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है ।

(5) विभाग को इसकी कोई जानकारी नहीं है ।

(6) विभाग के पास ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है ।

(7) जी नहीं । विभाग में क्षतिपूर्ति के लिए कोई प्रार्थना-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है ।

(श्री मथुरादास माथुर)

(8) एक आक्सीडेशन टैंक बनाने की योजना सरकार के विचाराधीन है।

श्री फूलचन्द बाफना : क्या यह सही है कि मण्डोर म्युनिसिपल एरिया में शामिल है और म्युनिसिपल एरिया में डिस्टिलरी नहीं रहनी चाहिये ?

श्री मथुरादास माथुर : शामिल है। जब डिस्टिलरी बनाई थी उस समय यह म्युनिसिपल एरिया में नहीं था। डिस्टिलरी बना सकते है कोई रुकावट नहीं।

श्री अध्यक्ष : स्थगित प्रश्न । श्री हीराभाई !

स्थगित प्रश्न

(13-6-67)

पंचायत समिति, सज्जनगढ़, (बांसवाड़ा) के काश्तकारों के लिए पतरों का कोटा

455. **श्री हीराभाई** (कुशलगढ़): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) पंचायत समिति, सज्जनगढ़ (जिला बांसवाड़ा) के नाम काश्तकारों के लिए वर्ष 1965-66 व 1967 में पतरों का कितना कोटा एलॉट हुआ था तथा किस-किस तारीख को कितना-कितना हुआ ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उक्त कोटे में से किस-किस काश्तकार को कितने-कितने पतरों का वितरण हुआ ? गांव के नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या यह सही है कि जिन्हें पतरे दिये गए थे उन्होंने अपने मकानों पर नहीं चढ़ाकर उन्हें काले बाजार में बेच दिया ? यदि नहीं तो किन-किन काश्तकारों ने पतरों का सही उपयोग किया है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

पंचायत मंत्री (श्री परसराम मदेरणा): (1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) जी नहीं। किसी काश्तकार के पतरों का सही उपयोग नहीं करने की शिकायत नहीं आई है।

(विस्तृत सूची होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रख दी गई है)

श्री हीराभाई : प्रश्न मैंने पूछा है कि क्या उन लोगों ने उन पतरों का काला बाजार किया है तो आपने किस प्रमाण के आधार पर कहा कि कोई काला बाजार नहीं हुआ ? दूसरी बात आपकी जानकारी के लिए कहना चाहता हूं कि तीन चार आदमी लबाना और दो तीन दूसरे आदमी हैं जिन्होंने जाली ढंग से, उनके नाम से लेकर इन पतरों का काला बाजार किया है। मेरा

(श्री हीराभाई)

प्रश्न तो लम्बा था लेकिन छोटा हो गया है। परन्तु क्या भविष्य में उनके बारे में जांच कराने के लिए तैयार हैं कि इन काश्तकारों ने अपने मकानों पर पतरे चढ़ाए, उसका प्रमाण है आपके पास ?

श्री परसराम मदेरणा : पतरे अब कन्ट्रोल्ड आर्टीकलड नहीं हैं। जो एलॉट किए गए काश्तकारों को, उन परमिट्स के अगेन्सट में उन्होंने 1100 पतरे उठाए। दूसरों ने नहीं उठाए। इसलिए कालाबाजार की शिकायत राज्य सरकार के पास नहीं है। अगर कोई केस हो तो बताएं, मैं जांच करा सकता हूं।

श्री अध्यक्ष : आप उदाहरण दीजिए, जांच हो जायगी।

श्री हीराभाई : मैंने कहा था कि पतरे नहीं चढ़ाये हैं। मैंने कहा था कि जिन काश्तकारों के नाम एलॉट हुए हैं, उनके मकानों पर पतरे नहीं लगे हुए हैं। उनके बारे में आपने कहा कि कोई शिकायत नहीं है। मेरी भी तो शिकायत मानो आप। मैं कहता हूं कि पतरे नहीं चढ़ाये यही प्रमाण है। अगर चढ़ायें हैं तो आप प्रमाण देने को तैयार हैं क्या ?

महारावल श्री लक्ष्मण सिंह (डूंगरपुर) : प्रश्न उन्होंने पूछा है कि क्या यह सही है कि जिन्हें पतरे दिये गए थे उन्होंने अपने मकानो पर नहीं चढ़ा कर उन्हें काले बाजार में बेच दिया ? यदि नहीं तो किन-किन काश्तकारों ने पतरों का सही उपयोग किया है। सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें। सूची आई या नहीं यह तो प्रश्न कर्त्ता जानें, लेकिन प्रश्न बिल्कुल स्पेसीफिक है।

श्री परसराम मदेरणा : सूची सदन की मेज पर रख दी है कि किन-किन काश्तकारों को कितने-कितने परमिट दिए गए, किन्होंने परमिट से पतरे लिए। एक्चुअली हुआ यह था कि जो अलग-अलग तारीखों में पतरों के परमिट दिए गये थे उनकी संख्या 2996 थी उसमें से काश्तकारों ने जो पतरे खरीदे, वह सिर्फ 1114 थे, बाकी लैप्स हो गए। काश्तकारों ने पतरे लिए नहीं इसलिए जो परमिट जारी हुए हैं, वह पतरे किसानों ने खरीदे नहीं तो काला बाजार का प्रश्न ही नहीं उठता। कोई ऐसी शिकायत हमारे पास नहीं है कि जिन्होंने पतरे खरीदे अपने मकानों पर नहीं लगाये।

श्री राम किशन (जैर) : आपने कहा कि पतरे कन्ट्रोल्ड कमोडिटी नहीं है। अब नहीं है लेकिन 1965-66 में थी। सरकार की जिम्मेदारी थी कि जो परमिट्स जारी किए काश्तकारों ने लिए, बाकी बची हों......

श्री परसराम मदेरणा : माननीय सदस्य कह रहे थे कि भविष्य में कुछ करेंगे, तब मैंने कहा।

श्री रामकिशन : लेकिन जो कोटा बचा हुआ है, कैसे मान लिया जाय कि काश्तकारों ने नहीं लिया या दूकानदारों द्वारा नहीं दिया गया। यह प्रेक्टिस रही है कि दुकानदार देते नहीं हैं, पीरियड लैप्स होने के बाद काला बाजार में बेचते हैं।

श्री परसराम मदेरणा : इस प्रकार की शिकायत हमारे पास नहीं है। इस प्रकार की कोई शिकायत होती तो जांच कराते। आप कहते हैं कि उनको परमिट्स दिए गए, काश्तकार खरीदने गए, लाइसेन्सी ने उनको पतरे नहीं दिए हैं। इस प्रकार की मैं जांच कराऊंगा कि आया पतरे होते हुए भी लाइसेन्सी ने क्यों नहीं पतरे दिए? लेकिन हमारे पास इस तरह की शिकायत नहीं है कि काश्तकार गए हों और लाइसेन्सी ने माल नहीं दिया हो। माननीय सदस्य कहते हैं कि काश्तकारों को इस प्रकार की शिकायत है तो मैं जांच कराऊंगा।

श्री रामकिशन : जब काश्तकार ने नहीं लिया तो फ्री सेल में बेचने के लिए कलेक्टर वगैरह से इजाजत ली है? जब कन्ट्रोल्ड कमोडिटी उस परमिट से वितरित नहीं होती है तो फ्री सेल के लिए इजाजत लेनी पड़ती है। इन्होंने ली है?

श्री परसराम मदेरणा : पर्टीक्यूलर टाइम होता है। अगर महीने भर में नहीं लेते हैं तो ऑटोमेटिकली बेच सकते हैं।

श्री हीराभाई : तीन हजार में से 4 कम पतरे एक ही पंचायत समिति ऐरिया में दिया है तो जब यह पतरे एलॉट हुए थे तब एक दूसरी पंचायत समितियों को कितने-कितने एलॉट किए गए? आप जानकारी करलें कि वहां पर किस पंचायत समिति एरिया में ज्यादा गए और किस में कम गए।

श्री अध्यक्ष : यह अलग सा प्रश्न है।

श्री अबदुल हादी ! श्री भैरोंसिह शेखावत !

स्थगित प्रश्न

(19-6-67)

अनाज ढोने के लिए आमंत्रित टेन्डरर, बाड़मेर।

629, **श्री अबदुल हादी** (चौहटन) व **श्री भैरोंसिह** (किशनपोल, जयपुर): क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला रसद अधिकारी, बाड़मेर, ने माह मार्च 1967 के मध्य में राजकीय सस्ते अनाज को ढोने के लिए टेन्डर आमन्त्रित किए थे? और जितने भी टेन्डर आये उनमें से किसी भी टेन्डर को स्वीकार नहीं किया गया।

(2) पहले ठेकेदार की दर व नये टेन्डरों में कम दर के टेन्डर के बीच कितने पैसों का फर्क था?

(3) क्या यह सही है कि इन टेन्डरों के स्वीकार नहीं किये जाने का कारण बताकर जिला रसद अधिकारी, बाड़मेर, ने पुराने ठेकेदार को 1-4-67 से एक माह तक पुरानी दर पर ही अनाज ढोने का आदेश दे दिया जिससे सरकार को नुकसान हुआ है, क्योंकि नया ठेकेदार नई दर पर अनाज ढोने को तैयार था?

(4) क्या यह सही है कि जिला रसद अधिकारी, बाड़मेर, ने 24-4-67 को अनाज ढोने के लिए वर्ष 1967-68 के लिए टेन्डर आमंत्रित किये थे?

(5) क्या यह सही है कि इन टेन्डरों को भी स्वीकार नहीं किया गया जबकि

Page No.35

(श्री अब्दुल हादी)

पहले के ठेकेदार की दरों से इनकी दरें बहुत कम थीं और पुराने ठेकेदार को ही एक माह (मई 1967) के लिए अवधि और बढ़ा दी और इससे सरकार को नुकसान हुआ है।

(6) क्या यह सही है कि नया ठेकेदार अपनी कम दर पर कार्य करने को तैयार हुआ है ?

(7) क्या यह सही है कि उपरोक्त दोनों बार जिला रसद अधिकारी ने दो बार टेन्डर नामंजूर करके पुराने ठेकेदार को ही कायम रखा जिससे ठेकेदार को नाजायज फायदा मिल सके ?

(8) यदि हां, तो क्या सरकार उपरोक्त मामलों की जांच करके दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

खाद्य मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) : (1) जी हां।

(2) केवल एक आईटम में 13 पैसे प्रति बोरी का फर्क था।

(3) जब नई दरों को मान्यता ही नहीं दी गई तो हानि का प्रश्न ही नहीं उठता।

(4) जी नहीं। टेन्डर नोटिस 7-4-67 को ही जारी कर दिए थे।

(5) यह सही नहीं है। इन टेन्डरों को स्वीकार किया गया था लेकिन पुराने ठेकेदारों की अवधि उस समय तक के लिए बढ़ाई थी जब तक कि नए टेन्डरों के आधार पर नये ठेकेदार की नियुक्ति नहीं की गई।

(6) जी हां।

(7) जी नहीं।

(8) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि अनाज ढोने का कॉन्ट्रैक्ट टेण्डर से ही दिया जाना चाहिये इस प्रकार के सरकार के आदेश हैं ?

श्री परसराम मदेरणा : जी हां।

श्री भैरोंसिंह : तो फिर उनका उल्लंघन क्यों किया गया ?

श्री परसराम मदेरणा : कौन सा उल्लंघन ? क्या उल्लंघन किया ?

श्री भैरोंसिंह : टेण्डर इन्वाइट किये बिना ही अनाज ढोने के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में काम सौंपना, यह जो आदेश थे उस संबंध में जिन आदमियों को नियुक्त किया गया, उनको नियुक्त करने वालों ने उल्लंघन किया, यह क्यों हुआ ?

श्री परसराम मदेरणा : यह पहला टेन्डर 25. 2. 67 को इन्वाइट किया गया था और इसके बाद में टेण्डर प्राप्त करने की तारीख 27. 3. 67 थी।

श्री भैरोंसिंह : मेरा यह क्वश्चेन नहीं है। जिस आदमी ने बिना टेण्डर के ही अनाज ढोया, क्या उसका अपॉइन्टमेन्ट बिना टेण्डर के ही किया गया ?

श्री परसराम मदेरणा : राज्य सरकार के ग्रादेश थे कलेक्टर को कि जहां तक यह ट्रान्सपोर्टेशन ग्राफ ग्रेन का सवाल है, ग्रलग-ग्रलग ग्राइटमों में ग्रलग-ग्रलग टेण्डर मगवाते हैं जिसका नतीजा यह होता है...

श्री भैरोंसिह : मैं पूछ क्या रहा हूं ग्रौर ग्राप जवाब क्या दे रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि जिस ग्रादमी ने माल ढोया है उसका एपॉइन्टमेन्ट बिना टेण्डर इन्वाइट किये ही किया गया है या नहीं? हां या ना में सीधा सा जवाब दें।

श्री परसराम मदेरणा : जिस समय टेन्डर इन्वाइट किये गये थे उसकी ग्रवधि की समाप्ति होने के साथ साथ उसको एक्सटेण्ड कर दिया था!

श्री भैरोंसिह : जिस ग्रादमी ने माल ढोने का कन्ट्राक्ट लिया क्या यह सही है कि उसको बिना टेण्डर इन्वाइट किये ही कन्ट्रावट दिया गया था? हां या ना में जवाब क्यों नहीं देते?

श्री परसराम मदेरणा : जी हां।

श्री भैरोंसिह : यह सरकारी ग्राज्ञा का उल्लंघन जिला रसद ग्रधिकारी ने कन्ट्रावटर को एपॉइन्ट करने के बारे में क्यों किया?

श्री परसराम मदेरणा : राज्य सरकार के ऐसे ग्रादेश थे कि जहां तक वेरियस ट्रान्सपोर्ट के ग्राइटम हैं उनका सारे राजस्थान में एक स्टेण्डडाइजेशन किया जाना जरूरी है ग्रौर इस तरह से इतने ग्राइटमों का टेण्डर इन्वाइट करना चाहिए इस तरह से स्टेण्डर्डाइजेशन फिक्स करने से पहले जो टेन्डर इन्वाइट कर लिये हैं तो उनको दुबारा करके रेट्स निर्धारित करनी चाहिये। इसलिये दुबारा इन्वाइट किया गया।

श्री भैरोंसिह : मैं तो यह पूछना चाहता हूं कि जिसको बिना टेण्डर इन्वाइट किये ही एपॉइन्ट किया गया उसको क्या राज्य सरकार ने मान्यता दी है?

श्री परसराम मदेरणा : जब तक दूसरा टेण्डर एक्सेप्ट नहीं हुग्रा तब तक उसे....

श्री भैरोंसिह : सवाल यह ग्राता है कि टेण्डर इन्वाइट क्यों नहीं किये गये? उस समय क्यों नहीं किये गये?

श्री परसराम मदेरणा : इन्वाइट तो कर लिए थे। पर ग्राज्ञा चली गई राज्य सरकार की कि टेन्डर पीस मील में जो इन्वाइट करते हैं, यह नहीं करके राजस्थान के लिये स्टेण्डर्डाईजेशन तै किया जाय ग्रौर यह ट्रान्सपोर्ट रेट के लिये इसलिये करना चाहते हैं कि ग्रलग ग्रलग तरह की ग्राज जो रेटें हैं वे एक प्रकार की होनी चाहिये। ग्रब टेण्डर लो एकसेप्ट करते हैं या ऊंचा, एक प्रकार का लो ग्राइटम फिक्स करके इन्वाइट करना चाहिये। ये ग्रादेश उनको 27. 3 67 को दिये। इसके बाद पहले के टेण्डर को केन्सिल करके उतने ही ग्राइटमों के लिए दुबारा टेण्डर इन्वाइट किये गये।

श्री भैरोंसिह : तो क्या यह सही है कि पहली बार टेण्डर इन्वाइट किये गये थे उस समय के टेण्डर राज्य सरकार के स्टेण्डर्डाइजेशन के ग्रनुसार नहीं थे? दुबारा इन्वाइट किये गये इस कारण दुबारा उनको

(श्री भैरोंसिह)

भी कन्सीडर किया गया और पहले वाले कान्ट्राक्टर का कन्ट्राक्ट रिन्यू किया गया ?

श्री परसराम मदेरणा : दूसरों के केन्सिल करने का सवाल नहीं है । सबसे कम रेट थी। जिसमें दो हैं पर्टीक्यूलर ठेकेदार ने कम रेट दी हैं । दूसरी जगह एक महीने बाद इन्वाइट किये है। दोनों ही आइटम में ज्यादा हैं। रेल हैड से गोदाम तक उसके टेण्डर ऊंचे गये हैं इसलिए लोएस्ट एक्सेप्ट किया गया और उस वक्त स्टेण्डर्डाइजेशन किया इसके बीच में एक महीने के लिये ओल्ड रेट पर ढुलाई कराई गई ।

श्री भैरोंसिह : इस कन्ट्राक्टर ने रेट्स कोट की थी । दोनों ही बार लोएस्ट नहीं थी ।

श्री परसराम मदेरणा : पहली बार लोएस्ट थी, दूसरी बार इन्वाइट करना पड़ा । फिर दुबारा हाई रही ।

श्री भैरोंसिह : फिर उस कन्ट्राक्ट को रिन्यू नहीं किया गया । लेने वाला दूसरा है । रिन्यू किया है वह तो शुरू से चलता आ रहा है । लोएस्ट क्वोट किया उसको नहीं दिया ?

श्री परसराम मदेरणा : जिसका लोएस्ट था उसी को एक्सेप्ट किया गया है । यह सही नहीं है कि जिस कन्ट्राक्ट ने लोएस्ट दिया था पहली बार उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया गया । उस कन्ट्राक्टर ने दुबारा रेट जो दी है ऊंची दी है । उसकी लोएस्ट नहीं थी ।

श्री भैरोंसिह : क्या यह सही है कि जिस कॉन्ट्रेक्टर का कान्ट्रेक्ट रिन्यू किया गया है उसको रिन्यूअल टेण्डर इन्वाइट करने से कुछ समय पहले ही कर दिया ताकि इफेक्टिव नहीं हो रेट और पहले वाले को लाभ पहुंचा दिया जावे ?

श्री परसराम मदेरणा : यह कतई नहीं किया गया ।

श्री भैरों सिंह : कब मन्जूर किया आपने यह ?

श्री परसराम मदेरणा : अलग-अलग आइटम पर दिया है । यह सब कलेक्टर ने जांच की है । ऑब्जेक्शन सुने और जानकारी के लिये यह भी बताना चाहता हूं कि लोएस्ट टेण्डर 35 नये पैसे का था । भंवरलाल का था । मेघराज का हाईएस्ट था । 40 का था और भंवरलाल का 35 का था । इसलिये 35 वाले को दिया गया । मेघराज को दूसरा दिया गया गोडाउन से चीप ग्रेन शाप्स तक 75 पैसे का बाकी वालों का ऊंचा था ।

श्री भैरोंसिह : टेन्डर इन्वाइट होने के कितने दिन बाद माल ढोने का काम सौंपा गया ?

श्री परसराम मदेरणा : दूसरे टेण्डर 7-4-67 को इन्वाइट किया था और वह 24-4-67 तक तारीख निश्चित की गई थी । उसके बाद में फाइनल स्वीकार किया गया है 7-6-67 को ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए ।

Page No.38

बंजड़ शामलात देह पर कब्जा

726. **श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान बिस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम, 1959 के तहत ग्राम की समस्त बंजड़, शामलात देह जो ग्राम के मालिकान की शामलात थीं, राज्य सरकार में वेस्ट हो गए ?

(2) क्या यह सही है कि इस अधिनियम के अनुसार ऐसे बंजड़ और शामलात देह भी राज्य सरकार में ही मुकम्मिल तौर पर वेस्ट हो गए जिनके मालिकान कुछ मुसलमान थे जो 1947 में पाकिस्तान चले गए और कुछ ऐसे लोग थे जो राजस्थान में ही बसे हुए हैं ?

(3) क्या यह सही है कि कस्टोडियन विभाग ने कुछ ऐसे बंजड़ों और शामलात देह को अलवर जिले में नीलाम कर दिया था जिनका जिक्र उपरोक्त प्रश्न के भाग (2) में किया गया है ? यदि हां तो राज्य सरकार ने इस प्रकार की जमीन को नीलामी से रोकने की क्या कार्यवाही की ?

(4) क्या यह सही है कि इनमें से कुछ नीलामशुदा बंजड़ों का कब्जा नीलाम के मुताबिक मुकम्मिल तौर पर पूरे रुपये जमा कर दे दिया गया है और राजस्व विभाग ने इस स्थिति से स्वीकार कर लिया है ?

(5) क्या यह सही है कि ऐसे बहुत से मामलों में कलैक्टर अलवर द्वारा स्टे जारी कर दिया गया था और ये मामले सरकार के विचाराधीन हैं ? यदि हां, तो ये मामले अलवर जिले में कितने हैं और कितनी भूमि से सम्बन्धित हैं ?

(6) क्या यह सही है कि ग्राम नैवाड़ा, तहसील अलवर की 231 बीघा 6 बिस्वा बंजड़ जमीन इस अधिनियम के आने के बाद दिनांक 2-12-59 को नीलाम कर दी थी जिसमें श्यामसुन्दर व रामलाल ग्राम गढी व घनेटा वालों की आखरी बोली थी जिस पर उन्होंने 10 प्रतिशत रुपया जमा कराया था ?

(7) क्या यह सही है कि उक्त जमीन आज तक इन्हीं लोगों के कब्जे में चली आ रही है ?

(8) क्या यह सही है कि उक्त जमीन में से कुछ नम्बरान तहसीलदार अलवर ने ग्राम मुबारिकपुर तहसीलदार अलवर के कुछ अनुसूचित जाति के लोगों को पट्टे पर दी है ? यदि हां, तो कब और कितनी जमीन दी गई है ?

(9) क्या यह सही है कि उक्त पट्टेदारों को जमीन का कब्जा आज तक नहीं दिलाया गया है ?

(10) नीलाम में बोली लगाने वालों से जमीन का कब्जा तहसील द्वारा आज तक वापिस न लेने का क्या कारण है ?

उत्तर

(1) राजस्थान बिस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम 1959 के तहत ग्राम की समस्त बंजड़ शामलात देह जो ग्राम की मालिकान

(राजस्व मन्त्री)

की शामलात थी उसमें से निष्क्रान्त सम्पति बंजड़ भूमि के अतिरिक्त अन्य समस्त बंजड़ भूमि राज्य सरकार में वेंस्ट हो गई है।

(2) ऐसी बंजड़ भूमि के विषय में अभी मामला देह राज्य सरकार व भारत सरकार के बीच विचाराधीन है।

(3) जी हां, कस्टुडियन विभाग द्वारा कुछ ऐसी बंजड़ भूमि को नीलाम कर दिया गया था।

राजस्थान विस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम 1959 के पूर्व जिस बंजड़ भूमि की नीलामी कस्टुडियन विभाग द्वारा की गई थी उन पर खरीददारों को कब्जा दिलाए जाने के आदेश राज्य सरकार द्वारा दे दिये गये हैं। परन्तु ऐसी बंजड़ भूमि का नीलाम जो इस अधिनियम के लागू होने के पश्चात् नीलाम की गई है उसमें से उस बंजड़ भूमि का बेचान राज्य सरकार द्वारा रोक लिया गया है जिस भूमि की चरागाह के लिए आवश्यकता है बाकी भूमि का कब्जा समस्त कीमत भूमि जमा कराने पर खरीददारों को दिये जाने के आदेश दे दिये गए हैं।

(4) जी हां यह सही है कि इनमें से कुछ नीलाम शुदा बंजड़ो का कब्जा नीलाम के मुताबिक पूरे रुपये जमा कराने पर कब्जा दे दिया गया है।

(5) जी हां। क्लेक्टर द्वारा चार मामलों में स्थगन आदेश जारी कर दिये गये थे। इन मामलों में चरागाह का विवाद होने के कारण स्टे आर्डरस् जारी कर दिये गये थे। यह आदेश लगभग 325 बीघा 8 विस्वा भूमि से सम्बन्धित है।

(6) जी हां। यह भूमि 231 बीघा 6 विस्वा न होकर 230 बीघा 11 विस्वा है।

(7) जी नहीं : इस भूमि में से 117 बीघा बंजड़ भूमि पर बन्दोबस्त द्वारा चरागाह घोषित कर दिया गया है। तथा 40 बीघा 1 विस्वा पर अस्थायी रूप से कुछ पट्टे हरिजनों आदि के नाम कर दिये हैं तथा शेष भूमि पर उन्हीं लोगों का अनाधिकृत कब्जा किया हुआ है।

(8) जी हां। उक्त भूमि में से लगभग 40 बीघा भूमि तहसीलदार अलवर द्वारा कुछ अनुसूचित जाति के लोगों को पट्टे पर दिये हैं।

(9) जी नहीं। उक्त पट्टेदारों को जमीन का कब्जा दिनांक 4–3–1966 को पटवारी हल्का द्वारा दे दिया गया था।

(10) नीलाम में बोली लगाने वालों को चरागाह भूमि के अतिरिक्त बंजड़ भूमि का कब्जा भूमि की पूरी कीमत जमा कराने के अभाव में नहीं दिया गया।

जहां तक अनाधिकृत कब्जा किये जाने का प्रश्न है ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 91 राजस्थान लैन्ड रेवेन्यू एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है। यह कार्यवाही पूर्ण होने पर ही उन्हें बेदखल किया जाएगा।

Page No.40

आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट

730. **श्री जसराज** (मिनाय): क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सन् 1958 से जून, 1963 तक आर्थिक सर्वेक्षण विभाग कार्य करता रहा ?

(2) क्या इस विभाग का उद्देश्य समाज के आर्थिक प्रगति का सर्वेक्षण करना था ? यदि हां, तो क्या इस विभाग ने सरकार को कोई आर्थिक रिपोर्ट पेश की थी ?

(3) उपरोक्त रिपोर्ट कितने जिलों के बाबत थी ?

(4) क्या यह सही है कि इस विभाग ने समस्त जिलों का सर्वेक्षण करके आंकड़े तैयार किये थे ?

(5) क्या यह सही है कि इस विभाग ने 10 जिलों की तो एकत्रित आंकड़ों पर रिपोर्ट बनाकर प्रेषित कर दी थी ?

(6) क्या सही हैं कि बकाया 16 जिलों की रिपोर्ट इस विभाग द्वारा किये गये सर्वेक्षण के आंकड़ों के आधार पर सांख्यकीय विभाग ने बनवाई ?

(7) क्या इस विभाग ने सारे राजस्थान के बावत 'कर-भार' सर्वेक्षण भी करके रिपोर्ट सरकार को प्रेषित कर दी थी ?

(8) क्या सरकार ने समस्त जिलों की आर्थिक रिपोर्ट एवं 'कर-भार' रिपोर्ट गवर्नमेंट प्रेस, बीकानेर से छपवाई ?

(9) क्या सरकार इन रिपोर्टस को सदन की की मेज पर रखने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) इस विभाग का उद्देश्य राज्य की औद्योगिक स्थिति की आर्थिक प्रगति को ध्यान में रखते हुये सर्वेक्षण करना था। इस विभाग ने राज्य की आर्थिक स्थिति पर कोई रिपोर्ट पेश नहीं की थी केवल 10 जिलों के सम्बन्ध में उनकी आर्थिक प्रगति का विवरण दिया था।

(3) 10 जिलों के बाबत आर्थिक स्थिति का विवरण राज्य सरकार को दिया गया था।

(4) जी, हां। समस्त जिलों का सर्वेक्षण उक्त विभाग द्वारा किया गया था परन्तु आंकड़ों का संकलन जिलों का नहीं किया गया था।

(5) जी, हां।

(6) जी, हां

(7) जी, हां।

(8) जी, नहीं।

(9) जी, नहीं

तहसील राशमी व गंगरार में भूमि का अलॉटमेन्ट

732. श्री गणेशलाल (गंगरार): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

तहसील राशमी व गंगरार में 62 से सन् 67 तक कितने भूमिहीन किसानों को भूमि अलॉट की है और उनमें से कितने किसान हरिजन व आदिवासी हैं ?

उत्तर

1– तहसील राशमी तथा गंगरार में सन् 1962 से सन् 1966 तक जो भूमि अलॉट हुई, उसकी सूची संलग्न है। सन् 1967 में अलॉटमेन्ट की कार्यवाही जारी है और उसके अलग अलग आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं।

(कृपया परिशिष्ट 3 देखिये)

डिप्टी कमिश्नर (अपील) सेल्स टैक्स के कार्यालय

736. **श्री पुखराज कालानी** (सोजत): क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे–

(1) राजस्थान में डिप्टी कमिश्नर (अपील) सेल्स टैक्स कितने हैं व इनके हैड-क्वार्टर्स कहां कहां पर हैं ?

(2) हर हैडक्वार्टर के नीचे कौन कौन सा क्षेत्र आता है व 31 मार्च, 67 तक हर एक डिप्टी कमिश्नर के पास कितनी अपीलों के फैसले होने बाकी थे ?

(3) डिप्टी कमिश्नर के हैड क्वार्टर रखने का मापदण्ड क्या रखा गया है अपीलों की गिनती या जगह की महत्ता ?

(4) जोधपुर डिवीजन की सेल्स टैक्स की सालाना कितनी अपीलें होती हैं ? क्या वहां जोधपुर में डिप्टी कमिश्नर (अपील) का हैड क्वार्टर है ? यदि नहीं, तो जोधपुर डिवीजन की अपीलें कहां होती है ?

(5) जोधपुर में हैडक्वार्टर क्यों नहीं है जब कि वहां दूसरी जगह के हैडक्वार्टर से ज्यादा अपीलें होती हैं व ज्यादा अपीलों के फैसले होने बाकी हैं ?

उत्तर

राजस्थान में डिप्टी कमिश्नर (अपील) वर्तमान में 5 हैं उनके हैड क्वार्टर निम्नलिखित हैं :-

जयपुर अजमेर, उदयपुर, बीकानेर और पांचवा पद जयपुर में अभी सृजित हुआ है। उक्त डिप्टी कमिश्नर्स (अपील) के नीचे क्षेत्र आता है।

(1) डिप्टी कमिश्नर (अपील) जयपुर : सीकर, झुंझनू, सवाई माधोपुर तथा टोंक के राजस्व जिले तथा जयपुर जिले के वृत क, ग, एवं घ के प्रादेशिक अधिकार क्षेत्र।

(2) डिप्टी कमिश्नर (अपील) अजमेर: अजमेर, भीलवाड़ा, नागोर, कोटा, बूंदी एवं झालावाड़ के राजस्व जिले।

(वित्त मंत्री)

(3) डिप्टी कमिश्नर (अपील) उदयपुर, उदयपुर, चितौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जोधपुर, जैसलमेर, सिरोही, जालोर, बाड़मेर एवं पाली के राजस्व जिले।

(4) **डिप्टी कमिश्नर** (अपील) बीकानेर, चूरू एवं गंगानगर के राजस्व जिले

(5) डिप्टी कमिश्नर (अपील) जयपुर: नया पद :—

अलवर, एवं भरतपुर के राजस्व जिले तथा जयपुर जिले के वृत्त 'ख' का प्रादेशिक अधिकार क्षेत्र।

31-3-67 तक 4 डिप्टी कमिश्नर (अपील) थे और प्रत्येक डिप्टी कमिश्नर के पास निम्नलिखित अपीलों के फैसले होने बाकी थे :—

	डि० कमि० जयपुर	डि० कमि० अजमेर	डि० कमि० उदयपुर	डि० कमि० बीकानेर
आर. एस. टी.	3224	1546	1890	1583
सी. एस. टी.	390	194	171	159
एम. एस. टी.	8	8	5	12
योग :—	3622	1748	2766	1754
आर. पी. जी.टी.	186	162	91	389
ए. आई. टी.	—	34	30	87
कुल योग :—	3808	1944	2187	2230

(वित्त मंत्री)

सन् 1964 में जब संयुक्त आबकारी व कर विभाग का विभाजन होकर वाणिज्यिक कर विभाग पृथक किया गया तो यह विचार किया गया कि जयपुर के अतिरिक्त जो 5 पुराने डिवीजनल हैड क्वार्टर्स (अर्थात् अजमेर, जोधपुर, उदयपुर कोटा और बीकानेर) थे। उनमें से हरएक पर डिप्टी कमिश्नर (प्रशासन) या डिप्टी कमिश्नर (अपील) में से एक का कार्यालय अवश्य रहे। पुराने जोधपुर डिवीजन (अर्थात् जोधपुर; पाली, नागौर, सिरोही, बाड़मेर, व जालोर जिलों) की सैल्स टैक्स की अपीलें सन् 1966-67 में दायर हुई हैं। वे इस प्रकार हैं:--

राज० बिक्री कर	1349
केन्द्रीय बिक्री कर	152
मोटर स्प्रीट कर	3
कुल	1504

जोधपुर में डिप्टी कमिश्नर (अपील) का हैड क्वार्टर नहीं है और वहां की अपीलें उदयपुर स्थित डिप्टी कमिश्नर (अपील) के यहां पर दायर होती हैं।

इसका उत्तर प्रश्न 3 के क्रम में दिया जा चुका है।

राजकीय कर्मचारियों को ओवर-टाइम अलाउन्स

262. श्री रामसिंह कुड़ी (जायल) : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार अपने कर्मचारियों को निश्चित् समय से अधिक समय तक रुक कर या साधारण ड्यूटीज के अलावा अतिरिक्त कार्य करने पर ओवर टाइम वेजेज या कोई आनरेरियम या भत्ता देती है?

(2) अगर हां, तो किस 2 विभाग में दिया जाता है? क्या राजस्थान सचिवालय में पिछले पांच सालों में ऐसा कोई अलाउन्स अथवा आनरेरियम किन्हीं कर्मचारियों को दिया गया है? यदि हां, तो ऐसे कर्मचारियों के नामों की सूची मय चुकारा की गई रकम तथा कारण का विवरण सदन को मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

1. राजस्थान सेवा नियम के नियम 13 के अनुसार राज्य कर्मचारी राज्य सरकार के सम्पूर्ण समय के लिए सेवक हैं और अतिरिक्त कार्य के लिए भत्ता पाने के हकदार नहीं हैं। कुछ ही श्रेणी के राज्य कर्मचारियों जैसे औद्योगिक श्रमिक को अतिरिक्त कार्य भत्ता दिया जाता है। विशेष अवसरो पर राज्य कर्मचारियों को जब कभी लगातार कई दिनों के लिए पारिश्रमिक कार्य करना पड़ता है, मानदेय भत्ता स्वीकृत किया जाता है। परन्तु यह एक मुष्टि भुगतान होता है और अतिरिक्त कार्य के समय से स्वमेय सम्बन्धित नहीं होता है।

2. औद्योगिक श्रमिकों के अतिरिक्त कार्य भत्ता राजकीय मुद्रणालय, सार्वजनिक

(वित्त मंत्री)

निर्माण विभाग के कारखाने, सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग के कारखाने, कृषि कारखाने और विभिन्न अन्य विभागों में दिया जाता है। राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ. 1 (37) वि./वि/व्यय।नियम: 67, दिनांक 19-5-67 जिसमें मानदेय की मात्रा निर्धारित की जाने सम्बन्धित ब्यौरा वर्णित है सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

सचिवालय में पिछले पांच सालों में स्वीकृत किए गए मानदेय का विवरण संकलित करने में पर्याप्त समय लगेगा, अतः 1. 4. 66 से स्वीकृत मानदेय की सारिणी सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रख दी गई)

राज्य में शराब की बिक्री

263. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली): क्या आबकारी मन्त्री यह बतलाने का कष्ट करेंगे :-

(1) राजस्थान में सन् 1961 से लेकर सन् 1966 तक कुल कितने रुपयों की शराब की बिक्री हुई और प्रत्येक साल में किस किस किस्म का कितना कितना शराब कितनी कितनी कीमत का बिका? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या सरकार शराब की बिक्री की उत्तरोत्तर वृद्धि को देख कर यह आशा करती है कि राजस्थान में शराब बन्दी आने वाले पांच सालों में की जा सकती है?

उत्तर

वित्तीय वर्ष 1960-61 से 1965-66 तक शराब की बिक्री से 31,52,00,836 रुपयों की आय हुई। वर्षवार विवरण की सूची सलग्न है।

राजस्थान सरकार संविधान के निर्देशों के अनुसरण में नशाबन्दी करने के लिये कृत सकल्प है। वैध शराब की बिक्री के आंकड़ों का पूर्ण नशाबन्दी के पेय (objective) से कोई ताल्लुक नहीं है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत भरतपुर जिले को दी गई धनराशि

264. **श्री प्रद्युमन सिंह** (राजाखेड़ा): क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय पंचवर्षीय योजनाओं में अलग अलग, भरतपुर जिले को क्रमशः कितनी कितनी राशि दी गई?

(2) क्या इस राशि, का बंटवारा जन संख्या के आधार पर जिले की विभिन्न सब-डिवीजनों के विकास के लिये किया गया?

(3) यदि हां, तो धौलपुर सब-डिवीजन को कुल कितनी राशि इन योजनाओं के दौरान दी गई?

(4) क्या यह राशि, जिले को मिलने वाली कुल राशि की एक तिहाई थी?

(5) यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) प्रथम पंचवर्षीय योजना में जिलेवार योजना के खर्च के आंकड़े संकलित नहीं किये गये थे। द्वितीय एवं तृतीय पंचवर्षीय योजनाओं में भरतपुर जिले में क्रमशः रु०

(योजना मन्त्री)

339.25 लाख एवं रु० 502.46 लाख रुपये खर्च का अनुमान है।

(2) नहीं। सरकार द्वारा किसी भी जिले के विभिन्न क्षेत्रों में कुल रकम का विभाजन करने हेतु कोई मापदण्ड निर्धारित नहीं किये गये हैं। विभिन्न क्षेत्रों में खर्च विभागों द्वारा ली गई परियोजनाओं के आधार पर किया जाता है।

(3) राज्य सरकार योजना खर्च के आंकड़े केवल जिलास्तर पर संकलित करती है और अतएव धौलपुर सब डिविजन में खर्च की सूचना देना सम्भव नहीं है।

(4. 5) प्रश्न (3) के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध न होने के कारण अन्य प्रश्नों का उत्तर देने का प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय सरकार से प्राप्त धनराशि

265. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राजस्थान को केन्द्रीय सरकार की ओर से किन किन मदों में कितनी कितनी धनराशि प्रति वर्ष मिलती है, और किस हिसाब से मिलती है ?

(2) आय कर के अन्तर्गत राजस्थान को कितनी धनराशि केन्द्रीय सरकार ने पिछले 5 सालों में दी है ?

(3) एक्साइज ड्यूटीज के अन्तर्गत सरकार को कितनी धनराशि प्रति वर्ष केन्द्रीय सरकार देती है और उसकी धनराशि में कितनी वृद्धि पिछले तीन सालों में हुई है ? वृद्धि नहीं हुई, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1, 2, 3)

सूचना सदन की मेज पर रखी गई है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

मृत्यु कर से आय

266. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

राजस्थान में पिछले 5 वर्षों में मृत्यु कर से क्या आमदनी हुई और केन्द्रीय सरकार से कितनी धनराशि किस परसंन्टेज के आधार पर दी ?

उत्तर

मृत्यु कर (Estate Duty) की वसूली केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाकर राज्य सरकारों में बांट दी जाती है। कृषि सम्पति कर की शुद्ध आय प्रत्येक राज्य को उसमें गई वसूली के अनुसार ही दे दी जाती है और अन्य सम्पत्ति पर कर की शुद्ध आय वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार विभिन्न राज्यो में बांट दी जाती है। चतुर्थ आयोग की सिफारिशों के आधार पर केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों को 2 प्रतिशत हिस्सा मिलता है और 19 प्रतिशत हिस्सा राज्यों में बंटता है। इसमें से राजस्थान को 4.67 प्रतिशत भाग मिलता है।

(वित्त मन्त्री)

पिछले 5 वर्षों में प्राप्तियां इस प्रकार रही है:--

वर्ष	आय
	(Rs. in lakhs)
1962-63	17. 12
1963-64	18. 93
1964-65	30. 41
1965-66	30. 78
1966-67	17. 85
	115. 09

राज्य में केन्द्र द्वारा स्पोन्सर्ड स्कीमें

267. श्री भैरोंसिह (किशन पोल, जयपुर) : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे –

(1) तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कौन कौन सी केन्द्र द्वारा स्पोन्सर्ड स्कीमें हाथ में ली गईं जिनका तीसरी पंचवर्षीय योजना बनाते समय योजना में किसी प्रकार का कोई संकेत या उल्लेख नहीं था ?

(2) इन स्कीम्स में किस किस स्कीम के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा कितनी कितनी धन राशि अनुदान तथा कर्ज के रूप में दी गई ?

(3) इन स्कीम्स में कितनी और कौन कौन सी स्कीम्स समाप्त कर दी गईं और कौन कौन सी चालू है ?

उत्तर

(1) तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जिन स्कीमों का उल्लेख या संकेत नहीं था, वे (अ) पर संलग्न है।

(2) योजनाओं के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा अनुदान एवं ऋण के रूप में दी गई राशि का विवरण (ब) पर संलग्न है।

(3) चालू व समाप्त की जा चुकी है योजनाओं का ब्यौरा (स) पर संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

अजमेर के ठेकेदारों पर शराब की बकाया

268. श्री भगवानदास (अजमेर, पश्चिम)

श्री अम्बालाल (अजमेर, पूर्व)। क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे–

(1) क्या यह सही है कि अजमेर में शराब के ठेकेदारों में सरकार की रकमें बकाया हैं ? अगर हां, तो कितनी ?

(2) उनसे वसूली क्यों नहीं की जाती है ?

उत्तर

(1) जी हां, सूची संलग्न है।

(2) ठेकेदारों ने सरकार द्वारा उनकी मांग के अनुसार शराब उपलब्ध नहीं करने एवं गारन्टी का निर्धारण अधिक होने के कारण गारन्टी में कमी की रकम को वसूल न करने के लिये उजरात पेश किये हैं, जो मामला विभागीय कमेटी के विचाराधीन है। कमेटी की रिपोर्ट प्राप्त होने पर सरकार वसूली के संबंध में निर्णय लेगी।

(कृपया परिशिष्ट–4 देखिये)

जिलेवार प्रति व्यक्ति व्यय की गई धनराशि

269. **श्री वृद्धि चन्द जैन** (बाड़मेर) : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे–

चौथी पंचवर्षीय योजना के सन् 1966-67 साल में जिलेवार प्रति व्यक्ति कितनी धन राशि व्यय की गई ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उत्तर

वर्ष 1966-67 के जिलेवार व्यय की सूचना अभी उपलब्ध नहीं है ।

मोलेसेज (शीरा) का आवंटन

270. **श्री भैरोंसिह** (किशन पोल जयपुर) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे–

(1) मेवाड़ शुगर मिल्स लिमिटेड भूपाल सागर से सन् 62 से लेकर अब तक किस किस अवधि के कितने कितने मोलेसेज (शीरा) का कन्ट्रोलर आफ मोलेसेज (शीरा) द्वारा किस किस व्यक्ति अथवा कम्पनी को किस किस तारीख को आवंटन किया गया ?

(2) इस आवंटन के अनुसार किस किस व्यक्ति अथवा कम्पनियों ने निर्धारित समय में कब कब कितना कितना मोलेसेज उठा लिया ? शेष मोलेसेज़ का आवंटन किस प्रकार से किया गया ?

(3) इन मोलेसेज की किस किस अवधि के लिये क्या क्या कीमत निर्धारित की गई थी ?

(4) क्या यह सही है कि गंगानगर शुगर मिल्स को जो आवंटन किया गया था उसके अनुसार भूपाल सागर मिल्स ने मोलेसेज नहीं दिये ? यदि हां, तो कितना कितना और कब ? इस सम्बन्ध में भूपाल सागर मिल्स के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) राजस्थान में मोलेसेज कन्ट्रोल आर्डर नवम्बर 1963 में लागू हुआ । सन् 1964 से आवंटन संबधी सूची "A" संलग्न है।

(2) सूचियां B....व....C....संलग्न हैं।

(3) मोलेसेज कन्ट्रोल आर्डर 1961 के अनुसार–

ग्रेड	कीमत
ग्रेड 1	0.67 प्रति 100 कि ग्राम
,, 2	0.53 ,, ,,
,, 3	0 40 ,, ,,

(4) सूचना....D....पर संलग्न है ।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

तहसील सांगोद व रामगंज मन्डी की पंचायतों द्वारा आबादी भूमि की मांग

271. **श्री जुझारसिंह** (रामगंज मंडी): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि तहसील सांगोद व रामगंज मण्डी की पचायतों द्वारा आवादी के लिये भूमि प्राप्त करने के लिये मांग की हुई है ? यदि हां तो कब से और उन पर क्या फैसला हुआ है ?

(2) ग्राम मोड़क खेराबाद डावा देह, चेचट व इन तहसीलों के दूसरे कितने स्थानों पर कृषकों द्वारा राजस्व भूमि पर मकान बना लेने के कारण मुकदमें चले हुए हैं ? यदि हां तो कब से ? इन मुकदमों में कितने लोगों पर कितना जुर्माना किया गया है ?

उत्तर

1. तहसील सांगोद की 17 ग्राम पंचायतों द्वारा आबादी के लिए भूमि की मांग प्राप्त हुई है इस सम्बन्ध में तहसील स्तर पर नियमानुसार कार्यवाही स्वरूप हेतु कागजात जेरकार हैं तहसील रामगंज-मन्डी की विभिन्न 9 ग्राम पंचायतों-द्वारा आबादी के लिए भूमि की मांग हुई है। ग्राम पंचायत का नाम, रकबा, खसरा नं. मांग कब प्राप्त हुई तथा क्या फैसला हुआ आदि रूप रेखा को संलग्न सूची प्रेषित है।

2. तहसील सांगोद एवं तहसील रामगंज मण्डी क्षेत्र के कृषकों द्वारा राजस्व भूमि पर मकान बना लेने के कारण मुकदमें चले हुए हैं। इन मुकदमों से सम्बन्धित सूची कृषक का नाम, ग्राम, मुकदमा प्रारम्भ होने का समय, रकबा खसरा नं. तथा क्या फैसला हुआ आदि रूप रेखा में संलग्न प्रेषित है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)।

नागौर जिले में म्युटेशन के मामले

272. **श्री रामसिंह कुड़ी** (जायल): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) नागौर जिले की प्रत्येक तहसील में वर्तमान में लागू सेटलमेन्ट के रेकार्ड के अमल में आने के बाद म्युटेशन खातेदारी के कितने कितने मंजूर हुए हैं ? तहसीलवार तफसील बताने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि नागौर जिले की सारी तहसीलों में बहुत से खातेदारी म्युटेशन किये जाने बाकी हैं ?

(3) यदि म्युटेशन होने बाकी हैं, तो किन किन तहसीलों में किस किस प्रकार के कितने कितने म्युटेशन दिनांक 1-4-67 तक करने बाकी हैं ?

(4) क्या यह सही है कि विभिन्न तहसीलों में आसामियों के मृत्यु हो जाने, अदालती फैसलों के हो जाने, किसी कानून के लागू हो जाने से प्राप्त हुए हकूकों के होने एवं रिजस्टर्ड दस्तावेजात मुन्तकिली के हो

(श्री रामसिंह कुड़ी)

जाने के वावजूद भी कई म्युटेशन खातेदारी होने शेष हैं ? यदि हां, तो जिम्मेवार अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवावी की जा रही है ?

(5) क्या यह सही है कि संवत् 2014 से संवत 2020 तक पटवारियों एवं रेवेन्यू इन्स्पेक्टरों ने म्युटेशन फीस के भाग के रूप में लाखों रुपया वसूल किया है ? यदि हां, तो कितनी कितनी आसामियों से किस किस व्यक्ति ने कितना कितना प्राप्त किया ? यह सूचना सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(6) क्या संवत् 2014 से 2020 तक जिन जिन काश्तकारों से म्युटेशन फीस वसूल की गई थी उन म्युटेशनों को रेकार्ड में अमल दरामद कराया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(7) क्या ऐसी वसूल हुई फीस संबंधित काश्तकारों को वापिस लौटाने की सरकार व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

(8) क्या म्युटेशनों के मामलों को निश्चित अवधि में निपटाने हेतु संबंधित अधिकारियों को नियमों से पाबन्द किये हुए हैं ? यदि हां, तो किस किस अधिकारी ने नियमों की अवहेलना की और उनके खिलाफ सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

उत्तर

1-सैटिलमेन्ट रेकार्ड के अमल में आने के वाद निम्नांकित खातेदारी के म्यूटेशन मंजूर हुये हैं:—

संख्या	नाम तहसील	तादाद म्यूटेशन
1-	नागौर	3460
2-	जायल	238
3-	मेड़ता	9493
4-	डेगाना	11517
5-	परवतसर	11911
6-	नावां	2278
7-	डीडवाना	सैटिलमेन्ट चालू है।
8-	लाडनूं	

2-जी हां,

3- जो म्युटेशन होना वाकी है उनकी विवरण सूची संलग्न है।

4- राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 133 के अनुसार भूमि सुधार को लाजमी है कि जिस कदर वह कब्जा भूमि प्राप्त करे उसकी सूचना संबंधित अधिकारी को दें ताकि उनके नाम म्यूटेशन हो सके अगर वह नहीं देता है तो उस पर जुर्माना करने का प्रावधान है। लेकिन वो इत्तिला नहीं करते हैं इसलिये म्यूटेशन की कार्यवाही समय पर नहीं हो पाती। म्यूटेशन मंजूर करने के आधार पंचायत को है व देरी अधिकांश उन्हीं के स्तर पर होती है-

5- जी हां, संवत् 2014 से 2020 तक पटवारियों द्वारा 34013 रुपये 56 पैसे व

(राजस्व मन्त्री)

रेवेन्यू इन्सपेक्टर द्वारा 17180 रुपये 95 पैसे अर्थात कुल 51194) रू० 51 पैसे वसूल किये गये है जिसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

6– जिन जिन काश्तकारों से म्यूटेशन फीस वसूल की गई थी उसका रेकार्ड में अमल दरामद करा दिया गया है ।

7– वसूली फीस लौटाने का कोई कारण प्रतीत नहीं होता है।

8– अधिकारियों को पाबन्ध किया गया है मगर मौजूदा सूरत में पंचायतों को अधिकार दिये गये हैं। देरी पंचायतों द्वारा की जाती है।

(कृपया परिशिष्ट 5 देखिये)

तहसील दूदू में अकाल की स्थिति

273. श्री सुवालाल चोधरी (दूदू): क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) तहसील दूदू में कौन से वर्ष से लगातार अब तक अकाल की स्थिति चली आ रही है और प्रत्येक वर्ष कितने कितने गांव अकालग्रस्त रहे हैं ?

(2) उपरोक्त वर्षों में किस किस ग्राम में कितनी कितनी लागत के अकाल सहायता कार्य करवाये गये हैं और जो कार्य करवाये गये हैं, क्या उनसे सभी अकालग्रस्त गांवों के लोगों को मजदूरी मिल सकी है ? यदि सभी गांवों के लोगों को मजदूरी नहीं मिल सकी है तो इसके क्या कारण रहे हैं ?

(3) इस वर्ष इस तहसील के कितने ग्राम अकालग्रस्त हैं ? क्या इस वर्ष भी इस तहसील में अकाल सहायता कार्य चल रहे हैं ? यदि हां, तो कितने गांवों में ? यदि अकाल सहायता कार्य नहीं खोले गये हैं तो इसके क्या कारण हैं ?

(4) क्या इस वर्ष जो ग्राम अकालग्रस्त हैं उनमें खाने हेतु राशन का गल्ला दिया जा रहा है ? यदि नहीं दिया जा रहा है तो कितने समय से ?

(5) क्या इस तहसील के लिये अकाल सहायता सलाहकार समिति बनी हुई है ? यदि हां, तो उसके सदस्य कौन कौन हैं ?

उत्तर

(1) तहसील दूदू में सं० 2022 व 23 में अकाल रहा जिसमें क्रमशः 80 व 88 ग्राम राज्य सरकार द्वारा अभावग्रस्त घोषित किये गये।

(2) उक्त वर्षों में अर्थात वित्तीय वर्ष 66–67 में विभिन्न अभिकरणों द्वारा 23 राहत कार्य सम्पन्न कराये गये जिन पर 3,45,306 रू० खर्च हुआ इन कार्यों पर लगभग सभी अकाल ग्रस्त ग्रामों के लोगों को मजदूरी मिली है।

(3) इस वर्ष अर्थात सं० 2023 (फसल खरीफ) में इस तहसील में 88 ग्राम राज्य सरकार द्वारा अभावग्रस्त घोषित

(अकाल सहायता मंत्री)

किये हैं। इस वर्ष भी (67-68) अकाल सहायता कार्य स्वीकृत किये गये हैं जिनके लिए स्वीकृत राशि 67 500 रू० है। इस वर्ष 14 गावों में अकाल राहत कार्य चलाये गये हैं।

(4) जी हां, इस वर्ष अभाव ग्रस्त क्षेत्र की जनसंख्या के लिए फरवरी मार्च अप्रेल में माइलो दी गई व मई के लिए माइलो व गेहूं दोनों दिये जा रहे हैं।

(5) जी हां, इस तहसील के लिए तहसील अकाल सहायता परामर्श दात्री समिति का गठन किया जा रहा है जिनके सदस्य निम्न प्रकार हैं:—

1- उपजिलाधीश	अध्यक्ष
2- प्रधान पंचायत समिति	सदस्य
3- विकास अधिकारी	,,
4- तहसीलदार	,,
5- सदस्य विधान सभा	,,
6- दो गैर सरकारी सदस्य	,,
7- दो सरकारी सदस्य	,,

जयपुर नगर में अग्नि दुर्घटना तथा अग्नि पीड़ितों को सहायता

274. **श्री भैरोंसिंह** (किशनपोल, जयपुर): क्या अकाल राहत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(1) जयपुर नगर में जनवरी सन् 66 से लेकर अप्रेल सन् 67 तक किस किस तारीख को आग लगने की घटनाएं हुई है ?

(2) इन घटनाओं की संबंधित तहसील दार या अन्य अधिकारों द्वारा किस किस तारीख को जांच की गई और कब कब अपनी रिपोर्ट जिलाधीश को भेज दी ?

(3) जिलाधीश द्वारा इन अग्नि पीड़ितों को सहायता देने हेतु कब कब आदेश जारी किये गये और उसके अनुसार कब कब क्या क्या सहायता दी गई ?

(4) क्या यह सही है कि इस सम्बन्ध में समय पर कार्यवाही नहीं हुई है ? यदि हां तो सरकार द्वारा निर्धारित नियम के अनुसार समय पर कार्यवाही करने में हुये विलम्ब के लिये कौन कौन दोषी हैं और उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ?

उत्तर :

(सरकार से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

जैतपुर पल्लू व कालूगारवदेसर सड़क का कार्य

275. **श्री भीमसेन** (लूनकरणसर): क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

क्या यह सही है कि जैतपुर पल्लू तथा कालूगारवदेसर सड़क का काम बंद कर दिया है ? अगर हां, तो इन सड़कों पर लगने वाले श्रमिकों को क्या वैकल्पिक रोजगार दिया गया है ? अगर नहीं, तो क्यों ?

उत्तर :

(सरकार से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

Page No.52

लूणकरणसर तहसील के बन्द कार्य तथा बेकार बैठे मजदूर

276. **श्री चुन्नीलाल इन्दलिया** (नोखा) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि लूणकरणसर तहसील के गारबदेसर केम्प को भी बन्द कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या उक्त केम्प में कार्य करने वाले 383 मजदूर इस समय बेकार बैठे हैं अथवा कोई अन्य व्यवस्था करदी गई है ? यदि कोई व्यवस्था करदी गई है तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(2) क्या यह सही है कि लूणकरणसर तहसील का केम्प नाथवाणा, जैतपुर व धीरेरा व कानोलाई के केम्प भी बन्द कर दिये गये हैं ? इन केम्पों के मजदूर क्या बेकार बैठे हैं ? यदि हां, तो इसकी क्या वजह है ?

उत्तर

(1) लूणकरणसर तहसील के गारबदेसर केम्प का कार्य दिनांक 2-5-67 को बन्द किया गया था, क्यों कि इस सड़क पर मिट्टी का कार्य सम्पूर्ण हो चुका था। अब 10-6-67 से इस कैम्प को फिर चालू कर दिया गया हैं। दिनांक 29-4-67 को इस कैम्प पर मजदूरों की संख्या 159 थी न कि 383।

(2) केवल नाथवाणा एवं जैतपुर कैम्प बंद किये गये हैं। धीरेरा में कभी कोई कैम्प नहीं खोला गया। कोनोलाइ का कैम्प अस्थाई रूप से दिनांक 1-3-67 से 26-3-67 तक श्रमिक संख्या 100 से कम हो जाने के कारण बंद किया गया था। 26-3-67 के बाद यह कैम्प पुनः चालू कर दिया गया है।

बीकानेर जिले के भूमिहीन काश्तकार

277. **श्री चुन्नीलाल इन्दलिया** (नोखा) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) बीकानेर जिले की किन किन तहसीलों में कितने कितने ऐसे किसान हैं जिनके पास काश्त के लिए भूमि नहीं है ?

(2) क्या राज्य सरकार इन भूमिहीन काश्तकारों को भूमि अलाट करने व भूमि देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और किस जगह पर ? यदि नहीं तो क्यों नहीं ?

उत्तर

1- बीकानेर जिले की तहसील नोखा में 62 व तहसील कोलायत में 331 कुल 393 ऐसे किसान हैं जिनके पास काश्त के लिये भूमि नहीं है। तहसील बीकानेर व लूणकरणसर में कोई भी भूमिहीन किसान नहीं हैं।

2- उक्त भूमिहीन काश्तकारों से भूमि आवंटन हेतु निर्धारित प्रार्थना पत्र तहसीलदारों द्वारा प्राप्त किये जा चुके हैं तथा अलाटमेन्ट कार्यक्रम के अनुसार यथा शीघ्र

Page No.53

(श्री चुन्नीलाल इन्दालिया)

इन्हें भूमि का आवंटन कर दिया जावेगा। भूमिहीन कृषकों द्वारा अपने प्रार्थना पत्रों में लिखे गये ग्रामों में ही भूमि आवंटन किया जावेगा। तथा वांछित ग्राम में भूमि उपलब्ध न होने की सूरत में पास के ग्राम में भूमि का आवंटन किया जावेगा।

अकाल राहत कार्य तथा मजदूरी का चुकारा

278. **श्री केशरी सिंह** (हिन्डोली): क्या अकाल राहत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) इस वर्ष जिला बूंदी की तहसील हिन्डोली व नैनवां में किस किस जगह पर अकाल राहत कार्य खोलने की सिफारिश प्रिलिमिनरी सर्वे रिपोर्ट में की गई थी और यह सर्वे किस महिने में हुआ था?

(2) तहसील हिन्डोली के ग्राम पेचकी बावड़ी से लड़केश्वर महादेव की सड़क का काम किस तारीख को शुरू किया गया और किस तारीख को बन्द किया गया और क्यों?

(3) मौजूदा चल रहे अकाल राहत कार्य में कुल कितने मजदूर काम कर रहे हैं और इनको क्या मजदूरी दी जाती है?

(4) सरकार मजदूरी नगद न चुका कर अनाज के रूप में क्यों नहीं चुकाती?

उत्तर

(1) राहत कार्य के सम्बन्ध में कोई प्रलिमिनरी सर्वे नहीं किया जाता है।

(2) तहसील हिन्डोली ग्राम पेचकी बावड़ी से लकड़ेश्वर महादेव की सड़क का कार्य अकाल सहायता के अन्तर्गत नहीं कराया गया बल्कि यह कार्य पंचायत समिति द्वारा अपने बजट दि. 15-2-67 से 10-3-67 तक कराया गया था।

(3) मौजूदा चल रहे राहत कार्य पर कुल मिलाकर लगभग 3000 मजदूर काम कर रहे हैं। मजदूरी की दर निम्न प्रकार है–

खोदने वाले को............1)12

ढोहने वाला................)87

बच्चा....................)75

(2) राज्य सरकार की नीति के अनुसार मजदूरी का चुकारा नगद में किया जाता है। श्रमिकों के लिए सस्ते अनाज की व्यवस्था अलग से की जाती है।

ओला वृष्टि से पीड़ित लोगों को सहायता

279. **श्री श्रवणलाल** (हिन्डौन): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला सवाई माधोपुर में इस वर्ष ओले पड़ने से व सर्दी से किस किस तहसील

(श्री श्रवणलाल)

में कितना कितना नुकसान हुआ ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) सरकार द्वारा प्रभावित लोगों को किस किस प्रकार की क्या क्या सहायता दी गई है ?

उत्तर

(1) इस वर्ष ओले पड़ने व सर्दी से जिला सवाई माधोपुर की तहसील महुआ एवं तहसील हिन्डौन को जितना नुकसान हुआ उसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) आहत व्यक्तियों को राहत पहुँचाने के लिए राज्य सरकार द्वारा इस जिले के लिए 8,000) रु० सहायतार्थ व 10,000) रु० ऋण हेतु स्वीकृत किये हैं।

(कृपया परिशिष्ट संख्या–6 देखिये)

तहसील शाहबाद के ग्रामों में अग्नि दुर्घटनाएं

280. **श्री देवीदत्त गाड़िया** (बारां): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे —

क्या यह सही है कि तहसील शाहबाद के ग्राम कालाखेड़ी एवं तहसील बारां के ग्राम मानपुरा व घीसरी में, तीन वर्षों में जिन घरों में जो आग लगी उनको अब तक कोई सरकारी सहायता नहीं दी गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(सरकार से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

ग्राम पंचायत लोहारी कलां क्षेत्र में अकाल राहत कार्य

281. **श्री कल्याणमल मीणा** (जहाजपुर): क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे —

(1) क्या यह सही है कि तहसील जहाजपुर ग्राम पंचायत लोहारी कलां इटुण्डा विलेज में एक साल पूर्व से ही अकाल है मगर इस क्षेत्र में अब तक भी राहत कार्य नहीं खोला गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि सरकार अब भी उक्त पंचायतों के क्षेत्रों में कार्य चालू करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) यह सही है कि तहसील जहाजपुर की ग्राम पंचायत लोहारी कलां इटुण्डा विलेज में एक साल से पूर्व ही अकाल है। इस वर्ष इसमें ग्रामीण जन शक्ति उपयोग कार्यक्रम के अन्तर्गत पक्की सड़क का कार्य कराया गया है।

(2) अब वर्षा आरम्भ हो चुकी है। अतः राहत कार्यों पर श्रमिकों के उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।

पंचायत समिति श्री माधोपुर क्षेत्र में गोचर भूमि

282 **श्री हरलालसिंह खर्रा** (श्री माधोपुर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि गोचर भूमि का निर्धारण पशुओं की संख्या अनुसार होता है ? यदि हां, तो क्या पशुओं में भेड़-बकरी, ऊंट. गधे भी गिने जाते हैं ?

Page No.55

(श्री हरलालसिंह)

(2) पंचायत समिति श्री माधोपुर के कितने गांवों में गोचर भूमि घोषित की जा चुकी है व कितने बाकी हैं ? और उनमें कब तक घोषित करदी जावेगी ?

(3) क्या श्रीमाधोपुर पंचायत समिति के गांवों में गोचर भूमि पर्याप्त है ? यदि नहीं, तो किन किन ग्रामों में कितनी कितनी कम है व क्या एक ग्राम की कमी दूसरे ग्राम में ज्यादा भूमि होने से की जा सकती है ?

(4) पंचायत समिति श्री माधोपुर के ग्राम अजीतगढ़ व गढतकनेत के गोचर का मामला कितने अर्से से विचाराधीन है व एस. डी.ओ. नीमकाथाना द्वारा एतराजात के नोटिस कई बार निकाले जा चुके हैं ? यदि हां, तो कितनी बार ?

(5) क्या ग्राम अजीतगढ़ व गढटकनेत में एस. डी. ओ. नीमकाथाना के एतराजात नोटिसों के बाद काफी भूमि पर अनाधिकृत कब्जा लोगों ने कर लिया है ? यदि हां, तो उसमें क्या कार्यवाही हो रही है ?

उत्तर

(सरकार से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

घास बीड़ों के ठेके तथा घास बीड़ों में काबिल काश्त भूमि

283. **श्री प्रेमसिंह सिंघवी** (छबड़ा) क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राज्य में तहसीलों द्वारा राजस्व घास बीड़ों के ठेके दिये जाते हैं ? यदि हां, तो किस नियम के अनुसार और कौन कौन से जिलों की किन किन तहसीलों में ?

(2) कोटा जिले में राजस्व घास बीड़ों में कितनी जमीन काबिल काश्त है और उसमें से कितनी जमीन भूमिहीन काश्तकारों को देने का विचार है तथा कब तक और नहीं है, तो क्यों ?

(3) कोटा जिले में छीपाबड़ोद तहसील में ऐसी राजस्व बीड़े हैं जिनमें काबिल काश्त जमीनें हैं ? यदि हां, तो कितनी और कब तक भूमिहीनों को वितरण कर दी जावेगी ?

उत्तर

(सरकार के उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

बाली तहसील

284. **श्री पृथ्वी सिंह** (बाली) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) बाली तहसील में कुल गांवों की संख्या क्या है ?

(2) बाली तहसील का राजस्व लगान कितना है ?

(3) तहसील में कितने नायब तहसीलदार हैं ?

(श्री पृथ्वीसिंह)

(4) क्या सरकार वाली तहसील के कार्य भार एवं जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कोई तहसील सब हैडक्वार्टर खोलने का इरादा रखती है ? अगर नहीं, तो क्यों ?

(5) सब हैडक्वार्टर खोलने हेतु किन किन बातों को ध्यान में रखा जाता है ?

उत्तर

1- बाली तहसील में गांवों की कुल संख्या 154 है।

2- बाली तहसील का राजस्व लगान 10, 78, 418 रुपये है।

3- तहसील बाली में 2 नायब तहसीलदार हैं।

4- जी नहीं, मितव्ययता के कारण अभी सब तहसील हैडक्वार्टर खोला नहीं जा सकता।

5- सब तहसील हैड क्वार्टर स्थापित करने के लिए आमतौर पर राजस्व सम्बन्धी प्रशासनिक आवश्यकता पर ही फैसला हुआ करता है, प्रशासनिक आवश्यकता को जांच के लिए आम तौर पर जिन बातों पर ध्यान दिया जाता है वह यह हैं :-(1) क्षेत्रफल (2) आबादी (3) यातायात की सुविधायें (4) बोया हुआ क्षेत्रफल (5) पटवारियों की संख्या (6) राजस्व (7) राजस्व सम्बन्धी मुकद्दमों व आवेदन पत्र जिन पर निर्णय लेना होता है।

बाली तहसील में अकाल राहत कार्य

285. श्री पृथ्वी सिंह (बाली) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) बाली तहसील में कितने गांवों में अकाल की स्थिति है ?

(2) कितने गांवों में राहत कार्य चालू करने की योजना बनाई गई थी ?

(3) कितने गांवों में राहत कार्य चालू किये गये थे ? और कितने गांवों में कार्य चालू करके बन्द कर दिये गये ? कार्य चालू करके बन्द करने के क्या क्या कारण थे ?

(4) क्या बाली तहसील के आदिवासी क्षेत्र में भी अकाल की स्थिति है ? क्या उस क्षेत्र में भी कोई राहत कार्य चालू किया गया था ? क्या यह कार्य अब भी चल रहा है ? अगर नहीं तो क्यों ?

उत्तर

1- बाली तहसील के 36 गांव खरीफ सम्वत् 2023 में अभाव ग्रस्त घोषित किए गये।

2- बाली तहसील में भीमाना (बाड़बंदी) एवं बामनिया (कणाबन्दी) भू संरक्षण कार्य तथा विद्यावाड़ी से खीमेल रानी से मुंडारा एवं काकरड़ी से कोयलवाद सड़क कार्यों को सहायता कार्यों के अन्तर्गत चलाने की योजना बनाई गयी।

(अकाल सहायता मंत्री)

3- प्रश्न 2 के उत्तर में अंकित राहत कार्य चालू किये गये एवं कोई भी राहत कार्य चालू करने के उपरान्त बन्द नहीं किया गया।

4- जी हां, वाली तहसील के 12 आदिवासी गांवों में अभाव की स्थिति है। इस क्षेत्र में भीमाना वाड़बन्दी कार्य, काकरड़ी से कोयल वाद सड़क कार्य, गोरिया एवं चाउनडेरी में बने सुधार कार्य चालू किये गये जो अब भी चालू हैं।

पंचायत समिति क्षेत्र फागी में अकाल राहत कार्य

286. **श्री लादूराम सुलानिया** (फागी) क्या अकाल सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पंचायत समिति फागी क्षेत्र में अकाल राहत सहायता हेतु सन् 1965-66 व 1966-67 में किस किस ग्राम पंचायत को किस किस कार्य हेतु कितनी कितनी राशि वितरित की गई है ?

(2) उक्त कार्यों में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रेल व मई 67 में कितने कितने मजदूर कार्य पर रहे ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या यह सत्य हैं कि उक्त राहत कार्य पर लगे हुये मजदूरों को खाने के लिए आटा, गेहूं आदि दिया गया है ? यदि हां, तो कितना कितना और नहीं दिया गया तो क्यों नहीं ?

(4) क्या यह सत्य है कि तहसीलदार फागी ने राज्य कर्मचारियों के अलावा जनता को गेहूं नहीं दिये ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) पंचायत समिति फागी क्षेत्र में अकाल राहत सहायता हेतु सन् 65-66 व 66-67 में किसी भी पंचायत को इस कार्यालय द्वारा धनराशि वितरित नहीं की गई है।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता।

(4) जी नहीं।

ग्राम पंचायत क्षेत्र झोटवाड़ा में भूमि का अलाटमेन्ट

287 **श्री लादूराम सुलानिया** (फागी) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार ग्राम पंचायत झोटवाड़ा क्षेत्र (तहसील जयपुर) में भूमि का अलॉटमेन्ट करना चाहती है ? यदि हां, तो कब तक व किस किस गांव में ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) भूमि अलॉटमेन्ट के लिए कितने प्रार्थना-पत्र राज्य सरकार के पास पेन्डिंग हैं ?

Page No.58

उत्तर

(1) जी नहीं ।

(2) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

गिरदावरों को भत्ते

288. श्री लादूराम सुलानिया (फागी) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) गिरदावरों को जो मासिक 30) रु० फिक्स्ड टी. ए. व डी. ए. दिया जाता था उसे कब बन्द किया गया ? और क्यों ?

(2) क्या सरकार गिरदावरों को अन्य राज्य कर्मचारियों की भांति टी. ए. व डी. ए. देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब से ?

(3) क्या 1965 से सरकार ने गिरदावरों के लिये टी. ए. व डी ए. की कोई राशि निर्धारित की है ? यदि हां, तो क्या सरकार का इससे फिक्स्ड टी. ए. व डी. ए. के मुकाबले में कोई लाभ हुआ है ?

उत्तर

(1) गिरदावरों को फिक्सड टी. ए. व डी ए. कभी नहीं दिया जाता था अतः उसके बन्द करने का प्रश्न नहीं उठता ।

(2) फिलहाल सरकार का ऐसा कोई विचार नहीं है ।

(3) सन् 1965 से सरकार ने गिरदावरों के लिये टी. ए. व डी. ए. की कोई राशि निर्धारित नहीं की है । अतः फिक्सड टी. ए. व डी. ए. के मुकाबले हानि व लाभ का प्रश्न ही पैदा नहीं होता ।

नम्बरदारों की दस्तूर को रकम का भुगतान

289. श्री लादूराम सुलानिया (फागी) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने जी कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नम्बरदारी प्रथा समाप्त होने के बाद राजस्व वसूली का कार्य पटवारी और गिरदावरों को सौंपा गया है ?

(2) क्या यह सही है कि इस कार्य के लिए पटवारी को 15) रुपये मासिक भत्ता दिया जाता है ?

(3) क्या गिरदावरों को यह भत्ता दिया जाता है ? यदि नहीं तो क्यों और दिया जाता है तो कितना ?

(4) क्या सरकार गिरदावरों को उक्त भत्ता देने का विचार रखती है ?

(5) क्या नम्बरदारी खत्म होने के बाद सब नम्बरदारों की दस्तूर की रकम का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं तो भुगतान कब तक कर दिया जावेगा ?

उत्तर

1- 15 अक्तूबर 1963 के पश्चात् पटवारी द्वारा वसूली की जाती है और इसकी देख-रेख गिरदावर करता है ।

(राजस्व मंत्री)

2- जी हां ।

3- गिरदावरों को भत्ता नहीं दिया जाता है, क्योंकि उनके द्वारा वसूली नहीं की जाती है ।

4- जी नहीं ।

5- सामान्य तौर पर नम्बरदारी प्रथा समाप्त होने के बाद सब नम्बरदारों को दस्तूरी की रकम का भुगतान प्रायः किया जा चुका है ।

लक्ष्मणगढ़ तहसील में भूमि पर अनाधिकृत कब्जा

290. **श्री गंगासहाय** (कठूमर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जोनखेड़ा पहाड़, तहसील लक्ष्मणगढ़ (अलवर) की बहुत सी सवाई चक भूमि अनाधिकृत रूप से किन्हीं लोगों ने दबा रखी है ?

(2) क्या सरकार ने इस विषय में कोई कार्यवाही की है ? यदि नहीं की, तो क्यों ?

(3) लक्ष्मणगढ़ तहसील में अनाधिकृत रूप से दबाई गई कुल भूमि कितनी है ?

उत्तर

1- जोनखेड़ा पहाड़ तहसील लक्ष्मणगढ़ (अलवर) में सवाई चक पहाड़ी रकबे में सिर्फ खसरा नम्बर 10 का 455।।।) 3 (चार सौ पचपन बीघा अठारह बिस्वा) रकबे का स्थानान्तर रेवेन्यू विभाग से वन विभाग में हुआ है । लेकिन अभी इसका गजट नाटीफिकेशन नहीं हुआ है व न ही सर्वे डिमारकेशन हुआ है जिससे यह मालुम हो सके कि कौन से नम्बर पर अनाधिकृत कब्जा है ।

2- जब तक नोटीफिकेशन व सर्वे डिमारकेशन नहीं हो जाय, कार्यवाही करना सम्भव नहीं है ।

3- सर्वे का कार्य होने पर ही अनाधिकृत करने की सही जानकारी हो सकेगी ।

जिलाधीश कार्यालय अलवर के अस्थाई कर्मचारी

291. **श्री गंगासहाय** (कठूमर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि अलवर कलेक्टरी में बहुत से ऐसे कर्मचारी हैं जिनकी सर्विस 10-12 वर्ष की हो चुकी है किन्तु उनको मुस्तकिल (permanent) आज तक भी नहीं किया गया है ?

(2) क्या सरकार ने उपरोक्त कर्मचारियों को स्थायी करने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही पहले की है ? यदि की है तो क्या और नहीं की है तो क्यों नहीं की है ?

उत्तर

1- जी हां, यह सही है ।

(राजस्व मन्त्री)

2- जी हां, 13 वरिष्ट लेखकों का स्थाई करण इसलिये नहीं किया जा सका क्योंकि इसके सम्बन्ध में राजकीय आज्ञा क्रमांक एफ 5(30) नियुक्ति (सी) । 56 दिनांक 20-8-56 जारी की गई थी जिसके अनुसार अन्तरगठित वरिष्ठता सूचि के अन्तिम प्रकाशन तक किसी व्यक्ति को स्थाई नहीं किया जा सकता । यह सूचि राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा शीघ्र प्रकाशित की जा रही है । इस सूची के प्रकाशन होने पर इनको स्थाई करण के विषय में निर्णय लिया जावेगा ।

(आ) बाकी कनिष्ट लेखकों के स्थाई करण के लिये कलेक्टरी अलवर द्वारा विभागीय परीक्षा 1964 व 1965 में सरकार की आज्ञा क्रमांक एफ 15(1) ओ. एण्ड. एम. । 64 दिनांक 14-5-64 के अन्तर्गत ली जा चुकी है आगे की कार्यवाही जारी है ।

झुन्झुनू शहर की बीड़ व बनी की भूमि का आवंटन

292. श्री मूलचन्द कटेवा (पिलानी): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) झुन्झुनू शहर की बीड़ और बुहाना की बनी, जो झुन्झुनू जिले में स्थित है, का क्षेत्रफल कितने कितने बीघा है ?

(2) क्या यह सत्य है कि अब इस बीड़ व बनी में पशुओं के चरने के लिए घास पैदा नहीं होता है ?

(3) क्या राज्य सरकार इस बीड़ व बनी को तुड़ा कर उसकी भूमि काश्त के लिए भूमिहीनों को आवंटन करने की योजना बनायेगी ?

उत्तर

(1) झुन्झुनू शहर की बीड़ का क्षेत्रफल 843 बीघा तथा बुहाना की बनी का क्षेत्रफल 3834 बीघा 8 बिस्वा है ।

(2) जी नहीं ।

(3) बीड़ व बनी में उनके आसपास के सभी ग्रामों में मवेशियान चरते हैं, व पानी पीते हैं तथा विश्राम करते हैं । इसके अतिरिक्त गरीब जनता जलाने की लकड़ियां प्राप्त करती हैं । अतः आवंटन करने में उक्त बीड़ व बनी के आसपास के समस्त ग्रामों के लोगों को व मवेशियान को निश्चित ही काफी अड़चन हो जावेगी । ऐसी अवस्था में आवंटन की योजना बनाया जाना उचित नहीं होगा । तथा बीड व बनी की भूमि को आवंटन करने का मौजूदा नियमों में भी कोई प्रावधान नहीं है ।

ग्राम बनका खेड़ा में अकाल तथा पीने के पानी की व्यवस्था

293. श्री. मनोहर सिंह मेहता (मांडलगढ़) : क्या अकाल सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि ग्राम बनका खेड़ा,

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

तहसील कोटड़ी, जिला भीलवाड़ा अकाल में है लेकिन पीने के पानी के कुए सूखे पड़े हैं और सरकार की ओर से कुए गहरे कराने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है और लोगों को बहुत दूर दूर से पानी लाना पड़ता है ? यदि हां, तो पीने के पानी के कुवों को गहरा कराने की क्या व्यवस्था हो रही है ?

उत्तर

(1) जी हां, ग्राम वन का खेड़ा को अकाल ग्रस्त घोषित किया गया है, किन्तु यह सही नहीं है कि वहां पीने के पानी के कुओं व कुए सूखे पड़े हैं । इस ग्राम में पीने के पानी के कुओं में पानी भरा हुआ है । तहसील कोटड़ी के तहसीलदार को पीने के पानी के कुओं को गहरा कराने हेतु 7, 500 रुपये जिलाधीश जी भीलवाड़ा द्वारा स्वीकृत किये जा चुके हैं ।

ग्राम सवाईपुर में पीने के पानी की व्यवस्था

294. श्री **मनोहर सिंह मेहता** (मांडलगढ़) : क्या अकाल सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि ग्राम सवाईपुर तहसील कोटड़ी, जिला भीलवाड़ा में पीने के पानी के दो कुवे हैं लेकिन कई महीनों से दोनों कुवे सूखे पड़े हैं और गांव अकाल क्षेत्र में हैं ?

(2) क्या यह सही है कि इतना होते हुए भी इन्हें खुदवाने का काम प्रारम्भ नहीं हो रहा है ?

(3) क्या इस कार्य को अब प्राथमिकता दी जायेगी ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) इन कुओं को गहरा करवाने हेतु 500 रुपये प्रत्येक कुए के लिए जिलाधीश भीलवाड़ा द्वारा तहसीलदार कोटड़ी को स्वीकृत किये गये ।

(3) इन कुओं को गहरा कराने हेतु धन राशि पहले ही स्वीकृत की जा चुकी है । अतः अब प्राथमिकता देने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

दुर्भिक्ष में लगान को छूट

295. **श्री मूल चन्द कटेवा** (पिलानी) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) दो वर्ष लगातार दुर्भिक्ष होने पर कितनी लगान की व तीन और चार वर्ष तक लगातार दुर्भिक्ष होने पर कितने लगान की किसानों को छूट दिए जाने का नियम है ?

(2) क्या इस नियम के अनुसार झुंझनू जिले के दुर्भिक्ष से प्रभावित गांवों को लगान में छूट दिए जाने के आदेश दे दिए गए है ?

(श्री मूलचन्द कटेवा)

(3) अगर नहीं तो क्यों दिए गए ?

(4) अब राज्य सरकार नियम के अनुसार छूट दिए जाने के आदेश कब तक जारी कर रही है ?

उत्तर

1- दुर्भिक्ष की स्थिति में लगान में छूट देने के लिए राजस्थान कृषि नियम 27-30 के अन्तर्गत आवश्यक प्रावधान है सम्बन्धित नियमों की प्रति संलग्न है।

2- जी नहीं।

3- अभी हानि का अनुमान नहीं लगाया गया है। तहसीलों द्वारा रिलीफ खतोनियां तैयार हो रही हैं।

4- रिलीफ खतूनी तैयार होते ही छूट के लिए कार्यवाही की जायेगी।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)।

पटवारी को निलम्बन काल की बकाया का भुगतान

216. **श्री सुवालाल चौधरी** (दूदू): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे —

(1) क्या यह सही है कि श्री हरनाथ पटवारी ममाणा तहसील दूदू को सन् 64 में निलम्बित किया गया था ?

(2) क्या यह सही है कि श्री हरनाथ पटवारी को सन् 65 में बहाल कर दिया गया ?

(3) क्या यह भी सही है कि निलम्बित काल का बकाया वेतन अभी तक भी पटवारी को नहीं दिया गया ?

(4) अगर हां तो क्यों ?

उत्तर

1- जी हां।

2- जी हां।

3- जी हां।

4- निलम्बन काल के बकाया वेतन के बिल पर कुछ एतराज हो गये थे जिनकी पूर्ति करके तहसील दूदू से दिनांक 8-6-67 को महालेखाकार राजस्थान जयपुर को भेजा गया है वहां से बिल पास होकर आने पर पटवारी को भुगतान किया जा सकेगा।

ग्राम नरायना के खसरा नं० 1888 की भूमि का आबादी भूमि में अलॉटमेंट

297. **श्री सुवालाल चौधरी** (दूदू) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि तहसील फुलेरा के ग्राम नरायना के खसरा नं० 1888 की भूमि अलॉटमेंट कमेटी द्वारा आबादी में अलॉट करदी है।

(श्री सुवालाल चौधरी)

(2) अगर हां, तो जिलाधीश जयपुर की स्वीकृति कौनसी तारीख को हुई ? अगर नहीं तो क्यों नहीं हुई ?

उत्तर

(सरकार से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

कोटा जिले की तहसीलों में वर्षा का अभाव एवं लगान की वसूली

198. **श्री बृज बल्लभ बोहरा** (दीगोद) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि कोटा जिले की तहसील दीगोद में मांड़ा हेड़ा, चोमा, रेल आदि क्षेत्र में वर्षा के अभाव से अन्न उत्पादन नहीं हुआ है ?

(2) क्या यह भी सही है कि वहां की जनता ने वर्षा के अभाव से अन्न पैदा न होने की सूचना समय पर ही सम्बन्धित रेवेन्यू अधिकारीगण को दे दी थी ?

(3) क्या यह भी सही है कि वहां के लोगों को इतना होने पर भी लगान वसूली के लिए मजबूर किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) कब तक वहां के लोगों का लगान स्थगित कर दिया जावेगा व सहायता पहुंचाई जावेगी ?

उत्तर

(सरकार से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

झुन्झुनूं जिले के ग्रामों में अकाल राहत कार्य

299. **श्री रामनारायण चौधरी** (मंडावा) ; क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) इस वर्ष झुन्झुनूं जिले के किन किन गांवों में अकाल घोषित किया गया है तथा इन गांवों के पीड़ित लोगों के लिए क्या राहत पहुँचाई जा रही है ?

(2) क्या इन गांवों के लोगों को सहायता पहुंचाने के लिए कोई राहत कार्य खोले गये हैं। यदि हां, तो कहां कहां पर ऐसे कार्य चालू किए गए हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) इस वर्ष इस जिले में राहत कार्यों पर अब तक कितने रुपये खर्च किये जा चुके हैं ?

उत्तर

(1) खरीफ सम्वत् 2023 में झुंझुनूं जिले की खेतड़ी तहसील के 121 गांव एवं चिड़ावा तहसील के 56 गांवों को अकाल-ग्रस्त घोषित किया गया, जिनकी सूची सलग्न है जो सदन की मेज पर रखी गई।

(अकाल सहायता मंत्री)

अकाल पीड़ित लोगों को राहत पहुंचाने के लिए निम्नलिखित कार्य किए गये:—

(1) खेतड़ी तहसील के 28 व चिड़ावा तहसील के 24 व्यक्तियों को असहाय सहायता दी जा रही है।

(1) खेतड़ी कस्बे में पेयजल व्यवस्था हेतु कुओं को गहरा करवाये जाने का कार्य किया जा रहा है।

(3) मजदूरों को रोजगार देने हेतु राहत कार्य किए गये। इस समय राहत कार्य बन्द हैं। क्योंकि अकाल सहायता की मजदूरी की दरों पर मजदूर कार्य करने को तैयार नहीं हैं।

(4) दूध, मटर व कपड़ों का वितरण किया गया।

(5) सस्ते गल्ले की दुकान खोली गई।

(2) चिड़ावा सूरवाड़ सड़क पर सोलिंग का कार्य किया गया। गीलाड़ा में पत्थर निकालने का कार्य किया गया तथा वन विभाग द्वारा खड़खड़ाघरों पर कार्य किया गया।

(3) इस वर्ष विभिन्न राहत कार्यों पर लगभग 40,000 रु. खर्च किया जा चुका है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

नागोर जिले में अग्नि पीड़ितों की सहायता के लिए धनराशि का प्रावधान

300. **श्री हरजी राम बुरड़क** (लाडनूं): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

इस वर्ष नागोर जिले में आग लग जाने के मामले में सहायता के लिए कितनी धनराशि का प्रावधान है?

उत्तर

इस जिले में आग लग जाने के मामलों में सहायता देने हेतु माह अप्रेल से जौलाई 67 तक की अवधि के लिए 1000) रु. व नगरपालिका क्षेत्र के लिए इस वर्ष के लिए 500) रु. का प्रावधान रखा गया है।

पंचायत समिति दूदू की जीप पर खर्चा

301. **श्री सुवालाल चौधरी** (दूदू): क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

पंचायत समिति दूदू के पास जो जीप गाड़ी है वह ता. 1 नवम्बर, 1966 से 25 फरवरी, 67 तक कितनी मील चली है, कितना पैट्रोल खर्च हुआ, गाड़ी में किसने दौरा किया दौरा किस कारण से किया गया? क्या प्रधान ने भी इन दिनों में गाड़ी में दौरा किया है।

उत्तर

जोप 6980 मील चली । 1761 लीटर पैट्रोल खर्च हुआ । दौरा विकास, अधिकारी, प्रसार अधिकारीगण व प्रधानजो ने किया । अध्यापकों का वेतन-वितरण नहरों से होने वाली सिचाई के सम्बन्ध में देखरेख, ग्रामसभा की बैठक में भाग लेना, खाद बीज, तकाबी-वितरण, पाठशालाओं के निरीक्षण विभिन्न विकास कार्यों का निरीक्षण, सहकारी समितियों से सम्पर्क करने के लिए किया गया ।

प्रधान जी ने भी दिनांक 5-11-66 से 9-12-66 तक इस जीप में दौरा किया ।

सहकारी समितियों तथा उपभोक्ता भंडारों को सहायता एवं ऋण

302. **श्री गोरधन सोनी** (मड़ेता): क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य की सहकारी समितियों व उपभोक्ता भंडारों को कितनी-कितनी राशि सहायता के रूप में और कितनी-कितनी राशि ऋण के रूप में अब तक दी गई है ?

(2) उक्त समितियों व उपभोक्ता भंडारों में से कितने नफे में चल रहे हैं और कितने नुकसान में ?

(3) उक्त संस्थाओं में से कितनी संस्थाओं ने अपना ऋण नहीं चुकाया है और ये राशि कितनी होती है ?

उत्तर

(1) राज्य की सहकारी समितियों व उपभोक्ता भंडारों को दिनांक 30-6-66 तक 1,47,36,349) रुपये की सहायता व 1,09,61,602.43 पैसे का ऋण दिया गया है ।

(2) इन समितियों व उपभोक्ता भंडारो में से 9472 लाभ में, व 4494 हानि में एवं 8614 बिना लाभ-हानि में चल रहे हैं ।

(3) इन संस्थाओं में से 280 ने ऋण नहीं चुकाया है जिनकी राशि 6,25,507) रु० ऋण व ब्याज 5,06,078) रु० है ।

भरतपुर जिले की सहकारी समितियों को सहायता एवं ऋण के रूप में दी गई धनराशि की वसूली

303. **श्री प्रद्युम्नसिंह** (राजाखेड़ा) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पिछले दस वर्षों में भरतपुर जिले की भिन्न भिन्न प्रकार की सभी सहकारी समितियों को कुल कितना धन ऋण तथा सहायता के रूप में दिया गया है ?

(2) इसमें से कितना धन वापिस राज्य सरकार ने वसूल किया ?

(3) कितना धन अभी तक वसूल नहीं हो सका है तथा कितना धन ओवर ड्यू है ?

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

(4) कितना धन ऐसा है जो वसूल नहीं हो सका और जिसे वट्टे खाते में डालना पड़ा ? वसूल नहीं हो सकने के क्या कारण रहे हैं ?

उत्तर

(सरकार से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

सघन कृषि योजना पर व्यय

304. श्री शंकरलाल (जैतारण) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राजस्थान में सघन कृषि योजना के अन्तर्गत कितनी धनराशि किन किन मदों में किन-किन वर्षों में खर्च की गई और कुल कितनी धनराशि खर्च हुई ? तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) सघन कृषि योजना के अन्तर्गत किन-किन वर्षों में किस-किस धान की उपज में कितनी-कितनी वृद्धि हुई ? तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) राजस्थान में सघन कृषि योजना के अन्तर्गत कुल खर्च की मदवार तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) सघन कृषि योजना से पैदावार आंकने के लिये अभी तक कोई योजना नहीं थी। अतः अब तक पैदावार में कितनी वृद्धि हुई इस पर अन्दाज अभी नहीं लगाया जा सकता। पैदावार आंकने की योजना इस वर्ष से चालू की गई है।

(कृपया परिशिष्ट 7 देखिये)

शीप-ब्रीडिंग की इन्टेग्रेटेड स्कीम पर खर्चा

305. श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, बाजार) : क्या पशु-पालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) शीप ब्रीडिंग के संबंध में इन्टेग्रेटेड स्कीम लागू होने पर शीप ब्रीडिंग सेन्टर्स में अच्छी नस्ल के कितने नर भेड़ किस-किस वर्ष में तैयार किये गये ?

(2) इनमें से कितने भेड़ पालकों को कब-कब बांटे गये ?

(3) इन शीप ब्रीडिंग फार्म्स पर इस योजना के पश्चात् किस-किस वर्ष में कुल कितना-कितना खर्चा हुआ ? इस खर्च का वास्तव में क्या लाभ हुआ ?

उत्तर

(1) राज्य में शीप ब्रीडिंग के सम्बन्ध में इंटेग्रेटिड स्कीम 1963-64 के वित्त वर्ष में प्रारम्भ की गई थी। इस के लागू होने के समय में निम्न शीप ब्रीडिंग सेंटर्स चल रहे थे :—

जयपुर-मालपुरा नस्ल की भेड़ों के लिए,
मण्डोर—मारवाड़ी नस्ल की भेड़ों के लिए,

Page No.67

(श्री पशुपालन मंत्री)

कोडमदेसर--मगरा नस्ल की भेड़ों के लिए, पोकरण--जैसलमेरी नस्ल की भेड़ों के लिए, अच्छी नस्ल की भेड़ों के लिए उपरोक्त वित्त वर्ष से लेकर अब तक तैयार किये गये मेंढ़ों की संख्या 1017 है। ब्यौरा संलग्न तालिका (अ) में है।

(2) समस्त ब्यौरा तालिका (अ) में दिया गया है।

(3) इन प्रजनन केन्द्रों पर योजना लागू होने के बाद जो व्यय हुआ है उसका सम्पूर्ण ब्यौरा संलग्न तालिका (ब) में दिया गया है।

ये प्रजनन केन्द्र केवल उत्तम नस्ल के मेंढे तैयार करने तथा अनुसंधान कार्य की दृष्टि से आरम्भ किये गये थे न कि लाभ-हानि की दृष्टि से।

(कृपया परिशिष्ट संख्या 8 देखिये)

ऊन खरीदने के लिए ली गई अग्रिम धनराशि

306 श्री भैरोंसिंह (किशनपोल बाजार, जयपुर) क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) ऊन के व्यापार के लिए किस किस वर्ष में कब-कब भेड़ पालकों को ऊन खरीदने के लिए अग्रिम देने हेतु किस-किस अधिकारी ने एब्सट्रेक्ट कन्टिन्जेन्ट बिल के द्वारा कितना-कितना धन अग्रिम लिया है।

(2) इस अग्रिम धन का कब-कब हिसाब पेश किया गया और अब तक किस-किस समय का हिसाब कितनी रकम का बाकी है ?

उत्तर

(1) इस प्रश्न से सम्बन्धित अग्रिम धन लेने तथा उसका हिसाब देने सम्बन्धी प्रत्येक जिला अधिकारी का एवम् प्रत्येक वित्त वर्ष के अनुसार ब्यौरा संलग्न किया जा रहा है।

(2) समय एवम् धन राशि का विवरण संलग्न ब्यौरे में उपलब्ध हैं जो हिसाब शेष रहा है वह सभी जोधपुर जिले को छोड़कर 1966-67 का है। चूंकि इस धन राशि से माह सितम्बर किस्म को ऊन खरीदी गई थी उसका हिसाब देने में समय लगा है।

(कृपया परिशिष्ट 9 देखिये)

कृषि सहकारी समितियां

307. श्री जसराज (भिनाय): क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) राजस्थान में कितनी सहकारी कृषि समितियां हैं ?

(2) इन समितियों को कुल कितना ऋण तथा अनुदान अब तक दिया गया है ?

(3) इन समितियों पर कितना ऋण अवधि पार है और उसकी वसूली हेतु क्या कार्य किया जा रहा है ?

(श्री जसराज

(4) इन समितियों द्वारा पिछले पांच वर्षों में वर्ष वार कितना उत्पादन किया गया ?

(5) कितनी समितियों डिफंक्ट हो गई हैं और उनको सरकार द्वारा कितना ऋण एवं अनुदान दिया गया था ? उनके डिफंक्ट होने के क्या कारण थे ? क्या इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का सर्वेक्षण किया गया है ? यदि हां, तो वह रिपोर्ट सदन को पेश करने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) राजस्थान में 700 सहकारी कृषि समितियां हैं।

(2) इन समितियों को रु० 25. 10, 936) का ऋण व 9, 45, 457) रु० का अनुदान दिया गया।

(3) इन समितियो पर 4,19,458) रु० का ऋण अवधिपार है जिसकी वसूली समझाईश से की जा रही है और जहां समझाईश से वसूली न हो सकती है वहां सहकारी अधिनियम के अन्तगर्त कानूनी तौर से वसूली की कार्यवाही की जा रही है।

(4) इन कृषि समितियों ने निम्न 5 वर्षों में उनके सामने अंकित उत्पादन किया :—

वर्ष	उपज (रकम लाखों)
1961-62	9-9
1962-63	9-57
1963-64	9-50
1964-65	11-02
1965-66	12-06

(5) इन समितियों में से 198 डिफंक्ट हो गई और इनको सरकार द्वारा जो 3, 93, 359) रु० का ऋण व 1, 15, 286) रु० का अनुदान दिया गया था। इन समितियों के डिफंक्ट होने के निम्न कारण हैं :-

(1) सदस्यों में सामुहिक खेती की भावनाओं का न होना।

(2) सरकार द्वारा भूमि का एलॉट-मेन्ट न करना।

(3) सदस्यों का अप्रशिक्षित होना।

(4) भूमि का भूखण्डों में होना।

(5) भूमि में एक फसल ही होना।

(6) समिति को अपर्ण की हुई भूमि पर ध्यान न देकर अपनी निजी काश्त की भूमि पर अधिक ध्यान देना। इस बारे में कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया। अतः सर्वेक्षण की रिपोर्ट पेश करने का प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी कृषि फार्म

308. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनू) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) कृषि विभाग के पास कितने सरकारी फार्म हैं और उनमें कितनी-कितनी भूमि है तथा उनको स्थापित करने की तारीखें कौन-कौन सी हैं ?

(श्री हरजीराम बुरड़क)

(2) इनमें कौन-कौन से फार्म मुनाफे में चल रहे हैं तथा घाटा और मुनाफा कितना कितना है ?

(3) यदि यह फार्म घाटे में चलते हैं तो क्या सरकार ने इस बात की जानकारी की है कि ये फार्म घाटे में क्यों चल रहे हैं जबकि आस पास के काश्तकारों के अपने खेत हैं उनकी खेती लाभदायक है।

(4) कौन-कौन से फार्म किस-किस उपयोग में आ रहे हैं ?

उत्तर

(1) कृषि विभाग के पास कुल 55 सरकारी कृषि फार्म हैं जिनमें 42 बीज-गुणन व 9 कृषि अनुसंधान फार्म हैं। 4 बीजगुणन फार्म नये पिछले वर्ष स्थापित किये गये हैं। सूचि सलग्न है।

(2) सूचना अपेन्डिक्स पर संलग्न है।

(3) जो फार्म घाटे में चल रहे हैं उसकी पूर्ण जानकारी राज्य सरकार को है। अधिकतर इन फार्मों की भूमि जो उपलब्ध हुई है वो कम उपजाऊ व बंजर थी। भूमि सुधार और विशेषकर सिंचाई के साधनों की अभी भी कमी है जिसके कारण फार्मों की आय कम होती है, और प्रशासनिक खर्चा अधिक है। आसपास के काश्तकारों की खेती इसलिए लाभदायक प्रतीक होती है क्योंकि उनके यहां प्रशासनिक खर्चा कुछ-भी नहीं होता।

हर फार्म की पूर्ण जानकारी प्राप्त करने के उपरान्त पिछले वर्ष से सुधार की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा की गई है। और करीब 11 फार्मों पर स्थाई सुधार कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं जिसके फलस्वरूप वे फार्म मुनाफे में आ गये हैं। शेष कुछ फार्मों पर प्राप्त धन राशि के अनुसार इस वर्ष सुधार कार्य चालू किये जा चुके हैं जिससे उनमें भी एक दो वर्षों में सुधार होने की संभावना है।

(4) निम्नलिखित 9 फार्मों के अलावा सभी फार्मों पर बीज गुणन का कार्य होता है। इन 9 फार्मों पर अनुसंधान का कार्य होता है:—

1. दुर्गापुरा 2. बस्सी 3. तबीजी 4. मण्डोर 5. श्री गंगानगर 6. बोरवट 7. बोरखेड़ा 8. छत्रपुरा 9. बिलाड़ा।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

जिला पाली के पाइलॉट प्रोजेक्ट्स

309. **श्री पृथ्वीसिंह** (बाली) : क्या सहकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) जिला पाली में कुल कितने पाइलॉट प्रोजेक्ट चल रहे हैं, और उनमें कितनी संयुक्त कृषि सहकारी समितियां है ?

(2) पंचायत समिति बाली की सयुक्त कृषि सहकारी समितियों का गठन किस वर्ष किया गया था ?

(श्री पृथ्वीसिंह)

(3) क्या सरकार उक्त संयुक्त कृषि सहकारी समितियों को कोई आर्थिक सहायता एवं ऋण प्रदान करती है ?

(4) अगर हां, तो किन-किन मदों में सहायता और ऋण सरकार द्वारा दिये जाते है ?

(5) क्या पंचायत समिति वाली की उक्त सहकारी समितियों को भी आर्थिक एवं ऋण की सहायता दी गयी है ?

(6) अगर हां, तो किस-किस सहकारी समिति को किस-किस मद में कितनी-कितनी सहायता एवं ऋण दिया गया है ? अगर नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जिला पाली में दो पाइलेट प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिनमें कुल 20 संयुक्त कृषि सहकारी समितियां हैं ।

(2) पंचायत समिति वाली की संयुक्त कृषि सहकारी समितियों का गठन निम्न वर्षों में किया गया था :-

वर्ष 1962 में 1 समिति का,

वर्ष 1963 में 5 समितियों का,

वर्ष 1964 में 4 समितियों का,

(3) जी हां ।

(4) निम्न मदों में सहायता एवं ऋण सरकार द्वारा दिये जाते हैं :-

(1) हिस्सा पूंजी के लिये,

(2) मध्यम कालीन व दीर्घकालीन ऋण,

(3) गोदाम निर्माण, पशुशाला के लिये ऋण व अनुदन,

(4) व्यवस्थापकीय अनुदान,

(5) जी हां,

(6) जिन 2 सहकारी समितियों को जिस 2 मद में सहायता व ऋण दिया गया है उसकी सूचना सूची परिशिष्ठ 'क' पर है ।

(परिशिष्ठ की सूची प्राप्त नहीं हुई है)

तहसील फागी की कृषि सहकारा समितियां

310. **श्री लादूराम सुलानिया** (फागी) : क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) तहसील फागी में कितने कृषि सहकारी समितियां हैं ? उनकी सूची मय सदस्यों के नाम, पते व जो आराजी समितियों को एलॉट की गई है उनके खसरा नम्बरान मय रकबे के सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) क्या यह सत्य है कि उक्त सहकारी समितियों को भूमि सुधार हेतु राज्य

(श्री लादूराम सुलानिया)

सरकार ने अनुदान व ऋण दिया ? है यदि हां, तो किस-किस सहकारी समितियों को, और नहीं दिया तो क्यों नहीं ?

(3) उक्त सहकारी समितियों को दशा सुधारने हेतु कृषि विभाग द्वारा आधुनिक कृषि यन्त्र किस-किस सहकारी समिति में वितरित किए गये हैं ?

(4) क्या उक्त सहकारी समितियों के सदस्यों को कृषि प्रशिक्षण हेतु भेजा गया है ? यदि हां, तो किस-किस सदस्य को कहां-कहां व कब-कब ?

उत्तर

(1) फागी तहसील में 13 सहकारी कृषि समितियां हैं जिनमें से एक कृषि समिति अवसायन में हैं तथा एक कृषि समिति को भूमि एलॉट नहीं हुई है शेष 11 समितियों की सूचना संलग्न परिशिष्ठ (क) पर उपलब्ध है।

(2) राज्य सरकार द्वारा इन समितियों को कोई ऋण व अनुदान नहीं दिया गया है चूंकि जिन समितियों को भूमि एलॉट की गई थी उस पर सामूहिक खेती नहीं की जा रही है व व्यक्तिगत रूप से खेती करते हैं। इन समितियों को आवश्यकतानुसार सेन्ट्रल कोआॅपरेटिव बैंक अल्पकालीन ऋण मिलता रहा है।

(2) किसी को नहीं।

(4) जी नहीं।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

पंचायत समिति, चिड़ावा की विभिन्न मदों में बची धनराशि

311. श्री मूलचन्द कटेवा (पिलानी): क्या विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पंचायत समिति चिड़ावा (जिला झुंझनू) में तारीख 5. 5. 67 को किस-किस मद मे कितनी-कितनी धनराशि बची हुई थी ? लिस्ट सदन की मेज पर रखने की करें।

(2) बची हुई धनराशि का कुल योग कितना था ?

(3) इस दिन पंचायत समिति के पी. डी. खाते में कितनी धनराशि थी ?

(4) यह मदों की बची हुई धनराशि कितनी कम थी ?

(5) यह धनराशि अन्य मदों में किस नियम के तहत खर्च की गई ?

(6) क्या कोई ऐसा नियम है कि एक मद की धनराशि दूसरे मद में खर्च की जा सकती है, अगर नियम है तो वह कौनसा ? अगर नियम नहीं है, तो यह क्यों खच की गई ?

(7) क्या सरकार इस प्रकार की कार्यवाही के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ?

Page No.72

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) कुल योग 93,034.53 था।

(3) 1,153.13 पै. थे।

(4) 91,881.40 से कम थी।

(5) राज्य सरकार के आदेशानुसार खर्च की गई।

(6) राज्य सरकार के ऐसे आदेश हैं कि एक मद की राशि दूसरे मद में खर्च की जा सकती है।

(7) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

(कृपया परिशिष्ट—11 देखिये)

झुंझुनूं जिले के अकाल शे प्रभावित ग्रामों में राशन में गेहूं

312 **श्री मूलचन्द कटेवा** (पिलानी) : क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या झुंझुनूं जिले में इस वर्ष अकाल से प्रभावित ग्रामों को राशन में गेहूं दिया गया हैं ? अगर नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां, प्रश्न ही नहीं उठता है।

पंचायत समिति चिड़ावा में अनुदान की धनराशि से किए गये कार्यों का युटिलाईजेशन सर्टिफिकेट

313. **श्री मूलचन्द कटेवा** (पिलानी) : क्या विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(1) पंचायत समिति चिड़ावा (जिला झुन्झुनूं) में अनुदान की धनराशि से जो कार्य हुए उनमें से कितने ऐसे कार्य हैं जिनके युटिलाईजेशन सर्टिफिकेट्स अभी तक जारी नहीं हुए हैं।

(2) पंचायत समिति में ओवरसियर मौजूद है तो इसमें विलम्ब क्यों होता है ?

(3) क्या जुलाई, 1967 के अन्त तक ऐसे कार्यों का निरीक्षण करके जो कार्य हो चुका है उसके युटिलाईजेशन सर्टिफिकेट्स जारी कर दिए जावेंगे ?

उत्तर

(1) पूरे हुए कार्यों के उपयोगिता प्रमाण दे दिए गये हैं।

(2) पंचायत समिति में ओवरसियर का पद 6 माह तक रिक्त रहा जिससे विलम्ब हुआ।

(3) जी हां।

सहकारी विश्रान्ति गृह, सीकर

314. **श्री देवीदत्त गाड़िया** (बारां) : क्या सहकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सीकर जिलाधीश के कार्यालय के कर्मचारियों ने एक सहकारी विश्रान्ति गृह चालू किया था ?

(2) क्या यह सही है कि यह सहकारी गृह घाटे के कारण बन्द हो गया ?

(3) इस गृह की कितनी-कितनी देनदारी किस-किस व्यक्ति एव संस्था की है ?

(4) क्या यह सही है कि इस गृह के लिए लिक्वीडेटर की भी नियुक्ति की गई हैं ?

(5) उक्त लिक्वीडेटर द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है तथा देनेदारी व लेनदारी के संबंध में क्या व्यवस्था की गई है ?

उत्तर

(1) जिला सीकर व उसके आस पास के कार्यालयों के कर्मचारियों ने सीकर सहकारी विश्रान्तिगृह लि० नाम की चालू की थी।

(2) दिनांक 11-7-62 को साधारण सभा में यह प्रस्ताव स्वीकार किया गया कि कोई भी सदस्य समिति को सुचारु रूप से चलाने में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं इसलिये बन्द कर दिया जाए। इस प्रस्ताव पर समिति को अवसायन में लाया गया।

(3) समिति का ऑडिट दिनांक 30-6-60 तक का हुआ उसके बाद का रिकार्ड पूर्ण नहीं है इसलिये दिनांक 30-6-60 को जो लेनदारी व देनदारी थी-उसका सतुलन चित्र परिशिष्ट 'क' पर है।

(4) जी हां।

(5) लेनदारी व देनदारी के लिये अवसायक ने दावे आमन्त्रित किये हैं।

(कृपया परिशिष्ट—12 देखिये)

सूअर पालन केन्द्रों पर व्यय

315. **श्री श्रवणलाल** (हिण्डौन. सु): क्या पशु-पालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सच है कि सरकार की ओर से सूअर पालन केन्द्र चलाये जा रहे हैं? यदि हां तो कहां कहां पर कब कब से चलाये जा रहे हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उपरोक्त केन्द्रों पर सरकार द्वारा अब तक कितना कितना रुपया कहां कहां पर खर्च किया गया है और प्रत्येक केन्द्र पर कितने कितने सूअर रखे गए हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) इन केन्द्रों से सरकार को अब तक कितना लाभ अथवा नुकसान हुआ है ?

उत्तर

(1) जी हां, ये शूकरपालन केन्द्र केन्द्रीय

(श्री पशुपालन मन्त्री)

सरकार की मदद से बस्सी तथा अलवर में क्रमश: 1958-59 एवं 1964-65 से आरम्भ किये गये हैं।

(2) उपरोक्त केन्द्रों पर सरकार द्वारा अलवर तथा बस्सी केन्द्रों पर क्रमशः 18. 52,599.02 रुपये एवं 26,6939.41 रुपये खर्च किये गये हैं। अलवर पर किये गये खर्चे में बेकन फैक्ट्री का खर्चा जो कि करीब 11.00 लाख हैं, शामिल है। अलवर शूकर केन्द्र पर 570 एवं बस्सी केन्द्र पर 65 सूअर रखे गये हैं।

(3) उपरोक्त सूकर केन्द्रों को सूअरों की नस्ल सुधार हेतु चलाया जा रहा है न कि व्यवसायिक आधार पर। अत: नुकसान या लाभ का प्रश्न ही नहीं उठता।

सांड-पालन कार्य

316. श्री श्रवणलाल (हिण्डौन सु.): क्या पशु पालन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सच है कि सरकार की ओर से सांड-पालन केन्द्र स्थापित किये गये है व सरकार द्वारा अन्य साधनों से भी सांड-पालन कार्य हो रहा है ?

(2) यदि हां, तो कहां-कहां पर केन्द्रों द्वारा व कहां-कहां अन्य साधनों द्वारा सांड-पालन कार्य हो रहा है ?

(3 किस-किस स्थान पर कितने-कितने सांड रखे गये हैं और उन पर किस हिसाब से खर्चा होता है ?

(4) क्या यह सही है कि जो सांड नाकाबिल हो जाते हैं उन्हें केन्द्रों से छोड़ दिया जाता है ? यदि हां, तो अब तक कुल कितने सांड छोड़े गये है ? जो सांड नहीं छोड़े जाते हैं उन्हें जिन्दा रखने के लिए सरकार क्या कार्यवाही करती है ?

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) सरकारी सांड-पालन केन्द्र नोहर में स्थित है। इसके अतिरिक्त निम्न राजकीय गोसंवर्धनशालाओं (Govt. Cattle Breeding Farms) में भी छोटे बछड़ों का पालन कर बड़े हो जाने पर पंचायत समितियों आदि में वितरित किये जाते हैं:-

(1) बस्सी।

(2) कुम्हेर।

(3) चांदन (जैसलमेर)।

(4) रामसर।

(5) नागौर।

(3) सांड पालन केन्द्र नोहर पर 88 सांड हैं, एवं प्रत्येक सांड पर औसतन 90 से 100) रुपये दाने व चारे पर खर्च किया जाता है।

(4) जी नहीं। नाकाबिल होने के बाद सांड को बछिया कर बैल बना दिया जाता है, एवं नीलाम कर दिया जाता हैं, एवं जो सांड बैल बनने की स्थिति में नहीं होते उनको गौसदन भेज दिया जाता है।

पचायत समिति सुलतानपुर की न्याय पंचायत का कार्यालय

317. श्री बृजवल्लभ बोहरा (दीगोद) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कोटा जिले की पंचायत, समिति सुलतानपुर में मोरया न्याय पंचायत है ?

(2) क्या यह भी सही है कि इस न्याय पंचायत की बैठक एवं कार्यालय मोरया हैडक्वार्टर पर न होकर कोई अन्य ग्राम में होती है ?

(3) यदि हां, तो किस आदेश से यह कार्यालय बदला गया ?

(4) इस पंचायत की सालाना आमदनी एवं खर्च का ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

(उत्तर सरकार से प्राप्त नहीं हुआ)

पशु चिकित्सालय मंडावा का भवन

318. श्री रामनारायण चौधरी (मंडावा) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या मंडावा (झुंझुनू) में राज्य सरकार की तरफ से एक पशु चिकित्सालय चल रहा है ? यदि हां, तो यह चिकित्सालय क्या किराये के मकान में चल रहा है ?

(2) मकान मालिक का कितने महीने का किराया बाकी है ? इस मकान में कितने महीनों से यह चिकित्सालय चल रहा है ? मकान का किराया नहीं चुकाने का क्या कारण है ?

(3) क्या यह सही है कि मंडावा में पशु चिकित्सालय के लिए कोई उपयुक्त मकान नहीं मिल रहा था तथा यह मकान इसी शर्त पर मिला था कि सरकार किराया नियमित रूप से देती रहेगी ?

(4) इस मकान का माहवारी किराया कितना देना तय किया गया था ?

उत्तर

(उत्तर सरकार से प्राप्त नहीं हुआ)

ग्राम बावर में काश्तकारों को दिये गये ऋण की वसूली

918. श्री बालसिंह सोढ (जैसलमेर): क्या सहकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) ग्राम बावरा जिला पाली में सहकारी समिति के मार्फत कितना ऋण किन किन वर्षों में काश्तकारों को दिया गया है ?

(श्री बालसिंह सोंढ

(2) क्या उपरोक्त ऋण की वसूली सुचारू रूप से हो रही है ? यदि नहीं तो सरकार इस विषय में क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव रखती है ?

उत्तर

(1) ग्राम बावर जिला पाली की ग्राम सेवा सहकारी समिति के मार्फत काश्तकारों को पाली सेन्ट्रल कोग्रॉपरेटिव बैंक से निम्न प्रकार सालवार ऋण दिया गया—

वर्ष	रकम ऋण
1960-61	43,940–00
1961-62	5,940–00
1964-65	18,752–00
	68 632–00

(2) उपरोक्त ऋण में से 58,755)रु. वसूल हो चुका है तथा 9877)रु वसूल होना शेष है जिसकी वसूली के लिए सहायक रजिस्ट्रार द्वारा कुर्की के आदेश जारी किये जा चुके हैं।

नागौर जिले की पंचायत समितियों के प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों का सिलक्शन

320. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला नागौर में सन् 66-67 के सत्र में पंचायत समितियों की प्राइमरी स्कूलों में कितने कितने अध्यापक स्वीकृत सरकारी स्ट्रेनथ से कम पंचायत समिति एवं जिला परिषद सर्विस सलेक्शन कमीशन द्वारा चुने गये और खाली स्थानों पर अस्थायी नियुक्ति पंचायत समितियों [illegible] की गई ? सूची सदन की मेज पर पंचायत समिति वाइज रखने की कृपा करें।

(2) सर्विस सिलेक्शन कमीशन द्वारा पूरी स्ट्रेनथ तक सिलेक्शन क्यों नहीं किया गया जब कि उनके द्वारा चाही गई योग्यता के व्यक्तियों की कोई कमी नहीं है ? और राज्य सरकार की इस विषय में क्या नीति है ?

उत्तर

(1) 328 अध्यापक स्वीकृत स्ट्रेनथ से कम चुने गए, जिनके पदों पर अस्थाई नियुतियां की गई। पंचायत समिति वाईज सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) सर्विस सिलेक्शन कमीशन को वांछित संख्या में योग्य प्रत्याशी उपलब्ध नहीं हुए।

राज्य सरकार की नीति है कि पूर्ण योग्य व्यक्तियों को ही स्थाई नियुक्ति दी जावे।

कम आबादी वाले कस्बों में आयातित गेहूं या सस्ते गल्ले की दुकानें

321. **श्री सहदेव** (आमेर): क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि 50,000 (पचास हजार) से कम आबादी वाले कस्बों में आयतित गेहूं नहीं दिया जाता है या सस्ते गल्ले की दुकानों का प्रबन्ध नहीं?

(2) यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

केवल जिला हैड क्वार्टर कस्बों में जिनकी आबादी 50000 (पचास हजार) से कम की है वहां पर आयातित गेहूं दिया जाता है।

(2) अन्य कस्बों में (जो जिला हैड क्वार्टर नहीं है व जहां आबादी 50,000 से कम हैं) आयातित गेहूं भारत सरकार से सीमित मात्रा में खाद्यान्न आवंटन मिलता है।

आयातित गेहूं का गबन

322. **श्री नथमल चोहला** (लक्ष्मणगढ़ सु.): क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सरकारी आयातित गेहूं की 152 बोरी का तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ द्वारा गबन किया गया था ?

(2) क्या यह सही है कि टी. ओ. ने दिनांक 24-4-67 को जाच की थी ? यदि हां तो कोई रिपोर्ट दी या नहीं ? यदि रिपोर्ट दी गई तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) इस विषय में जांच हो रही है। गबन पाए जाने की आशंका है।

(2) हां यह सही है। टी.ओ. ने रिपोर्ट दे दी है। हिसाब की विस्तृत जांच की जा रही है।

ग्राम चण्डासरीया व ग्राम गेनाणा में सरपंचों को पीने के पानी की व्यवस्था हेतु दी गई धनराशि

323. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पचायत समिति लाडनूं जिला नागौर ने ग्राम पचायत चन्द्राई के सरपंच के ग्राम चण्डासरीया में पीने के पानी का नया कुआ खुदवाने के लिए कितने रुपये कब दिये और उन से कुआं खुदा या नहीं ? अगर नहीं खुदा तो उस राशि को आज तक सरपंचों ने कहां रखा ?

(2) ग्राम गेनाणा में पीने के पानी का नया कुआं बनवाने के लिये सरपंच माल गांव को कब कितने रुपये दिये गए तथा कुआं

(श्री हरजीराम बुरड़क)

कब और कितना खुदा ? अगर नहीं खुदा, तो उन रुपयों को सरपंचों ने कहां रखा ?

(3) इन दोनों ही ग्रामों में पीने के पानी की इन कुओं के अलावा क्या व्यवस्था पंचायत या पंचायत समिति ने की है, तथा इससे पूर्व में क्या व्यवस्था थी ?

(4) क्या इन कुओं के निर्माण के लिए रुपये देते समय कोई अवधि निर्धारित की गई थी ? अगर हां, तो उसका पालन उक्त सरपंचों ने किया या नहीं ? अगर नहीं किया तो उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) दिनांक 23-3-66 को 5000) दिये गये। कुआ करीब 80 फुट खोदा जा चुका है जिसमें 5000-95 पैसे खर्च हुए है ?

(2) दिनांक 30-3-66 को 3333) रु० दिये गये। कुआं 40 फुट खुदवाया गया है यह कार्य मई-जून 1966 में हुआ। कुल 660) रुपये खर्च हुए व शेष रकम सरपच के पास रही।

(3) गांव चुंडासरिया में पंचायत समिति की ओर से पुराने गांवाई कुऐ को गहरा करवाया गया तथा एक सार्वजनिक होज भी बनवाया गया। गांव गैनाडा में पहले दो कुए थे नया कुआ खुदवाने के लिए सरपंच को रकम देने के अलावा कोई व्यवस्था नहीं की गई।

(4) गांव चुंडासरिया में कुए के लिए 6 माह की अवधि निर्धारित की गई थी इसके उपरान्त 6 माह की अवधि और बढ़ाई जा सकती है इस कार्य में केवल डेढ़ माह अधिक लगा इसलिए सरपंच के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई। गेनाणा के कुंए के लिए भी 6 माह की अवधि निर्धारित थी। काम निर्धारित समय में पूरा नहीं हुआ। नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जारही है।

पंचायत समिति हिन्डौली में डेरी स्थापना के लिये दी गई रकम

श्री केसरी सिंह हाड़ा (हिन्डोली): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पंचायत समिति हिन्डौली में कितनी रकम डेरी स्थापना के लिए किस किस को कब दी गई है ?

(2) जिनको उक्त प्रयोजन के लिए तकावी दी गई है, उन्होंने क्या गायें, जिस नस्ल की उस इलाके के पशुपालन अधिकारी द्वारा स्वीकृत की हुई है, खरीद ली है ?

(3) यह तकावी कितने सालों में अदा की जाने वाली है ?

(4) क्या इनकी किश्तें जमा होना शुरु हो गई है ?

उत्तर

(1) सूची सदन को मेज पर रख दी गई है।

(2) सूची में उल्लेख कर दिया गया है।

(श्री केसरीसिंह हाड़ा)

(3) 10 सालों में ।

(4) किश्तें अदा होने का उल्लेख भी सूची में कर दिया गया है ।

(कृपया परिशिष्ट 14 देखिये)

भूमि कटाव व सिल्ट डिपॉजिट के कारण पैदावार में गिरावट

325. श्री जुंझारसिंह (रामगंज मन्डी): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही कि 'नगड़ा' नाला से ग्राम देगाय व लाल हेड़ा तहसील सांगोद में भूमि कटाव व सिल्ट डिपॉजिट के कारण औसत पैदावार कम होती जा रही है व खेत बिगड़ गये हैं ? यदि हां, तो इस नाले के अनियन्त्रित बहाव से इन गांवों में कितनी भूमि खराब हो जाने का अनुमान है ?

(2) सरकार ने भूमि के कटाव को रोकने व बगड़ा नाला के बहाव के कुप्रभाव से गांवों को बचाने के लिए क्या प्रयत्न किये हैं ?

(3) क्या सरकार इस तहसील में बढ़ते हुए भूमि-कटाव को रोकने के लिये स्ट्रीम्स वाटर शेड्स का सर्वे करवा कर योजना बद्ध तरीके से गिरती हुई पैदावार को रोकने का प्रयत्न करेगी ?

उत्तर

(1) जी हां । औसत पैदावार कम हो गई है ।

1000-1200 एकड़ भूमि खराब हो जाने का अनुमान है ।

(2) करीब 350 एकड़ कैंचमेंट का चयन और सम्मोच रेखा बन्दी के साथ साथ 18 कोरवाल । (Core wall)का कार्य किया जा चुका है ।

(3) स्ट्रीम्स वाटर शेड्स का सर्वे शुरु हो गया है ।

(12. 18 म. प.)

(सदन से अनुपस्थि रहने की अनुमति

श्री अध्यक्ष: सभा की कार्यवाही प्रारम्भ होने से पूर्व मैं सदन को सूचित करता हूं कि श्री दुर्जन सिंह, विभाजन संख्या 51 ने दिनांक 6.7.67 से 18.7.67 तक विधान सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की आज्ञा की प्रार्थना की है । क्या सदन की यह अनुमति हैं कि उनको इसकी अनुमति प्रदान की जाय ।

(स्वीकृत)

अनुमति दी जाती है ।

सदन की मेज पर रखे जाने वाले प्रतिवेदन राजस्थान विद्युत् मण्डल का वार्षिक वित्तीय विवरण

श्री रामकिशन (वैर) : हमने तो यह समझा कि कोई अनाउन्समेन्ट हो रहा है ।

श्री भैरोंसिंह (किशन पोल, जयपुर) : एडजोर्नमेन्ट मोशन है मेरा ।

श्री मथुरादास माथुर (वित्त मन्त्री): मैं इण्डियन इलेक्ट्रिसिटी (सप्लाई) एक्ट 1948 की धारा 61 (3) के अन्तर्गत, राजस्थान राज्य विद्युत् मण्डल के वार्षिक वित्तीय विवरण (आय व्ययक) 1967–68 को सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री भैरोंसिंह: On a point of order, Sir!

जिस धारा के अन्तर्गत यह बजट प्रस्तुत किया जाता है उसके साथ राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल की ऑडिटेड एकाउन्टस् और ऑडिट रिपोर्ट भी सदन की मेज पर प्रस्तुत की जानी चाहिये। ऑडिट रिपोर्ट अगर प्रस्तुत नहीं की जाती है तो बजट में पिछले साल के एकाउन्ट में आय खर्च के बारे में जो जानकारी माननीय सदस्यों को होनी चाहिये वह नहीं हो पावेगी। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ऑडिट रिपोर्ट और ऑडिटेड एकाउन्टस् भी पेश किये जाने चाहिये।

श्री मथुरादास माथुर: माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे मालूम नहीं कि ऑडिट रिपोर्ट और ऑडिटेड एकाउन्ट्स तयार हैं या नहीं। तैयार होंगे तो पेश कर देंगे।

श्री भैरोंसिंह: गये साल की होंगी। इस साल की न सही।

श्री अध्यक्ष: Part of the report है वह रखी जावेगी सदन में।

श्री भैरोंसिंह: दो तीन दिन पहले रखी जावें तो ठीक रहेगा। देख सकेंगे। तैयारी कर सकेंगे।

श्री अध्यक्ष: उपयोग किये जाने के आधार पर ही रखा जाना उपयुक्त होगा, रखा जाना चाहिये।

कार्य सलाहकार समिति के छठे प्रतिवेदन का उपस्थापन।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवा महल, जयपुर): मैं कार्य सलाहकार समिति के छठे प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के छठे प्रतिवेदन से अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन से सहमति प्रकट की जावे।

(स्वीकृत)

सहमति प्रकट की गई।

स्थगन प्रस्तावों सम्बन्धी अध्यक्षीय निर्णय

श्री अध्यक्ष: स्थगन प्रस्ताव।

आयुर्वेद के वैद्यों को 55 वर्ष की आयु में सेवा मुक्त किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर श्री गिरधारी लाल व्यास ने स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। मैं इसको प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं देता, लेकिन चाहूंगा कि आयुर्वेद मन्त्री महोदय इस सम्बन्ध में 18 जुलाई को वक्तव्य देकर स्थिति का स्पष्टीकरण करें।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय इसी से सम्बन्धित एक बात और निवेदन कर दूं वैद्यों को तो आपने पचपन साल की आयु में रिटायर कर दिया है लेकिन डायरेक्टर महोदय को एक्स्टेन्शन दे दिया यह क्यों ?

श्री अध्यक्ष : वे भी वैद्यों में ही दाखिल हैं।

श्री भैरोंसिंह : उनको तो फायदा हो रहा है।

श्री अध्यक्ष : मेरे सामने जो स्थगन प्रस्ताव है उस पर मैंने यह व्यवस्था दी है यदि कोई सम्भावित दूसरा स्थगन प्रस्ताव हो तो आप दे दीजिये।

श्री गिरधारी लाल व्यास (आसीन्द): अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्धी वक्तव्य के लिये आपने जो 18 तारीख मुकर्रर की है वह बहुत दूर है इसके कारण वैद्य लोगों पर बहुत असर पड़ा है। बहुत से औषधालय बिना वैद्यों के खाली पड़े हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री कृष्ण कुमार गोयल एवं श्री भैरोंसिंह शेखावत ने सार्वजनिक निमाण विभाग व सिंचाई विभाग के वर्क चार्ज स्टाफ (चतुर्थ श्रेणी) के कर्मचारियों को 55 वर्ष की आयु में सेवा मुक्त करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

मैं इस प्रस्ताव पर भी अपनी अनुमति नहीं देता पर मैं चाहूंगा कि सदन की सूचनार्थ सिंचाई मन्त्री इस सम्बन्ध में वक्तव्य देकर स्थिति का स्पष्टीकरण करें।

श्री कृष्णकुमार गोयल : इसके लिये डेट फिक्स की जाय क्योंकि 3 जुलाई से उदयपुर के अन्दर चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी धरने पर बैठे हुए हैं ताकि वे सरकार को अपनी मांगें बता सकें। मैं समझता हूं जब चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की रिटायरमेंट आयु 60 साल की रखी है तो इसके खिलाफ उन कर्मचारियों को पहले कैसे रिटायर किया जा रहा है ?

श्री अध्यक्ष : इसके बारे में कल वक्तव्य दे दिया जायगा।

श्री गिरधारी लाल व्यास : मेरे एडजोर्नमेन्ट मोशन पर भी कल ही वक्तव्य दिला दिया जाय तो बहुत उत्तम होगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय की अनुपस्थिति में ही आप कहें तो दिला दूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने भी एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी उसमें एक इन्डस्ट्रियल कोर्ट के जजमेन्ट का हवाला दिया था। वह कोई एडमिनिस्ट्रेटिव मेटर नहीं बल्कि एक कोर्ट के जजमेन्ट के खिलाफ....

श्री अध्यक्ष : आपका स्थगन प्रस्ताव आज सुबह 11 बजे प्राप्त हुआ वह चूंकि इसी प्रश्न से सम्बन्धित है इसलिये इस स्थगन प्रस्ताव के साथ आपका भी नाम जोड़ दूंगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैंने एक लीगल आसपेक्ट को लेकर स्पष्टीकरण चाहा था वह भी इसी के साथ हो जाय।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाज़ार, जयपुर): अध्यक्ष महोदय, पचपन और अठावन वर्ष की आयु के सिलसिले में स्थगन प्रस्ताव श्री भैरोंसिंहजी, श्री कृष्ण कुमार जी एवं श्री रामानन्द जी ने देने की सूचना दी है। उस सम्बन्ध में निवेदन यह है कि यह बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है और पब्लिक इम्पॉर्टेन्स का सवाल है इसलिये इस सम्बन्ध में कम्प्रीहेन्सिव स्टेटमेन्ट दिया जाय। जब राज्य सरकार ने विधान सभा में पचपन वर्ष की आयु के बाद किसी को सर्विस में नहीं रखा जायगा इस प्रकार की घोषणा की थी उसका कम्पलायेन्स किस प्रकार हुआ उसके अन्तर्गत कितने राज्य कर्मचारियों को अवकाश दिया गया। उससे भी अधिक महत्व की बात यह है कि इस घोषणा के उपरान्त भी कौन से ऐसे लोग हैं जिनको पचपन साल की आयु हो जाने के बाद भी विभागों में रखा गया है। इस बारे में कई अल्पकाल सूचना प्रश्न भी दिये गये हैं इस लिये यह मसला बड़ा अहम है और सारा सदन इसमें दिलचस्पी रखता है। जो घोषणा की थी उसके अनुसार ट्रिब्यूनल्स, म्युनिसिपैलिटीज कॉर्पोरेशन्स आदि सब में जहां गवर्नमेंट द्वारा नियुक्तियां होती हैं उनमें पचपन साल से अधिक आयु वाले व्यक्ति नहीं रखे जायेंगे। ऐसा भी पता चला है कि जिनकी उम्र पचपन साल हो गई फिर भी उनको रिटायर नहीं किया गया है जैसे एक तो डायरेक्टर आफ आयुर्वेद का ही उदाहरण है। ऐसे गजेटेड अधिकारी कौन है?

श्री भैरोंसिंह: डायरेक्टर आफ आयुर्वेद ने तो अनुष्ठान किया था जब श्री मोहनलाल सुखाड़िया मुख्य मन्त्री पद से हटे थे। उस समय के अनुष्ठान का इनाम उनको मिल रहा है।

श्री अध्यक्ष: तान्त्रिक और वैद्यों का इतना प्रभाव है?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: तान्त्रिक हों, शिव हो, पन्डे हों चाहे कोई भी हो जिनको रखा है उसका कम्प्रीहेन्सिव स्टेटमेन्ट सदन के सामने आ जाय तो सदन को पता चल सके कि कितने आदमी रिटायर हुए हैं और उनमें से कितनों को वापिस रख लिया है? 55 साल की आयु के बाद भी जैसे सैकेन्ड्री एज्युकेशन बोर्ड के चेयरमैन हैं ऐसे और भी हो सकते हैं। इसलिये कम्पलीट स्टेटमेन्ट आ जाय।

श्री भैरोंसिंह: मैं इतना बता दूं भूतपूर्व वित्त मन्त्री महोदय को स्टेट रोडवेज कॉर्पोरेशन का चेयरमैन क्यों बना रहे हैं?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: उम्र में भले ही वे वृद्ध हों दिल से तो बहुत जवान हैं।

श्री अध्यक्ष: भ्रान्तियों पर और तथ्यों पर दे दिया जाता है। इस सम्बन्ध में सविस्तार उत्तर दे दिया जाय इस सम्बन्ध में अल्पकाल सूचना प्रश्न भी हैं और दूसरे रूप में भी प्रश्न पूछें गये हैं इसलिये मैं उन प्रश्नों को देखकर के माननीय मंत्री महोदय से बातचीत करूंगा लेकिन वे प्रश्न फिर पूछे नहीं जा सकेंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपकी व्यवस्था के अनुसार हम प्रश्न नहीं पूछेंगे। अगर हमें अपने अल्पकाल सूचना प्रश्न के बाद यदि तीन दिन में उत्तर मिल जाता तो इतनी सूचना मांगने की आवश्यकता ही नहीं रहती।

श्री गिरधारीलाल व्यास: अध्यक्ष महोदय, आपने जिस प्रकार से इस बारे में बताया उसमें एक बीच का उत्तर और माननीय मंत्री महोदय द्वारा दिलाने का आदेश प्रदान करें। मैंने अपने स्थगन प्रस्ताव को टेक्निकल बेसिस पर रखा है जब कि मेडिकल डिपार्टमेन्ट के डॉक्टरों को आपने रिटायरमेन्ट एज बढ़ादी और आपने आयुर्वेद के वैद्यों के लिये कम कर दी। इससे वैद्यों में और डॉक्टरों में आपने भेदभाव किया है यह बड़ा लोकमहत्व का प्रश्न है यह दूसरे प्रश्नों के साथ नहीं जुड़ता।

श्री भैरोंसिंह : बजट के समय मंत्री महोदय ने यह कहा था कि वैद्यों की कमी नहीं है जब कि डॉक्टरों की कमी है।

श्री गिरधारी लाल व्यास : हम बतायेंगे कि कितनी कमी है।

श्री मथुरादास माथुर (वित्त मंत्री): अध्यक्ष महोदय, पचपन साल पर कितने व्यक्ति रिटायर हुए हैं इसका आप तुरन्त उत्तर चाहते हैं। मैं इस संबन्ध में निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक गजटेड आफिसर्स का ताल्लुक है इस आदेश के अन्तर्गत 400 के करीब ऑफिसर्स रिटायर हुए हैं उनका स्टेटमेन्ट चाहा जाय तो वह तो सदन की मेज पर रखा जा सकता है दो तीन दिन में। लेकिन यदि म्युनिसिपल बोर्ड, पंचायत समितियां, कार्पोरेशन्स इन सब के कर्मचारियों के रिटायरमेन्ट का स्टेटमेंट मांगा जाय तो इनकी संख्या करीब 13 हजार होती हैं और एपॉइन्टिंग ऑथोरिटीज भी भिन्न-भिन्न हैं तो उनका स्टेटमेन्ट देने में समय लगेगा।

श्री अध्यक्ष : जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो विचार प्रगट किये है कि किसी डिपार्टमेन्ट में गजेटेड ऑफिसर्स को रखा जाता है और किसी से हटा दिया जाता है इस प्रकार का स्टेटमेन्ट तो आ सकता है.......

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप मंत्री महोदय को सविस्तार उत्तर देने के लिये कहें उसमें कई ऐसे प्रश्न है जिसका मैंने अपने स्थगन प्रस्ताव में रेफरेन्स दिया है, जैसे तमाम लोकल बॉडीज में म्युनिसिपल बोर्ड्स में यह लाजिमी तौर से कर दिया है 55 साल से ज्यादा के लोगों को रिटायर कर दिया है। अलवर म्युनिसिपैलिटी के बारे में मैं कह सकता हूं इन्डस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के सामने 55 से 58 साल का प्रश्न आया उसने इस बात को होल्ड किया था कि 64 से पहले के जिनके एपॉइन्टमेन्ट्स हैं उनको रिटायर नहीं कर सकते यदि किया जाता है तो उनको रिट्रेन्चमेन्ट का कम्पनसेशन देना पड़ा है। आप स्टेटमेन्ट दिलावें तो इस बात का भी ध्यान रखा जाय।

श्री अध्यक्ष : Order please !

गवर्नमेंट का उत्तर उन तमाम प्रश्नों को कवर करेगा । यह अभी उनके नोटिस में नहीं है । एडजोर्नमेंट मोशन के बाद ये रिप्लाइज करेंगे । अभी मैंने जो व्यवस्था दी है, स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में वह यह है कि दो सुझाव अभी माननीय सदस्यों ने दिए हैं । उन पर किस रूप में सविस्तार के साथ सरकार की ओर से उत्तर मिल सकता है । माननीय सदस्यों की मान्यता के आधार पर उस सम्बन्ध में मैं अभी कोई व्यवस्था न दे पाऊंगा । बातचीत के बाद निश्चित होगा कि इस प्रस्ताव के अन्तर्गत माननीय मन्त्री महोदय उत्तर दे सकते हैं तब उस अवस्था में इस सम्बन्ध में जो प्रश्न पूछे गये हैं उनको ड्रॉप करना पड़ेगा ।

श्री भैरोंसिंह : मेरा एक स्थगन प्रस्ताव है ।

श्री भैरोंसिंह : बहुत इम्पॉर्टेन्ट है और महत्वपूर्ण है-उसे इस दृष्टि से देखना चाहिये । आज दे सकते हैं । कल जवाब देने के लिए उनको कह दीजिये । राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों के सम्बन्ध में है । कल लोक सभा से भी इस पर बहस हुई थी ।

श्री अध्यक्ष : मैं इस पर आज विचार कर सकूंगा ।

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, लेवी के सिलसिले में एडजोर्नमेंट मोशन है जिसके लिए आपने कल व्यवस्था दी थी । कोई तारीख निर्धारित कर दें तो ज्यादा अच्छा होगा । कल आपने इस सम्बन्ध में व्यवस्था दी थी ।

श्री अध्यक्ष : हरएक प्रश्न पर मेरी मेमोरी को टेस्ट कर ली जाती है । वह भी सरप्राईज के साथ । 14 तारीख को रख दिया है । 5 तारीख को काल अटेन्शन नोटिस दिया गया था । मैं मौन रहूंगा । जहां तक मेरी मेमोरी का प्रश्न है । एक सेकन्ड भी आप चेम्बर में मुझ से मिलकर बात कर सकते थे । वह भी किसी तारीख को रख दिया गया है ।

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय,...............

श्री रामकिशन : मेरा काल अटेन्शन है ।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष : ध्यान आकर्षण प्रस्ताव प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 131 के अन्तर्गत श्री रामकिशन सदस्य ।

विधान सभा, भरतपुर जिले को कोटा के बजाय जयपुर राजस्व अपील अधिकारी के क्षेत्र में शामिल करने की ओर राजस्व मन्त्री का ध्यान आकर्षित करेंगे ।

श्री रामकिशन (वैर) : यह प्रश्न बहुत लम्बे समय से विचाराधीन है । इस प्रकार से साफ है कि भरतपुर जिले में जो राजस्व के मामले होते हैं, उनकी अपील के लिये कोटा को एक क्षेत्र बना रखा है और

(श्री रामकिशन)

कोटा से भरतपुर आने जाने में जितनी तकलीफ होती है, क्योंकि वहां बसों का साधन नहीं है। केवल दिन में दो बार रेल आती है। कम से कम 300-350 मील दूर पड़ता हैं। यहां कई केसेज पेन्डिग है। जब सरकार यह मानती है कि न्याय सस्ता तथा सुलभ हो। उस दृष्टि से हम देखते हैं कि भरतपुर के लागों को पैसे भी ज्यादा खर्च करने पड़ते हैं और समय भी ज्यादा बरबाद होता है। जयपुर और भरतपुर में कोई ज्यादा डिस्टेन्स नहीं है। भरतपुर से जयपुर आकर भी अपने मामले की पैरवी कर सकता है। जयपुर एक बड़ा शहर होने के साथ साथ राजस्थान की राजधानी भी है। जो लोग मुकदमें में आयें वे दूसरे काम भी कर सकते हैं कई राज्यों में सरकारें चलते–फिरते अदालतों की व्यवस्था कर रही है। जहां उलटा हो रहा है। जहां भरतपुर में सबसे ज्यादा केसेज हैं, वहां इतनी व्यवस्था अवश्य कर दी जाय। वे लोग इलाहाबाद में जाते हैं, दूसरी जगहों पर जाते हैं। पहले तो भरतपुर में अदालत थी। राजस्व के मामले होते हैं ये मामले जमीन वगैरह के ज्यादा हैं। अगर यह भी सरकार सम्भव नहीं समझे तो सरकार को इस पर विचार करना चाहिये कि जयपुर और भरतपुर के बीच सम्बन्ध रखें–कोटा से नहीं। कोटा जाने में तीन दिन का समय लगता है और डेढ़ा खर्च पड़ता है। राजस्य मन्त्री से खास तौर से निवेदन करूंगा और उन्हें भूतपूर्व वकील होने के नाते भी। आप इस कन्सीडरेशन के बजाय इस मामले को दबाये नहीं बल्कि न्याय की दृष्टि से न्याय सस्ता व सुलभ मिले। इस मामले को सरकार अवश्य करें। धौलपुर के बारे में अध्यक्ष महोदय, भरतपुर में आगरा से लोग आते हैं। कोई बस की व्यवस्था नहीं है। राज खेड़ा से दो दिन का समय खराब हो जाता है उसे पहले भरतपुर आना पड़ता है। धौलपुर के लिये कोटा जाने का मतलब समय और पैसे की बरबादी है। उनके लिए कोटा कष्टदायक है। इसलिये सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि वहां प्रति व्यक्ति आमदनी बहुत कम है। गरीब आदमियों के लिये यह बहुत कष्ट दायक है। गरीब आदमी इसलिये निराश होकर बैठ जाता है कि उसके पास पैसे ही नहीं है। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इस पर पूरा विचार करें।

श्री कृष्ण कुमार गोयल: जहां तक प्रश्न का सम्बन्ध है मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक आपने यह बताया है कि भरतपुर क्षेत्र के लोगों को कोटा की अपेक्षा जयपुर में ज्यादा सहूलियत हो सकती है। मैं समझता हूं कि जहां तक दिक्कत का प्रश्न है वह इतना अधिक नहीं है। भरतपुर से कोटा आने के अ लिये दो गाडियां आती हैं इसलिये कोई दिक्कत नहीं आती है। दिन में आकर अपनी पेशी करके लौट सकते हैं।

श्री रामकिशन: अध्यक्ष महोदय, यह झगड़ा कहीं राजनैतिक दल से तो सम्बन्ध नहीं रखता है। हो सकता है कि वकीलों को यह दिक्कत महसूस होती है। लेकिन जिनके माध्यम से और जो पैरवी करने के लिये

(श्री रामकिशन)

जाते हैं उनको इस दृष्टि से कोई दूसरा फायदा नहीं है।

राजस्थान की राजधानी के नाते उसको महत्व मिला है। मैं सोचता हूं कि जो रेवेन्यू के केसेज कोटा में है और जो भरतपुर में लगते हैं वे वहीं रहने चाहिये। इससे उनकी कोई इम्पोर्टेन्स खतम न हो।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कोटा की इम्पोर्टेन्स खत्म न हो जाय। हम दो बात कहते हैं एक तो वह कि भरतपुर की तकलीफ कम की जाय और दूसरे उसके साथ भरतपुर में राजस्व अपील व्यवस्था की जाय।

श्री अध्यक्ष : यह नान सीरियस बात है।

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय, यह नान सीरियस नहीं है बहुत सीरियस है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य इसमें ज्यादा उलझन नहीं है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा (राजस्व मंत्री) : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जयपुर में केसेज संख्या बहुत अधिक है और इस कारण से उदयपुर की रेवेन्यू अपीलेट ऑथोरिटी को 10 दिन पेन्डिंग केसेज को डिसाईड करने में लग जाते है। और अधिक बढ़ाना तो मुमकिन नहीं हैं। रहा सवाल यह कि भरतपुर के केसेज जो कि कोटा की अपीलेट अाथोरिटी के पास हैं जैसा मैंने मालूम किया है कि 1052 केसेज हैं जिसमें भरतपुर के 360 केसेज है। सुविधा या असुविधा का जहां तक ताल्लुक है कोई असुविधा होती नहीं है। दूसरी असुविधा यह हो जाय कि जो 360 केसेज में लायर्स एन्गेज कर रखे हैं कोटा से वापिस भरतपुर में आना पड़ेगा और या दूसरे वकीलों को एन्गेज करना होगा उनको भुगतान करना पड़ेगा। मेरी ओर से जहां तक इनका सम्बन्ध है मैं यह कह सकता हूं कि मुझे इस बारे में कोई आपत्ति नहीं होगी कि केसेज के मुताबिक जो जनता की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए भरतपुर में रेवेन्यू अपीलेट ऑथोरिटी 5–7 केसेज डिसपोज आफ कर दें लेकिन उसमें यह विचार करना कि कितने लोगों को सुविधा होगी और कितने लोगों को असुविधा होगी इसलिये मैं फाईनली आज कुछ नहीं कह सकता लेकिन भरतपुर से बाहर से आने वालों को और कोटा वापिस जाने में डबल खर्चा देना पड़ेगा इस विषय पर निर्णय लिया जा सकेगा और राजस्व मण्डल से भी इस बारे में रिपोर्ट जबानी तौर पर मांगी गई है। राजस्व मण्डल की राय क्या है इस बारे मे उनकी राय आने पर निर्णय कर सकेंगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अभी जिस प्रकार की टेक्टिक्स है जयपुर में अपीलेट कोर्ट है, दूसरे जिलों के केसेज सुनने के लिये जाती हैं, जैसे अलवर में जाती हैं। रेवेन्यू बोर्ड ने दूसरी अपीलेट ओथोरिटीज् के लिये फेसिलिटी दी हुई हैं तो भरतपुर वालों को क्या दिक्कत है ?

श्री नत्थी सिंह : कोटा के वकील तो कम हैं। ज्यादातर भरतपुर से ही आते हैं इसलिये भरतपुर को भेज दीजिये।

(12. 41 म. प)

विधायी कार्य

राजस्थान करारोपण विधियां (संशोधन) विधेयक 1967 पर अग्रेतर वाद विवाद

श्री अध्यक्ष : श्री देविदत्त गाड़िया।

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्तमंत्री जी ने........

श्री गिरधारीलाल व्यास : उनको मौका दीजिये।

श्री देवीदत्त गाड़िया : जो विधेयक रखा है उसके सम्बन्ध में मैं माननीय वित्त मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं और मुझे तो विश्वास है कि राजस्थान के वित्त मंत्री जी ने जिस समम इस सदन में बजट रखा था और उस बजट....

(12.41 म.प)

(श्री पूनम चन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री नत्थीसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है। यह बोलने का प्रश्न जिस हिसाब से रखा था उस हिसाब से है या दूसरा ले लिया है। रामानन्दजी और उसके बाद मेरा नम्बर आता है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय रामानन्द जी का नाम उस दिन पुकारा गया था उस दिन उपस्थित नहीं थे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने सूचना दी थी कि लायब्रेरी कमेटी मे व्यस्त रहने के कारण मैं उस दिन नहीं बोलूंगा और 11 को बोलूंगा।

श्री देवीदत्त गाडिया : मुझे तो यह विश्वास था कि जिस समय वित्त मंत्री जी ने बजट रखा था और बजट रखते हुए यह दम भरा था कि बजट बड़ा प्रगतिशील है और उसके बाद आज इस प्रकार से राजस्थान की जनता पर सशोधन विधेयक के द्वारा और 50 लाख के नये कर लाये जा रहे हैं यदि उनको नहीं लाते और उस स्थान पर यदि राजस्थान के वित्त मंत्रीजी इस बात पर ध्यान देते कि राजस्थान के अन्दर किस स्थान पर सरकार के अन्दर किस स्थान पर सरकार के धन का दुरुपयोग हो रहा है और उसको किस प्रकार से रोका जा सकता है। यदि माननीय वित्त मंत्रीजी इस ओर जानकारी लेते कि इस सरकार की सम्पति जो लाखों रुपयों की है और कुछ हजारों में लुटायी जा रही है उसको किस प्रकार से रोका जाय तो मैं समझता था और समझ सकता हूं कि राजस्थान के वित्त मंत्री जी बड़े प्रगतिशील हैं और राजस्थान की जनता पर वे टैक्स लादना नहीं चाहते। लेकिन, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की शब्दावलियों से राजस्थान की 2।। करोड़

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

जनता को विश्वास नहीं हो सकता कि राजस्थान की जनता पर वर्तमान सरकार टैक्स नहीं लादना चाहती है और राजस्थान का विकास करना चाहती है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि सन् 1960 के मार्च के अन्दर अन्ता पंचायत समिति के 60 हजार रुपयों को कोटा ट्रेजरी ने अन्ता पंचायत समिति के अकाउन्ट्स से काटे। मुझे ताज्जुब इस बात का है कि उस ट्रेजरी के दफ्तर ने जहां उस जिले का हिसाब किताब का लेखा जोखा रहता है उस विभाग के अधिकारी ने मार्च सन् 1960 के अन्दर अन्ता पंचायत समिति के ए. जी. के आदेश के नाम से 60 हजार रुपये काटे जब कि ए. जी. का आदेश नहीं था। ए. जी. का आदेश नहीं था उसके उपरान्त भी धांधली करके 60 हजार रुपये काटे और काटने के बाद दूसरी मद में जमा कर लेते तो समझ में आ सकता था कि 60 हजार रुपया दूसरी मद में सरकारी बैंक में जमा है। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, कोटा ट्रेजरी ने 60 हजार रुपये काट तो लिये लेकिन सन् 1967 तक वह 60 हजार रुपया किस मद में जमा हुआ, वह कहां गया इसका कोई पता नहीं, कोई हिसाब नहीं है। इस प्रकार से कोटा की ट्रेजरी में 60 हजार रुपयों का गोलमाल सन् 60 से ही चला आ रहा है और वित्त विभाग सोता रहा। तो माननीय वित्त मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस ओर ध्यान दें और इस प्रकार से सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा है उस पर रोक लगायें। इतना ही नहीं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अन्ता पंचायत समिति के विकास अधिकारी ने इस सम्बन्ध में राजस्थान सरकार को पत्र लिखा लेकिन आज तक उसका कोई उत्तर नहीं मिल पा रहा है।

इसके साथ साथ मेरे दल के माननीय नेता ने आज के दो चार दिन पूर्व इस करारोपण विषय को लेकर शिमला के अन्दर राजस्थान सरकार की 20 लाख की प्रोपर्टी थी उसको किस प्रकार से 20 हजार रुपयों के अन्दर बेच दिया, इस पर प्रकाश डाला। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं इस ओर कि शिमला के विजिलेन्स डिपार्टमेन्ट की ओर से राजस्थान के विजिलेन्स डिपार्टमेन्ट को पत्र लिखा और वह पत्र लिखा जून 1967 में उस पत्र में उन्होंने यह लिखा :

"I am directed to forward herewith in original letter dated nil from the Secretary, Dharam Raksha Sabha, Simla, for such action as is deemed proper, as the property in question, in which deal some foul play is suspected, belonged to the Government of Rajasthan."

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं शिमला को जो 20 लाख की प्रोपर्टी थी राजस्थान सरकार की उसके सम्बन्ध में शिमला

(श्री देवीदत्त गोड़िया)

की धर्म रक्षा सभा है जो एक रजिस्टर्ड बॉडी है, उसके सेक्रेटरी ने राजस्थान के मुख्य मंत्री को एक पत्र लिखा 11 मई 1967 को। उस पत्र के माध्यम से उन्होंने राजस्थान के मुख्य मंत्री का ध्यान आकर्षित किया कि इस प्रकार से राजस्थान के एक बड़े अधिकारी ने इस प्रकार से राजस्थान की सम्पति को जो धौलपुर रियासत के जमाने की थी, उस प्रोपर्टी में एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है और उसमें 20 कर्मचारियों के क्वार्टर्स हैं और वह 70 हजार स्क्वायर याड्र्स में है और उसमें बहुत बहुमूल्य देवदार के पेड़ हैं। उसके सम्बन्ध में पत्र लिखा जो इस प्रकार है :

"I have been desired by the Dharam Raksha Sabha, Simla (Regd.) to bring the following facts to your kind notice and to seek your kind help to remove the genuine public grievance.

A sale deed was executed on 5. 7. 65. between the Government of Rajasthan and Shahi Hakim Pt. Gian Chand of Simla, by which the houses known as Dholpur House(Highland and Brest) and other properties attached to it, at Jakhoo Hill, Simla, was sold to Shahi Hakim at Rs. 20,000. Had the above property been to public auction, it would have fetched more than Rs. 2 lakhs. The above property contains (1) a big furnished house, (2) 20 servants quarters, (3 a spacious tennis court, (4) valuable heavy copper and brass utensils, and (5) about 70000 square yards of rich forest land which contains a large number of big deodar trees"

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके अन्दर यह घोटाले किस प्रकार से हुए और जिस प्रकार से इसकी सेलडीड लिखी गयी वह मेरे पास है सेल डीड की नकल— माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान की सरकार ने 20 लाख की प्रापर्टी को इस प्रकार से सेलडीड लिखने का अधिकार एक व्यक्ति को दिया और वह व्यक्ति है श्री रामोतार खण्डेलवाल और सम्पत्ति अधिकारी राजस्थान सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर। उसको इस सेलडीड को लिखने का अधिकार दिया और उसने इस प्रकार के व्यक्ति को जिसका नाम श्री ज्ञानचंद है और जो शिमला का माना हुआ 420 व्यक्ति है उसको राजस्थान की सरकार को यह कहकर इस सम्पति का अधिकार देना चाहा था........

श्री उपाध्यक्ष : Order please ! बिना पूर्व सूचना के किसी व्यक्ति के ऊपर इस प्रकार के आक्षेप नहीं लगाये जायें।

श्री देवीदत्त गाड़िया : आक्षेप नहीं लगा रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : बिलकुल आरोप है। आपने पूर्व सूचना नहीं दी है इसलिए मंत्री महोदय जवाब नहीं दे सकते और जिनके लिए यह कहा जाता है उसकी बदनामी भी जनता में हो जाती है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : यह सेलडीड लिखी गयी उसमें माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पूरा विवरण है। इतना ही नहीं उस सेल डीड के अन्दर राजस्थान की सरकार ने जिस व्यक्ति को बेचा है 20 हजार के अन्दर वह तो बहुत ही रहस्यपूर्ण ढंग से है–इसमें सन्देह नहीं है। लेकिन इसके साथ ही साथ सेलडीड के अन्दर राजस्थान की सरकार ने इस चीज को भी स्वीकार किया है कि जिस समय यह प्रॉपर्टी बेची गयी उसके पहले तक राजस्थान सरकार को जो व्यक्ति उसमें किराये से रहते थे और जो किराये की आमदनी होने वाली थी और अन्य और दूसरी आमदनी थी, लेनदारी थी उसको भी उस व्यक्ति को लेने का अधिकार दे दिया और इस प्रकार से 20 लाख की प्रापर्टी को 20 हजार में बेच दिया। इसके साथ ही साथ राजस्थान सरकार को जो किराये की आमदनी थी, अन्य प्रकार की आय थी उसको भी उस व्यक्ति को दे दिया यह बहुत ही रहस्यपूर्ण बात है और माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस समय यह सेलडीड लिखी गयी उस समय उन्होंने यह आश्वासन दिया था कि इस स्थान के ऊपर नेहरू स्मारक बनाया जायेगा लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और इसके साथ ही साथ माननीय मुख्य मंत्री महोदय को जो पत्र लिखा गया था उसमें भी लिखा है इस प्रापर्टी को जिस समय खरीदा गया था इस व्यक्ति ने यह आश्वासन दिया था कि यह प्रॉपर्टी सार्वजनिक रहेगी। लेकिन माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उस व्यक्ति ने राजस्थान की सरकार को चमका दिया। मैं तो चमका नहीं मानता हूं उस व्यक्ति ने राजस्थान के जिम्मेदार अधिकारियों से और राजस्थान के मंत्री महोदय से मिलकर घोटाला किया है और मैं आपके सामने उपाध्यक्ष महोदय, एक निवेदन और करना चाहता हूं कि उस व्यक्ति ने कुछ दिनों पहले 70 हजार रुपये के देवदार के पेड़ बेचे हैं काटकर और प्रॉपर्टी वैसी की वैसी ही पड़ी है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उस व्यक्ति ने शिमला की गवर्नमेन्ट को भी धोखा दिया था और एक मन्दिर........

श्री उपाध्यक्ष : आप इसमें विषयान्तर हो रहे हैं। शिमला सरकार को धोखा दिया उसके बारे में यहां चर्चा नहीं हो सकती।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि वह व्यक्ति किस प्रकार का 420 है....

श्री उपाध्यक्ष : उस व्यक्ति के बारे में आप न तो 420 कह सकते हैं, अगर उसके बारे में कोई डिसकशन उठाना चाहते हैं तो यहां पर पूर्व सूचना दिये बिना नहीं उठा सकते। आप पूर्व सूचना दे दीजिए ताकि मालूम हो जाये कि वह 420 है या 21 है या 30 या 50 है। पूर्व सूचना से दोनों पक्ष का जवाब होकर सारी बातें सामने आ सकें।

श्री देवीदत्त गाडिया : तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वहां की जनता ने अदालत में उस व्यक्ति से उस मन्दिर को वापिस....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य उसका जिक्र न करें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : माननीय उपाध्यक्ष जी, इस संबंध में इतना निवेदन करना चाहता हूं कि जिस समय यह मामला टैक्सेशन लॉज पर मैंने अपने विचार प्रकट किये थे तारीख 7 को उस दिन मैंने सारे मामले को सदन में उठाया था और उसकी सेलडीड की नकल मेरे पास थी वह मैंने मंत्री महोदय को उसी दिन दे दी थी और वह इसकी जानकारी कर रहे हैं और सदन को भी तब सन्तोष दिया था कि इसमें बहुत गड़बड़ी का अन्देशा है। इस सारे मामले की जानकारी प्राप्त करके सूचित कर दिया जाये और जो एडीशनल फैक्ट्स माननीय सदस्य की जानकारी में आये हैं वह सदन में रख रहे हैं। चार सौ बीसी सरकार के साथ में कैसी हुई है उसके लिए माननीय सदस्य कह रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आसन ने एतराज उन्हीं शब्दों के ऊपर किया है। पूरे उसमें तथ्य कहे जायें, पूरी तरह उस पर विचार विमर्श हो, सब जानकारी दी जाये इसके लिए मैंने कभी मना नहीं किया।

श्री देवीदत्त गाड़िया : तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रकार से आपके माध्यम से माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि राजस्थान के निर्धन किसानों के ऊपर जो 30 एकड़ भूमि के ऊपर सरचार्ज लगाया है और उसके कारण से वह सरचार्ज उतना ही और है जितना कि लगान है। इस प्रकार से राजस्थान के किसानों के ऊपर सेन्ट पर–सेन्ट टैक्स लगाया गया है, इस प्रकार से राजस्थान के निर्धन किसानों के ऊपर यह सरचार्ज लगाया इससे राजस्थान की सरकार ने यह सिद्ध कर दिया है कि यह सरकार जो राजस्थान के अन्दर एक प्रकार का नारा लगाती है 'अधिक अन्न उपजाओ' और इस आंदोलन का नारा लगाती है यह एक धोखा है। यदि वास्तव में सरकार यह आन्दोलन राजस्थान में सफल बनाना चाहती है और राजस्थान के अन्दर अधिक अन्न उपजाना चाहती है तो सरकार को किसानों को राहत देनी होगी और इस प्रकार से यदि आपने भूमि पर सरचार्ज लगाया तो राजस्थान के किसानों का लगाव भूमि पर नहीं रहेगा। और उनका यदि भूमि के साथ लगाव नहीं रहेगा तो मैं माननीय वित्तमंत्री जी आपसे निवेदन कर देना चाहता हूं कि वह किसान जो सरचार्ज देता है वह किसान आज जो अधिक से अधिक टैक्स देता है वह किसान राजस्थान की भूमि पर वही चीज पैदा करेगा जिससे उसे आमदनी होगी। अन्न उत्पन्न करने के स्थान पर वह कॉमर्शियल कमोडिटीज पैदा करेगा जिससे कि किसान को अधिक आय होगी। वह किसान धनिया पैदा करेगा, जीरा और मिर्च पैदा करेगा–लेकिन किसान का ध्यान अनाज की ओर नहीं जायेगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

वित्त मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आज अनाज के ऊपर जो सैल्स टैक्स है उसके कारण से भी किसान अनाज पैदा करने की ओर से दूर भागता जा रहा है। इसकी जिम्मेदारी राजस्थान की है कि आज राजस्थान में अनाज क्यों कम पैदा हो रहा है। इसका एकमात्र कारण है कि सरकार जो गल्ले के ऊपर सैल्स टैक्स लगाती है उसके कारण से किसान अन्न के उत्पादन की ओर से हटता जा रहा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं वित्त मन्त्री महोदय का ध्यान उत्तर प्रदेश सरकार की ओर ले जाना चाहता हूं। जिस समय राजस्थान के वित्त मन्त्री महोदय ने बजट रखा था और बजट का जिस समय उन्होंने उत्तर दिया था तब उन्होंने कई विभिन्न प्रांतों का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश को छोड़कर राजस्थान में सैल्स टैक्स कम है। मैं माननीय वित्त मन्त्री जी, आपका ध्यान उत्तर प्रदेश सरकार की ओर ले जाना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने नये बजट के अन्दर कोई नया सैल्स टैक्स नहीं लगाया है। और इसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सरकार ने यह भी घोषणा की है और यह भी निर्णय किया है कि प्रथम बिन्दू के ऊपर टैक्स लगाया जाय और इसके ऊपर सैल्स टैक्स लगाने के लिए उन्होंने जांच कमीशन नियुक्त किये जाने की भी घोषणा की है। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रथम बिन्दू पर टैक्स लगाने की घोषणा की और जांच कमीशन बैठाने की घोषणा की है वैसे ही मैं माननीय वित्त मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप भी राजस्थान के अन्दर एक आदर्श उपस्थित करें तो प्रथम बिन्दू पर ही सैल्स टैक्स लगाया जाये और ऐसे ही आप भी एक कमीशन बैठाने की घोषणा करें और प्रथम बिन्दू पर टैक्स लगेगा तो यह निश्चित है कि राजस्थान में जो लाखों रुपयों का सेल्स टैक्स वसूल नहीं हो रहा है उसमें राजस्थान की सरकार को बहुत राहत मिलेगी। इसके साथ ही साथ जो भयंकर भ्रष्टाचार है उसमें भी रोक लगेगी। आज जो घोटाले हो रहे हैं उसमें भी रोक लगेगी और साथ ही साथ राजस्थान के व्यापारियों को और अन्य व्यक्तियों को रोजगार और धंधा मिलने में सुविधा मिलेगी और कलेक्शन करने में भी जो सरकार का बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा है उसमें भी सरकार को बहुत ज्यादा राहत मिलेगी। और मुझे विश्वास है कि सरकार इस ओर ध्यान देगी। माननीय वित्त मन्त्रीजी, आज मैं आपका ध्यान उस ओर लेजाना चाहता हूं जिससे राजस्थान की आय बढ़ सकती है और राजस्थान सरकार को राजस्थान की निर्धन जनता पर किसी भी प्रकार का कोई भी टेक्स लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। जिस समय राजस्थान के अन्दर राजस्थान की जितनी भी रियासतें थीं, इसमें मर्ज हुई थीं मर्ज होने के पहले और अलग अलग रियासतों ने अपने 2 क्षेत्रों के अन्दर कई व्यक्तियों को, बड़े 2 उद्योगों के लिए या किसी भी प्रकार के उद्योगों की स्थापना करने के लिए या सिनेमा चालू करने के लिए उन्होंने सरकारी जमीनों को

Page No.93

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

लीज पर दी थी । माननीय वित्त मन्त्रीजी, जिस रियासत ने अपने क्षेत्र के बड़े 2 उद्योगपतियों को या अन्य व्यक्तियों को जो जमीन लीज पर दी थीं और जिन रियासतों के अन्दर लीज का एरिया होता था, मेरी जानकारी के अनुसार आज अनेक रियासतों के अन्दर जिन व्यक्तियों को जमीनें लीज पर दी थीं और आर्थिक रूपसे और व्यावसायिक रूप से जो पैसा जमा कराते थे उन्होंने वह पैसा सरकारी खज़ाने में जमा कराना बद कर दिया है । इस लिए माननीय वित्त मन्त्रीजी, मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि आप इस लीज की जांच करवा कर देखें कि किस किस रियासत ने किस किस व्यक्ति को जमीन लीज पर दी थी और आज कितने वर्षों से वे लोग सरकारी खजाने के अन्दर वह रेवेन्यू का पैसा जो कि लीज पर आज तक उनको जमा कराना चाहिए था वह पैसा जमा नहीं करा रहे हैं और मुझे विश्वास है कि यदि आपने तत्परता के साथ इसकी जांच करवाई तो राजस्थान सरकार को कम से कम पांच लाख जो कि बीस साल के पीरियड के अन्दर जो उन्होंने पैसा देना बन्द किया है, वह पैसा सरकारी खजाने में जमा होगा । इतना ही नहीं, जो 99 साल की लीज पर जमीन दी थी उस पर इन लोगों ने नाजायज ढंग से कंस्ट्रक्शन करने शुरू कर दिए हैं, इनको सैल करना शुरू कर दिया है, इन जमीनों को बेचा है और इन जमीनों को उन्होंने अपनी प्रोपर्टी समझ लिया है और प्रोपर्टी समझ कर बेच दिया है और जिस कार्य के लिए जमीन दी थी उसको छोड़कर दूसरे 2 तरीकों से उसका किराया कमा रहे हैं । माननीय वित्त मन्त्रीजी आप इस ओर ध्यान दीजिए । इसी प्रकार के अनेक अनेक मामले हैं । यदि आप उनकी जांच करवायेंगे उस ओर ध्यान देंगे तो राजस्थान सरकार को राजस्थान की गरीब जनता पर नए 2 टैक्स और संशोधनों के द्वारा नए टैक्स लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वित्त मन्त्री महोदय का ध्यान उस पोश्त के डोडे की ओर दिलाना चाहता हूं । आपने पहले 6 परसेन्ट टैक्स इस पर लगाया था । छः नया पैसा प्रति किलो पर टैक्स लगाया था अब उस पर ड्यूटी को बढ़ा कर, छः परसेंट को बढ़ा कर 15 नये पैसे पर किलो कर दिया है ।

माननीय वित्त मन्त्रीजी, आपका ध्यान इस ओर आकर्षित इसलिए भी करना चाहता हूं कि यह पोश्त का डोडा जिसके ऊपर आपने छः नये पैसे प्रति किलो पहले ड्यूटी लगाई थी और अब जिसे 15 पैसे पर किलो लगाया है इस राजस्थान के अन्दर तो इसका व्यापार पर बहुत बड़ा धक्का लगा है । इसका कारण यह है कि मध्यप्रदेश के अन्दर पोस्त के डोडे पर छः नये पैसे प्रति किलो ड्यूटी है । उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पर कोई ड्यूटी नहीं लगा रखी है । इस कारण से राजस्थान से बाहर जो पोश्त का डोडा जाता था वह जाना बन्द हो गया है क्योंकि कम्पीटीशन

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

के अन्दर बाहर के व्यापारियों को जहां से चीज सस्ती मिलती है वहीं से खरीद कर ले जाते हैं। यह छः नये पैसे ड्यूटी लगाने से राज्य सरकार को प्रति वर्ष 50 हजार से ऊपर की आय होती थी और आज यह 15 नए पैसे पर किलो ड्यूटी लगाने से यह जो आपको पचास हजार की आय होने वाली थी वह भी नहीं होगी। और इस प्रकार बहुत बड़ा स्टाक यहां पर इसका पड़ा हुआ है लेकिन वह बाहर नहीं जाने पा रहा है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वास्तव में यह जो पचास साठ हजार की आमदनी आप इससे करना चाहते हैं तो 15 पैसे पर किलो की बजाय आप छः नये पैसे रखिये जिससे कम्पीटिशन के अन्दर मध्यप्रदेश के मुकाबले में हम आगे बढ़ सकें। राजस्थान के व्यापारी आगे बढ़ेंगे तो आपको भी सेल्स टैक्स की आय होगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मन्त्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आप यदि वास्तव के अन्दर राजस्थान की आमदनी बढ़ाना चाहते हैं। यदि वास्तव में आप पूंजीवाद को रोकना चाहते हैं, यदि वास्तव में आप यहां के किसानों को राहत देना चाहते हैं तो आज आपने रालस्थान के अन्दर बड़े 2 उद्योगों को, डी सी. एम. नायलोन फैक्ट्री, बाल बियरिंग फैक्ट्री और सवाई माधोपुर की सीमेंट फैक्ट्री को जो आज राजस्थान सरकार तीन नये पैसे पर युनिट के हिसाब से बिजली देती है और दूसरी ओर राजस्थान के गरीब किसानों को अन्न उत्पादन के नाम पर जो 18 नये पैसे पर यूनिट के हिसाब से आप बिजली देते हैं तो इस पर विचार करें।

श्री उपाध्यक्ष : इस विधेयक पर काफी संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत हुए हैं इसलिए आवश्यक हो गया है कि समय जो बोलने का दिया जाय वह 10 मिनिट से अधिक नहीं होगा किसी माननीय सदस्य के लिए।

श्री देवीदत्त गाड़िया : तो उपाध्यक्ष महोदय........

श्री उपाध्यक्ष । माननीय सदस्य गाड़िया, आप दो मिनिट के अन्दर अपना भाषण समाप्त कर दें।

श्री देवीदत्त गाड़िया : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके आदेशों का पालन करते हुए मेरा भाषण दो ही मिनिट के अन्दर समाप्त करने वाला हूं।

मैं अन्त में माननीय वित्त मन्त्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि आज राजस्थान के जिन बड़े 2 उद्योगों को राजस्थान की सरकार तीन नये पैसे पर युनिट बिजली देती है उस पर पुनः गम्भीरता पूर्वक विचार करे और किसानों को अन्न उत्पादन के नाम पर जो आज 18 नये पैसे पर यूनिट बिजली देते हैं उस पर विचार करें। किसानों को सस्ती बिजली दें। जिन उद्योगों को तीन नये पैसे पर यूनिट बिजली देते हैं उसकी बजाय यदि आपने किसानों को सस्ती बिजली दी और इसके साथ आपने

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

यह शर्त लगा दी कि जो किसान गल्ला पैदा करेगा उसको तीन पैसे पर यूनिट बिजली दी जायेगी तो राजस्थान का किसान गल्ला पैदा करने की ओर दौड़ेगा। इससे अनाज की समस्या हल होगी, किसानों को राहत मिलेगी। गरीबों की उन्नति होगी और जिन उद्योगपतियों को आप तीन नये पैसे पर यूनिट में बिजली दे रहे हैं जो प्रतिवर्ष लाखों रुपयों की आमदनी करते है, जो उद्योगपति प्रति वर्ष लाखों रुपयों का ब्लैक करते हैं, उन उद्योगपतियों को तो आप राहत देना चाहते हैं और इन गरीबों को राहत नहीं दे रहे हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप तीन नये पैसे पर यूनिट जो बड़े 2 उद्योगों को बिजली देते हैं, डी. सी. एम., नायलन फैक्ट्री, सवाई माधोपुर की सीमेंट फैक्ट्री और बिड़ला की बाल बियरिंग फैक्ट्री इस प्रकार के जितने बड़े 2 उद्योग हैं उनके ऊपर तीन नये पैसे की बजाय अधिक टैक्स लगाइए, अधिक दर पर बिजली दीजिए और जो किसानों को 18 नये पैसे पर यूनिट पर बिजली देते हैं उनको तो इसमें आपके लिए कोई अतिशयोक्ति भी नहीं है। क्योंकि इस प्रकार से समाजवादी समाज की रचना का ढोंग रचने वाली सरकार प्रत्यक्ष रूप में जो पूंजीपतियों को प्रोत्साहन देना चाहती है तो इससे गरीबों का उत्थान नहीं होगा। इससे राजस्थान की सरकार प्रगतिशील भक्त सरकार नहीं कही जा सकती।

मुझे विश्वास है कि मैंने जो सुझाव आपके सामने रखे हैं और जिस प्रकार मैंने आपका ध्यान आकर्षित किया है आप उस ओर ध्यान देंगे। माननीय वित्त मन्त्रीजी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो मैंने इस राजस्थान करारोपण विधियां (सशोधन) विधेयक, 1967 को तीन माह के लिए जनमत जानने हेतु प्रचारित करने का प्रस्ताव रखा है, उसको मांग करते हुए मैंने जो सुझाव आपके सामने रखे हैं उसकी ओर आप ध्यान देंगे और नए टैक्स लगाने की ओर सरकार दौड़ेगी नहीं और जो सरकारी पैसा इस प्रकार से लुट रहा है और दबा हुआ है इस प्रकार से जो अधिकारी आपके ध्यान में नहीं लाना चाहते हैं और उनकी लापरवाही से जो सरकार का पैसा बर्बाद हो रहा है, सरकार की सम्पत्ति का, सरकारी माल का चाहे वह पंचायतों में पड़ा है, जिलाधीश कार्यालय में पड़ा हो या किसी अन्य विभाग के अन्दर पड़ा हुआ हो, आप उनकी जांच करवाइए और देखिए कि किस प्रकार से सरकारी गल्ला सड़ रहा है, किस प्रकार बारां पचायत समिति में एक लाख का सामान पड़ा हुआ है और आज से नहीं दस बारह वर्षों से पड़ा हुआ है, कोई देखने वाला नहीं है! इस प्रकार का सरकारी माल विभिन्न विभागों में पड़ा हुआ है, आप तत्परता से उसकी जांच करवाइए कि किस प्रकार से वह माल खराब हो गया है और कहीं कोई सामान काम में नहीं आ सकता तो वह दूसरे विभागों को दे दें ताकि उनको नया नहीं खरीदना पड़ेगा और सरकारी धन की बचत होगी अगर आप इस ओर ध्यान देंगे। आशा है कि आप मेरी तीन माह के लिए जनमत जानने हेतु प्रसारित करने की मांग है उसको स्वीकार करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय रामानन्द।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : उपाध्यक्षजी, टैक्सेशन लॉज़ अमेंडमेंड बिल के सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार ने जो नये टैक्सों के प्रोपोजल्स इस सदन में रखे हैं यदि सरकार इस दृष्टिकोण से देखे कि सरकार का क्या मोरल ग्राउण्ड है जिसकी बुनियाद पर जनता की स्थिति को देखते हुए, जनता की पर–कैपिटा इन्कम को देखते हुए या इस पीरियड में क्या स्थिति हुई है उस दृष्टिकोण से माननीय मंत्री जी विचार करेंगे तो उस सरकार के द्वारा दिये गये आंकड़ों के अनुसार ही इन पिछले दो वर्षों मे हमारे राज्य में अनावृष्टि के कारण जो सारी स्टेट की इन्कम गिरी है और उसी के अनुसार पर–के पिटा इन्कम भी लोगों की गिरी है, इसके मुकाबले में जो महगाई एक उग्र रूप धारण करके इन्डेक्स नम्बर्स जिस शिखर पर पहुंच गये हैं उसकी बुनियाद पर अगर टैक्स लगाया जाय और हर एक परिवार की यह स्थिति थी कि उसके घर का बजट एक बहुत बड़ा डेफिसिट लिये हुए है और फिर सरकार ऐसी स्थिति में जब कि हमारी जनता की हालत इन दो वर्षों में उनकी आमदनी को नजर में रखते हुए गिरी हुई है उस पर और फरदर टैक्स सरकार लगाये और उन पर बोझ डाले बजाय इसके कि उनको कोई रिलीफ दी जाती यह जस्टीफाइड हो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं नहीं मानता।

माननीय मंत्रियों ने जिस प्रकार के आंकड़े रखे थे अपनी, पंचवर्षीय योजनाओं का जिक्र करते हुए और जो आर्थिक–संकट है जिसके कारण गवर्नमेंट जस्टीफाई करती है टैक्स लगाना, अपने बजट की नीड्स को मीट करने के दृष्टिकोण से, अगर राज्य की विकास की समस्याओं को हल करने के दृष्टिकोण से जो फण्ड्स उपलब्ध होने चाहिए उस दृष्टिकोण से यदि देखें तो जिस तरीके से इस राज्य सरकार ने अपने पहले के बजट के अपने पैसे का उपयोग किया है और विशेष तौर पर इन पिछले दो वर्षों में जिस तरीके से उपयोग किया है जिसके लिए 66–67 के बजट में 87 लाख का सरप्लस रखने के लिए सम्भावनाएं व्यक्त की गई थीं और उसमें उल्टा 19 करोड़ का घाटा हुआ तो भारी दुरुपयोग पैसे का हुआ। इसको मैं रिपीट नहीं करना चाहता। काफी बजट की बहस या राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की बहस के समय उनका उल्लेख हम कर चुके हैं, इसलिए कोई नैतिक जस्टीफिकेशन सरकार के पास इन करों को बढ़ाने का हो वह नजर नहीं आता।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि विशेष तौर पर इस बिल को जिसे वित्त मंत्रीजी ने प्रस्तुत किया है और इसमें खास तौर पर जो सैल्स टैक्स को 10 पर्सेन्ट से 15 पर्सेन्ट तक बढ़ाने की जो व्यवस्था रखी है इस पर दूसरे माननीय सदस्यों ने भी इस ओर संकेत किया था कि यह संवैधानिक तौर से यह पावर्स जो सरकार ले रही है ये डिफेक्टिव हैं। आर्टिकल 304 जो हमारा संविधान है उसके तहत इस प्रकार के टैक्स अलबत्ता तो लगा ही

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

नहीं सकते और यदि लगायें भी तो उसके लिए विशेष तौर से राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है। उपाध्यक्ष महोदय, इस 10 परसेंन्ट से 15 पर्सेन्ट जिन चीजों पर टैक्स हो जायगा उनसे इन्टर-स्टेट ट्रेड पर, राजस्थान पर भारी असर पड़ेगा, और वह ट्रेड लाजिमी तौर पर राजस्थान से डाइवर्ट दूसरी स्टेटों में जहां पर करों का लेवल 10 पर्सेन्ट है, हो जायगा, वह यू० पी०, पंजाब और गुजरात में चला जायगा। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे आर्टीकल 304 के सब आर्टीकल (2) में क्लियर तौर से इस बात को कहा है कि इस प्रकार का कोई भी टैक्स जिसका इन्टर-स्टेट ट्रेड के ऊपर असर पड़ेगा, जो ट्रेड, कामर्स और इन्डस्ट्रीज में रेस्ट्रिक्शन डाले, अनुचित तरीके से रेस्ट्रिक्शन डाले तो वह टैक्स अनुचित होगा वह प्रोटेक्टिव नहीं है। उसको स्टेट गवर्नमेंट को लगाने का अधिकार नहीं है, और उसको लगाने से पूर्व, प्रोपोजल रखने से पूर्व भी, उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति की स्वीकृति लेना आवश्यक है। मैं समझता हूं कि जो पावर्स स्टेट गवर्नमेंट लेना चाह रही है 10 पर्सेन्ट से 15 पर्सेन्ट करने के यानि 50 पर्सेन्ट करों को बढ़ाने की सेंक्शन सरकार ले रही है इसलिए यह कोई सामान्य रेस्ट्रिक्शन नहीं है, सामान्य तरीके का टैक्स नहीं है। इसी प्रकार से कई जजमेंटों में माननीय न्यायाधीशों ने इस बात का जिक्र किया है कि कोई भी स्टेट का किसी भी टैक्स को जस्टीफाइड करने के लिए केवल इतना ही कहना काफी नहीं है कि उनको बजट की अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए फन्ड की आवश्यकता है इसलिए वह टैक्स जस्टीफाइड हो सकते हैं, बल्कि उस टैक्स को लगाने के लिए भी कानूनी धारा की भी उन्हें पूर्ति करनी पड़ेगी जिनके तहत वे पावर्स उन स्टेट्स को दी हुई हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस दृष्टिकोण से माननीय मंत्रीजी इसको दुबारा देखें। आज दूसरे तत्व हाई कोर्ट में जाने की तैयारी कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में जायेंगे और जबरदस्ती स्टेट भी और दूसरे व्यक्ति भी लिटिगेशन में पड़ें, मुकदमें बाजी में पड़ें, इससे पहले यह फर्ज इस सदन का है कि इसके कानूनी पहलुओं को और संविधान के पहलुओं को पूरे तरीके से देखें। मैं ने भी इसको स्टडी करने की कोशिश की है, और मैं काफी हद तक इस बात से कन्वीन्स हुआ हूं और यह आर्टीकल 304 के कान्पलेक्ट में आता है। इसमें राष्ट्रपति की आज्ञा लेने की आवश्यकता थी और राष्ट्रपति की आज्ञा नहीं ली गई इसलिए यह बिल इन्ट्रोड्यूस नहीं हो सकता है। 15 पर्सेन्ट के पावर्स नहीं लिये जा सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो सैल्स टैक्स के प्रोपोजल्स माननीय मंत्रीजी ने अपने बजट-भाषण में रखे थे और उनको कानूनी शक्ल देने के लिए यह बिल पेश किया गया है। सैल्स टैक्स के सम्बन्ध में मैंने कुछ निवेदन किया है, उपाध्यक्ष महोदय, एक तो जनरल पावर सरकार ने 10 परसेंन्ट से 15 परसेंन्ट बढ़ाने की जहां ली है वहां इसको डाइरेक्टली गवर्नमेंट ने ऐक्जीक्यूट भी कर दिया है, और कुछ चीजों पर खास तौर से कारों पर, ट्रकों और बसों के चेसिस हैं उनके ऊपर 10 पर्सेन्ट से 15 पर्सेन्ट का

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

टैक्स सरकार ने लगा दिया है । इसी प्रकार से मोटर पार्ट्स, स्पेयर्स स्कूटर्स वगैरह पर 10 से 12 पर्सेन्ट कर दिया है । मोटर-कारें यह बड़े बड़े लोग इस्तेमाल करते हैं । लग्जरी गुड्स हैं और इस दृष्टिकोण से अगर उन पर अधिक टैक्स हो तो उस पर मेरी कोई आपत्ति नहीं है । लेकिन मुझे यह देखना पड़ता है कि यह जो टैक्स सरकार लगा रही है इसका परपज राज्य सरकार की आमदनी बढ़ाने का है तो उसमें वह सफल नहीं होगा, बल्कि जो इसका परपज है ज्यादा आमदनी बढ़ाने का उस आमदनी को उल्टा कम कर देगा । उपाध्यक्ष महोदय, आप यदि देखें तो दूसरी स्टेटों के बजट प्रोपोजल्स भी सामने आ रहे हैं । हमारे जितने भी पड़ौसी राज्य हैं, चाहे गुजरात हो, चाहे मध्यप्रदेश हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे उत्तरप्रदेश हो, चाहे पंजाब हो इन किसी भी स्टेट ने अपने सैल्स टैक्स में वृद्धि नहीं की है । 10 पर्सेन्ट से 15 पर्सेन्ट या 10 पर्सेन्ट से 12 पर्सेन्ट किसी भी स्टेट ने वृद्धि नहीं की है । मर्सी-डीज के चेसिस की जो 40 हजार में खरीद होती थी अब तक और 10 पर्सेन्ट के हिसाब से उस पर 4000 हजार का टैक्स लगता है और अब 15 पर्सेन्ट कर देते हैं तो उस पर 6 हजार टैक्स लगेगा । अब यदि दिल्ली में खरीदें तो उसको चार हजार टैक्स देना पड़े और जयपुर में खरीदे तो 6 हजार टैक्स देना पड़े तो कोई भी आदमी यहां जयपुर में या राजस्थान में किसी भी जगह नहीं खरीदेगा, और वह सारी की सारी इन वेही कल्स की बिक्री दूसरी स्टेट्स में होने लगेगी । उपाध्यक्ष महोदय, मेरे पास आंकड़े हैं इन पिछले तीन महीनों के जिसके हिसाब से यह टैक्स लगने के बाद जो बिक्री टैक्स की आमदनी हुई है तो इन वेहीकल्स में आपकी आमदनी ड्योढी होनी चाहिए थी....

श्री मथुरादास माथुर : आपके पास यह आंकड़े जो हैं आपने कहा है कि तीन महीनों के हैं तो टैक्स लगे हुए भी तीन महीने नहीं हुए तो आंकड़े कहां से आगये ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : जिस दिन आपने बजट में एनाउन्स किया है उस दिन के बाद ।

श्री मथुरादास माथुर : उसको भी एक महीना ही हुआ है ।

श्री राम किशन (वैर) : इनका कहने का मतलब है पहले के और उसके बाद !

श्री रामानन्द अग्रवाल : मेरे कहने का मतलब है, पहले आपको दस पर्सेन्ट रेट थी उस वक्त आपकी चार लाख आमदनी थी, जब आपकी पन्द्रह पर्सेन्ट रेट हो जाती है तो आपकी आमदनी करीब पौने दो लाख हो जाती है यह स्टेगनेन्ट्री स्थिति है...

श्री मथुरादास माथुर : मैं यह जानना चाहता हूं कि आप जो फिगर्स दे रहे हैं यह कहां के हैं ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह जयपुर तक के ही सीमित हैं । जयपुर के सेल्स टैक्स के कम्पेरेटिव सब फिगर्स हैं अप्रैल मई और जून के और यह करेक्ट हैं या अपटूडेट हैं-

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

यह मेरी मान्यता नहीं है। यह फिगर्स यह संकेत अवश्य करते हैं कि जयपुर में अप्रैल और मई में अगर चार लाख की एवरेज आमदनी थी तो जून में टैक्स के बढ़ने के बाद में वह आमदनी गिर कर पौने दो लाख हो जाती है। उपाध्यक्ष महोदय, टैक्स बढ़ाने से आमदनी में इस प्रकार गिरावट होती है- यह इस बात को इंगित करता है।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

इसके अतिरिक्त मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपने जो इसके अन्दर सीमेन्ट के ऊपर, सीमेन्ट के गुड्स के ऊपर सात पर्सेन्ट से दस पर्सेन्ट टैक्स किया है। आज एक एग्रीकल्चरिस्ट और एक सामान्य आदमी सीमेन्ट इस्तेमाल करता है कूए बनाने में सीमेन्ट इस्तेमाल होता है और मकान बनाने में सीमेंट इस्तेमाल होता है। इसलिए यह टैक्स सामान्य आदमी के ऊपर लगेगा-जो अनुचित है और इसको नहीं बढ़ाया जाना चाहिए।

आपने सरसों पर दो पर्सेन्ट से तीन पर्सेन्ट टैक्स बढ़ा दिया है। एग्रीकल्चर सेक्टर में किस तरह का नुकसान हुआ है, कृषकों को नुकसान हुआ है, किस प्रकार इन दो वर्षों में अकाल के कारण कृषकों की स्थिति हुई है, उसके लिए खुद अपनी रिपोर्ट में आपने कहा था, फिर उसी सेक्शन की उपज के ऊपर आप पचास पर्सेन्ट टैक्स और बढ़ा दें तो यह किसी तरह भी जस्टीफाइड नहीं है। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि ओइल सीड के मामले में भी उत्तर प्रदेश हमारा कम्पीटीटर स्टेट है। तो ओइल सीड के मामले में, टैक्स के पर्सेन्ट के मामले में इन्टर स्टेट सेल्स टैक्स को दृष्टिकोण में रख कर आपको यूनीफार्म रेट रखनी चाहिए। जब उनके यहां रेट्स ज्यादा ली जाती थी तो उसको देख कर आपने अपने यहां रेट बढ़ाई, लेकिन अब आप उससे भी ज्यादा बढ़ा रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में बोडर के जो इलाके हैं, अलवर, भरतपुर और गंगानगर, यह ओइल सीड को पैदा करने वाले हैं। इन तीनों बोर्डर डिस्ट्रिक्ट से आपकी पालिसी की वजह से तमाम का तमाम ओइल सीड बिक्री के लिए दूसरी स्टेट्स में चला जायगा और आपको एक पर्सेन्ट टैक्स भी नहीं मिलेगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जो तिलहन के तैल के ऊपर माननीय मन्त्रीजी ने रियायत करने की घोषणा की थी और जिसमें इन्टर स्टेट सेल्स टैक्स को तीन पर्सेन्ट के बजाय एक पर्सेन्ट करने की घोषणा की थी, वह आपने इस शर्त पर की थी कि ऐसी ओइल सीड, जिनके ऊपर एक पर्सेन्ट के बजाय पूरा सेल्स टैक्स दे दिया जाय उसके लिए इन्टर स्टेट सेल्स टैक्स तीन पर्सेन्ट के बजाय एक पर्सेन्ट करने की आपने रियायत दी लेकिन इससे, मैं माननीय मन्त्री महोदय से कहना चाहूंगा, ओइल ट्रेड को कोई फायदा नहीं मिलेगा। मैंने बातचीत की है इस मामले में जो भी ओइल सीड का बिज-नेस करने वाले हैं उनसे और यह अपने आपमें इसका प्रूफ भी है, इस सम्बन्ध में माननीय मन्त्री महोदय यह बतायें कि आपकी घोषणा करने के बाद में क्या राजस्थान में ओइल मिल्स, जो बन्द पड़ी थीं, उनके चालू होने

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

की स्थितियां पैदा हुई हैं, क्या वह चालू हो गई हैं, क्या वह चालू होने को तैयारी कर रही हैं ? जो काम आप करना चाहते हैं वह इफेक्टिब हो सकता है या नहीं ? इसके तमाम आसपेक्ट को आपको देखना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय मैं एक और बात की तरफ माननीय मन्त्री जी का ध्यान दिलाना चाहूंगा। आपने स्पेशल सर्किल क्रियेट किया था हायर लेवल के जो असेसीज हैं जिनका पांच लाख और पन्द्रह लाख का टर्न ओवर होता है सालाना उनके लिए सेन्टर में स्पेशल सर्किल क्रियेट किया था लेकिन उससे कोई लाभ नहीं हुआ और असेसीज को, राजस्थान के तमाम असेसीज को एक जगह आना पड़ा, इससे उनके सामने कठिनाई और पैदा हो गई। इसके अलावा एक जगह वर्क बहुत एकुमुलेट हो गया, काम बहुत इकट्ठा हो गया तो जो केसेज को एक्सपीडाइट करके आप टैक्स वसूल करना चाहते थे, वह पर्पज भी आपका पूरा नहीं हुआ है। मैं निवेदन करूंगा कि यह बात सही है कि हमारे टैक्स इन्कम पर इसका असर नहीं पड़ता है। इसलिए आप इस स्पेशल सर्किल को एबालिश करके जो डिस्ट्रिक्ट में नार्मल सर्किल्स हैं उनके द्वारा ही असेसमेंट का काम करायें। इसमें आज जो दिक्कत है उन्हें आप महसूस करेंगे। जिस वक्त यह स्पेशल सर्किल बना था, तो माननीय मन्त्री....

(समय समाप्ति सूचक घन्टी)

मैं कुछ मिनट और चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय मैं बुनियादी बातों पर भी नहीं गया हूं। जो मैंने अमेंडमेंट रखे हैं सूक्ष्म रूप से उनके बारे में बता कर मैं अपनी बात खत्म करूंगा।

मैं यह कहना चाहता हूं कि प्राइसेज एकदम दुगनी-तिगुनी बढ़ गई हैं, इसलिए आपने जो लेवल पांच लाख और पन्द्रह लाख का रखा था, तो लाज़िमी तौर से प्राइसेज के बढ़ जाने के लिहाज से पहले के मुकाबले में जब सामान्य आदमी भी स्पेशल सर्किल में आ जाएं, जो कि आपकी मन्शा नहीं है। अच्छा तो यह है कि स्पेशल सर्किल को बिल्कुल ही खत्म कर दें, इससे आपको कोई फायदा नहीं हुआ है। इसमें भी आपको दिक्कत आये तो कम से कम आप उन लिमिट्स को तिगुनी कर दें जिससे जिस लेवल के असेसीज को इससे असेस करना चाहते हैं कम से कम उस लेवल के असेसीज इसके अन्दर आ जायं। इसके साथ ही स्पेशल सर्किल आफिसर्स को इस बात के लिए डाइरेक्ट कर दिया जाय कि अन्य डिस्ट्रिक्ट के लोगों को यहां न बुला कर डिस्ट्रिक्ट में ही दौरे का प्रोग्राम रखकर असेसमेंट के कार्य को करें। और यदि उसके बाद में आप यह पायें कि इनसे जल्दी एक्सपेडाइट नहीं हो रहा है तो आप इस स्पेशल सर्किल को खत्म करने की कार्यवाही करें। मैं इसके साथ ही यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जहां तक अकाउन्ट बुक्स के सीज करने का सवाल है। मैं समझता हूं कि यह मेल प्रेक्टिसेज को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने पावर ली है, वैसे गवर्नमेंट ने पावर ली है, वैसे गवर्नमेंट के पास इस तरह की पावर होना लाज़िमी है। यह

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

बात भी सही है कि इस प्रकार की बहुत बड़ी बड़ी ब्लेक शीप्स हैं, इस तरह के अनसोशल एलीमेंट्स हैं जो नाजायज तौर पर जनता से टैक्स वसूल कर लेते हैं और अपने घरों में रख लेते हैं और सरकार के खजाने में जमा नहीं कराते हैं। ऐसे लोगों को निश्चित रूप से पकड़ा जाना चाहिये। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, इस पावर का दुरुपयोग होना शुरू कर दिया गया है, गांवों और देहातों के लोगों के साथ में, चाहे जब इन्सपेक्टर जाकर उसकी बहियां उठाकर ले आता है और उसकी रसीद भी नहीं देता है। यह बहुत अजीब बात है, इसकी माननीय सतीशचन्द्र जी ने एक इन्स्टांस भी दीथी कि एक आदमी की बहियां उठा कर ले गये, उसके बाद में पांच छः वर्ष हो गए हैं लेकिन उनको आज तक नहीं लौटाया गया है। इसी तरह, उपाध्यक्ष महोदय, मेरे पास में एक मिसाल है, जिसमें दो वर्ष हो गए हैं बहियां लिए हुये। सन् 1965 मे 21. 9. 65 को एक आदमी के काग़जात जब्त कर किए गये। उसके बाद में अब 1967 चल रहा है, दो वर्ष में दो महीने घटते हैं, लेकिन आज तक उस व्यक्ति को रसीद भी नहीं दी गई है। यह सबसे बड़ी हाईहैन्डेडनेस है। रसीद तो उस व्यक्ति को दी जानी चाहिये बल्कि उसके साथ ही उसको रीजन्स भी बताने चाहिये कि क्यों वह सीज कर रहे हैं। और जो इस तरह की कार्यवाही हुई हैं, उसके लिए आवश्यक है कि बगैर रसीद दिए हुए एक दिन भी किसी के कागज नहीं रख सके। अगर किसी ने बिना रसीद दिये रखे हैं तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिये। माननीय मन्त्री महोदय यदि चाहेंगे तो मेरे पास में ऐसे नाम हैं जिनके इस तरह से कागजात लिए गये हैं, आप उन मामलों के अन्दर इन्क्वायरी करें और जिन अधिकारियों ने यह कार्यवाही की है उनके खिलाफ एक्शन लें। मैं इसके साथ ही चाहूंगा कि इन्सपेक्टर लोगों के पास यह अधिकार नहीं होना चाहिये। यह अधिकार है, इसका स्ट्रिक्टली यूज हो इसके लिए जरूरी है कि टैक्सेशन आफिसर के नीचे किसी को यह अधिकार नहीं हो। यदि किसी की बहियां ली जायं तो उनको रसीद फौरन दी जाय। वैसे सरकार ने सजेशन दिया है कि तीन महीने के अन्दर अन्दर लौटा दी जाय। लेकिन मैं समझता हूं, यह समय भी अधिक है। इस समय को कम किया जाना चाहिये और यह एक महीने से अधिक नहीं होना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और निवेदन करना चाहूंगा, जो इम्पोर्टर्स या मेन्युफेक्चरर्स है, उनके लिए पांच हजार रुपये की मेक्जिमम लिमिट रखी गई है और उससे नीचे के लोगों को लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अन्दर खाद्यान्नों को और दालों को बेचने वाले लोगों को भी शामिल किया गया है। गांव का जो दुकानदार है वह कपड़े की दुकान करता है लेकिन उसमें वह परचून भी बेचता है, गुड़ भी बेचता है, अनाज भी बेचता है और नमक भी बेचता है। इस तरह से शहरों के अन्दर तो डिमार्केशन हो सकता है कि कपड़े का व्यापारी अलग है, दूसरा अलग हो। गुड़ का

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

व्यापारी अलग हो। गांव में यह स्थिति नहीं है। इससे गांव के जो छोटे छोटे दुकानदार हैं, उनके लिए यह सैल्स टैक्स डिपार्टमेंट इस कारण से हरेसमेंट का वहु बड़ा कारण बना हैं........

मैं चाहूंगा कि इम्पोर्टर्स और मैन्यु फेक्चरर्स के लिये यह रखिये और फूड ग्रेन्स, पल्सेज में डील करने वाले हैं उनको सेक्शन 1 ए में हैं उनको सी. क्लास वालों के साथ कम्बाइन्ड की जिये। 15 से 20 हजार की लिमिट रखी है, मेरे खयाल से वह कम है, मेरा सजेशन दस हजार रखने से है, वह मैं वाद में जब क्लाज बाई क्लाज डिस्कस करेंगे तब कहूंगा। फूड ग्रेंस पल्सेज में डील करने वालों को 5 हजार के नीचे की लिमिट में क्यों रखना चाहते हैं, जब कि चने के भाव दालों के भाव इतने बढ़े गये हैं। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि जनरल ट्रेडर के साथ उसे रखिये और उसकी एक्सपेंशन लिमिट है, उसी हद तक इसमें प्रोविजन रखना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, इस एक्ट में....

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

जहां बिक्री टैक्स में संशोधन किये है उनका मैंने विरोध किया है। इस बिल में एक टैक्स है जो सीलिंग से ऊपर सेंट परसेंट सरचार्ज लगाया है, हम गवर्नमेंट के इस कदम का स्वागत करते हैं और समझते हैं कि सही दिशा में यह कदम है। गवर्नमेंट का दृष्टिकोण....

श्री उपाध्यक्ष : order please. आप कृपया स्थान ग्रहण करें। आपका समय हो गया। श्री नत्थीसिंह !

श्री रामानन्द अग्रवाल : इन्हीं शब्दों के साथ में मोशन मूव करता हूं।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, जो माननीय वित्त मन्त्री महोदय यह टैक्सेशन बिल लाये हैं, मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं कि यह उनकी नीति के अनुरूप ही हैं क्योंकि उन्होंने न तो इस बात की जरूरत समझी और न चेष्टा ही की कि पिछली पंच वर्षीय योजनाओं के जरिये समाज के कौन से वर्ग हैं, जिन्होंने ज्यादा फायदा उठाया है, उनके ऊपर ज्यादा टैक्स का भार बढ़े और जो समाज के शोषित वर्ग हैं उसको टक्सेज से राहत मिले। अभी तक तो ऐसा नहीं किया गया है, आगे ऐसा बिल दो चार दिन में लाने की बात कहते हैं, उनमें शायद कुछ सम्पन्न वर्ग हैं उन पर टैक्सेज का भार बढ़ सकता है पर यह टैक्सेशन का बिल है इसमें शोषित वर्ग को किसी प्रकार की राहत देने की कोई बात नहीं की है। सेल्स टैक्स को 15 प्रतिशत के हिसाब से बढ़ाया है, इसमें ध्यान नहीं रखा कि कमजोर वर्गों को कहां कहां राहत दें। यह आपका दृष्टिकोण है। आप इसमें पारंगत हैं कि 88 से 103 हो जाय, आप अपनी स्थिति मजबूत करना चाहते हैं, यह दोष आपका है, आपके जाल में फस कर जो उधर जा कर बैठ जाते हैं, दोष उनका भी है। इसीलिये आपको छूट

(श्री नत्थीसिंह)

मिल रही है कि आप जनता का शोषण बदस्तूर जारी रखें।

आपने सेल्स टैक्स में इस तरह वृद्धि की है, क्या कहीं आपने ध्यान रखा है कि जिन चीजों की किसानों को जरूरत पड़ती है, जिन चीजों की उत्पादन कर्ता को जरूरत पड़ती है, आप उत्पादन में वृद्धि करने की अपील करते हैं, उनको प्रोत्साहन देने के लिये तो आपके इन प्रोपोजल्स में एक क्लाज ऐसा भी होता कि हम अमुक चीज में छूट दे रहे हैं जिसकी किसानों को जरूरत पड़ती है पर चूंकि आपका इस ओर कतई ध्यान नहीं है, इसलिये आपका ध्यान इन लोगों को राहत देने की तरफ नहीं जाता। यदि आप अपनी घोषणाओं को सच्चा साबित करना चाहते है तो उन लोगों पर आपको टैक्स का भार बढ़ाना चाहिये जिन्होंने पिछली पंच वर्षीय योजनाओं में सबसे अधिक फायदा उठाया है। क्या आप यह समझते हैं कि आपके इन टैक्सेज का भार कन्ज्यूमर्स पर नहीं पड़ता, वास्तव में इन टैक्सेज का भार कन्ज्यूमर्स पर ही पड़ता है. व्यापारी पर नहीं पड़ता, कन्ज्यूमर्स पर भार पटक कर आप समाज की सेवा नहीं कर सकते; कुसेवा ही करते है। अभी एक माननीय सदस्य ने अभी आंकड़े रखे तो आपने तपाक से कहा आपके पास ये आंकड़े कहां से आये मोटर पार्ट्स की बात माननीय श्री रामानन्दजी कर रहे थे तो मंत्री महोदय ने इसलिये टोका होगा कि मोटरों में डील करने वालो की बात कम्युनिस्ट सदस्य कैसे करते है।

मैं कहना चाहता हूं कि आपकी इन्कम तभी बढ़ सकती है जब कि हमारे यहां का व्यापार बढ़े, पर आपका रवैया इस प्रकार का है कि इसके व्यापार बढ़ने की बजाय हमारे यहां का व्यापार एक दम ठप्प हो जायगा। सरसों के तैल पर टैक्स की बात कही गई थी तो आपने कहा था कि 3 परसेंट की बजाय एक परसेन्ट कर देंगे पर क्या आपने कभी यह देखने की कोशिश की है कि हमारी पड़ौसी रियासतों में जो टैक्स हैं और जो हमारे यहां पर टैक्सेज है, उनमें मूलभूत अन्तर है या नही ?

मोटर के सामने में जयपुर में एक इन्डस्ट्री चालू हुई, पिछले सदन में चर्चा हुई कि राजस्थान रोडवेज की बॉडी बिल्डिंग में बड़ा स्केन्डल हुआ है। यहां बॉडी बिल्डिंग की इन्डस्ट्री चालू हुई, उसे 6 परसेंट की रियायत प्रोत्साहन देने के लिये दी। पर आप नहीं चापते कि इस तरह की इन्डस्ट्री यहां पनपे। आपने 10 परसेंट किया, फिर 15 परसेंट सेल्स टैक्स कर दिया, इसका नतीजा यह हुआ है कि कहां चार लाख और दो लाख की बात कर रहे थे, जून के महीने में आपने घोषणा की है उसके बाद क्या आपने देखा है कि इस बिजनेस में कितना काम मिला, कितना केन्सिल हुआ, सारी वसेज जिनकी दुरुस्ती यहां हो सकती थी वे भी यहां काम कराने की बजाय दिल्ली, अहमदाबाद जाने लग गये हैं।

मजदूरों को जिस इन्डस्ट्री से लाभ मिलता हो और उस इन्डस्ट्री से राज्य की आमदनी बढ़े, उस को प्रोत्साहन देने की आपकी नीति नहीं आप एक ही लाठी से

(श्री नत्थीसिंह)

सबको एक साथ हांकते हैं, इसलिये समाज में विषमता पैदा होती है। अत; मैं वित्त मन्त्री महोदय से कहूंगा कि इस बिल में जहां एक भी क्लाज ऐसा नहीं रखा है कि जिससे किसानों को मजदूर वर्ग को राहत मिलती हो 13 पैसे भी नहीं छोड़ पाये, साढ़े तीन हजार रुपया सदन का खर्च करा दिया। यह आपका रवैया कब बदलेगा ? आप प्रगतिशीलता की बात करते हैं, एक जगह बैठे रहें कुछ करे नहीं, सिर्फ अंग संचालन से प्रगतिशील बनना चाहें तो यह नहीं हो सकता।

मेरे दल के नेता ने भी कहा और मैं भी कहता हूं कि सिद्धान्त रूप से हम इस बात को मानते है कि जो ज्यादा कमाता है उस पर ज्यादा टैक्स हो पर तोता रटत की तरह से नहीं मानना चाहते। भूमि पर आपने अधिभार बढ़ाया है, पर उन लोगों को क्या क्या दिक्कतें होती है, इस ओर आपको देखना होगा। पहले आपने सरचार्ज बढ़ाया था तो किसानों के सामने समस्या थी, चार आदमी मिल कर खेती करते हैं, चार भाई अलग अलग रहते है पर मिल कर खेती करते हैं, उन पर इस अधिभार का भार बढ़ेगा। एक तरफ तो आप कहते हैं कि मिली जुली खेती को बढ़ावा दो, आप कहते हैं कि कोओपरेटिव फार्मिंग करो, मिली जुली खेती करो और दूसरी ओर जो इस तरह मिल जुल कर खेती करते है उन पर सरचार्ज का भार बढ़ाते हैं। क्या आपने कभी देखने का कष्ट किया है कि चार भाई हैं रहते अलग अलग हैं पर इस दृष्टि से कि ज्यादा अच्छी खेती हो सके इसलिये शामलात में खेती करते हैं, उन पर यह सरचार्ज नहीं लगे क्या इसका प्रावधान आपने इस बिल में किया है, नहीं किया।

आप कहते हैं कि अकाल राजस्थान में पड़ते रहते हैं, अकालों से यह राज्य पीड़ित है तो तीन चार एकड़ जमीन जिन के पास है, वे अकाल से पीड़ित हैं, क्या उनके लिये सफल बीमा योजना को लागू करने की बात आपने की है। कृषि मन्त्री जी ने कहा था कि फसल बीमा योजना की बात हम सोच रहे हैं पर अभी तक इस सम्बन्ध में कुछ भी नहीं किया गया है। सेंट परसेंट कृषि पर सरचार्ज बढ़ा रहे हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिये कि जिन सालों में किसानों को अकालों के कारण तबाही भोगनी पड़ रही है, उसमें आप उनकी भूमि उपज पर सरचार्ज बढ़ा रहे हैं। आप कहेंगे कि क्या करें ? मैं कहता हूं कि राजस्थान में आप हरेक नागरिक के साथ एक जैसा व्यवहार करने की कोशिश करें। जो इन्कम टैक्स का कानून है जिसमें 4800) की छूट है उस कानून को खेती पर भी लागू करें। 4800) वार्षिक कमाने वाले काश्तकार पर किसी प्रकार की लगान नहीं रखनी चाहिये और उससे ऊपर की आमदनी हो तो आप बेशक एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स लगायें। आप कह सकते हैं कि इसमें असेसमेंट की असुविधायें होंगी, दिक्कतें आयेंगी लेकिन आपको निश्चित रूप से कदम उठाने पड़ेंगे। एक तरफ शहरी सम्पत्ति पर कर लगाने वाली बात होती है तो आप फूंक फूंक कर कदम उठाते हैं और किसान पर किसी तरह से टैक्स की बात होती है तो आप कभी भी ध्यान नहीं रखते कि आखिर

(श्री नत्थीसिंह)

उन पर कौन कौनसी कठिनाइयां आयेंगी। एक तरफ आप कहते हैं कि 30 एकड़ से ज्यादा जमीन किसी के पास नहीं रहेगी, सीलिंग का कानून लागू करना चाहते हैं, दूसरी तरफ आप इस तरह को सरचार्ज लगाते हैं तो मुझे तो

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

आपकी नीयत में शक है कि आप सीलिंग को लागू भी करना चाहते हैं या नहीं? जब आप सीलिंग को लागू करना चाहते हैं तो बेईमानी का टैक्सेशन क्यों लेते हैं। यह सरचार्ज वाली बात क्यों कहते हैं? इसके लिए आपने कहा कि कुछ अनइकोनामिक होल्डिंग्स पर लगान छोड़ देंगे अगली फसल तक, तब तक क्या इरादा रहेगा वह मुझे मालूम नहीं लेकिन इस बिल में आपको एमेंडमेंट करनी चाहिए, लगान जैसी कोई भी टैक्स राजस्थान में नहीं होगी और निश्चित सीमा से जो आज के दिन 4800) रुपए है, इससे अधिक वार्षिक आय हो तो एग्रीकल्चरल टैक्स लगायें। इस प्रकार का संशोधन जब आप इस बिल में करेंगे तो आप सही दिशा में कदम उठायेंगे। जो आमदनी का बटवारा हुआ है उस आधार पर टैक्स लें। आपकी समझ में पंचायत समितियों का भग करने वाली बात आती है। आप समझते हैं कि इससे कोई फायदा नहीं होगा न 1500) रुपये से ऊपर वाली बात आपकी समझ में आती है। मुझे आश्चर्य हुआ जब मैंने पढ़ा कि बंद कमरे में वर्किंग कमेटी की मीटिंग में मुख्य मन्त्री प्रिवीपर्स की बात कर रहे थे बाहर आकर वायुमंडल का असर हुआ, उन्होंने कहा इकरारनामे नहीं तोड़े जायेंगे कितने विषय और मत आप बदलते हैं। आपको शायद नवाब साहब का डर लगा। वह तो स्वेच्छा से ही प्रिवीपर्स छोड़ देंगे। आप इधर से दबाने के लिए प्रिवीपर्स कानूनी रूप से खतम करने के लिए सेन्टर पर जोर लगायें। आप रोजाना बात बदलते हैं। आपको लज्जा आती नहीं, मुझे खेद अवश्य होता है। आप हैव्ज पर टैक्स लगायें ताकि हैव नाट्स को राहत मिले।

कल भी बात आई थी। जब मैं अलग से बात करता हूं तो देखता हूं कि कांग्रेस में भी कई समाजवादी मन रखने वाले कैसे बैठे हैं, वह कहते हैं कि हम क्या करें, हम बोलते हैं लेकिन एडल्टरेशन बहुत हुआ है। हमारी विचारधारा चल नहीं पाती। मन्त्री महोदय (श्री परसराम मदेरना से) जो अपने आपको शुद्ध समाजवादी समझते हैं, वित्तमन्त्री तो उठकर चले गए, उनकी भी हिम्मत होनी चाहिए कि समाजवाद की ओर सही कदम बढ़ाने के लिए एक दो टोकन कदम तो बढ़ायें ऐसे प्रोपोजल्स लायें। आप छोटी छोटी लेवी की बात करते है। भारत में इस तरह का आर्थिक सकट आ गया है कि जो मरहम पट्टी से काम नहीं चलेगा, आप समय पर नहीं चेते तो बड़ा आपरेशन होगा क्रांति का दावानल फूटेगा, पता नहीं उसमें आप कहां जायेंगे। रोजाना अपने मनों और मतों को बदलने नहीं दें और इस तरह का संशोधन आप इस बिल में लायें।

Page No.106

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान करारोपण विधियां (संशोधन) विधेयक 1967 को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय। जो संशोधन यहां पर प्रस्तुत किए हैं उनसे महसूस होता है कि राज्य सरकार बराबर इन्डाइरेक्ट टैक्सेज के जरिए ज्यादा से ज्यादा सरकार की आमदनी करना चाहती है। पहले भी मैंने इस बारे में निवेदन किया था कि सरकार को चाहिए था कि जिन लोगों के पास ज्यादा पूंजी हो उन लोगों से ज्यादा से ज्यादा पैसा वसूल किया जाय और गरीब आदमी को हर क्षेत्र में राहत दी जाय....

श्री नत्थीसिंह : वोट देते समय भी इस बात का ख्याल रखना।

श्री गिरधारीलाल व्यास : हर बात का खयाल रखा जाता है। इस बारे में बराबर निवेदन किया जा रहा है। मगर जब जब टैक्सेशन की प्रोपोजलस हमारे सामने आती हैं, तब हम यही देखते हैं कि आप तैल, लूण मिर्च, वगैरह जो आज जरूरत की चीजें हैं, रोजमर्रा गरीब से गरीब इन्सान काम में लाता है, उन पर टैक्स 7 से 10 प्रतिशत बढ़ाया गया और अब 10 से 15 प्रतिशत कर दिया गया। जहां तक इन्डाइरेक्ट टैक्सेज का सवाल है हम चाहते हैं कि हम इस प्रकार की व्यवस्था करें, समाज को इस ढांचे में ढालें कि गरीब लोगों पर इसका ज्यादा असर न पड़े और जो पूंजीपति हैं उन पर पड़े। इन 14-15 सालों में प्लानिंग के दौर में, तरह तरह की योजनाओं के जरिए, देश के विकास करने का प्रश्न हमारे सामने चल रहा है और उसमें ज्यादा से ज्यादा सरकार का पैसा इन योजनाओं में लग रहा है और उनके जरिऐ जिन लोगों ने ज्यादा से ज्यादा आमदनी की है, उन लोगों से अगर हम ज्यादा से ज्यादा पैसा वसूल करें और उनके जरिए हम योजनाओं को अच्छी तरह से चला सकें तो ज्यादा उपयुक्त होगा।

इस प्रकार की बातें हमें सुनने को मिली हैं कि आज अमीर आदमी दिन-ब-दिन अमीर होता जा रहा है और उसके ऊपर सरकार की तरफ से कोई चेक नहीं है। होना तो यह चाहिए कि हमें इस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिए कि अमुक आमदनी के बाद में हम उनके जितने कमाई के जरिए हैं, या जो पैसा वह कमाता है, चाहे 50 हजार या एक लाख की सीमा रख दें उसके बाद सारी की सारी आमदनी राज्य के खजाने में आनी चाहिए। वह पैसा जनता की भलाई और राज्य के विकास के कामों में काम आ सके। मगर उस पर किसी प्रकार का चेक नहीं। आज जो भी लोग ज्यादा पैसा कमाते हैं, वे लोग फर्जी आंकड़े प्रस्तुत करते हैं, कुछ माननीय सदस्यों ने कहा व्यापारी लोगों की बहियाँ पकड़ जाते हैं. उसकी कोई रसीद नहीं देते लेकिन इन्सपेक्टर्स हेरेसमेंट करने के लिए उनकी बहियां पकड़ कर रख देते हैं। हो सकता है कि बहुत से ऐसे केसेज हों जिनमें इन्सपेक्टर्स और अधिकारियों की बहियों पकड़ने में हैरेसमेन्ट करने की नीयत हो। मगर बहुमत इस प्रकार है कि जो दो दो तरह की बहियां रखते हैं और सरकारी अधिकारियों को दिखाने की दूसरी बहियां होती हैं और उनके

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

असली अकाउन्टस और प्रकार के होते हैं। तो इस सबंध में हमको ज्यादा से ज्यादा चेक्स रखनी चाहिए जिससे सरकार की टैक्स की आमदनी को किसी प्रकार से रोक नहीं सके। इस प्रकार की व्यवस्था होती नहीं और उसके बजाय हम दिनोंदिन इन्डाइरेक्ट टैक्सेज बढ़ाते जा रहे हैं और आज स्थिति इस प्रकार की हो गई है कि हम 10 प्रतिशत से सैल्स टैक्स 15 प्रतिशत बढ़ाकर दूसरे राज्यों के मुकाबले में जो पड़ोसी राज्य हैं उनसे ज्यादा सैल्स टैक्स रखना चाहते हैं। बहुत से माननीय सयस्यों ने कहा और यह वाजिब है कि दूसरे राज्यों के मुकाबले में अगर हमारा सैल्स टैक्स ज्यादा होगा तो हमारे व्यापार में घटोतरी आएगी और उससे सरकार की आमदनी जो सैल्स टैक्स के जरिए हम करना चाहते हैं उसमें भी कमी आएगी। तो इसलिए हम अगर बिक्री कर के जरिए ज्यादा से ज्यादा आमदनी करना चाहते हैं और उसके साथ साथ इस राज्य का व्यापार भी बढ़ाना चाहते हैं तो हमें इस बात पर विशेष ध्यान देना होगा। जब तक हम इस बात का ध्यान नहीं रखेंगे तब तक हमारा व्यापार नहीं बढ़ेगा और व्यापार नहीं बढ़ता है तो टैक्स भी ठीक तरह से नहीं आ सकते।

सरकार समाजवादी व्यवस्था में आस्ता रखती है। तो इसके लिये टैक्सेशन के जरिये ज्यादा आमदनी न की जाकर नान टैक्स रेवेन्यू की तरफ अधिक ध्यान दिया जाना चाहिये। नान टैक्स रेवेन्यू जब तक नहीं बढ़ती है तबतक हम अपने प्रदेश को उस प्रकार से डेवलप नहीं कर सकते जैसा हमको करना चाहिये।

आज पब्लिक सेक्टर में हमारे कल कारखाने चलते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, रोड़वेज है या दूसरे कारखाने हैं। पर आज जनता की धारणा है कि इनसे जितना प्रोफिट होना चाहिये नहीं होता। बल्कि रोडवेज के सम्बन्ध में बहुतों ने कहा कि इससे घाटा हो रहा है। अगर यह प्राइवेट कन्ट्राक्टर के साथ में धन्धा होता और अजमेर जयपुर की लाइन या ऐसी ही दूसरी लाइनें उनके पास होती तो लाखों रुपया वे कमाते। पर आज हमारा रोडवेज घाटा देता जा रहा है इन्हीं लाइनों पर। तो यह हमारी व्यवस्था का प्रश्न है इस सम्बन्ध में ज्यादा से ज्यादा अच्छी व्यवस्था होनी चाहिये और हर पोइन्ट पर देखना कि गड़बड़ी कहां है। आज जिन लोगों की समाजवाद में आस्था नहीं ऐसे लोगों के हाथ में यह प्रबन्ध है। ऐसे लोगों का ध्यान इन पब्लिक एन्टरप्राइज को बढ़ाने की तरफ नहीं जाता, घटाने की तरफ ही जाता है। अगर हम उपयुक्त व्यक्ति न रखें और व्यवस्था ठीक नहीं की तो जनता को पब्लिक सेक्टर पर से भरोसा उठ जावेगा और जिस प्रकार की समाजवादी व्यवस्था हम कायम करना चाहते हैं उसमें लोगों की दिलचस्पी नहीं रहेगी। इसलिये सरकार को इस ओर विशेष ध्यान रख कर काम करना चाहिये। जो भी प्रोजेक्ट हम हाथ में लें वह मुनाफा देता है या नहीं देता है इस पर बराबर ध्यान रक्खें। हमारे बहुत से इस प्रकार के कन्सर्न्स हैं जिन को हम कामर्शियल बेसिस पर चलाकर ज्यादा से ज्यादा प्रोफिट उठाने का प्रयत्न करना

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

चाहिये। इस तरफ ध्यान न जाकर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ हमारा ध्यान जाता है तो यहमैनेजमेन्ट ठीक नहीं बैठता। हमारी दृष्टि हर चीज में व्यापारिक होनी चाहिये जब कि हम व्यापार में घुसे हैं। सरकार जो व्यापार करना चाहती है उसमें व्यापार के तरीके से एक एक पाई की सेविंग को देखकर हम काम करेंगे तो हमारे कन्सर्न ज्यादा से ज्यादा प्रोफिट देंगे।

बहुत से उद्योग इस प्रकार के हैं जिनको अगर हाथ में लिया जावे तो स्टेट को ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू प्राप्त हो सकती है।

माइनिंग के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं। यह इस प्रकार की इन्डस्ट्री है जो प्राइवेट इन्टरप्राइजेज को दे रखी है। इसे स्टेट हाथ में ले ले तो करोड़ों रुपयों का फायदा सरकार को हो सकता है और रोजमर्रा सेल्सटैक्स के प्रोपोजल असेम्बली के सामने नहीं लाने पड़ेंगे। कभी आप सात से दस परसेन्ट करते हैं कभी 12 से 15 करते हैं। इस प्रकार दिन बदिन इनडाइरेक्ट टैक्स बढ़ाकर जनता को परेशानी में डालें और उनके बढ़ने से मंहगाई पर भी असर पड़ता है। टैक्स बढ़ाते हैं आप एक परसेन्ट या एक पैसा और व्यापारी पांच पैसे के हिसाब से वसूल कर लेता है। या भाव बढ़ा देता है। इससे आम जनता को परेशानी होती है। तो मेरा यह निवेदन करना है कि हमें इस प्रकार के उद्योग धन्धे अपने हाथ में लेने चाहिये जिससे ज्यादा से ज्यादा प्रोफिट सरकार को मिले। नान टैक्स रेवेन्यू बढ़े और इनडाइरेक्ट टैक्सों पर ज्यादा नहीं जाना पड़े।

दूसरा मेरा निवेदन यह है कि कल भी भी मैंने जैसा निवेदन किया था एम्पलोयमेन्ट के सम्बन्ध में उस प्रकार की बात आज भी कहना चाहता हूं। ये टैक्सेज किस लिये बढ़ाने पड़ते हैं। हमारे फाइनेन्स पर किस प्रकार का असर पड़ रहा है। राजा महाराजाओं को देने के लिये चार करोड़ हमें खर्च करना पड़ रहा है। इसका असर हमारी आम जनता पर पड़ रहा है। कुछ इने गिने लोग जिनको प्रिवी पर्स दिया जा रहा है अगर इसको बन्द कर दिया जावे तो रोजमर्रा इनडाइरेक्ट टक्सों को कम करने में भी हमें मदद मिलेगी। पर इस प्रकार की बातों की तरफ सरकार तवज्जो नहीं देती।

यह भी मैं मानता हूं कि कोवानेन्ट के तहत एग्रीमेन्ट किया है। पर बाद में अगर जनता यह महसूस करती हो कि यह बेजा है और इससे अलग होना चाहिये तो हमें बराबर इस पर तवज्जो देकर टैक्सों के बोझे से जनता को बचाने का प्रयत्न करना चाहिये।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

दूसरा मैं यह निवेदन करना चाहता हूं लैंड रेवेन्यू के सम्बन्ध में। जैसा कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि 30 एकड़ के ऊपर डबल सरचार्ज कर दिया गया यानि लगान का जितना कर दिया। आप एक तरफ तो सीलिंग की बात करते हैं और दूसरी तरफ सरचार्ज लगा रहे हैं। तो क्या यह समझा जावे कि सरकार की नीयत सीलिंग के जल्दी से लागू करने की नहीं है।

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

तब तो हमें ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये कि जिसके पास ज्यादा से ज्यादा जमीन है जिससे व्यापारिक तरीके से कमाकर पैसा घर ले जाते हैं तो इन्कम टैक्स के हिसाब से आमदनी के हिसाब पर पैसा लिया जाता है उस हिसाब से इस पर भी पैसा लिया जावे। सरचार्ज का मामूली पैसा होता है। लैंड रेवेन्यू एक बीघा पर एक आना दो आना और तीन आना तक होता है। पर इससे चैक नहीं कर सकते कि उसके पास इतनी सीमा में जमीन रहनी चाहिये तो इसलिये डबल सरचार्ज के बजाय 20 एकड़ तो बहुत सी जगह ऐसी हैं जैसे जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर के एरिया जो रेगिस्तानी हैं वहां पर जमीन में पैदावार कम होती है क्योंकि पानी नहीं है, रेगिस्तान है ऐसे स्थानों पर तो एक-रेज को बढ़ाया नहीं जावेगा तो 30 एकड़ में भी पूर्ति नहीं कर पावेंगे।

पर जो हमारा मकसद है कि इतनी आमदनी जैसा कि इस टीनेन्सी एक्ट में सीलिंग का एक्ट बना है माना है कि 3600) रु. पर जो भी आमदनी हो उस आमदनी को सीलिंग को प्रावधान में लिया जावे। तो 3600) को बेसिस मानकर जो ऊपर आमदनी होती है उसको एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स की व्यवस्था की जावे जिससे कि सरकार को ज्यादा आमदनी हो तो ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये। न कि यह व्यवस्था कि 30 एकड़ के ऊपर लैंड है तो डबल सरचार्ज ले लिया जावे। तो यह प्रावधान उचित नहीं प्रतीत होता। अमेन्डमेन्ट इसमें होना चाहिये। 30 एकड़ को स्टेण्डर्ड एकड़ मानकर 3600 रु. की आमदनी मानी है। उसके उपर कुछ भी आमदनी हो 3600 रु. के बजाय 4500) रु. की आमदनी हो गई है तो उस पर जो भी आमदनी होती है उस हिसाब से टैक्स लगे तो उससे ज्यादा बड़े लोगों पर भार पड़ेगा।

पहले जैसे सरचार्ज बढ़ाया था 75 पर 25 परसेन्ट और इसके बाद 50 परसेन्ट मगर उस सम्बन्ध में इस कानून में हवाला नहीं दिया कि क्या वह सरचार्ज जो पिछले साल लैंड रेवेन्यू पर लगाया था उस प्रकार की व्यवस्था इस कानून में भी है यह स्पष्ट नहीं है। जो पिछले साल लगाया था वह शामिल रहेगा या अलग रहेगा इसका स्पष्टीकरण चाहूंगा।

(2 म. प.)

दूसरा मेरा यह निवेदन है कि अनाज के सम्बन्ध में पिछली असेम्बली के समय भी टैक्स लगाया था। अनाज के लिए हम बार-बार यह कहते रहे हैं कि इस पर टैक्स न लगाया जाय इससे जनता पर बहुत भार पड़ता है। हर साल इस पर कभी एक पर-सेंट, कभी दो परसेंट और इस साल तीन परसेंट टैक्स लगा दिया ऐसी चीजों पर जो जीवन के लिए आवश्यक हैं टैक्स बढ़ता है उससे हर आदमी को तकलीफ होती है। इसलिए मेरा निवेदन है कि ऐसी आवश्यक वस्तुओं पर टैक्स घटाया जाय। जिस प्रकार की नीति माथुर साहब ने कुछ मायनों में बरती है जैसे लग्जरीज का सामान है, रेफ-रीजेरेटर है, रेडियो सेट्स हैं, जिनके ऊपर

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

आपने टैक्स लगाया है वह टैक्सेज़ स्वागत योग्य हैं। अनाज जैसी चीजों पर टैक्स बढ़ाया जाना तो उचित प्रतीत नहीं होता।

आपने सेल्स टैक्स आफीसरों की नियुक्ति कर रखी है उनके सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि उन पर पूरी तरह से चैक होना चाहिये। बहुत से अधिकारी इस प्रकार के हैं कि जो टैक्स को अवॉइड करके खुद की जेबें भरते हैं। हर दुकानदार के यहां से उन्होंने महीना तय कर रखा है। पहले भी मैं भीलवाड़ा के ए. एस. टी. ओ. के बारे में निवेदन कर चुका हूं। उसने छुट्टी में होते हुए भी चैनपुरा, काटेरा गांवों में जाकर के जिन पर सैल्स टैक्स नहीं लगता उन लोगों को तंग करके हजारों रुपया वसूल कर लिया........

श्री मथुरादास माथुर : पहले आपने कब कहा था ?

श्री गिरधारीलाल व्यास : मैंने राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलते हुए निवेदन किया था। अब और आपसे निवेदन कर दूं। यह बात मैं कामर्शियल टेक्सेशन अधिकारी के नोटिस में लाया। लेकिन उन्होंने इस पर आवश्यक कार्यवाही नहीं की। इस प्रकार के अधिकारी हैं जो टैक्स अपने जेब में रख लेते हैं। ऐसे अधिकारियों को सजा मिलनी चाहिये। यदि निर्धारित रेट पर सब से टैक्स वसूल कर लिया जाता है तो आपको बार बार इस प्रकार से टैक्सेज के बढ़ाने की आवश्यकता नहीं रहेगी इससे आम जनता पर भी भार नहीं पड़ेगा। आम जनता को राहत मिल जायगी। इसलिए जो टैक्सेज का इवेजन होता है या जो इस प्रकार की गलत हरकतें अधिकारी करते हैं उनके साथ सख्ती का बरताव करना चाहिये। हालांकि कई अधिकारी ईमानदार भी हैं लेकिन जो बेईमान अधिकारी हैं उन पर पूरी तरह से कन्ट्रोल होना चाहिये ताकि राज्य की आमदनी बढ़ सके।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रघुनाथ विश्नोई।

(अनुपस्थित)

माननीय वित्तमन्त्री।

श्री विजय सिंह रावत (नसीराबाद): उपाध्यक्ष महोदय, जिनके नाम थे वे तो सब बोल चुके। अब हम लोगों को भी मौका दे दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : समय की बहुत कमी है और आगे खण्ड शः विचार होना बाकी है उसके बाद तृतीय वाचन पर बहस होगी। अतः मैं अब बोलने का समय नहीं दे सकता।

श्री विजय सिंह रावत : हम समय ज्यादा नहीं लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : बिना रेस्ट्रिक्शन के काम नहीं चलेगा।

श्री विजयसिंह रावत : श्री रघुनाथ विश्नोई बोलते तो कम से कम तीस मिनिट लग जाते। हमें वह समय दे दिया जाय। हम पांच पांच मिनिट से ज्यादा नहीं बोलेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : वित्तमन्त्री महोदय। मैं समय नहीं दे सकता।

श्री मथुरादास माथुर (वित्तमन्त्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान करारोपण विधेयक पर माननीय सदस्यों ने अपने अपने विचार रखे। वैसे तो बजट की बहस के दौरान में और उसके बाद में भी इस विधेयक को जब विचारार्थ लिया गया उस समय भी कई माननीय सदस्यों ने अपने सुझाव रखे हैं। मैं इस बात की कोशिश करूंगा कि जो माननीय सदस्यों ने बड़े बड़े मुद्दे उठाये हैं उनका उत्तर दूं।

सब से पहले यह प्रश्न हमारे कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने, अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने और जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने उठाया था कि विधान की धारा 304 (बी) के अन्तर्गत जब तक प्रेसीडेन्ट की असेन्ट नहीं हो जाती है तब तक इस बिल को नहीं लिया जा सकता। इसके साथ उन्होंने यह भी कहा कि यह बिल फ्रीडम आफ ट्रेड एन्ड कोमर्स में बाधा डालने वाला है। खास तौर से अलवर से आन वाले माननीय सदस्य ने सेल्स टेक्स की दर को जो हम पन्द्रह परसेंट लेजाना चाहते हैं उसको इनके कहने के अनुसार 304 (बी) के तहत हम नहीं कर सकते और अगर करते हैं तो फ्रीडम आफ ट्रेड और कॉमर्स पर प्रभाव पड़ता है।

उपाध्यक्ष महोदय, इस सिलसिले में मैं ज्यादा समय न लेकर यह कहूंगा कि यह संवैधानिक मेटर है। जो इस पर हम विचार रखते हैं वे अपने अपने विचार होते हैं। फाइनल तो कोर्ट आफ लॉ ही फैसला कर सकता है। अगर हम किसी संवैधानिक मामले पर विचार करते हैं तो जब हम यह समझें कि यह प्राइमाफेसी है तो उस पर अपने विचार रख सकते हैं। मैं इस बात को मानने के लिये तैयार नहीं हूं कि यहां पर 304 (बी) क्लॉज लागू होता है। सेल्स टैक्स अमेन्डमेंट बिल जो रखा है उस पर यह धारा लागू नहीं होती। 304 (बी) यह कहता है:—

"Impose such reasonable restrictions on the freedom of trade, commerce or intercourse with or within that State as may be required in the public interest:

Provided that no Bill or amendment for the purposes of clause (b) shall be introduced or moved in the Legislature of a State without the previous sanction of the President."

इसको आधार लेकर मैम्बर साहबान ने बहुत बहस की है। मैं इसके लिये आन्ध्र हाईकोर्ट का जो रूलिंग है जिसमें उन्होंने 304 (बी) को बहुत विस्तार पूर्वक डिसकस किया है उस ओर निवेदन करना चाहूंगा। उसमें यह कहा गया है कि अगर यह मान लिया जाय तो फिर तो सेल्स टैक्स कहीं पर लगाते हैं तो उससे इन्टर स्टेट ट्रेड में बाधा हो सकती है। वैसे आज भी केरल में, महाराष्ट्र में गुजरात में इन्डियन मेड फोरिन लिकर पर पच्चीस से पचास परसेंट तक टैक्स है। विधान में जो

(श्री मथुरादास माथुर)

स्टेट्स के लिये शिड्यूल है उसमें स्टेट्स को अधिकार है कि वह टेक्स इस प्रकार के लगा सकती है। यहां तो पन्द्रह परसेन्ट है जब कि दूसरे राज्यों में पचास परसेन्ट तक लगा रखा है। टेक्स के क्वान्टम के आधार को देखा जाय तो जहां 304 (बी) के अन्तर्गत एक तरफ टैक्स लगाने का अधिकार दिया है और दूसरे से उसको लेना चाहते हैं। यह हो नहीं सकता इस चीज को आंध्र हाई-कोर्ट ने जहां पर इसी प्रकार सेल्स टैक्स का मुद्दा उठाया गया था उसके ऊपर बहुत साफ और विस्तार पूर्वक वहां के हाईकोर्ट के न्यायाधीशों ने विचार किया है और अपना निर्णय दिया है।

और मैं आपके सामने उसके खास खास मुद्दे रख देना चाहता हूं जिससे माननीय सदस्यों को संतोष हो।

"Sales Tax–Andhra Pradesh General Sales Tax (Second Amendment) Act (2 of 1959)–The amending Act does not attract proviso to clause (b) of Art. 304 of the Constitution.

The Act does not operate as a restriction on the freedom of trade contemplated by Part XVII of the Constitution, especially, Art. 304 (b) and consequently, the proviso to Art. 304 (b) is not attracted.

It is clear from the language of cl. (b) of Art. 304 and the proviso that it is only taxes which hamper the freedom of trade or commerce that are attracted by the proviso. A tax on the sale or purchase of goods does not interfere with the flow of trade, commerce or intercourse. Taxes which are levied for augmenting the revenues of the State cannot come within the ambit of cl. (b) unless it is shown that they directly affect the trade or commerce. If they impinge indirectly or remotely, it is difficult to bring them within the mischief of cl. (b). Consequences which are indirect and remote cannot be governed by this clause.

यह उन्होंने इस बात को बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा है।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : सुप्रीम कोर्ट का तो कोई फैसला नहीं है: यह किसका है ?

श्री मथुरादास माथुर : Andhra–AIR 1964- page 264- Supreme Court.

आन्ध्र हाई कोर्ट में जो पोइंट आपने उठाया उसी इश्यू पर यह हुआ है।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : ग्रार्टिकल 19 को बहुत यूज किया गया है। मैं ग्राप से सहमत हूं कि सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट निर्देश नहीं है। ट्रेड ग्रौर कोमर्स पर ग्रापके इस प्रकार के रेस्ट्रिक्टशन होंगे तो वह उचित नहीं होगा। जिस प्रकार ग्रापने टैक्स लगाया 10 से 15 परसेंट किया....

श्री मथुरादास माथुर : मैंने शुरू में ही कहा था। ग्राप लेट ग्राये।

Quantum of tax is not material.

केरल में 50 परसेन्ट है टैक्स फौरिन लिकर पर। इन्टरट्रेड में यह हेम्पर करेगा ग्रापका यह लोजिक नहीं चलेगा। मेरे कहने का मतलब है 304 (b) does not apply to this Bill.

यह बिल किसी प्रकार इम्पींच नहीं करता है।

श्री कृष्णकुमार गोयल ; टैक्स लगा दिया, हर एक प्रकार से रेस्ट्रिक्शन हो यह उचित नहीं होगा। जो बिल में पावर लेने वाले हैं उससे राजस्थान का सारा ट्रेड दूसरी स्टेट्स में डाइवर्ट हो जावेगा इस टैक्स के लगा देने से। राजस्थान का व्यापारी ग्रफेक्ट होगा निश्चित रूप से। ग्रापकी जो टैक्सेशन पोलिसी है, ग्रार्टिकल 19 के ग्रन्तर्गत फ्री ट्रेड है उसके ग्रन्दर हिन्डरेन्स होगी।

श्री मथुरादास माथुर : ग्रापने जो बात रेज की उसी के लिये कह रहा हूं। इस जजमेंट के एक्सट्रेक्ट ग्रापके सामने पढ़ कर सुनाना चाहता हूं।

"For the tax to become a prohibited tax, it has to be a direct tax the effect of which is to hinder the movement part of trade. So long as a tax remains compensatory or regulatory, it cannot operate as a hindrance."

"The Constitution makers must have intended that under those items the States will be entitled to raise revenues for their own purposes. If the widest view is accepted, then there would be for all practical purposes, an end of State autonomy even within the fields alloted to them under the distribution of powers envisages by our Constitution. An examination of the entries in the lists of the Seventh Schedule to the Constitution would show that there are a large number of entries in the Sate list (list II) and the concurrent list under which a Sate legislature has power to make laws. Under some of these entries, the State Legislature may impose different kinds of taxes and duties, such as peoperty tax, profession tax, sales tax, excise duty etc.

(श्री मथुरादास माथुर)

and legislation in respect of any one of these items may have an indirect effect on trade and commerce. Even laws other than taxation laws, made under different entries in the lists referred to above, may Indirectly or remotely affect trade and commerce. If it be held that every law made by the Legislature of a State which has a repercussion on tarrifs, licensing, marketing regulations, price control etc. must have the previous sanction of the President, then the Constitution, in so far as it gives plenary power to the states and State Legislatures in the fields allocated to them, would be meaningless. In our view, the concept of freedom of trade, commerce and intercourse postulated by Articles 301 must be understood in the context of an orderly society and as part of a Constitution which envisages a distribution of power between the States and the Union, if so understood, the concept must recognise the need and the legitimacy of some decree of regulatory control whether by the Union or the States, this is irrespective of the restrictions imposed by the other articles in Part XIII of the Constitution...."

उसके बाद में आगे जाकर इस पोइन्ट पर विस्तार पूर्वक उन्होंने यह कहा कि टैक्स की रिमोटनेस हो तो डाइरेक्ट टैक्स होना चाहिये। आपने यहां पर ओटोमोबाइल्स का जो फेमस केस हुआ है उसका भी रेफरेन्स दिया था। उसमें भी उन्होंने कहा था। तीन कन्डीशन्स को उन्होंने माना है।

(1) That it poses a restriction directly and immediately upon the flow of movement of persons, animals or goods;

(ii) That the impugned law is not merely regulatory of compensatory in nature.

(iii) That a regulatory law may also infringe the freedom and come under art. 304 (b) if the burden imposed is excessive and deterrent so that instead of facilitating trade and commerce infact hampers them.

यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। ओटोमोबाइल्स वाला फेमस केस हुआ था उसके सम्बन्ध में है। डाइरेक्टली सेल्स टैक्स का सवाल नहीं था वहां तो पैसेन्जर टैक्स का सवाल था। ऑब्जर्वेशन में तीन बातें

Page No.115

(श्री मथुरादास माथुर)

कही। 304 (बी) और ट्रेड और कामर्स में इन्फीन्जमेन्ट हुआ यह कहा। आंध्र का केस कहा।

श्री कृष्णकुमार गोयल : मैसूर के बारे में कह रहा हूं।

श्री मथुरादास माथुर : सुप्रीम कोर्ट में तो ओटोमोबाइल्स वाला फेमस केस हुआ। उसके लिये कह रहा हूं। उसी गाईडिंग लाइन्स को लेकर आन्ध्र हाइकोर्ट ने भी कहा, अपने ही जैसा अमेन्डिंग बिल था, एप्लाई नहीं हो सकता है और इन्फिन्ज नहीं करता है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : मैं स्पष्ट रूप से कहूंगा कि यह जनरल ट्रेड को अफेक्ट करने वाला है और राजस्थान का सारा ट्रेड डाइवर्ट हो जावेगा।

माननीय वित्त मंत्री ने बताया और आर्टिकल 304 (b) और 19 को डिस्टिन्गिवश किया। मैं तीन चार लाइनें पढ़कर सुनाना चाहूंगा :

It seems to us that Art. 19 is connected with the rights of individuals and the rights of individuals provided under Art. 301 should be confined only to trade commerce and intercourse............

तो मैं वह ही अर्ज कर रहा हूं। रेट बढ़ा रहे हैं 10 से 15 परसेन्ट। नोटिफिकेशन निकाल कर रेट्स बढ़ायी। इसका व्यक्तिगत रूप से किसी पर असर होने वाला नहीं है लेकिन ट्रांसपोर्ट और लग्जरी गुड्स का जो ट्रेड है वह सारा का सारा अफेक्ट होने वाला है। यह सारा ट्रेड राजस्थान से हट कर दूसरी स्टेट की तरफ डाइवर्ट होगा और इस बिल के द्वारा सारे ट्रेड को रेस्ट्रिक्ट करने जा रहे हैं तो निश्चित रूप से संविधान की धारा का स्पष्ट उल्लघन है।

श्री मथुरादास माथुर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने यह दलील दी! पहले भी जब उन्होंने कल बात कही थी तो कहा था। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस पोइन्ट के ऊपर मैंने खास तौर से स्टेडी की और आन्ध्रप्रदेश हाईकोर्ट का रूलिंग मेन्शन किया। उसमें साफ कहा है कि टैक्स मेटेरियल नहीं है और उन्होंने बिल्कुल सेल्स टैक्स के आधार पर ही रूलिंग दी है और उनमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जो रूलिंग हुए थे उसमें जो प्रिन्सिपल ले डाउन किये गये हैं उनमें भी उनको डिसकस किया गया था। ऐसी सूरत में कोई भी स्टेट लेजिस्लेचर काम्पीटेन्ट है इस बात के लिए कि वह सेल्स टैक्स लागू कर सके, सेल्स को बढ़ा सके और सेल्स टैक्स को कितना बढ़ाये और कितना नहीं यह प्रश्न आज आप सोचते हैं वह इतना रिमोट है जिसके लिए आप कहें कि 10 से 15 परसेंट करने जा रहा हूं इसलिए यह रेवेन्यू पाइन्ट आफ व्यू से तो नहीं कह सकते यह मैं मानता हूं इसलिए मैंने अपने भाषण में

(श्री मथुरादास माथुर)

भी शुरू में कहा था कि मैं दो बातों का ध्यान रखता हूं कि जो टेक्सेज़ मैंने लगाये हैं, नये-पुरानों की तो बात नहीं कहता लेकिन जो मैंने नये टैक्सेस लगाये हैं, एक तो यह कि वह अधिक इतना न हो कि लोग उसे पे न कर सकें और दूसरे साथ ही साथ में बेलेन्स आफ ट्रेड भी डिस्टर्ब न करे। उसी आधार को लेकर मैं टैक्स के मामले में चल रहा हूं। इसलिए मैं, उपाध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज के दिन सेल्स टैक्स की दरें हिन्दुस्तान में अलग अलग हैं। अगर आज कहीं पर 10 परसेन्ट हैं तो कल 20 परसेंट हो सकती हैं। दिल्ली में भी बढ़ सकती हैं। कोर्ट की रूलिंग के डिसीजन से इधर उधर हम नहीं हो सकते। मेरा ट्रेड आज कोई मद्रास लेने वाला नहीं है। मेरा ट्रेड यदि कोई लेने वाले हैं तो वह या तो दिल्ली है या फिर अहमदाबाद है। तो वह बात तो फिर भी समझ में आ सकती है कि बेलेन्स आफ ट्रेड को डिस्टर्ब कर सकता है लेकिन मैं समझ नहीं सकता कि सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट कहे कि मैं रेस्ट्रिक्शन डाल रहा हूं कामर्स एण्ड ट्रेड के ऊपर तो यह मैं नहीं मानता हूं। अगर हम दूसरी जगह के टैक्स को लेते हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि राजस्थान लेजिस्लेचर दिल्ली और अहमदाबाद के कानूनों से गवर्न होने लग जायेगा या यों कहें कि इनीशियेटिव उनके हाथों में चला जायेगा। रेमिटेन्स के अन्दर जैसा सोचते हैं उसके बारे में भी आन्ध्रप्रदेश हाईकोर्ट ने कहा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 304 (बी) में न तो प्रेसीडेंट की इजाजत लेने की जरूरत है क्योंकि यह इस पर लागू नहीं होता है और न रस्ट्रिक्शन आॅन ट्रेड आॅर बिजनेस होता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि यदि आपकी बात मानी जाय तो स्टेट लेजिस्लेचर इनकाम्पीटेन्ट हो जायेगी इसलिए 304 (बी) का अध्ययन करके ही मैंने फैसला किया है कि हम कोई अन्कॉस्टिट्यूशनल कार्यवाही नहीं कर रहे हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुछ और मुद्दों की तरफ जो माननीय सदस्य ने उठाये हैं उनकी तरफ सदन का ध्यान खींचूंगा। हमारे यहां पर जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने दौराने अपनी तकरीर करते हुए इस बात पर बड़ा जोर दिया था कि नॉन टैक्स रेवेन्यू राजस्थान में बराबर गिरता जा रहा है। मेरा खयाल है कि जब वह अपनी दलील दे रहे थे वह एक राज्य सरकार द्वारा प्रकाशित पुस्तिका के आधार पर अपनी बात कह रहे थे। मैं उस में डिस्प्यूट नहीं करता। नॉन टैक्स रेवेन्यू राजस्थान की 1951 से 4 करोड़ से 40 करोड़ की हो गयी, वह बढ़ी है। लेकिन इसके बढ़ने में कोई तारीफ या काबलियत का नमूना हो यह बात नहीं है। क्योंकि नान-टैक्स रेवेन्यू में पब्लिक बोरोइंग्स, लोन्स वगैरह और जो गवर्नमेंट आफ इन्डिया से पैसा मिलता है वह सब ही आते हैं। यह कोई स्टेट गवर्नमेंट की प्रोस्पेरिटी का इन्डीकेशन भी नहीं है। इसलिए नान-टैक्स रेवेन्यू के आधार पर बहुत सी बातें उस दिन कहीं। नान-टैक्स रेवेन्यू पब्लिक सैक्टर, स्टेट एन्टरप्राइजेज, इन्डस्ट्रीज कामर्स एण्ड ट्रेड, कोआपरेटिव मूवमेंट और जितने

(श्री मथुरादास माथुर)

भी पब्लिक सेक्टर आरगेनाइजेशन्स हैं उनके जरिये से अगर आप इकानामी को रीजनरेट करते हैं तब तो क्रेडिट है वर्ना हम जम्मू एण्ड कश्मीर के अन्दर सबसे ज्यादा नान–टैक्स रेवेन्यू है करीब 1966–67 में 91 परसेन्ट जम्मू और कश्मीर के अन्दर नान–टैक्स रेवेन्यू हो जायेगी क्योंकि गवर्नमेंट आफ इन्डिया से उनको सेन्ट परसेन्ट असिस्टेन्स मिलती है।

श्री भैरोंसिंह : यह फिगंस तो आप तैयार नहीं करते हैं।

श्री मथुरादास माथुर : यह तैयार होती है और नान टैक्स रेवेन्यू के अन्दर हम फिगंस देते हैं उसमें सब चीजें आ जाती हैं उसके काम्पोनेन्ट में।

श्री भैरोंसिंह : आप यह बता सकते हैं कि सेन्ट्रल असिस्टेन्स को निकालने के बाद आपकी नान–टैक्स रेवेन्यू किस परसेन्टेज में बढ़ रही है ?

श्री मथुरादास माथुर : उससे तो आपको इन्क्रीज ही मिलेगा क्योंकि कुछ स्टेट एन्टरप्राइज नये आये हैं। लेकिन हम इस पोजीशन में नहीं है........

श्री भैरोंसिंह : राजस्थान की सरकार ने कभी इसके आंकड़े तैयार किये हैं क्या ?

श्री मथुरादास माथुर : वह तो स्टेट एन्टरप्राईजेज जितनी है उनका तो सदन में बजट पेश होगा।

श्री भैरोंसिंह : आप इसको स्टे- एन्टर-प्राईज तक ही सीमित नहीं कर सकते। रेवेन्यू के जितने भी कम्पोनेन्ट्स हैं सेन्ट्रल असिस्टेन्स को मिलाकर वह आंकड़े कभी आपने तैयार किये हैं क्या ?

श्री मथुरादास माथुर : बजट के अन्दर सब कुछ है। बजट डाकुमेंट्स को देखिये पब्लिक बोरोइंग्स मौजूद है।

श्री भैरोंसिंह : यही तो मैं कह रहा हूं कि पब्लिक बोरोइंग्स को निकालने के बाद, सेन्ट्रल असिस्टेन्स को निकालने के बाद आपके एफर्ट्स से नान टैक्स रेवेन्यू कितनी बढ़ी है ?

श्री मथुरादास माथुर : बजट में मौजूद है। यह कोई बताने की बात नहीं है।

श्री रामकिशन (वैर) : इसमें एक कन्फ्यूजन है और नया पैटर्न बनाना चाहिए कि नान टैक्स रेवेन्यू के नाम से बढ़ते हैं तो वह सारी चीजें शामिल हो जाती हैं। तो जो बजट आपने रखा है उसमें नान टैक्स रेवेन्यू में स्टेट एन्टरप्राईज से और दूसरी आमदनी रखी है और दूसरी आमदनी को जोड़ कर रखें तो पता चले लेकिन नान टैक्स रेवेन्यू जिस परिभाषा में हम चाहते हैं वह नहीं मिलती है।

श्री मथुरादास माथुर : जो आप कह रहे हैं वही निवेदन कर रहा हूं। नान–टैक्स रेवेन्यू की सभी स्टेट्स में वही मैथेडोलाजी है। यह कोई नान-टैक्स रेवेन्यू का कोई बढ़ना प्रॉसपेरिटी का इन्डीकेशन नहीं है।

(श्री मथुरादास माथुर)

सारी चीजें बजट में है लेकिन जैसा ग्रापने कहा कि कलेक्टिवली मानकर प्राडक्टिव परपज में कितनी रेवेन्यू हुई उसकी हमारे यहां फिगर्स नहीं है। लेकिन कोई चाहे तो उनको बजट में से इकट्ठी कर सकता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं इस नान टैक्स रेवेन्यू के ग्रन्दर ज्यादा इतनी लम्बी बहस हुई उसमें नहीं जाना चाहता हूं। बाकी वह थोड़ी कोशिश करते घन्टा भर बजट के डाकुमेंट्स को पढ लेते तो यह फिगर्स इकट्ठी कर सकते थे लेकिन कम्पाइल करने की तकलीफ तो होती है।

इसके साथ ही साथ, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह भी बहुत दलील जोरों से दी ग्रौर काफी समय लेकर दी कि राजस्थान के ग्रन्दर ग्रौर हिन्दुस्तान के मुख्तलिफ स्टेट्स में थर्ड प्लान का एक्सपेन्डीचर जो प्लान का सीलिंग था उससे कम खर्च किया ग्रौर उन्होंने सीलिंग कोट किया जो कि ग्रोरीजीनल था 236 करोड़ का उसके बाद में सदन जानता है कि हमने कोर ग्राफ दी प्लान बना कर सीलिंग को रिवाइज कर दिया ग्रौर उसकी फिगर्स 208 करोड़ पर ग्रा चुकी थी। उसके ग्रगेन्स्ट में हमने एक्सपेन्डीचर 212 करोड़ का किया। कोर ग्राफ दी प्लान इस सदन ने मन्जूर किया ग्रौर 208 की जगह 212 करोड़ खर्च कर दिया....

श्री रामकिशन : इसमें थोड़ा सशोधन करना होगा कि तीसरी पचवर्षीय योजना की फाइनल प्रगति रिपोर्ट में बताया 212 ग्रौर चौथी पंचवर्षीय योजना का जो प्रारूप है उसमें बताया 204 इनमें सही कौन सा है ?

श्री मथुरादास माथुर : दोनों सही है। यह मैं बता देता हूं कि 208 की जो प्लान की योजना थी वह 208 से 204 खर्च किया ग्रौर फिर सेन्ट्रल स्पोन्सर्ड स्कीम के भी रुपये खर्च हुए। टोटल एक्सपेन्डीचर राजस्थान के ग्रन्दर 212 करोड़ का हुग्रा। ग्रब प्लान ग्रॉरीजिनल था उसमें 204 करोड़ है ग्रौर रूरल वाटर सप्लाईंग स्कीम ग्रौर रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के ग्रन्दर कुल मिलाकर 212 करोड़ खर्च किया.......

तो इसलिए जो बाहर से ग्राने वाला पैसा है उसको मिलाकर हमने 212 करोड़ रुपया खर्च किया है 208 करोड़ की जगह पर। तो जो दूसरी स्टेट के लिए कहा जाता है कि उन्होंने ज्यादा खर्च किया तो हमने भी इस तरह से ज्यादा पैसा खर्च किया है।

श्री रामानन्द ग्रग्रवाल : ग्रापने ग्रपने प्लान में से तो 208 करोड़ में से 204 करोड़ ही खर्च किया है।

श्री मथुरादास माथुर : उनकी स्टेट्स के ग्रन्दर भी जो सेंट्रल ग्रसिस्टेंस है ग्रौर उसके ग्रन्दर टोटल एक्सपेंडीचर लगाया गया है इसलिए मैं भी ग्रपने प्लान में उस ग्रमाउन्ट को शामिल करता हूं। उनके प्लान में भी सेंट्रल ग्रसिस्टेंस शामिल है इसलिए मेरे में भी शामिल है। इसलिए ग्रगर कम्पेयर करते हैं तो दोनों को कम्पेयर करना होगा ग्रौर इससे यह बात भी साफ हो जाएगी।

(श्री मथुरादास माथुर)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, और भी कुछ बातें यहां पर कही गई कि मैं जो थर्ड प्लान का डाकूमेंट है वह प्रवॉइड कर रहा हूं, उसको सदन के सामने नहीं रख रहा हूं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी बात को सुन कर मैं भी बहुत कन्फ्यूज हो गया था कि क्या बात है। थर्ड प्लान का पूरा विवरण, यह जो प्रोग्रेस रिपोर्ट, 1961 है जो कि अंग्रेजी में है, यह तो छप गई है इसका हिन्दी डाक्यूमेंट अभी छप रहा है। ट्रांसलेशन होकर प्रेस में गया हुआ है, वहां डिले हो रही है, इसलिए मैंने इसकी चार पांच कापीज तो सदन में भेज दी थीं....

श्री भैरोंसिंह: यह भी तो अभी इन्कम्पलीट है। तीसरी पचवर्षीय योजना की प्रोग्रेस रिपोर्ट आइटम वाईज और हैड वाईज आनी चाहिए कि इतने रिसोर्सेज थे इतनों का मोबीलाईजेशन हुआ, इतना खर्चा हुआ, यह सब कुछ इसमें नहीं है। क्या एम्पलायमेंट पोटेशियल्टिी क्रियेट हुई, इन सब को इसमें टच नहीं किया गया है। जहां 2 गवर्नमेंट की वीकनेसेज थी उनको टच नहीं किया गया है और जो गवर्नमेंट के अचीवमेन्ट्स हैं उनको दर्ज कर दिया गया है।

श्री मथुरादास माथुर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गवर्नमेंट की....

श्री रामकिशन : इसमें डिस्ट्रिक्ट वाईज ब्रेकअप नहीं दिया गया है।

श्री मथुरादास माथुर : मैं इसका भी जवाब दूंगा, इसमें सब कुछ आइटम-वाइज दिया गया है....

श्री रामकिशन : जैसा पहले दिया था वैसा नहीं है।

श्री मथुरादास माथुर : जो बजट के प्रपोजल्स हैं उनके अन्दर अलग अलग हर हैड में इन्फोर्मेशन मिलेगी, एक्सपेंडीचर की इन्फोर्मेशन मिलेगी.......

श्री भैरोंसिंह : अगर बजट में ही इन्फार्मेशन है तो फिर इस किताब को बनाने की क्या आवश्यकता थी? बजट से ही सारी चीज लेना है तो फिर इस किताब की क्या आवश्यकता है?

श्री मथुरादास माथुर : यह किताब तो एन्यूअल रिपोर्ट के रूप में हर साल निकलती है। पांच साल के जो टोटल अचीवमेंट्स हैं उनको कम्पाईल करके पेश किया जाता है। यह क्रिटिसिज्म हो सकता है कि एक दो बातें रह गई हों तो यह बात समझ में आ सकती है, मगर यह कहना कि गवर्नमेंट की वीकनेसेज को छिपाने की कोशिश की जा रही है तो यह बात नहीं है। इसमें तो टोटल अचीवमेंट्स की तस्वीर सामने रखी जाती है। यह अंग्रेजी में है, अभी तक हिन्दी में छप रही है, थोड़े दिनों में कम्पलीट होकर सदन के सामने रख दी जाएगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने कुछ

(श्री मथुरादास माथुर)

मुद्दे रखे। उन्होंने खास तौर से दो केसेज का रेफरेन्स सदन में किया था। एक तो मेसर्स ईस्टर्न कोमोडिटि प्राईवेट लिमिटेड, जयपुर का मामला था। उन्होंने कहा कि इनकी अकाउन्ट्स बुक्स दो तीन साल से पड़ी हुई हैं उनका मिसयूज हो रहा है, उनको जान बूझकर नहीं दे रहे हैं। इस सम्बन्ध में जो जानकारी मुझे मिली है उसके अनुसार इस फर्म के अकाउण्ट्स को 7-10-65 को कॉमर्शियल टेक्सेशन, आफिसर सर्वे एण्ड इन्वेस्टीगेशन, जयपुर ने, इन किताबों को देखने के बाद में 29-12-65 को ही यानि दो महीने बाद में ही कमर्शियल टेक्सेशन आफिसर ने उस फर्म को ये किताबें ले जाने को कहा था कि वह अपनी किताबें ले जांय। उस फर्म के रिप्रेजेन्टेटिव भी आये थे और उन्होंने उन किताबों को वहां से ले जाने के बजाय एक सिविल सूट फाइल कर दिया उस आफिसर के खिलाफ कोर्ट में। वह केस अभी चल रहा है और हम पर चार्ज लगाया जा रहा है कि किताबें नहीं दे रहे हैं। जब कि किताबें दो महीने के बाद ही यानि 7-10-65 को किताबें सीज की गईं और 29-12-65 को ही चिट्ठी लिख दी गई कि अपनी कताबें ले जाओ। उस लेटर का नम्बर है 508/ सीटि. को/65...

श्री कृष्णकुमार गोयल : माननीय मन्त्री महोदय तो यह बतायें कि किस तारीख को किताबें सीज की गईं और कौन कौन सी किताबें किस किस की प्रेजेंस में सीज की गईं और रिसीट किसके सामने दी गई ? जो कागजात सीज किए गए उनकी रसीद कौन सी तारीख को दी गई ?

श्री मथुरादास माथुर : मैं इसका भी आपको जवाब दे रहा हूं। मैंने आपको बताया कि 7-10-65 को किताबें सीज की गईं और दो महीने बाद ही 29-12-65 को चिट्ठी लिख दी गई कि तुम अपनी किताबें ले जाओ। उस चिट्ठी की डेट और नम्बर मैं पढ़कर आपको बता रहा हूं। उसके बाद में भी बराबर कहा कि तुम अपनी किताबें ले जाओ, लेकिन उस फर्म ने अपनी किताबें ले जाने के बदले सिविल सूट फाईल कर दिया है और जान बूझ कर अपनी किताबें नहीं लेजा रहे हैं। हमारे पास ऐसा कोई कानून में प्रावधान नहीं है, नहीं तो हम उनको रद्दी में बेच देते।

श्री विजयसिंह रावत : इस लेटर का एक्नोलेजमेंट है ?

श्री मथुरादास माथुर : सब कुछ है, वह भी फाईल के अन्दर मौजूद है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : सिविल सूट दायर करने के पहले सेक्शन 80 के अन्दर क्या सरकार को नोटिस मिला था ? मेरी जानकारी है कि उस नोटिस के मिलने के पश्चात् ही सरकार ने उन कागजातों को लौटाने की बात लिखी है ?

श्री मथुरादास माथुर : मैंने आपको बता दिया कि 7-10-65 को किताबें सीज् हुईं और उसके बाद 29-12-65 को ही चिट्ठी लिख दी कि आप अपना रिकार्ड ले जाओ। वह क्यों नहीं ले गए, इसमें क्या कारण हैं, इस सब की जांच हो सकती है। लेकिन यह चार्ज कि जान बूझ कर किताबें रोक रखी हैं, यह चार्ज बिल्कुल निराधार है।

(श्री मथुरादास माथुर)

दूसरी बात मेसर्स केसरीलाल लालचन्द जयपुर के बारे में कही गई। इन किताबों को 29-12-63 को सीज किया गया। उसके सम्बन्ध में यह कहा गया कि सात साल हो गए हैं, तो अभी तक तो सात साल नहीं हुए हैं, साढ़े तीन साल ही हुए है, फिर भी मैं इन सब बातों में नहीं जाता।

Notices have been issued to the party but the party did not co-operate with the department and they went in the Board of Revenue.

फिर उसके बाद में The case remained in the Board.

उसके बाद में रेवेन्यू बोर्ड में पड़ा रहा।

Thereafter the Stay was vacated by the Board early 1967. स्टे हो गया था। अब 1967 की जनवरी या फरवरी में स्टे वैकेट हुआ है फिर उसके बाद में पार्टी को नोटिस दिया जा रहा है कि मेहरबानी करके अपनी एन्ट्रीज को एक्सप्लेन कीजिए, अपने एतराजात को एक्सप्लेन कीजिए। पार्टी आ नहीं रही है। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि अगर वह पार्टी आपके इन्फ्लूएन्श में हो, आपसे मिलने आये तो उससे कहें कि मेहरबानी करके वहां जाकर एक्सप्लेन करसे अपना केस रफा दफा करें ताकि सदन का समय भी बर्बाद न हो। आपका भी बहुत वेल्यूएबल टाईम है, मैं जानता हूं, वे आपके पास आते हैं, आपसे कहते हैं फिर आप उनकी बात को यहां पर दोहराते हैं, और फिर मुझे उसका जवाब देना पड़ता है, इसमें सदन का समय जाता है, इससे रेड टैप चलता है, इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इसको हल करवा दें। फिर भी अगर आप समझते हैं कि डिपार्टमेंटल हरेसमेंट है तो राज्य सरकार की यह नीति है कि उनको हरेस नहीं किया जाय। हम इसको निपटाने में ज्यादा से ज्यादा सहायता देंगे। अब तो कानून ही बना रहे हैं तीन महीने का।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने शिमला की प्रोपर्टी के बारे में कहा था। शिमला में जो धौलपुर हाउस है जो कि राजस्थान को मर्जर के टाईम पर मिला था उसकी बीस हजार में सैल के बारे में यहां पर कहा गया था। यह बात ठीक है कि बीस हजार के अन्दर इसका बेचाननामा हो गया। मगर इसके पहले मैंने उस फाईल को पूरा पढ़ने की कोशिश की है। यह प्रोपर्टी सबसे पहले एज अर्ली एज इन नाइन्टीन फिफ्टी सिक्स में गवर्नमेंट आफ इण्डिया ने हैंड ओवर की थी। उसके बाद में इसका ऑक्शन हुआ और आक्शन में 35 हजार रुपये की बोली आई। 35 हजार की बोली लगाने के बाद में वह आदमी जिसने बोली लगाई थी, मुकर गया। अर्नेस्ट मनी भी उसकी जमा नहीं हुई थी कि जिसको सीज कर सकते। उस आदमी के बोली से मुकर जाने के बाद हमने गवर्नमेंट आफ इण्डिया को कहा कि आप ले लो इसको, लेकिन वे तैयार नहीं हुए। इसके बाद हिमाचल प्रदेश की सरकार से कहा कि आप ले

(श्री मथुरादास माथुर)

तो वे भी तैयार नहीं हुए। इसके बाद पंजाब की सरकार से कहा तो वे भी तैयार नहीं हुए। यह प्रोपर्टी रोड से एसेसिबल नहीं है, शिमला के हाइएस्ट पोइन्ट पर यह प्रोपर्टी है। यह अपने आप में कम्पलीट वीदर्ड बिल्डिंग है। कुछ तो गिर चुकी है और कुछ गिरने को हालत में है।

और यह ऐसी हालत में थी कि यदि इसको रिपेयर करा कर हम किराये पर देते तो काफी पैसा रिपेयर्स में खर्च होता। उसको भारत सरकार ने छोड़ दिया और कोई लेने को तैयार नहीं था। रोड से एक्से सिबल नहीं थी। 8500 फुट की ऊंचाई पर यह बंगला बना हुआ था। पोनी पर चढ़कर जाना पड़ता था। वहां पर आकर कोई रहने वाला नहीं था। टूरिस्ट वहां पर ठहरने वाला नहीं था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वहां पर चला रही थी एक डिपार्टमेंट, कोई एकेडेमी। वह भी बन्द हो गई। हिमाचल प्रदेश ने इन्कार कर दिया कि हम इन्ट्रेस्टेड नहीं है। इसका ऑक्शन किया गया तो पहली बार जो बोली लगी वह 35 हजार की बोली लगी है लेकिन वह मुकर गया। फिर दुबारा बोली दी गई तो 11 हजार की बोली आई। फिर तीसरी बार ऑक्शन किया गया तो 12 हजार की बोली आई। तो 11 और 12 हजार से कोई आगे बढ़ ही नहीं रहा था। प्रोपर्टी डिटेरियोरेट होती गई तो पब्लिक वर्क्स मिनिस्टर जो उस वक्त लेट एच० एच० झालावाड़ थे उन्होंने कहा कि न तो किराया आता है और न इसको मैन्टेन कर पाते हैं और दिन पर दिन यह डिटेरियोरेट हो रही है। अगर यही हालत रही तो बरसात में कम्प्लीट गिर जायगी और यह जो रुपया आ रहा है वह भी नहीं आयेगा। कहां तो 35 हजार की बोली लगी थी और कहां 11 हजार और इससे आगे और लेने वाला नहीं था तो यह तय किया गया कि यह साहब कोई चेरीटेबल इन्स्टीट्यूशन चलाने वाले हैं और शिमला के रहने वाले हैं और उन्होंने 20 हजार का ऑफर दिया तो उसके बाद में चर्चा होने लगी। फाइनेन्स डिपार्टमेंट और पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में डिफरेन्स ऑफ ओपीनियन रही और आज तक भी है कि 20 हजार पर इसको नहीं बेचा जाना चाहिए और इसमें एक यूथ होस्टल कायम कर दें, मगर यूथ होस्टल बनायें तो 50 हजार या लाख रुपया लाये कहां से ? उसके बगैर यह प्रापर्टी रहने के लायक नहीं हो सकती है और बरसात में पानी गिरता है जोरों से तो चारों तरफ से इसका प्लास्टर सील भी हो चुका है, ऐसी सूरत के अन्दर फिर गवर्नमेंट ने फैसला किया कि...

श्री विजयसिंह रावत (नसीराबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, Point of order. Sorry. Point of informateon, Sir, आपने जो कहा कि हमने पंजाब गवर्नमेंट से, हिमाचल गवर्नमेंट से सब से रिक्वेस्ट की, लेकिन कोई लेने को तैयार नहीं हुआ तो बिल्डिंग को बेचने से पहले राजस्थान गवर्नमेंट ने एडवर्टाइजमेंट भी निकाला होगा, तो एडवर्टाईजमेंट कितने दिनों के लिए निकाला ? एडवर्टाईजमेंट निकालने के बाद कितने आदमियों ने उस एडवर्टाईजमेंट को रस्पोन्ड किया ?

श्री मथुरादास माथुर : यह तो शिमला के अन्दर ढोल पीटकर बताया गया।

श्री विजयसिंह रावत : अखबार में निकाला या नहीं ?

श्री मथुरादास माथुर : लोकल पेपर्स में निकाला गया हो। उसके बाद में इसकी कीमत जो मिली वह जाकर 35 हजार की बोली आई लेकिन उसने अर्नेस्ट मनी डिपाजिट नहीं कराया तो वह मुकर गया।

श्री रामकिशन : इसमें आप कह रहे थे कि इतनी खराब हालत थी तो जब मत्स्य बना और धौलपुर स्टेट मत्स्य मे मिली 45–46 में तो उस समय धौलपुर के राजा वहां जाकर ठहरते थे।

श्री मथुरादास माथुर : यह पता नहीं मुझे कि धौलपुर के राजा वहां ठहरते थे। मैंने तो इस प्रापर्टी की सन् 58 से फाइल बनी है उसको पूरी को पढ़ डाला है। 56 में गवर्नमेंट आफ इण्डिया ने खाली की है।

श्री भैरोंसिंह : आप एक जानकारी दे दें कि आपने ऑक्शन करने का जो नोटिस दिया उसमें बिल्डिंग ही शामिल थी या सारा वेस्ट लैण्ड भी जिसमें कि पेड़ खड़े हुए थे और वे पेड़ भी उसमें शामिल थे ?

श्री मथुरादास माथुर - लोकल लैन्ड भी शामिल थी, टोटल वेल्युएशन भी शामिल थी और टैक्स पेएबल ओन प्रापर्टी भी शामिल है।

श्री भैरोंसिंह : जिनके लिए नोटिस दिया है उनके लिए पूछ रहा हूं।

श्री मथुरादास माथुर : नोटिस पहले निकाला गया था। इसमें देखा नहीं। वह इस फाइल में नहीं होकर प्रापर्टी आफीसर की फाइल में है लेकिन जो गवर्नमेंट की फाइल है उसको मैंने देखा है और भी देख लूंगा। मैं इस बात में काफी इन्स्ट्रेस्टेड था इसलिए मैंने इतनी बड़ी फाइल कल कल में देख ली और यह जानने की कोशिश की है। मैं फेक्ट्स रख रहा हूं माननीय सदस्यों के सामने कि हमने इसको 20 हजार में क्यों बेचा। मैंने एक स्टेडी इसको क्रोनोलाजिकल व्हे में इसलिए रखी है कि आपको पता लग जाय कि राजस्थान गवर्नमेंट ने एफर्ट्स करने में कमी नहीं रखी है कि इसका ज्यादा से ज्यादा पैसा आ जाय। वह नहीं आया वह एक अलग बात है। वह फाइल देखनी पड़ेगी नोटिस के लिए तो।

श्री भैरोंसिंह : जिस समय आपने इसको डिसपोज ऑफ किया है तो कितने पेड़ खड़े हुए थे और एक्स्क्लूजिवली उनकी कितनी कास्ट हो सकती है ?

श्री मथुरादास माथुर : पेड़ कितने थे वह तो इस फाइल में नहीं है। इसमें एरिया-स्पेस लिखा है।

श्री शोभाराम : आपने फर्माया कि 35 हजार की बोली लगी वह मुकर गया

(श्री शोभाराम)

दूसरी बोली 11 हजार की लगी तो 24 हजार का घाटा बोली लगाने वाले से कायदे के मुताबिक वसूल कर सकते हैं।

श्री मथुरादास माथुर : वह कायदे के मुताबिक वसूल करने का प्रश्न इसलिए नहीं ग्राया कि उसने ग्रनेंस्टमनी जमा नहीं की। बोली दी गई तो रुपया लिया या नहीं वह कानून ग्रौर कायदे में है कि नहीं यह पूरी फाइल स्टेट ग्राफिसर के पास में है। गवर्नमेंट की फाइल को मैंने देखा है कि क्या बात हुई है।

श्री दौलतराम सारण : बिना रकम जमा कराये ही बोली कैसे दे दी उसने ?

श्री मथुरादास माथुर : बोली लगाने वाला एक ग्रादमी ग्राया था।

श्री शोभाराम : ग्रनेंस्ट मनी डिपोजिट किये बिना वह बोली लगाने का हकदार नहीं है।

श्री विजयसिंह रावत : ग्रॉक्शन करने से पहले....

श्री उपाध्यक्ष : Order please ! ग्राप यह स्पष्ट कर दें कि जो पहले बोली लगी है वह किसी एडवर्टाइजमेंट के ऊपर लगी है या यों हीं ग्राकर पेश हो गया है ?

श्री मथुरादास माथुर : एडवर्टाइजमेंट पर।

श्री भैरोंसिंह : एडवर्टाइजमेंट गजट में ग्राया हुग्रा होगा ?

श्री मथुरादास माथुर : Government has taken a decision that it should be notified and then it should be auctioned.

उसका एडवर्टाइजमेंट हुग्रा होगा। एडवर्टाइजमेंट करने के बाद क्या हुग्रा। बोली एक ग्राई उसके बाद वह नहीं ग्राया। फिर सेकण्ड टाइम बोली लगी ग्रौर फिर थर्ड टाइम बोली लगी। तीन टाइम बोली लगी उसका पैसा नहीं ग्राया तो 20 हजार में सेल किया। ग्रापने कल ही यह पॉइन्ट रेज किया था ग्रौर कल कल में फेक्ट्स जितने मिल सकते थे, एवेलेबल उनको जानने की कोशिश की है ग्रौर वह डिटेल्स ग्रापको बता दिये। नोटिस हुग्रा तो कहां पर हुग्रा....

श्री विजयसिंह रावत : जैसा कि मन्त्री महोदय फर्मा रहे हैं कि 35 हजार की बोली लगाने वाला मुकर गया। इसका मालूम नहीं कि गजट में जो नोटिफिकेशन के द्वारा जो नोटिस देकर ग्रॉक्शन करने को कहा गया था। इसका मालूम नहीं था कि क्या क्या प्रॉपर्टीज उस वक्त सम्मिलित थी। इसका मालूम नहीं कि ग्रॉक्शन होने से पहले क्या क्या नियम निर्धारित किये गये थे। बोली किस ग्राधार पर लगाई गई तो मालूम नहीं। तो फिर मालूम क्या है ? मालूम यह है केवल कि जो पूछा गया है उसका सही तौर से जवाब नहीं दिया गया है।

श्री मथुरादास माथुर : मुझे जो मालूम है वह मैं कह रहा हूं। इससे ज्यादा मालूम नहीं है। और जो मालूमात करने को हैं तो माननीय सदस्यों से निवेदन किया है कि फाइल मंगाकर देखूंगा।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं....

श्री उपाध्यक्ष : (किसी अन्य माननीय सदस्य के खड़े होने पर) Order please ! एक ही सदस्य बोलें। श्री गाड़िया !

श्री देवीदत्त गाड़िया : आप जो यह कह रहे हैं कि एक ही आदमी बोली लगाने वाला है तो एक आदमी बोली लगाने वाला वही है जिसने 11 हजार की लगाई ? वह कौन है ? दूसरा यह है कि शिमला में जितने समाचार पत्र हैं क्या उनमें विज्ञापन दिया गया है ? मैंने बताया था कि वहां की जनता को मालूम नहीं किया गया। इसकी जानकारी नहीं मन्त्री महोदय को। एक ही आदमी ने बोली दी हो 11 हजार। यह सब नाटक है। मन्त्री महोदय से मैं पूछना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल !

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय एक तो इसमें लीगल पोजीशन यह है कि जो पहला नीलाम है और जिस आदमी ने बिड लगाई है उसने अर्नेस्ट-मनी जमा नहीं कराया तो लीगल रेस्पान्सिबिलिटी उसकी उतना एमाउन्ट के पेमेन्ट करने की रहती है। इसीलिए गवर्नमेंट को जो यह कमी रह गई है 15 हजार की वह उसको उस शख्स से वसूल करना चाहिये, और जो गवर्नमेंट ने अभी तक उससे नहीं की है। यह कम्प्लेसेन्सी है गवर्नमेंट की।

नम्बर दो यह है कि माननीय मन्त्रीजी ने जो उत्तर दिया है उसमें जो स्थिति बताई गई है तो हमको यह तसल्ली नहीं हुई है कि किस तरह से उसका एडवर्टाइजमेंट किया गया है। यह सब मामला इस प्रकार का है कि माननीय मन्त्री जी स्वयं भी इससे संतुष्ट नहीं होंगे और ये फैक्ट्स यह इजहार करते हैं कि मामला फिशी है। इसलिए माननीय मन्त्रीजी इस बात को स्वीकार करें कि पूरी जानकारी करेंगे, पूरी जांच इन सारे तथ्यों की करेंगे। इसमें जानकारी करेंगे तो बिडर एक नहीं होकर चार आदमी हों और वह मामला ज्ञानचन्द जिन्होंने इसको खरीदा है उन्होंने ही बेनामी तरह से दूसरे लोगों को खड़ा करके बिड करवाया हो। इसकी पूरी जांच करके तथ्यों की जानकारी दें।

श्री मथुरादास माथुर : इतना मैं रिपीट कर सकता हूं कि बेनामी नहीं है। बाकी फेक्ट्स एण्ड फिगर्स देखकर जब मौका आयेगा तो उस टाइम पर बता दूंगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ हमारे भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने लाखों रुपयों के लीकेज के बारे में जोर दिया था तो मैं इस बात को मानता हूं कि लीकेज होता है तो इसके लिए हिदायत दी गई हैं कि सरप्राइज इन्सपेक्शन करो।

(श्री मथुरादास माथुर)

सरप्राइज जाकर वहां पर चैक करो। जिसकी वजह से लाखों का लीकेज कम हो। खास तौर से जिस नाके का उन्होंने रेफरेन्स दिया था उस पर नजर रखेंगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : माननीय मंत्रीजी चैक पोस्ट पर जो बोर्डर्स पर हैं उनमें जहां एक तरफ लीकेज होता है वहां दूसरी तरफ जो कन्जूमर्स हैं जिनका ट्रेड से कोई ताल्लुक नहीं है वे अपने लिए जो चीज लाते हैं उनको टैक्स देना पड़ता है। खास तौर से अलवर जिले में नोगांव इलाका है वहां पर जो भी आदमी अपनी जरूरत के लिए चीज लाया उस पर भी लगाते है टैक्स। वह कहते हैं कि या तो टैक्स दो या अलवर जाकर एक्जेम्पशन लाओ। वह समझते हैं कि टैक्स देकर पीछा छुड़ाओ। इसको देखें कि जो जेन्युइन टेड करने वाले हैं वह बचें नहीं और जो कन्जूमर हैं उन लोगों को टैक्स से मुक्त किया जा सके।

एक दो बातों में मैं भी सफर कर चुका हूं। मेरा खुद का भी अनुभव है। कोई किसान अपने ठेले के लिए टायर लाता है तो उससे भी दो सौ रुपये टैक्स मांग लिया जाता है। यह दिक्कत हम महसूस कर रहे हैं। आपको दिक्कत महसूस नहीं होती है क्योंकि जोधपुर में आपकी चैक पोस्ट बोर्डर पर नहीं है। यह दिक्कत आपको नहीं भुगतनी पड़ती है। मैं आपको निवेदन करूंगा कि इस सम्बन्ध में खास तौर पर कोई भी प्रोटेक्शन आप करें ताकि कन्ज्यूमर को अननैसेसरी हेरेसमेंट नहीं हो।

श्री मथुरादास माथुर- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब माननीय सदस्यों ने, जो भी कर इस साल लगाये गये, उनके सम्बन्ध में दो तीन मुद्दों पर विशेष रोशनी डाली है। एक तो सीमेन्ट को लेकर उन्होंने बहुत कुछ कहा। मेरी समझ में नहीं आता है कि सीमेन्ट के मामले में एग्रीकल्चरिस्ट और नान एग्रीकल्चरिस्ट में कैसे डिस्टिंक्शन करूं, इसलिए मैं इस मामले में कुछ भी करने में मजबूर हूं।

श्री विजय सिंह रावत : On a point of clarification Sir. जैसा मंत्री महोदय कह रहे हैं, वह विवश हैं, बस कैसे मालूम करें कि कौन एग्रीकल्चरिष्ट है और कौन नोन एग्रीकल्चरिस्ट है...

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय ने पूरी बात कही नहीं है और आपने पॉइन्ट ऑफ आर्डर उठा दिया।

श्री विजयसिंह रावत : पाइन्ट आफ आर्डर नहीं है, मैं पाइन्ट आफ इन्फोर्मेशन के द्वारा इन्फोर्मेशन मांग रहा हूं। मैं कहना चाहता हूं कि जिन काश्तकारों को आप लोन देते हैं, पंचायत समितियों और तहसीलदारों के द्वारा, और उस लोन के द्वारा ही किसानों द्वारा कूए खोदे जाते हैं और कूओं में धन लगाया जाता है और उन कूओं में सीमेन्ट लगाया जाता है, उन पर कोई टैक्स नहीं होना चाहिए।

श्री मथुरादास माथुर : और कोई सुझाव इफेक्टिव हो सकता है, यह कोई इफेक्टिव सुझाव नहीं है। लोन तो बहुत से

(श्री मथुरादास माथुर)

कामों के लिए मिलता है, एग्रीकल्चर के लिए लोन मिलता है, कोपरेटिव से लोन मिलता है। एग्रीकल्चरिस्ट कूओं के लिए, कूओं के पर्पज के लिए लोन लेते हैं, लेकिन और दूसरे जो बाकी के लोन हैं वह कूओं के लिए नहीं दिये जाते हैं। अब आपके सुझाव से प्रश्न पैदा हो जाता है कि हर लोनी, जो एग्रीकल्चरिस्ट है, को मिलने वाला लोन सीमेन्ट के लिए आधार मान लिया जाय तो यह भी डेंजरस है।

वैसे जो माननीय सदस्यों ने सुझाव दिये हैं कि एग्रीकल्चरिस्ट पर टैक्स का बर्डन नहीं होना चाहिए। यह जो उनकी विचार धारा है, इसकी मैं कद्र करता हूं। लेकिन इसके लिए कोई माननीय सदस्यों द्वारा ऐसा सुझाव नहीं दिया गया है कि किस प्रकार से एग्रीकल्चरिस्ट और नोन एग्रीकल्चरिस्ट में डिस्टिंक्शन किया जाय। वैसे मैंने राजस्थान के फिगर्स को कलेक्ट किया है वह अभी रफ फिगर्स हैं। कलैक्टर्स के मार्फत जो सीमेन्ट डिस्ट्रिब्यूट होता था डीकंट्रोल के पहले उसके फिगर्स मैंने लिये हैं और इसके अलावा जो एग्रीकल्चरिस्ट को तहसीलदार या पंचायत समितियों के मार्फत डिस्ट्रिब्यूट होता है– उसके फिगर्स लिये हैं और उन दोनों को देखा है तो करीब पचास पचास पर्सेन्ट दोनों में डिस्ट्रिब्यूट होता है। अरबन पोपूलेशन को पचास प्रतिशत कोटा डिस्ट्रिब्यूट होता है, फोर कन्स्ट्रक्शन पर्पजेज। इस पचास पर्सेन्ट में से लोग सीमेन्ट के मकान बनाते हैं, ऊपर और भीतर मकानों में सीमेन्ट लगाते हैं, फोर्थ स्टोरीड, थ्री स्टोरीड और टू स्टोरीड मकान बनाते हैं। उनसे राजस्थान के डेवलमेंट के लिए पैसा लेते हैं तो उसमें कोई किसी की पैरोकारी नहीं है। इसलिए माननीय सदस्यों द्वारा कोई ऐसा सुझाव नहीं दिया गया है, जिस सुझाव के आधार पर मैं दूध का दूध और पानी का पानी कर सकूं। मैं अभी ऐसी स्थिति में नहीं हूं कि इस सम्बन्ध में इससे ज्यादा कुछ कह सकूं और जब कि मैं अपना माइन्ड न बना लूं। अगर कोई ऐसा सुझाव देंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि एग्रीकल्चरिस्ट और नोन एग्रीकल्चरिस्ट में डिस्टिंक्शन कर सकूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आइल और आइल सीड के लिए जो कुछ थ्री टू वन पर्सेन्ट किया है, यह रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ आइल मिल्स एण्ड आइल सीड प्रोड्यूसर्स मेरे से मिले, उनका एक डेपूटेशन मेरे पास में आया था और उनके डेपूटेशन के बाद में उनका एक रिप्रेजेंटेशन आया था वह भी है। उन्होंने कहा था कि साहब, आइल जो हमारे यहां तैयार होता है वह तैयार होने के बाद में डिस्ट्रिब्यूशन के लिए हम यू पी. भेजते हैं। तो यू पी में टैक्स उस पर वन पर्सेन्ट है और यू. पी. से आसाम और दूसरी जगह भेजते हैं। तो यू. पी. की तरफ आइल होता है या जाता है वहां पर ऑइल के ऊपर एक पर्सेन्ट टैक्स लेते हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि आपके रेवेन्यू को कोई लास नहीं होगा, आप वन पर्सेन्ट कर दीजिये। उन्होंने वैसे तो आधा पर्सेन्ट के लिए ही कहा था कि आधा पर्सेन्ट कर दीजिये, लेकिन क्योंकि यू. पी. के अन्दर एक पर्सेन्ट है इसलिए एक पर्सेन्ट की उनकी बात को हमने मान लिया और इन्टरनली

(श्री मथुरादास माथुर)

जो ग्रोइल सीड का बिजनेस होता है उसके ऊपर दो के बजाय तीन पर्सेन्ट लगा दिया गया है इस तरह जहां पहले दो और दो चार होते थे वहां अब तीन और एक चार हो गये। यह रिप्रेजेटेटिव्स से डिस्कशन होने के बाद में किया है। अब जैसा कि माननीय सदस्यों ने कहा है कि इस टैक्स के कारण से ग्रोइल मिल्स बन्द हो गई हैं तो हर फैक्ट्री क्या सैल्स टैक्स के कारण बन्द होती है? यह तो मिल्स का एक कम्पोनेन्ट है लेकिन इसके अलावा और भी कई फेक्टर्स और बातें हो सकती हैं। कोई उनमें इन्टरनल डिस्प्यूट हो सकता है, फाइनेंसियल मेटर हो सकता है या और कोई कारण हो सकता हैं। फैक्ट्री के बन्द होने का कारण टैक्स पर ही नहीं डालना चाहिए। फैक्ट्री सैल्स टैक्स के कारण बन्द होती या चलती नहीं है। इसके अलावा भी यह जो किया गया है यह ट्रेडर्स से बातचीत होने के बाद में किया गया है। उसके बाद भी आपने जो कुछ कहा है मैंने एक्जामिन कराया है लेकिन अभी मैं इस स्थिति में नहीं हूं कि कुछ कह सकूं। आपने इस बात को कल ही कहा था। मैं तो यह सोच रहा था कि जो ग्रोइल ट्रेडर्स हैं और ग्रोइल पैदा करने वाले लोग हैं वह सेटिसफाइड हैं और उनसे बात करने के बाद में ही यह किया गया था।

श्री रामानन्द अग्रवाल : रिप्रेजेंटेशन ऐसा आपको मिला होगा। हमें जो रिप्रेजेटेशन मिला है, उसमें यह बात नहीं है। डेपूटेशन के मिलने के बाद में फिर उन्होंने रिप्रेजेंट किया है।

श्री मथुरादास माथुर: वह किया होगा। यही होता है कि कुछ मिल जाए और कुछ और की मांग करते हैं। वैसे उनसे मिलने के बाद ही डिस्कशन करके यह फैसला किया गया था, और उनकी और भी मांग है तो यदि कामन सेन्स में वह ठीक बैठता है तो उसको देख कर विचार कर सकते हैं।

इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, दस से पन्द्रह पर्सेन्ट मोटर व्हीकल्स पर किया गया, उसमें ट्रान्सपोर्ट की बसें, लीड लोडर और कारें भी शामिल हैं। मैंने स्कूटर को ध्यान में रखा था इसलिए उस पर बारह पर्सेन्ट रखा था। जिस वक्त पन्द्रह पर्सेन्ट मोटर व्हीकल्स पर किया गया उस वक्त मेरी धारणा थी, और वह धारणा यह थी कि दूसरी स्टेट्स भी दस से पन्द्रह पर्सेन्ट ही करेंगे। अब क्योंकि अहमदाबाद का दस पर्सेन्ट है और दिल्ली का भी दस पर्सेन्ट है इसलिए इसमें रेट्स के इम्बेलेन्स के होने की गुंजाइश हो सकती है। लेकिन यह बात उस वक्त हमारे ध्यान मे थी कि यह हमने दस से पन्द्रह पर्सेन्ट किया है, तो प्लानिंग कमीशन में जो जोइन्टली बैठ कर हमने तय किया था, उसके आधार पर हमें उम्मीद थी कि नेबरिंग स्टेट्स हैं वह भी दस से पन्द्रह पर्सेन्ट करेंगी और उसी आधार पर तय करके हमने पन्द्रह पर्सेन्ट रखा था। यह चीज थी। लेकिन उनके बजट सामने आने पर मालूम हुआ कि उन्होंने दस से पन्द्रह पर्सेन्ट किया नहीं जब कि प्लानिंग कमीशन में हमने तय किया था कि पन्द्रह पर्सेन्ट लिया जायगा। तब हमने भी कहा था कि हम भी पन्द्रह पर्सेन्ट लेंगे और उसके

(श्री मथुरादास माथुर)

आधार पर ही किया। अब जिन्होंने नहीं किया है तो उसके कई कारण हो सकते हैं। डोमेस्टिक रीजन्स भी होते हैं हर स्टेट के। तो वहां उन्होंने नहीं किया दस पर्सेन्ट ही रखा। एक दो जगह पर बारह पर्सेन्ट किया है लेकिन दस से पन्द्रह पर्सेन्ट नहीं किया है। इसके साथ साथ मोटर के स्पेअर पार्ट्स हैं उन पर पन्द्रह पर्सेन्ट नहीं किया है। मैं समझता हूं, यह हमने जो माननीय सदस्य इधर के हैं और उधर के हैं उन्होंने जो कुछ भी कहा है उसको ध्यान में रखते हुए एक महिने के फिगर्स देखें हैं, वैसे अभी ऑथेंटिक फिगर्स नहीं आये हैं और रफ फिगर्स हैं, उनसे जो कुछ भी मालूम होता है, मैं उसको फाइनेंसियल मामलों के आधार पर कोई इम्पोर्टेन्स अटेच नहीं करता हूं। आज ट्रेडर्स भी इतने इन्टेलीजेन्ट हो गये हैं वह एकदम आर्डर न करके रोक लेते हैं। तीन महिने के फिगर्स को देखकर हम कुछ तय करें तो ज्यादा अच्छा होता है। लेकिन माननीय सदस्यों ने इस पर बहुत स्ट्रेस किया है, और क्योंकि आपका इतना जोर है वह मेरी कमजोरी है इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को कन्सीड करके इसको पन्द्रह पर्सेन्ट से बारह पर्सेन्ट लाता हूं........

श्री रामकिशन : आप इसको उतना ही रखिये जितना नेबरिंग स्टेट्स ने रखा है। वैसे जोर किसने लगाया है यह आपको भी पता है और हमें भी पता है, जोर और जगह से लगाया गया है। आपने यह तर्कों के आधार पर नहीं किया है। लेकिन अभी भी आप गलती कर रहे हैं, इससे कोई विशेष फायदा नहीं होगा।

श्री मथुरादास माथुर : मैं कह रहा हूं कि टेन्डेंसी बारह पर्सेन्ट करने की ओर जगह भी हो रही है वैसे एक दो जगह तो कर रहे हैं।

श्री राम किशन : यू. पी. ने नहीं किया है, गुजरात ने नहीं किया है।

श्री मथुरादास माथुर : गुजरात का नहीं है।

श्री रामकिशन : अगर आप आठ पर्सेन्ट भी कर दें तो मोटर के ऊपर जितना मिलता है उससे सेन्ट पर्सेन्ट बढ़ जायगा।

श्री मथुरादास माथुर : मोटर के ऊपर बैंक ने देना बन्द कर दिया है नहीं तो मैं पन्द्रह की जगह बीस पर्सेन्ट लेता और वे राजी खुशी देते। फिएट गाड़ियों पर मिलता है वह आप और हम जानते हैं। लेकिन बैंकों ने देना बन्द कर दिया है इस कारण से पन्द्रह से बारह पर्सेन्ट पर हो गया है, नहीं तो पन्द्रह से साढ़े चौदह पर्सेन्ट भी नहीं होता।

श्री रामानन्द अग्रवाल : कार के यूज के ऊपर लगा दिया जाय, फिर आ जायगा कर।

श्री मथुरादास माथुर : उसमें रेफ्रीजेटर है और भी चीजें हैं जिनके ऊपर लगा है।

श्री रामकिशन : खूब लगाइये । और बाकी जिन पर नहीं है उन पर जरूर लगाइये । लेकिन कम से कम इसकी बॉडी पर कम कीजिये ।

श्री विजय सिंह : चांदी और मोटर पर कम कीजिये ।

श्री मथुरादास माथुर : चांदी के लिए तो मैं कह चुका हूं । मेरा निवेदन है कि मोटर व्हीकल्स पर पन्द्रह से बारह पर्सेन्ट.......

श्री रामकिशन : बॉडी पर नहीं हो। इसमें दस और बारह पर्सेन्ट का प्रश्न नहीं हैं । दस भी नहीं हो ।

श्री मथुरादास माथुर : जो लैंग्वेज मेरे नोटिफिकेशन में है, पन्द्रह है इस पन्द्रह की जगह पर बारह पढ़ा जाय । इस अमेंडमेंट के बाद में मैं इस पोजीशन में नहीं हूं कि इसमें कमी कर सकूं । मेरा निवेदन है कि इस सदन के माननीय सदस्य भी इसके लिए आग्रह नहीं करेंगे ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : पोस्त के डोडे हैं ।

श्री रामकिशन : अफीम के डोडे ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : छः पैसा प्रति किलो आपने लगा रखा था और अब पन्द्रह लगाया है ।

श्री मथुरादास माथुर : अफीम कम खायेंगे लोग, यह तो अच्छा है ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : पोस्त के डोडे ।

श्री मथुरादास माथुर : वह तो और भी खतरनाक है, लोग क्या करते हैं कि उसको चाय के नाम पर उबाल कर पी लेते हैं । यह खतरनाक है । इस पर कम नहीं कर सकता ।

श्री गिरधारी लाल व्यास : यह ठीक है । यह कम नहीं होना चाहिए ।

(3 म. प.)

श्री मथुरादास माथुर : उपाध्यक्ष महोदय, समय बहुत हो रहा है, क्लाज बाई क्लाज हमें चलना है, और कोई बात होगी तो मैं उस समय अर्ज कर दूंगा ।

श्री नत्थीसिंह : शामलात में लोग खेती करते हैं, उस पर आपने सेन्ट परसेन्ट बढ़ा दिया है, हर साल अकाल पड़ते रहते हैं तो आप रेशनेलाइज कर दें।

श्री मथुरादास माथुर : एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स लेकर आता हूं तो सदन के माननीय सदस्य उसे मानने के लिए तैयार नहीं हैं। मैं तो होल्डिंग पर जाता हूं, 30 एकड़ से ज्यादा खेती होती है और म्युटेशन नहीं हुआ है तो डबल ले लूंगा ।

श्री गिरधारीलाल व्यास : पिछले साल 75 रुपया और 150 पर सरचार्ज लगाया था, उसके बारे में क्लोरिफिकेशन नहीं किया कि पिछला इसमें इन्क्लूड होगा या एक्सक्लूड होगा ।

Page No.131

श्री मथुरादास माथुर : जिस हद तक यह अलग कर देते हैं, वह अलग हो जायगा।

श्री विजयसिंह रावत : लेवी के लिए आपने कुछ नहीं कहा।

श्री मथुरादास माथुर : लेवी मेरा नहीं है।

श्री विजयसिंह रावत : लेवी मेरे मुंह से निकल गया, मैं चांदी के बारे में पूछना चाहता था।

श्री मथुरादास माथुर : चांदी के बारे में सवाल ही नहीं उठाया।

श्री विजयसिंह रावत : कट मोशन पर इधर से भी बोले हैं, उधर से भी बोले हैं। गांव वाले चांदी पहनते हैं।

श्री मथुरादास माथुर : गांव वाले चांदी पहनते हैं तो चांदी पहनें, गल्ले के भाव अच्छे हैं. दो पैसे सरकार को ज्यादा मिल जाय तो अच्छा है।

श्री रामकिशन : चांदी पर लगायें पर सुहाग चिन्ह और बिछियों पर से तो हटा लें। सुहाग चिन्ह पर आज तक कहीं टैक्स नहीं लगा।

श्री मथुरादास माथुर : इन्हीं शब्दों के साथ मैं, जिन माननीय सदस्यों ने जनमत के लिए प्रसारित करने और प्रवर समिति के सुपुर्द किये जाने के प्रस्ताव रखे हैं उनसे निवेदन करूंगा कि अपने प्रस्तावों को वापिस ले लें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : स्पेशल सर्किल के बारे में आपने नहीं कहा।

श्री मथुरादास माथुर : स्पेशल सर्कल का आपने आज ही सवाल उठाया है मैं उसको देखूंगा।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : मैंने जो इस बिल को प्रवर समिति के सुपुर्द किए जाने का प्रस्ताव रखा है उसे विथड्रा करने की अनुमति चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि श्री गिरधारीलाल व्यास ने जो प्रस्ताव रखा है उन्हें वापिस लेने की अनुमति प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

श्री गिरधारीलाल व्यास : I withdraw, Sir.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान करारोपण विधियां (संशोधन) विधेयक 1967 को जनमत जानने हेतु प्रसारित करने का प्रस्ताव रखा है उसे स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव गिर गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान करारोपण विधियां (संशोधन) विधेयक 1967 को विचारार्थ लिया जाय ?

(श्री उपाध्यक्ष)

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

विधेयक पर खण्डशः विचार

खंड 2

श्री पी. के. चौधरी !

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : उपाध्यक्ष महोदय, क्लाज दो में मेरा अमेंडमेंट इस प्रकार है In part (a) of the clause, the figure "20,000" be replaced by the figure "50,000".

दूसरा मेरा अमेंडमेंट क्लाज 7 में है : In part (a), in the proviso sought to be added to sub-section (1) of section 10 the words 'two years' be replaced by the words, "three years".

उपाध्यक्ष महोदय यह जो अमेंडमेंट बिल वित्त मन्त्री लाये हैं इसलिये लाये हैं इस मंशा से लाये है कि जो स्माल ट्रेडर्स हैं उनको हेरेशमेंट कम हो। मैं समझता हूं कि 20 हजार का टर्न ओवर जो करता है व्यापारी स्माल ट्रेडर्स की डेफिनेशन में नहीं आता। उसे रेकर्ड रखना पड़ता है, सेल्स टैक्स आफीसर की सेवा करनी पड़ती है। मंथली उसका टर्न ओवर 1600 रुपया आता है। बाजार में रुपया उधार ले तो रुपया सैंकड़ा से कम नहीं मिलता, दस परसेंट से ज्यादा मुनाफा नहीं होता है इसलिये इनको एक्स्पेन्शन देना उचित नहीं है। इससे जो छोटे व्यापारियों के हरेशमेंट को दूर करने की मंशा है वह मकसद पूरा नहीं होता है। सेल्फ एम्प्लोयर है. अपने हाथ से सारा सामान लाता है, खुद तोलता है, खुद बेचता है, वह कमाता वह सीर्फ अपनी महनत की वजह से कमाता है। इसलिये मेरा सुझाव है कि 20 हजार से बढ़ा कर 50 हजार कर दिया जाय।

(3.07 म. प.)

(श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत, सभा नेत्री पदासीन)

20 हजार की लिमिट रखी है वह बहुत कम है। ग्रोस प्रोफिट उसको बहुत कम होता है 50 हजार का 100 रुपये से ज्यादा ग्रोस प्रोफिट नहीं आ सकता। इसलिये मेरा निवेदन है कि आप रिलीफ देना चाहते हैं पर एक्शन नहीं लेना चाहते। 20 हजार का रखा है वह बहुत कम है, इससे किसी को कोई रिलीफ मिल जाए ऐसा मुझे तो नहीं लगता।

मेरा दूसरा अमेंडमेंट क्लाज 7 में है।

श्रीमती सभानेत्री : क्लाज बाई क्लाज चल रहा है। आप खण्ड 2 पर बोल रहें हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल.

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : सभापति महोदया, मैंने क्लाज 2 में यह संशोधन पेश किया है कि जो क्लाज इसमें ए. और बी. हैं उनको सी. और बी. कर

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

दिया जाय और नया क्लाज 1 ए. जोड़ा जाय वह इस प्रकार है:—

(i) Parts (a) and (b) be renumbered as parts (b) and (c) respectively,

(ii) A new part (a) be added as follows:—

"(a) From clause (a) delete the words 'or deals in cereals and pulses in any of their forms'.

(iii) In the renumbered part (b) for the figures "20,000" substitute the figures "30,000".

(iv) In the renumbered part (c) the word 'proviso' be replaced by 'provisos' and add the following further proviso at the end:—

"Provided further that nothing contained in this section shall include a dealer who deals in any goods as a pedlar, or sells goods in a theli or dheri".

सभापति महोदया, मेरे इस संशोधन का उद्देश्य यह है कि जो लोग गांवों में दुकानदारी करते हैं, वह एक ही तरह की चीज बेचकर और धंधा नहीं करते। विभिन्न चीजों में डील करते हैं और खास तौर पर अनाज या पल्सेज या उनसे बनी हुई चीजें बेचते हैं, जो हमारी मूल धारा 3 है उसके अनुसार ऐसे दुकानदार जो बाहर से चीज बनाते हों या कोई चीज बनाते हों, उनकी सीमा लाइसेन्स न लेने की 5 हजार रखी है और उसमें हमने ऐसे डीलर्स को, उस वर्ग को भी शामिल कर लिया है जो अनाज या पल्सेज की खरीद फरोख्त करते हैं। इसमें क्या सेन्स है, क्या आर्ग्यूमेंट है, मेरी समझ में नहीं आता। क्योंकि यह इसेन्शियल फूड सप्लाईज में स्मगलर्स या होरडर्स को रोकने का दृष्टिकोण हो इसलिए व्यापारियों पर विशेष निगरानी रखने के लिए किया हो तो वह उद्देश्य तो इस बिल का नहीं है। तो इस प्रोवीजो से, इन्सीडेन्स ऑफ टैक्सेशन, जो ओरिजिनल सैक्शन तीन है :

"(1) Subject to the provisions af this Act, every dealer whose turnover in the previous year in respect of sales or supplies of goods exceeds—

(a) in the case of a dealer who imports goods or manufactures any goods other than cooked food or deals in cereals and pulses in any of their forms........Rs. 5000–"

तो इसके साथ इम्पोर्टर के साथ और मैन्यूफेक्चरर के साथ केवल एक किस्म का वह डीलर जो कोई अनाज थोड़ा बहुत बेचता

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

है, इसको स्पेशल कैटेगरी क्यों बना दिया गया, इम्पोर्टर और मैन्यूफेक्चरर के साथ टैग क्यों किया गया है यह समझ में नहीं आया। इसलिए मैं समझता हूं कि जो सीरियल्स में या पल्सेज में डील करते हैं या ऐसे सामान्य डीलर की दृष्टि से जो क्लास 'सी' है, हमारे उसमें आना चाहिए था और मेरे खयाल से किसी गलतफहमी से यह रोंग फ्रेमिंग की वजह से, यह हुआ है। यह तो वित्तमंत्री ही समझायेंगे कि इससे क्या फायदा होगा ? डीलर्स को स्मगलिंग या होर्डिंग का मौका मिल जाय, हम इसके खिलाफ हैं। इस तरह की एक्टिविटीज पर रोक लगाई जाय लेकिन इस बिल का उद्देश्य यह नहीं हो सकता। इसलिए इसको यहां से निकाल देने से धारा कोहीरेंट और राशनल बनेगी।

दूसरा मुद्दा (वित्त मन्त्री का राजकीय दीर्घा के पास जाने पर) मंत्री महोदय तो स्टेशन पर चले गए। दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि डीलर की डेफीनेशन जो आपने दी है उसमें जो लोग डील करते हैं उसमें भी ऐसे लोग हैं जो पेडलर्स हैं, सर पर माल रखकर और गांवों में बेचने के लिए निकल गए या शहर के अन्दर ठेली लगा ली या शहर के चबूतरे के अन्दर ढेरी लगाकर अनाज बेचते हैं, आपके अधिकारी उन लोगों को भी तंग करने लगेंगे, पूछेंगे उनसे कि कहां हैं रिटर्न्स आपके, हमें पता लगा है कि तुम ज्यादा सेल करते हो. वरना रगड़ेंगे। साल में एक दो घुड़की दी जाती है। थोड़े दिन मामला चलता है फिर बंद हो जाता है, पता नहीं कैसे ? जैसे पुलिस के लोगों की जब जेब खाली होती है तो दफा 109 में पकड़ लिया, 5-5 रुपये ले लिए और फिर छोड़ दिया। सैल्स टैक्स में भी ऐसा चलता है। पैसा लेना है तो ठेले वाले से कह दिया कि हिसाब पेश करो, वह भागा भागा आया कि साहब मेरे बाप दादों ने भी हिसाब नहीं रखा, मैं तो पहली जमात तक पढ़ा हूं, कहां से हिसाब रखूं। फिर मामला ठप्प हो जाता है। तो मैंने कहा है कि जो हाक्सं टाइप लोग हैं जो पेडलिंग करते हैं या ढेरी लगाते हैं उनको आप नहीं लें। हमारे यहां सिस्टम है अनाज गाड़ी से खरीदकर ढेरी लगाते हैं और 10-11 बजे तक माल बेच दिया और चल दिए। 40 रुपए मन या 50 रुपए मन गेहूं है तो 20 हजार की लिमिट में तो जरूर वह आयेंगे लेकिन वे जहां से खरीदते है, सैल्स टैक्स दे देते हैं इसलिए वह हिसाब रखने की मुसीबत से बच जायेंगे। मैं नहीं चाहता कि आपकी सैल्स टैक्स जाय लेकिन इस तरीके से लोग अननेसेसरीली हैरेस होते हैं। इसलिए यह जो कैटेगरी है वह दर असल डीलर्स में नहीं हैं, छोटे लोग हैं, हॉकिंग या पेडलिंग करते हैं तो इनको बात एक्ट से निकाल लें ताकि वे अधिकारी उनको हैरेस नहीं करेगें।

श्री गिरधारीलाल व्यास : सभापति महोदया, मैंने यह संशोधन प्रस्तुत किया है कि जो टर्न ऑवर की लिमिट 20 हजार रखी है उसके स्थान पर 30 हजार कर दिया जाय। उद्देश्य यह है कि गांव के अंदर जो व्यापारी तरह तरह का सामान अपने पास रखकर सामान बेचता है, उसकी लिमिट

(3.17 म. प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

अगर 20 हजार रखी गई तो किस प्रकार से अपना गुजारा कर सकेंगे।

जिस प्रकार की लिमिट रखी है उससे उनकी पार नहीं पड़ेगी। गांव के व्यापारी खेती भी करते हैं और उसके साथ साथ अनाज या दूसरा सामान अपने पास रखकर गांव के अंदर सप्लाई करते हैं तो जो लिमिट हमने 20 हजार की रखी है और जिसका हिसाब चौधरी साहब ने बताया कि इतना टर्न ओवर हो तो उससे महीने में आदमी कितना मुनाफा कमा सकता है। छोटे व्यापारियों को राहत देने के लिए सरकार ने 15 से 20 हजार तो किया, मगर 20 हजार पर्याप्त नहीं है। पहले जब 15 हजार की लिमिट रखी तो उसमें और आज के व्यापार में फर्क पड़ा है। उसका आप अंदाजा लगायें कि तिगुनी कीमतें बढ़ गई हैं तो उस हिसाब को देखते हुए जो जो लिमिट 15 से 20 हजार की बढ़ाई है, वह पर्याप्त नहीं है और उसके स्थान पर मेरा सिर्फ यही सुझाव है कि 20 हजार से कोई राहत नहीं मिलेगी। जो आधे कृषक हैं और आधे व्यापारी हैं, इस प्रकार से वे लोग धधा करते हैं, तो उनको राहत देने के लिए टर्न ऑवर लिमिट 30 हजार की जाय तो उससे राहत मिलेगी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : गांव वालों को तो 5 हजार ही है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : मैंने 20 हजार की जगह 30 हजार का संशोधन पेश किया है। वह इस प्रकार है:—

In part (a) of the clause for the figures '20,000/-' substitute the figures '30,000/-i

और यह फिगर कितने सही तरीके से रखी गई है, उसका अंदाजा लगायें तो हम जितने व्यक्तियों ने संशोधन रखे हैं, सबने 30 हजार के लिए कहा है। इसका मतलब निकलता है सौ सयाने एक मत। 20 हजार की जो रकम रखी है उससे व्यापारियों को सुविधा नहीं हो सकती।

इसके बारे में मेरा निवेदन यह है कि यह तो चलता है, पर सेल्स टैक्स की वजह से जिस तरह से व्यापारियों को दिक्कत होती है उसके कागजात इन्स्पेक्टर उठा कर ले जाता है, महीनों तक उसके दफ्तर में पड़े रहते हैं, न जाने कितनी दिक्कतें होती हैं, वे बहुत बुरी हैं। तो ऐसी हालत में सेन्टर से बात करके हाई पावर कमीशन कायम करके एक्साइज सिस्टम कायम क्यों नहीं कर लेते हैं आप ? इससे आपका कर्मचारियों पर खर्चा बचेगा दूसरा जो करप्शन हो रहा है, उससे निजात मिलेगी और तीसरा सेल्स टैक्स से व्यापारी जो चोरियां करते हैं और आपको आमदनी का नुकसान होता है उसको भी रोका जा सकेगा।

आपने इस कानून को बनाने का उद्देश्य यह बताया कि इससे सरलीकरण किया जा सकेगा। मैं मानती हूं कि कुछ हद तक सरलीकरण हो सकेगा इससे। पर इसको

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चुण्डावत)

बिल्कुल हटाकर एक्साइज सिस्टम लागू कर दिया जावे तो राज्य सरकार को और व्यापारियों को एक समान फायदा होगा और ग्राहक को सेल्स टैक्स की अलग से रकम देनी पड़ती है तो उस पर भी साइकलोजिकली बुरा असर पड़ता है, वह भी नहीं पड़ेगा।

तो इसके साथ अन्त में यह निवेदन करूंगी कि व्यापार का जो बीस हजार का एग्जम्पशन रखा है उसकी मियाद बीस की जगह 30 हजार कर दी जाय तो महंगाई को देखते हुए बीस की जगह 30 ही पड़ता है। इसलिए विश्वास है कि इसे आप स्वीकार करेंगे।

श्री मथुरादास माथुर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो तरमीमात पेश हुई है उनमें एक ने यह रखा कि 15 हजार की टर्न ओवर की जगह 30 हजार कर दिया जावे। और एक पी. के. चौधरी साहब ने कहा है कि 50 हजार कर दी जावे।

मैं आपको दूसरी स्टेटों के अन्दर टर्न ओवर की लिमिट क्या है उसका अन्दाज बता दूं। मुमकिन है उसको देखकर आप अपने अमेंडमेंट्स वापिस ले लेंगे। राजस्थान में बीस हजार। आंध्र प्रदेश 10 हजार। आसाम 12 हजार। बिहार 15 हजार। केरल 10 हजार, मध्य प्रदेस 15 हजार, मद्रास 15 हजार, मैसूर 10 हजार, उड़ीसा 10 हजार, उत्तर प्रदेश 12 हजार।

अब तीस हजार वाले कौन कौन हैं दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल। ये तीनों ही ऐसी स्टेटें हैं जिनका हाईली इन्डस्ट्रियेलाइज्ड वाल्यूम आफ ट्रेड है। इन्डस्ट्रीज हैं बड़ी बड़ी। अहमदाबाद, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता। उनके मुकाबले हम कैसे करें। उनकी सेल्स टैक्स की रेवेन्यू हमारे बजट के बराबर हो जाती है। बाकी सब तो दस और बारह पर ही टिके हुए हैं इसलिए कहा कि यह बीस भी हमारे लिए बहुत है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं सेल्स टैक्स की फिलॉसफी साफ है। व्यापारी तो जनता से पैसा इकट्ठा करता है और सरकार को देता है। ही इज ओनली एन एजेन्ट। गरीब कैसे चुकावेगा? यह नहीं है। वह घर से देता है क्या? कन्जूमर से वह वसूल करता है और बीच में दलाली की कोशिश करता है। हमारे अफसरों को बिगाड़ता है और खुद बिगड़ता है।

यह तो थोड़ा अगर हैरेसमेंट न हो छोटे को जो अकाउन्ट्स वगैरह नहीं रख सकता और खर्चा बर्दाश्त नहीं कर सकता है उसके लिए पन्द्रह हजार से बीस हजार तक एग्जम्पट कर दिया। अगर उसने सेल्स टैक्स ले भी लिया तो कौन देखने बैठा है। वह तो और उल्टा फायदा उठाता है।

गांव में पांच हजार का गल्ला बेचने वाला मामूली नहीं होता। एक ढांचा लेकर सड़क पर ही बैठ जावे तो पांच सौ ढाई तीन सौ का गल्ला बेच लेता है। तो इसलिए सीरियल्स के लिए पांच हजार का

(श्री मथुरादास माथुर)

इसलिए रखा है। एक कमोडिटी है। बाकी तो दुकान पर कई चीजें होती हैं। उन पर अलग अलग रेट आफ सेल्स टैक्स होता है। यह तो डेली हिसाब कर लिया और सेल्स टैक्स चुका देता है।

आप मुझे यह कनविंस कर दें कि व्यापारियों को हैरेसमेंट है तो रेवेन्यू कम भी हो जावे तो मैं सेक्रीफाइस कर सकता हूं। पर हैरेसमेंट नहीं है। तो ऐसी सूरत में मैं कभी तैयार नहीं हूं कि पांच हजार के मामले को बढ़ावें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : एक कमोडिटी को डील नहीं करता। सीरियल में डील करने वाले को एग्जम्पशन में लिया है।

श्री मथुरादास माथुर : रामानन्द जी, सीरियल्स में सेल्स टैक्स लगाया है। बाकी फूडग्रेन को बचाया है। कई स्टेटों में तो सब पर है। केरल में है।

श्री नत्थीसिंह : आप केरल की क्या बात करते हैं।

श्री मथुरादास माथुर : मैं घर से थोड़े ही कहता हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : दूसरी चीजें भी बेचता है वह।

श्री मथुरादास माथुर : सीरियल्स को निकाल दिया जावे तो बीस हजार की लिमिट में डालकर मैं आ जाऊं। और नीचे वाले की टर्न ओवर पर सेल्स टैक्स नहीं लगेगा आप यह चाहते हैं। यह नहीं होने का। आज एक आदमी सीरियल्स में पांच हजार का धन्धा करता है और वह वसूल करता है सेल्स टैक्स तो अगर पांच हजार तक सेल्स टैक्स भी ले लेता है तो हम तो मांगते नहीं। बीस हजार का धान का व्यापारी छोटे से कस्बे में बैठेगा तो उसके अन्दर नीचे वाले जितने हैं वे एग्जम्पशन में आ गये तो रेवेन्यू भी घट जावेगी और उसके रिपरकसन्स बढ़ेंगे। इसलिए आई एम सॉरी इन तरमीमों में न तीस हजार को मानने वाला हूं और न पांच हजार से ऊपर की मानने वाला हूं। इसलिये माफ करें।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : आप एक्साइज के बारे में क्या कहते हैं?

श्री मथुरादास माथुर : यह आल इण्डिया पालिसी का मैटर है। जो अण्डर डवेलप्ड हैं वे तो चाहते हैं कि फर्स्ट पोइन्ट पर एक्साइज हो जावे। पर महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल ये नहीं मानते, मद्रास नहीं मानता। रोज प्लानिंग की मीटिंगों में यह मसला रखते हैं पर वे तैयार नहीं होते। तो सन्टर फोर्स नहीं कर सकता क्योंकि आपका स्टेट का यह सबजेक्ट है। वे मान लेंगे तो हम तो राजी हैं। उनकी तो सारी इकानोमी ही सेल्स टैक्स पर डिपेण्ड करती है। परसेन्टेज मुकर्रर करके दे देंगे। हमें तो दो पैसा ज्यादा ही मिलेगा। पर उनकी रेवेन्यू फेल हो जावेगी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : पेडलर्स का?

श्री मथुरादास माथुर : पेडलर्स का आज क्या क्राइटेरिया है । चांदपोल बाजार में घड़ी लेकर बैठ गया एक पटरी पर ढेर लगाकर बेच लिया तो दे आर अर्निंग मच मोर । यह भी हम जानते हैं । पर उसके आधार पर नहीं जा सके । हमें तो वोल्यूम के आधार पर ही जाना पड़ेगा । सड़क पर एक पटरी पर चबूतरा बनाकर बैठ जावेगा कहेगा मैं तो सड़क पर बैठा हूं । आप एग्जम्पशन दीजिये । तो यह क्राइटेरिया नामाकूल है ।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : रामानन्दजी की मंशा यही तो नहीं है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अभी तो है नहीं । दूसरों की होगी तो होगी ।

श्री उपाध्यक्ष : खण्ड दो में जो संशोधन श्री पी. के. चौधरी ने रखा है उसे वापिस लिया जावे ।

मूव हो चुका है । तो उसे स्वीकार किया जावे ।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया ।

प्रश्न यह है कि खण्ड दो में जो संशोधन श्री रामानन्दजी अग्रवाल ने रखा है उसे स्वीकार किया जावे ?

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया ।

श्री गिरधारीलाल व्यास : मैं विथ्ड्रा करने की अनुमति चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : जो संशोधन श्री गिरधारीलाल व्यास ने रखा है उसे वापिस लेने की अनुमति प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई ।

श्री गिरधारीलाल व्यास : मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूं ।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : मैं भी अपना अमेन्डमेंट विथड्रा करने की आज्ञा चाहती हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत ने जो संशोधन रखा है उसे वापिस लेने की अनुमति प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई ।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : मैं अपना संशोधन वापिस लेती हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड (2) स्वीकार किया जावे ?

(स्वीकृत)

खण्ड दो स्वीकार किया गया ।

श्री उपाध्यक्ष : खंड 3.

श्री रामानन्द अग्रवाल !

श्री रामकिशन (वैर) : उपाध्यक्ष महोदय, अग्रवाल, माथुर, विश्नोई, शर्मा यह कहना क्या विधान के अनुसार उचित है ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य जो चुनकर आये हैं उन्होंने जो चुनाव के लिये नाम दिया है वह रामानन्द अग्रवाल है। इसलिये रामानन्द अग्रवाल कहा यह तो माननीय सदस्यों के सोचने की बात है।

श्री रामकिशन : जाति पांति तोड़ने की व्यवस्था जब संविधान में की है तो ये जाति सूचक संज्ञा क्यों लगाई जाती है ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह परम्परा तो पंडित जी ने डाली थी पं० जवाहरलाल नेहरू ने।

श्री रामकिशन : पंडित तो तोड़ते हैं वे तो नकली पंडित थे।

श्री गिरधारीलाल व्यास : अलवर में माननीय सदस्य अग्रवाल नहीं लिखते तो आज दूसरी ही परिस्थिति होती।

श्री रामकिशन : आपने भी व्यास इसलिये लगाया है ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, धारा 3 में मेरा संशोधन इस प्रकार है :—

1. In part (a) for the word 'fifteen' substitute the word 'eight'.

2. The following proviso be added at the end of part (c) :-

"Provided also that nothing contained in this section shall empower the State Government to impose sales tax on cereals and pulses."

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा इस संशोधन से मकसद यह है कि आप जो राजस्थान में सेल्स टैक्स की दर बढ़ाने का अधिकार लेना चाहते हैं वह अधिकार तो नहीं दिया जाय बल्कि सेल्स टैक्स की दर को कम किया जाना चाहिये इसलिये पन्द्रह परसेन्ट की बजाय दस परसेन्ट है उसको भी आठ परसेन्ट कर दिया जाय, यह प्रस्ताव मैंने रखा है।

दूसरा प्रापोजल मेरा यह है कि खाद्यान्न और दालों पर आपको सेल्स टैक्स लगाने का अधिकार नहीं होना चाहिये। इसका मतलब यह हुआ कि जो दो परसेन्ट सेल्स टैक्स इस समय सरकार खाद्यानों पर वसूल कर रही है वह सेल्स टैक्स खत्म हो जायगा। उपाध्यक्ष महोदय, इन संशोधनों को मूव करने का मेरा उद्देश्य साफ है, मैं नहीं समझता कि सरकार को कोई नैतिक अधिकार है नहीं जो सरकार बीस साल से यहां राज्य शासन चला रही है और जिस तरह से राज्य के पैसे का उपयोग सरकार कर रही है उस सरकार को इस प्रकार के इनडाइरेक्ट टैक्स लगाने का अधिकार नहीं है, जिसका बोझ गरीब लोगों पर पड़ता है उस बोझ को और बढ़ाने का अधिकार दिया जाय, यह उचित नहीं है।

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

उपाध्यक्ष महोदय, जिस समय सेल्स टैक्स शुरू किया गया उससे पहले कस्टम ड्यूटी लगती थी अब उस कस्टम को हटा कर उसकी जगह सेल्स टैक्स को सबस्टीटयूट किया गया है। जिस समय कस्टम ड्यूटी थी उससे राज्य सरकार को जो आमदनी होती थी वह करीब दो करोड़ रुपये से कम थी। आज जिस तरह से सेल्स टैक्स की रेट हमारी सरकार निरन्तर बढ़ाती चली आ रही है उससे वह रेवेन्यूज को बढाना चाहते है........

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : यह सरकार हमारी कब से हो गई?

श्री रामानन्द अग्रवाल : हमारी हम इस बिना पर कहते हैं बड़ी मुश्किल से अग्रेजों को यहां से निकाला और चुने हुए लोगों द्वारा सरकार बनाई गयी उस रूप में यह हमारी है। यह किस वर्ग की सरकार है और किसको फायदा पहुंचाती है यह दूसरी बात है। उस रूप में जिनकी सरकार है वह तो सभी जानते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, कम आमदनी वाले जो लोग हैं उनकी आर्थिक हालत निरन्तर गिरती जा रही है उनकी पर केपिटा इनकम गिरती जा रही है। अगर यह टैक्स बढ़ते हैं तो इसका भार उन लोगों पर पड़ता है जो साधारण वर्ग के लोग हैं। खाद्यान्न जैसी चीज दालें जो हर साधारण व्यक्ति इस्तेमाल करता है आज देखने में यह आ रहा है कि इनके भाव निरन्तर बढ़ते जा रहे हैं सरकार के बराबर कहते रहने के बाद भी इस पर कोई रोक नहीं लगा पा रहे हैं। उस पर अगर सरकार और टैक्स लगाती है तो वह किसी तरह से भी जस्टिफाइड नहीं है इसलिये मैं इस अमेन्डमेन्ट के जरिये जहां सरकार को दस परसेन्ट के पावर हैं उसको एक्सटेन्ड करने के अधिकार नहीं दिये जाने चाहिये ताकि आगे टैक्स बढ़ाने की प्रवृति पर रोक लग सके।

उपाध्यक्ष महोदय, आजकल फाइनेन्सेज के मामले में हमारी सरकार और केन्द्र की सरकार एक तरीका पकड़ कर चल रही है। सेन्टर की सरकार जब चाहे तब एक्साइज ड्यूटी बढ़ा देता है और राज्य सरकार ने सेल्स टैक्स को पकड़ कर रखा है जब चाहे तब सेल्स टैक्स बढ़ा देती है। और लोकल बोडीज आक्ट्रोय बढ़ा देती है। आखिर इसकी कुछ सीमा तो होनी चाहिये आप इस प्रकार से इनडाइरेक्ट टैक्स लगा कर भी बजट का घाटा पूरा नहीं कर सकते इसलिये हमें इसके बुनियादी हल की ओर ध्यान देना पड़ेगा। आज जहां आप दस पन्द्रह परसेन्ट तक बढ़ाकर चलते हैं, हो सकता है आगे चलकर आप इसको पचास परसेन्ट तक ले जाय। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं इस प्रकार के असीमित पावर सरकार को नहीं दिये जाने चाहिये। सरकार जहां कानून के द्वारा इस प्रकार के टैक्स बढ़ाने की बात करती है, केटेगरी वाइज किसी न किसी गुड्स पर बढ़ाना चाहती है वह हाउस के सामने लाकर सूची पेश करे उसकी मन्जूरी ले। वरना सरकार जिस प्रकार से पावर का दुरुपयोग करती चली आ रही है आज हम यह पास कर देते

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

हैं तो जहां आज पांच परसेन्ट है वहां दस परसेन्ट कर देंगे नोटिफिकेशन निकाल कर जहां दस परसेन्ट है वहां पन्द्रह परसेन्ट कर देंगे। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि माननीय सदस्यों का अंकुश हो बिना मेम्बर्स की मन्जूरी के यह नहीं होना चाहिये। आप देखेंगे कि आज यह पावर हम सरकार को दे देते हैं तो असेम्बली खत्म होते ही चुप चाप नोटिफिकेशन निकाल कर टैक्स को और बढ़ा दिया जायगा। हमें पिछले सालों का इसी प्रकार का अनुभव रहा है। इन शब्दों के साथ मैं अपने संशोधनों को मूव करता हूं।

श्रीमती कान्ता कथूरिया (कोलायत) : उपाध्यक्ष महोदय क्लॉज 3 को हटा कर यह जोड़ दिया जाय।

श्री विजयसिंह (नसीराबाद) : सदन में सुनाई नहीं पड़ रहा है। कृपया जोर से बोलिये।

श्रीमती कान्ता कथूरिया : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन इस प्रकार है:—

"In the second proviso proposed to be inserted by sub-clause (c) for the expression "(whether they are separately charged for or not)" substitute the expression "when not separately charged for". इसके लिए मैं निवेदन करूंगी कि जहां तक यह प्रश्न है कि पेकिंग मेटेरियल पर टैक्स पहले भी लगा हुआ है यह चार्ज किया हो तो दुबारा लगाना जस्टीफाई नहीं हैं। क्या जस्टीफिकेशन सरकार के पास है कि पेकिंग मेटेरियल पर सेल्स टैक्स चार्ज करें और पेकिंग होने के बाद फिर करें। यह तो डबल टैक्सेशन है। आर्डिनरी कन्जूमर पर इसका इफेक्ट आता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि यह क्लॉज डिलीट होना चाहिये क्योंकि हमारे यहां यह कामन प्रेक्टिस है कि जब कभी सेल्स टैक्स लगाते हैं और कोई भी दुकानदार वैसे सेपरेट कन्टेनर पर टैक्स नहीं लगाता है। उसको देखते हुए सामान मंहगा है और सामान मंहगा था। सेल्स टैक्स कन्टेनर पर भी लग जाता है। कन्जूमर इसे सेपरेटली अदा करें। इसके लिए सेल्स टैक्स की रेट कम है। सामान्य रेट को अवेलेबल करने के लिए यह मेरा संशोधन है कि सेल्स टैक्स कन्टेनर पर चार्ज नहीं हो तो उसको सेपरेटली चार्ज किया जाय। इस तरह कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने अच्छी तरह समझाया था कि वे कई चीजें बेचते हैं, घी भी बेचते हैं और कोई चीज भी बेच सकते हैं उस पर सेपरेट कंन्टेनर टैक्स नहीं लगाते। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि इन सारी बातों को मद्दे नजर रखते हुए कि टैक्स कम लगे। अगर पहले टैक्स चार्ज नहीं किया हो तो दुबारा टैक्स न लगे और इस तरह से दुबारा टैक्स नहीं लगना चाहिये। यह मेरा संशोधन है और सरकार से आशा करती हूं कि यह संशोधन मंजूर किया जाय।

जहां तक 10 परसेन्ट से 15 परसेन्ट बढ़ाने का सवाल है वह लग्जरी गुड्स पर बढ़ाया जाय। हो सकता है कि इस टैक्स

(श्रीमती कान्ता कथूरिया)

में मोटर कार व ट्रक्स पर जो इफेक्ट पड़ता है वह आर्डिनरी कन्जूमर पर पड़ता है। मोटर पार्ट्स ट्रकों में लगाते हैं, बसेज में लगाते हैं। उसका बोझ आर्डिनरी आदमी पर पड़ता है क्योंकि उसको किराया देना पड़ता है इस तरह उसका फेयर भी बढ़ सकता है। मल्टीपल जो इफेक्ट पड़ता है वह आर्डिनरी कन्जूमर पर पड़ता है। मेरे से पहले महानुभावों ने बताया है कि कितना कितना फर्क पड़ता है बल्कि ट्रक्स और बसेज पर सेन्ट परसेन्ट फर्क पड़ गया है। टैक्स बढ़ा दी जाय और रेट्स में इतना डिफरेन्स आ जाय तो जहां बढ़ाने का प्रश्न है रिटर्न में कमी हो जायगी। मैं अन्दाज लगाती हूं कि मार्केट की दर नहीं रखकर निश्चित कर दी जाय तो किसी भी सूरत में कोई मेटेरियल हो चाहे वह मार्केट से दे सकते हैं इससे रिटर्न में कमी होने की सम्भावना है।

श्री मथुरादास माथुर : उपाध्यक्ष महोदय, मोटर व्हीकल्स पर 15 परसेन्ट से 12 परसेन्ट एग्री कर लिया है।

श्रीमती कान्ता कथूरिया : 12 परसेन्ट कर देने से काम नहीं चलता। दूसरी स्टेट्स में चाहे वह बम्बई हो चाहे दिल्ली हो और चाहे दूसरे स्थान हो वहां पर टैक्स जो अवेलेबल हैं, देना पड़ेगा। कोई भी व्हिकल परचेजिंग करने के लिए है उसको रजिस्टर करना है वह कन्जूमर पर ही पड़ता और कन्जूमर होने के नाते वह खरीदता है, बाजार में जाता हैं। मैंने कार परचेज की उस खरीद पर सेन्ट्रल सेल्स टैक्स 10 परसेंट था बाकी राजस्थान के अन्दर कन्जूमर परचेज करेंगे तो आपको 10 परसेंट के बजाय 12 परसेंट देना पड़ेगा, बल्कि कंजूमर को 12 परसेंट और 3 परसेंट रजिस्टर्ड डीलर देते है और 3 परसेंट के अलावा 12 परसेंट आपको टैक्स देना पड़ेगा इस प्रकार आपको 15 से 12 परसेंट कर देने से क्या फरक पड़ेगा ? 15 परसेन्ट पर एग्रो हुआ है। ऐसा न हो कि राजस्थान का जो ट्रेड है वह दूसरे स्टेट्स में चला जाय इसलिए दूसरे स्टेट्स का जो परसेन्टेज है सेल्स टैक्स का वही राजस्थान के अन्दर हो।

श्री मथुरादास माथुर : दूसरे स्टेट्स में 10 परसेन्ट है, दिल्ली में 10 परसेंट है, अहमदाबाद में 10 परसेंट है, महाराष्ट्र में 10 परसेंट है, मद्रास में 10 परसेंट है। बाकी स्टेट्स को भी कहा जा रहा है कि वह बढ़ायें। मेरा ख्याल है कि अपने बेलेन्स आफ ट्रेड को डाईवर्ट होने का खतरा है। 15 परसेंट से घटाकर 12 परसेंट कर दिया जाय।

श्री कृष्णकुमार गोयल : 15 परसेंट से 12 परसेंट-यदि कर रहे हैं तो 12 परसेंट से उससे क्या रीलीफ मिलने वाली है ? एक गाड़ी करीब 40,000 में आती है। उस पर अगर 15 परसेंट हो तो उस पर क्या फर्क पड़ जाता है ?

श्री मथुरादास माथुर : उस पर डिफरेन्स पड़ जाता है करीब 4 परसेंट का। उस पर 3 परसेंट

(श्री मथुरादास माथुर)

कम कर दीजिये। कमीशन ऐजेन्ट भी अपने कमीशन में से 10 परसेन्ट में बेच देता है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : Motor Vehicles के ऊपर 10 परसेन्ट से 12 परसेन्ट किया गया क्या ?

श्री मथुरादास माथुर : कम कर दिया गया है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या 15 परसेन्ट से 12 परसेन्ट कर रहे हैं ?

श्री मथुरादास माथुर : 15 परसेन्ट किया गया है उसके बाद में बिल तो चल रहा है।

श्री रामकिशन : अब भी इस पर फर्क पड़ेगा और सरकार को बोझ पड़ेगा। 15 परसेन्ट से हमने 14 कर दिया। अन्यथा वे फिर गड़बड़ी करेंगे और व्यापारी डिसीव करेंगे। हमसे कोई व्यापारी मिलने नहीं आता। मिले तो आपसे हैं और चर्चा हमसे हुई है। 10 परसेन्ट मध्य प्रदेश में, यू० पी० में, गुजरात में और यह अधिकार आप ले सकते हैं इससे आप नुकसान में रहेंगे और महीने भर बाद फिर अमेन्ड करना पड़ेगा।

श्रीमती कान्ता कथूरिया : There is one constructional mistake in clause 3 "Provided further that the State Government may permit such class of dealers........ under this Act ny" It should be "by" and not "ny".

इसके साथ साथ 5 परसेन्ट है। इसके लिये मैं निवेदन, कम्‌गी-मल्टीपल टैक्सेशन के बारे में........

श्री रामकिशन : हटा दिया।

श्री मथुरादास माथुर : मैं समझता हूं कि जब यह किया गया था तो उस समय माननीय सदस्या सदन में उपस्थित नहीं थी।

श्रीमती कान्ता कथूरिया : पहले कर दिया तो धन्यवाद।

श्री कृष्णकुमार गोयल : जो आपने लिखा है वैसा दिया है और जो फिर अमेन्ड किया है उसके बारे में आपका क्या हुक्म है ?

श्री मथुरादास माथुर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने संशोधन रखा कि 10 से 8 परसेन्ट कर दिया जाय, मेरे ख्याल से वे इतने सीरियस नहीं थे। उन्होंने सीरीयसली इसको नहीं रखा। इस सदन ने दस परसेन्ट तक टैक्स लगाने के अधिकार दिये थे। राज्य सरकार ने बिना सदन को कान्फिडेन्स में लिये उनका उपयोग नहीं किया है। उन कमोडिटीज के लिये मैंने अपनी बजट स्पीच में भी उनका पूरा विश्लेषण किया। माननीय सदस्यों की राय की वकत न रखी जाती है और दस परसेन्ट से ऊपर बिना असेम्बली को कान्फिडेन्स में लिये यह किया जाता हो ऐसी बात नहीं है। फौरिन लिकर

(श्री मथुरादास माथुर)

पर 15 परसेन्ट किया। सदन को विश्वास दिलाता हू कि जब तक रेवेन्यू न घटे और अन्य सब बातों को सोच समझ कर ही भविष्य में किया जावेगा अगर जरूरत पड़ी। भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने भी कहा कि टैक्सेशन का शिड्यूल है वह बहुत लिमिटेड है। जहां हाथ डालता हूं कान्करेन्ट लिस्ट या स्टेट लिस्ट आ जाती है। दूसरे टैक्सेज लिमिटेड हैं आप सहमत होंगे कि दस परसेन्ट मांगा है वह ज्यादा नहीं मांगा है।

पेकिंग के लिये माननीय सदस्य ने बात रखी।

श्री रामकिशन : मेरे जैसे आदमी के फर्क नहीं पड़ता सेल्स टैक्स से। मेरी समझ में वह बात आ गयी है। आप उसको मान लीजिये।

श्री मथुरादास माथुर : ठीक है वह मैं मान लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : इसका कान्सिक्वेन्स क्या है ?

श्री मथुरादास माथुर : अमेन्डेड फार्म हो जावेगा।

श्री विजयसिंह रावत : हर एक प्रस्ताव मान्य करें तो अच्छा रहेगा।

श्री मथुरादास माथुर : अगर आप वाजिब रखें तो।

श्री उपाध्यक्ष : पूरा अमेन्डमेन्ट स्वीकार है ?

श्री मथुरादास माथुर : रामानन्दजी का स्वीकार नहीं है। उनका अमेन्डमेन्ट स्वीकार है। 'When not seperaately charged.'। पहले लग चुका है तो दुबारा नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खंड 3 में जो संशोधन श्री रामानन्दजी ने प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव गिर गया।

प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्रीमती कान्ता कथूरिया ने खंड 3 में प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाय ?

श्री भैरोंसिंह : रामकिशनजी का क्या स्वीकार किया ?

श्री रामकिशन : मैंने तो वह वैसे ही कहा था।

(ध्वनि मतदान के पश्चात)

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि खंड 3 को संशोधित रूप में स्वीकार किया जाय ?

(ध्वनि मतदान के पश्चात्)

श्री रामानन्द अग्रवाल : 'ना' पक्ष जीता ।

श्री नत्थीसिंह : इतने अधिकार नहीं लेने चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खंड 3 को संशोधन के साथ स्वीकार किया जाय ?

(ध्वनि मतदान के पश्चात्)

श्री भैरोंसिंह : ना पक्ष जीता ।

(मत विभाजन सूचक घंटी के पश्चात्)

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खड 3 संशोधन के साथ स्वीकार किया जाय ?

(ध्वनि मतदान के पश्चात्)

हां पक्ष जीता ।

श्री नत्थीसिंह : 'ना' पक्ष जीता ।

श्री गिरधारीलाल व्यास : हां' पक्ष जीता ।

श्री रामकिशन : उनको पता ही नहीं है कि हां किसमें कह रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : Lobbies may be cleared.

श्री रामकिशन : हम उनको जीते हुए मान लेंगे यदि यह बतायें कि 'हां' किसमें कहा । उनको पता ही नहीं है ।

श्री मथुरादास माथुर : उधर से भी पूछ लीजिये कि 'ना' किसमें हो रहा है ।

श्री उपाध्यक्ष : हां पक्ष जीता ।

(स्वीकृत)

खड 3 स्वीकार किया गया ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : हमने डिविजन की मांग की थी ।

श्री उपाध्यक्ष : जिस तरीके से माननीय सदस्य बात कर रहे थे मुझे ऐसा लगा कि डिविजन नहीं चाहते । जब स्वीकार कर लिया तो रि-ओपन तो हो नहीं सकता ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह बिल्कुल रूल्स के खिलाफ है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : रूल्स के अन्तर्गत है । स्पीकर ने रूलिंग दे दी । हम उसको चैलेन्ज करते हैं तो उसके बाद होता है । हम इसको चैलेन्ज कर रहे हैं । आप आर्डर दे दीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष : Lobbies may be cleared. "Ayes" to the "Ayes" side and "Noes" to the "Noes" lobbies.

(समय 4.12 म. प.)

विभाजन का रिजल्ट इस प्रकार है :

हा पक्ष–59

ना पक्ष–32 ।

विभाजन के अनुसार 'हां' पक्ष के माननीय सदस्य

वि. सं.	सदस्य का नाम
1.	श्री अमीनुद्दीन
2.	श्री कन्हैयालाल (पिड़ावा)
3.	श्री कल्याण मल
4.	श्रीमती कान्ता कथूरिया
5.	श्री कालूराम आर्य
6.	श्री किशनलाल (नाथद्वारा)
7.	श्री किशनलाल (सिकराय)
8.	श्री गंगाराम चौधरी
9.	श्री गणेशलाल
10.	श्री गामा
11.	श्री गिरधारीलाल
12.	श्री गुलाबसिंह
13.	श्री गोकुलचन्द
14.	श्रीमती गौरी पूनिया
15.	श्री छुट्टनलाल
16.	श्री जगन्ननाथ
17.	श्री जयकृष्ण
18.	श्री जयनारायण (लसाड़िया)
19.	श्री दामोदर व्यास (मालपुरा)
20.	श्री दीपचन्द
21.	श्री देवेन्द्र कुमार
22.	श्री नन्दलाल (पाटन)
23.	श्री नाथूराम
24.	श्री परसराम मदेरणा
25.	श्री पी. के. चौधरी
26.	श्री पृथ्वीराज (बामनवास)
27.	श्रीमती प्रभा मिश्रा
28.	श्री बनवारीलाल
29.	श्री बलवन्त
30.	श्री बिरधीचन्द
31.	श्री बिशम्भरनाथ जोशी
32.	श्री बृजसुन्दर शर्मा
33.	श्री भीखा भाई
34.	श्री भीम सेन
35.	श्री भूरा
36.	श्री मजलिस
37.	श्री मथुरादास माथुर
38.	श्रीमती मदन कौर
39.	श्री महेन्द्रकुमार
40.	श्री माधोसिंह
41.	श्री मुल्कराज

('हां' पक्ष)

वि. सं.	सदस्य का नाम
42.	श्री रघुनाथजी
43.	श्री रामकुमार (चित्तौड़गढ़)
44.	श्री राम कुमार (सपोटरा)
45.	श्री रामचरण
46.	श्री रामनारायण
47.	श्री रिद्धीचन्द पालीवाल
48.	श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत
49.	श्री विद्यासागर
50.	श्री शंकरलाल (कपासन)
51	श्री शंकरलाल (जैतारण)
52.	श्री शिवचरण सिंह
53.	श्री शिवनाथ सिंह
54.	श्री शीशराम
55.	श्री शोभाराम
56.	श्री श्रीनिवास
57.	श्री सांवरमल बासोतिया
58.	श्रीमती सुमित्रा
59.	श्री हरलाल

विभाजन के अनुसार 'ना' पक्ष के माननीय सदस्य

वि. सं.	सदस्य का नाम
1.	श्री अमीलाल
2.	श्री आइदानसिंह
3.	श्री आदित्येन्द्र
4	श्री आलम अली
5.	श्री कन्हैयालाल (बस्सी)
6.	श्री कृष्ण कुमार
7.	श्री गंगासहाय
8.	श्री जयनारायण (निवाई)
9.	श्री जुझारसिंह
10.	श्री देवीदत्त
11.	श्री दौलतराम (डूंगरगढ़)
12.	श्री नत्थीसिंह
13.	श्री नाथूलाल
14.	श्री फतहसिंह
15.	श्री फूलचन्द बाफना
16	श्री बद्रीप्रसाद
17.	श्री भगवानदास
18.	श्री भैरोंसिंह शेखावत

('ना' पक्ष)

19. श्री मुकुट बिहारी लाल
20. श्री रामकिशन
21. श्री रामानन्द
22. श्री रावतराम
23. श्री लक्ष्मन
24. श्री लादूराम सुलानिया
25. श्री विजयसिंह (नसीराबाद)
26. श्री विजयसिंह (मकराना)
27. श्री विट्ठल प्रसाद
28. श्री शम्भूराम
29. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल
30. श्री सुरेन्द्रसिंह
31. श्री हरलाल सिंह
32. श्री हरिवल्लभ शर्मा

(स्वीकृत)

खण्ड 3 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

(राजकीय पक्ष की ओर से करतल ध्वनि)

श्री विजयसिंह रावत : ये टैक्स लगाने पर तालिया बजा रहे हैं, इतने दिनों तक तो आलोचना कर रहे थे।

श्री उपाध्यक्ष : Order please !

खण्ड 4 और 5 को बाद में लिया जाएगा, पहले खण्ड 6 लिया जाएगा।

श्री मथुरादास माथुर।

श्री मथुरादास माथुर : इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है। इसमें कोई तरमीम नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, खण्ड 6 में कोई तरमीम नहीं है इसको मैं टेक्नीकली तो वापिस लेता हूं। I don't press this thing.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड (6) को स्वीकार किया जाय। जो पक्ष में हों वे हां कहें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या, क्या हो गया ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या खण्ड 6 को वापिस ले रहे हैं।

श्री मथुरादास माथुर : यह खण्ड 6 है इसको मै टेक्निकली तो वापिस लेता हूं लेकिन इसको वोटेड आउट कराना पड़ेगा।

(विराम)

यह खण्ड 6 जो है मल्टी परपज वाला उसे वोटेड आउड करना पड़ेगा।

श्री सतीशचन्द्र अगवाल : क्या हो जाएगा ?

श्री मथुरादास माथुर : इसके अन्दर मैंने एमेंडमेंट मूव नहीं किया है, इसको ड्रॉप करने के लिए वोटेड आउट करना पड़ेगा। इसलिए अपनी सर्व सम्मति से ड्रॉप करने के लिए हां, ना, हो जाएगा।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 6 को स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

खण्ड 6 विलोपित किया गया।

खण्ड 4

श्री मथुरादास माथुर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, खण्ड 4 में भी कोई तरमीम नहीं है लेकिन इसको भी वोटेड आउट करना पड़ेगा। यह खण्ड 5 का कॉन्सीक्वेंशियल है, इसलिए खण्ड 4 को भी वोटेट आउट करना पड़ेगा।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 4 को स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

खण्ड 4 विलोपित किया गया।

खण्ड 5

श्री मथुरादास माथुर : इसी तरह से खण्ड 5 का (ए) है उसको भी वोटेड आउट कराया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : नम्बर 6 में तो आपका एमेंडमेंट है।

(विराम)

नहीं, नम्बर 5 में आपका एमेंडमेंट है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्लॉज 5 पर तो हम बोलना चाहेंगे।

श्री मथुरादास माथुर : खण्ड 5 के (ए) में मेरा एमेंडमेंट है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : 'ए' और 'बी' दोनों ही डिलीट कर दो।

श्री मथुरादास माथुर : No. B will remain as it is.

'ए' को ही वोटेड आउट करना पड़ेगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्लॉज 5 पर तो डिस्कशन करना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आपका एमेंडमेंट है उसके अनुसार ही डिस्कशन होगा।

प्रश्न यह है कि खण्ड 5 में जो संशोधन श्री मथुरादास माथुर ने पेश किया है उसको स्वीकार किया जाय ?

श्री भैरोंसिंह : डिस्कशन में लगे तो फिर 'ए' और 'बी' का प्रश्न नहीं है। पहले डिस्कशन होगा और उसके बाद में 'ए' और 'बी' पर वोट पड़ेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : इसमें अमेंडमेंट आपने मूव कर दिया है, जो माननीय सदस्य बोलना चाहें वे बोल लें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, इस धारा 5 (बी) के जरिये राज्य सरकार जानवरों पर सब पर टैक्स लगाने का अधिकार ले रही है। उपाध्यक्ष महोदय, पहले अपने बजट के समय माननीय वित्त मंत्रीजी ने जो मेले हैं, मेलों के अन्दर जो मवेशियों की बिक्री होती है उन पर टैक्स लगाने का प्रावधान किया था जिसका विरोध इस सत्र में सभी दलों की ओर से तीव्र तरीके से किया गया था। और उसके फलस्वरूप माननीय वित्त मंत्री महोदय को अपने बजट की बहस का उत्तर देते वक्त उस कर को वापिस लेना पड़ा था। परन्तु आज इस धारा के जरिये जिस तरीके से माननीय वित्त मंत्रीजी इस चीज को वापिस ले चुके थे उससे ज्यादा खतरनाक तरीके से, उससे ज्यादा वाइड पॉवर्स लेकर मवेशियों पर कर लगाने की पॉवर माननीय वित्त मंत्री महोदय लेना चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, पहले जो बजट भाषण में माननीय वित्त मंत्रीजी चाहते थे और जिसका इस सदन में विरोध किया गया वह केवल मेले के अन्दर जो मवेशियों की बिक्री हो उसके ऊपर 5 प्रतिशत टैक्स लगाया गया था, उस तक सीमित था। अब जो टैक्स की बात है वह मेले तक सीमित बात नहीं है। वह मवेशी कहीं भी हो, किसी भी सिटी में हो, वह बिक्री की बात भी नहीं रही। अब तो केवल मवेशी होना चाहिए। मवेशी आपके पास हों, इतनी भेड़े हों, इतने ऊंट आपके पास हों, इतनी बकरी आपके पास है, उसको बुनियाद पर आपके ऊपर टैक्स लगाने का अधिकार माननीय वित्त मंत्रीजी लेना चाहते हैं। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, की जिस टैक्स का विरोध, जिन मवेशियों पर टैक्स लगाने का विरोध, हमारे इस सदन में सभी दलों की ओर से किया गया, माननीय वित्त मंत्री का इसको वापिस लेने के बाद इस तरीके से इस बिल में वापिस रखना इस सदन के साथ विश्वासघात है। इस सदन को दिया गया आश्वासन, इस सदन में की हुई घोषणा को वापिस लेने की बात है, वह भी इस तरीके से कि उस बात को डिस्क्लोज करके घोषित किया नहीं गया। उपाध्यक्ष महोदय, मैं पढ़कर सुनाऊं, इसका हिन्दी वरशन भी है लेकिन इस समय मेरे पास अंग्रेजी में है। जो इस प्रकार है :—"Provided that in the case of such class of live-stook as may be specified by a notification in the official Gazette, the State Govt. may direct that tax shall be paid in such lump sum per animal as may be specified in the notification."

इसका मतलब यह है कि अब भी यह नहीं बताया गया है कि कौन से जानवरों के बारे में इस प्रकार लम्पसम में तादाद के ऊपर टैक्स लगाया जा सकता है, वह अधिकार भी माननीय मंत्रीजी को होंगे और वह गजट निकालकर उन तमाम मवेशियों पर जिनको भी वे चाहें, जिनके लिए भी उनके वित्तीय साधन उनको मजबूर करें उसके अनुसार वह लिस्ट बना सकते हैं, और कितना हो, मात्रा क्या हो, टैक्स लम्पसम क्या हो, कितनी मात्रा हो टक्स की, यह

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

भी नहीं दिया गया है। उसकी अनलिमिटेड पॉवर माननीय वित्त मंत्रीजी इस सेक्शन के जरिये लेना चाहये हैं, और मैं यह समझता हूं कि इस धारा के पास करने की मन्शा होगी कि हम राजस्थान में अपने तमाम लाइवस्टॉक पर, हम अपने तमाम मवेशियों पर कर लगाने का राज्य सरकार को अधिकार देते हैं, और वह उनकी कीमत के आधार पर नहीं, उनकी मार्केट वेल्यू के आधार पर नहीं, उनकी बिक्री कितने में होगी इस आधार पर नहीं, बल्की इस आधार पर कि उनकी संख्या कितनी है, उनकी तादाद कितनी है उस आधार पर राजस्थान के इस छोर से उस छोर तक तमाम किस्म के मवेशियों पर इस प्रकार का टैक्स लगा सकें।

उपाध्यक्ष महोदय, यदि हम किसी भी टेक्सेशन के जस्टिफिकेशन को देखें यदि हम किसी टैक्स के आधार को देखें कि जिस आधार पर टैक्स लगाये जाते हैं तो जिस सेक्शन पर टैक्स लगाए जाते हैं तो उन लोगों की क्षमता को देखा जाता है, उस वर्ग की हालत को देखा जाता है। राजस्थान में इस बात को बार-बार कहा जा चुका है खास तौर से जो कृषि प्रधान प्रान्त हैं तो खेती की हालत, खेती की व्यवस्था बहुत खराब होने के नाते और जो लाइव स्टॉक की स्थिति है हमारे राजस्थान में, जिसके चारे के लिए लोगों को दूसरे प्रान्तो में जाना पड़ता है, ऐसी स्थिति के होते हुए मवेशियों के लिए इस तरह के वाइड पॉवर हमारी सरकार लेना चाहती है, यह मैं समझता हूं बिल्कुल अनुचित है। अनुचित ही नहीं, बल्कि जो पॉवर्स सरकार को नहीं दी जानी चाहिए थी वह इस क्लाज़ से सरकार ले लेना चाहती है। इन शब्दों के साथ मैं इस धारा का टोटली, पूरी तरह से विरोध करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती कान्ता कथूरिया !

श्रीमती कान्ता कथूरिया (कोलायत) : उपाध्यक्ष महोदय, क्लाज 5 (बी) के एमेंडमेंट का जहां तक सवाल है, इसका मैं भी विरोध करती हूं। इसलिए नहीं कि मवेशियों पर टैक्स लगाया जा रहा है, मेरे खयाल से इसमें कुछ गलतफहमी हो गई है इस बारे में कि यहां पर नया टैक्स मवेशियों के लिए जो सदन में विश्वास दिलाया गया है उसके खिलाफ लगाया गया है। मैं तो सिर्फ यह निवेदन करना चाहूंगी कि यह जो लाइव स्टॉक का इसमें एमेंडमेंट किया है कि लम्पसम में जो भी सरकार तय करेगी बाद में नोटिफिकेशन निकालेगी कि किन किन जानवरों पर लगायेगी तो उन पर लगायेगी। इसलिए मेरा निवेदन है कि यह बहुत वाइड पॉवर्स हो जायगी कि चाहे जिस जानवर पर लम्पसम ज्यादा लगायें या कम लगायें उसके लिए ओरीजिनल क्लॉज में एमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं है। जहां तक ओरीजिनल क्लॉज है अलवर से आने वाले माननीय सदस्य को सुनने के बाद मुझे यह महसूस हुआ कि उनको गलतफहमी हो गई है कि नये कर लगाये जा रहे हैं, लेकिन इसके लिए एक्ट में पहले ही प्रावधान है: --

"Notwithstanding anything contained in Sections 3, 5 and 5

(श्रीमती कान्ता कथूरिया)

A but subject to the first proviso to section 5, tax on the sale or purchase of live-stock at such rate not exceeding ten percent of the sale or purchase price, as the case may be of such live-stock and at such point of sale or purchase, as the State Government may in the Official Gazette notify in this behalf, shall be payable by every person, who sells or purchases live-stock in the State and provisions of section 10-A shall, *mutatis mutandis* apply, to every such person and in respect of matters not covered by section 10 A, other provisions of the Act shall apply as if he were a dealer."

मेरे ख्याल में जो ओरीजिनल क्लॉज है उसमें 10 पर्सेन्ट स्पेसीफाइड किया है । उसमें सरकार को डिस्क्रीशन नहीं रहेगा और लम्प-सम लगाने से उनको डिस्क्रीशन हो जायगा कि जहां चाहेंगे वहां ज्यादा से ज्यादा लगा देंगे और कहीं कम लगा देंगे। ओरीजिनल क्लॉज ही काफी है और जो एमेंडमेंट है लम्पसम लगाने का उसको मन्जूर नहीं किया जाना चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अमीलाल यादव !

श्री अमीलाल यादव (बहरोड) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यहां जैसा कि अलवर से आने वाले माननीय सदस्य श्री रामानन्दजी ने बतलाया है मैं उसकी ताईद करता हूं । मैं आपके जरिये निवेदन करूंगा कि वास्तव में यह देखता हूं कि जितने भी टेक्सेशन के सवाल आये है उन सब में यही देखने में आया हैं कि किसान लोगों के बारे में उनकी स्थिति को बिना देखते हुए, उनकी माली हालत क्या है और किस तरह की उनकी पोजीशन है, उसको देखे बिना ही टैक्स लगा देते हैं । आज भी कई ऐसे आदमी हैं जो अपनी छोटी-मोटी भैंस और बकरी रखकर अपना गुजारा करते हैं, तो उस पर भी नहीं बक्श रहे हैं और उनके ऊपर टैक्स लगाया जाता है, और उस पर भी आज इस तरह का बिल है कि गवर्नमेंट अपने हाथ में सारे पॉवर्स ले रही है, जिससे कि डिस्पेरिटी एक जिले और दूसरे जिले में आयेगी और राजनैतिक तरीके से यह पावर इस्तेमाल की जायगी । इसलिए अप्रजातांत्रिक तरीकों से इसको लगाना न्याय सगत नहीं होगा ।

दूसरी बात यह है कि इसके अन्दर अब तक यह बात है कि कोई भी किसान यदि अपने पशुओं के ऊपर निर्वाह करता है और उसके ऊपर टैक्स लगाते हैं तो उनका निर्वाह होना कठिन हो जायगा । वैसे ही उनके ऊपर लेवी और कितने ही टैक्स उसके ऊपर लगाये हुए हैं । और इसके साथ-साथ देहातों में यह भी देखा जाता है कि टैक्स जो दिये जाते हैं उसके एवज में उन्हें दिया क्या जाता है ? पिछले दिनों भी हाउस में कहा गया था कि लोग भूखों मरते है, और जो बॉर्डर एरिया है 5 मील का दायरा है

(श्री अमीलाल यादव)

उसके अन्दर गेहूं नहीं ले जाने का ऑर्डर है। जितने भी टैक्स उन पर लगाया जाता है तो यह देखें कि उनको उसके एवज में कितना दिया जाता है। आज के दिन देहातों में कई टैक्स लगाये जा रहे हैं उसके एवज में कितना क्या दिया जाता है? गोचर भूमि तक नहीं छोड़ी जाती है। पशुओं पर टैक्स लगाते हैं। चारे का प्रबन्ध नहीं है। हमारे पड़ौस में हरियाणा है। जब वहां अकाल पड़ता है तो सरकार उनको चारा देती है। नॉर्मल तरीके से जो प्राइसेस होती हैं उनके हिसाब से। जो पहले रेट थे उस हिसाब से आज भी चारा दिया जाता है। अधिक कीमत होने पर वहां पर गवर्नमेंट भुगतती है लेकिन यहां पर भुगतने का सवाल नहीं है। यहां तो वहां पर चारा पहुंचाये जाने का भी प्रबन्ध नहीं हो सकता है।

इसलिए इतने पॉवर्स गवर्नमेंट अपने हाथ में पशुधन के ऊपर टैक्सेशन का ले सके जिसमें कि अपनी मर्जी के मुताबिक जहां पर जिस डिस्ट्रिक्ट के अन्दर गवर्नमेंट चाहेगी उस प्रकार से उस डिस्ट्रिक्ट में अलग टैक्सेशन लगायेगी और जिस तरीके से वह जिसको चाहेंगे एक्जेम्प्शन देना उसको दे सकेंगे। इसलिए मेरी राय के अन्दर और यहां और भी किसान भाई आज इस साइड में बैठे हैं वे अच्छी तरह से इसको समझें कि पशुओं के ऊपर टैक्सेशन नहीं होना चाहिये और पॉवर्स, गवर्नमेंट को देना कि मनमाने तौर पर लगा दें न तो न्याय संगत है और न वैधानिक है, न डेमोक्रेटिक भी है। इसलिए यह जो संशोधन रखा है उसको ड्रॉप किया जाय और इसको वापिस लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री कृष्ण कुमार गोयल !

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : उपाध्यक्ष महोदय, इस क्लॉज के द्वारा सेक्शन 5 (बी) में संशोधन करके जो सरकार लम्पसम एसेस करके सेल्स टैक्स लगाने का अधिकार लेना चाहती है मवेशियों के संबंध में जिस समय यह विचार रखे थे उस समय मैंने निवेदन किया था। पहले तो सरकार की सबसे अधिक जो मनोवृत्ति बन चुकी है जिसकी आलोचना की जाती है कि सरकार किसी भी सैक्शन के तहत एक ऐसा जनरल अधिकार अपने हाथ में लेती है कि उसके बाद नोटिफिकेशन निकाल कर अपनी इच्छा पर या अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए चाहे जिस प्रकार, चाहे जिस वस्तु पर, चाहे नोटिफिकेशन के द्वारा उस रेट से टैक्स लागू करते है और, उपाध्यक्ष महोदय इस प्रकार सेक्शन 5 (बी) मे मवेशियों के ऊपर 10 परसेंट का टैक्स लगाने का जनरल अधिकार अपने हाथ में ले लेना चाहती है ताकि सरकार को जो अधिकार दिए गये हैं समय२ पर उनको चुनाव के पूर्व और उसके पश्चात या जब भी उस पर दबाव पड़े समय-समय पर इस प्रकार का नोटिफिकेशन निकाल कर उनमें रद्दोबदल कर दें।

मैं समझता हूं कि जहां तक मवेशियों का सवाल है, राजस्थान के पश्चिमी इलाकों के अन्दर मवेशी-पालन और मवेशी बिक्री एकमात्र इस प्रकार का धन्धा रह गया है जिस

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

पर उस क्षेत्र के रहने वाले लोग जीवित हैं। मैं सोचता हूं, ऐसे लोग, जो अपने इस धन्धे पर जिन्दा है, जो अपना धन्धा पशुओं का करते है, और जब सीमा पर लगे हुए जो राज्य हैं उनमें मेले होते हैं तो उन मेलों में जाकर मवेशियो को बेच देते हैं, क्योंकि वहां पर मवेशियों पर टैक्स कम है। मैं सोचता हूं कि सरकार को मवेशियो पर टैक्स नहीं लगाना चाहिए। अन्यथा यह होता है कि मवेशियों के जो मेले राजस्थान मे होते थे, वह राजस्थान से हट कर मध्य प्रदेश और गुजरात में अधिक होने लगे हैं और उनका महत्व भी अधिक बढ़ता जा रहा है। मवेशियों के खरीददार भी राजस्थान से हटकर हमारे राज्य से लगे हुए प्रदेशों की सीमाओं में चले जाते हैं। इतना ही नहीं, मवेशियों की बिक्री के कारण पंचायतों को जो टैक्स से आमदनी होती थी उसमें भी कमी होती जा रही है। आज स्थिति यह हो रही है कि पंचायतों के पास राजस्थान में भूमि के अलावा दूसरे किसी सोर्स से आमदनी नहीं होती है दूसरा कोई टैक्स नहीं है पंचायतों के पास। उनकी आमदनी का एकमात्र साधन है तो वह मेले हैं जिनके ऊपर वह टैक्स लगाते थे और आय के साधन बढ़ा कर अपना विकास का काम चलाते थे। अब धीरे-धीरे पंचायतों की आय के साधन कम होते जा रहे हैं। इसलिए मवेशियों के ऊपर टैक्स कम कर देना चाहिए। इसके दूसरे पहलुओं के ऊपर मेरा निवेदन यह है कि इसमें जो मूल सेक्शन है, वह है :

"Notwithstanding anything contained in sections 3,5 and 5A but subject to the first proviso to section 5, tax on the sale or purchase of live-stock at such rate not exceeding ten percent of the sale or purchase price, as the case may be, of such live-stock and at such point of sale or purchase, as the State Government may in the Official Gazette notify in this behalf, shall be payable by every person, who sells or purchases live-stock in the State and provision of Sec. 10 A shall, *mutatis mutandis* apply...."

तो सेल्स टैक्स लगेगा वह सेल और पर्चेज पर लगेगा, खरीद या बिक्री पर लगेगा। सेल्स टैक्स किसी संख्या में नहीं लग सकता है। लेकिन इसमें जो प्रोवीजो आया है उसके आधार पर आप लम्पसम के प्रावधान को रखना चाहते हैं। मैं सोचता हूं यह सेल्स टैक्स के प्रावधानों के विपरीत है। जब तक मूल्य पर नहीं हो, या मूल्य के पर्सेन्टेज के आधार पर टैक्स नहीं हो तब तक वह सेल्स टैक्स नहीं हो सकता है। उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रावधान लाया गया है उसके अन्दर है-

'Provided that in the case of such class of live-stock as may be specified by a notification in the Official Gazette, the State Government may direct that tax shall be paid in such lump sum per animal as may be specified in the notification.'

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

पर एनीमल लम्पसम तय किया है आपने। यह सैल्स टैक्स की धाराओं के खिलाफ है और सैल्स टैक्स की जो डेफीनेशन है, जो परिभाषा है उसके विपरीत है। सरकार पर एनीमल कोई सेल्स टैक्स नहीं ले सकती है, सरकार कीमत पर सेल्स टैक्स ले सकती है। जब इस प्रकार के विरोधी प्रावधान आप लेकर आये हैं तो जो आपकी मन्शा है यह उसको पूरा नहीं कर सकते। यह सेल्स टैक्स के प्रावधानों के विपरीत पड़ेगा। उपाध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त इसमें आया है 'इन दि केस ऑफ सच क्लास आफ लाइव स्टाक।' 'सच क्लाज' क्या होता है? सरकार इसमें अपनी इच्छा का प्रावधान रखना चाहती है। भेड़, बकरी, गाय, ऊंट इन सब क्लासों का अधिकार सरकार रखना चाहती है। इस अधिकार को अपने पास में रख कर सरकार समय-समय पर सौदे करना चाहती है। जो मवेशियों का धन्धा करने वाले हैं, समय समय पर उन पर दबाव डालना चाहती है। मेरा निवेदन है कि जो कुछ सरकार को अधिकार प्राप्त करने हैं और जो सरकार अधिकार प्राप्त करना चाहती है, जिन-जिन चीजों पर टैक्स लगाना चाहती है, सरकार को अपनी नीयत और सब बातें प्रावधानों में स्पष्ट करनी चाहिए। सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि किन-किन मवेशियों के ऊपर किन-किन पाइन्टस पर टैक्स लगाना चाहती है। लम्प सम टैक्स लगाना चाहती है। मेरा दूसरा विरोध है कि सरकार समय समय पर 'इन दि केस आफ सच क्लास आफ एनीमल, इन दि केस आफ सच क्लास आफ लाइव स्टाक, इन दि केस आफ सच क्लास आफ पर्सन' पर टैक्स लगाने का अधिकार लेना चाहती है। मैं इसका कड़ा विरोध करता हूं और मैं सरकार की मन्शा की निन्दा करता हूं। मैं सरकार को पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि जो आप पर एनीमल के नाम से लम्पसम टैक्स लगाने का अधिकार लेना चाहते हैं यह सेल्स टैक्स एक्ट के तहत, सेल एण्ड पर्चेज आफ गुड्स के प्रावधानों के तहत, सेल्स टैक्स की डेफीनेशन के तहत पर एनीमल पर सेल्स टैक्स नहीं आयेगा। इन शब्दों के साथ मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : वित्त मन्त्री !

श्री मुकुट बिहारी लाल गोयल : मैं बोलना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : काफी चर्चा हो चुकी है और इस पर कोई सामान्य वाद विवाद नहीं हो रहा है।

श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल : उपाध्यक्ष महोदय, यह ऐसा मसला नहीं है जिसे हरिडली इस तरह से पास कर दिया जाय। मैं समझता हूं........

श्री उपाध्यक्ष : जिस वक्त विचारार्थ लिया था उस वक्त आप फर्मा सकते थे।

श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल : राजस्थान टैक्सेशन लॉज (एमेंडमेंट) बिल है इस पर मैं बोलना चाहता हूं। मैं अपना अधिकार एसर्ट करना चाहूंगा। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन कर रहा था कि....

श्री उपाध्यक्ष : Order please !

श्री मुकुट विहारी लाल गोयल : इस क्लाज के द्वारा जो....

श्री उपाध्यक्ष : Order pleasce. !

श्री मुकुट बिहारी लाल गोवल : किस बात का आर्डर है, साहब ?

श्री उपाध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें। आपको यदि फर्माना था तो आप एमेंडमेंट पेश कर देते।

श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल : मे मूल धारा का विरोध कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : व्यवस्था दी जा रही है। जिस वक्त विचारार्थ लिया था उस वक्त आप कह सकते थे। अब आप सामान्य चर्चा छेड़ना चाहते हैं।

श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल : मैं पूरी की पूरी धारा का विरोध करता हूं। मैं उसके लिए खड़ा हो रहा हूं, जो इस बिल का प्रावधान है, जो इसकी भावना है मूल क्लाज की....

श्री उपाध्यक्ष : चार-पांच माननीय सदस्यों ने विचार व्यक्त कर दिये हैं। अब चर्चा का अवसर नहीं दिया जा सकता है। माननीय वित्त मंत्री उत्तर दें।

श्री देवीदत्त गाड़िया : उपाध्यक्ष महोदय, जब तक हाउस की मन्शा को पूरी तरह नहीं जान पाये तब तक मैं सोचता हूं इसे पास नहीं करना चाहिए। मेरा आपसे निवेदन है कि माननीय वित्त मंत्री तो जवाब देंगे ही लेकिन जिस समय हाउस के माननीय सदस्य इस प्रश्न पर और बोलना चाहते हैं क्योंकि यह एक गम्भीर प्रश्न है, जानवरो के ऊपर टैक्स लगाने का इस प्रकार से राजस्थान सरकार और वित्त मंत्री जी अधिकार लेना चाहते हैं तो यह बहुत बड़ा संकट है राजस्थान के जानवरों को पालने वालों के लिए।

श्री उपाध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें।

श्री देवीदत्त गाड़िया : जो धन्धा करते हैं पशुओं का उनके साथ में इससे अन्याय होगा।

श्री उपाध्यक्ष : Order please !

श्री मुकुट बिहारी लाल गोयल : मैं आप से....

श्री उपाध्यक्ष : आसन अभी पैरों पर है। कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल : मुझे पता है।

श्री उपाध्यक्ष : सरकार कौनसा अधिकार लेना चाहती है कौनसा नहीं लेना चाहती है—यह सब स्थिति आपके सामने थी। यह बिल सक्यूंलेट हुआ उसके बाद में एमेंडमेंट आये। आपको अधिकार था, आप चाहते तो आप एमेंडमेंट पेश करते। सामान्य वादविवाद भी एक तरह से ऑन दि प्रिन्सिपल्स आफ बिल पर कर सकते थे। और इसको प्रवर समिति को सौंपा जाय या

(श्री उपाध्यक्ष)

परिचालित किया जाय जनमत जानने के लिए-वह अवसर भी बीत चुका है। इसके अलावा तीन-चार माननीय सदस्यों को, जिन्होंने अध्ययन किया था, अवसर दे दिया गया है और उनकी बातें सामने आ गई हैं। अब वित्त मन्त्री जी जवाब देंगे। वैसे भी समय की कमी है। ऐसी कोई बात नहीं है कि माननीय सदस्यों को बोलने का अवसर न दिया जाय। मैं समझता हूं कि इसके अन्दर सामान्य विवाद यह है कि यह टैक्स नहीं लगना चाहिए, यह गरीब लोगों के लिए बहुत बुरा होगा।

श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल : यह सवाल नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : वित्त मन्त्री जी जवाब देंगे।

श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल : मैं आपकी मार्फत यह कहना चाहता हूं, वित्त मन्त्री मैं समझता हूं....

श्री उपाध्यक्ष : आपको बोलने की अनुमति नहीं दी गई है।

श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल : मैं समझता हूं, मुझे बोलने का आर्डर नहीं दिया गया है इससे मेरा जो अधिकार है मूलभूत उस पर कुठाराघात किया गया है।

श्री उपाध्यक्ष : Order please !

श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं चेयर के प्रति सम्मान और निष्ठा व्यक्त करते हुए अपने अधिकार को एसर्ट करना चाहूंगा। मैं नम्र निवेदन करना चाहूंगा कि जन-भावनाओं को बताने के लिए....

श्री उपाध्यक्ष : Order please !

श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल : इसके लिए मुझे समय देना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : Order please ! माननीय सदस्य से मेरा अनुरोध है कि आप जो बात फर्माना चाहते थे वह फर्मा सकते थे। इसके कई अवसर थे। अब समय की कमी है और यह वित्तीय विधेयक है इसको एक निश्चित समय में पारित करना होगा...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कोई जरूरी नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : तीन चार माननीय सदस्यों ने शुरू में एतराज किया तो तीन चार माननीय सदस्यों को समय दिया गया।

श्री दौलतराम सारण : एक माननीय सदस्य और बोल लें तो उसमें क्या आपत्ति है ?

श्री उपाध्यक्ष : मैं तो बारह बजे तक ठहर सकता हूं। मुझे कोई आपत्ति नहीं हो सकती है। लेकिन यह सदन का समय है, किसी एक माननीय सदस्य का समय नहीं है।

श्री दौलतराम सारण : माननीय सदस्य अपने विचार व्यक्त करना आवश्यक समझते हैं और आपसे निवेदन करते हैं कि उन्हें बोलने दिया जाय क्योंकि यह अहम मसला है, कोई साधारण मसला नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि उन्हें बोलने दिया जाय।

श्री गिरधारीलाल व्यास : बोलने दिया जाय, पांच मिनट बोलने दिया जाय।

श्री विजयसिंह रावत : बोलने दिया जाय, उपाध्यक्ष महोदय !

श्री उपाध्यक्ष : श्री मुकुट बिहारी लाल !

श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल : उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रावधान जो है....

श्री उपाध्यक्ष : पांच मिनट।

श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल : हां।

इस प्रावधान के जरिये राजस्थान सरकार अपने हाथ में डिक्टेटोरियल पॉवर्स ले लेना चाहती है कि जिससे राजस्थान का अर्थ-तन्त्र है, जो आर्थिक ढांचा है उसमें किसी भी क्लास के ऊपर, राजस्थान सरकार जब चाहें, तब कुठाराघात कर सके। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत नम्रता से निवेदन करना चाहूंगा कि आज कहीं भी कोई भी टैक्सेशन का कायदा दुनियां के अन्दर जो है जैसा श्री कृष्ण कुमार गोयल, कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया, अगर कोई भी विधान सभा टैक्स लगाये, कोई भी लेजिस्लेचर टैक्स लगाये तब यह बात देखी गई है कि किसी एक पर्टीक्यूलर चीज पर टैक्स लगाती है जिससे सेल्स टैक्स के गुण और अवगुण के बारे में सोच सकते हैं। पर यह कह दिया जाय कि सरकार खाने-पीने की सब चीजों पर टैक्स लगा सकती है, सरकार को इस प्रकार के पॉवर्स दे दिये जायं कि जिस किसी चीज पर चाहे जितना टैक्स लगा सकती है, जिस प्रकार की सम्पत्ति पर जितना चाहे टैक्स लगा सकती है, तो फिर इतने क्लॉजेज की इतने प्रॉविजन्स की कोई आवश्यकता नहीं है। इस सब के स्थान पर केवल एक छोटा सा क्लाज पास कर लिया जाय कि सरकार किसी भी चीज पर किसी भी पॉइन्ट पर जितना चाहे टैक्स लगा सकती है। यह पास कर दिया जाय और दूसरे सारे प्रॉविजन्स डिलीट कर दिये जाय, मकान पर, आय पर, सम्पत्ति पर चाहे जिस चीज पर जितना चाहे टैक्स लगा दे। तो मैं समझता हूं इसमें स्पेसिफिक तरीके पर आना चाहिये था कि इन इन पर, गाय पर, भैंस पर, हल जोतने वाले बैलों पर, सांड या पाड़ा भैंसा, इन पर टैक्स लगाना चाहते हैं। ऐसा वे नहीं चाहते. सत्ता के मद में भैंसे की तरह अल्हड़पन से, डोलते रहें और राजस्थान के किसानों पर इस प्रकार के टैक्सेज लादते जायं। राजस्थान एक पशुपालक प्रान्त है, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इसके वर्किंङ्ग के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। 3 साल से राजस्थान में अकाल की स्थिति रही, उसका परिणाम यह हुआ कि लाखों भेड़ों

((श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल)

श्रौर पशुश्रों को भेड़ पालक, पशुपालक श्रपने पशुधन को बचाने के लिये श्रास पास के प्रान्तों में ले गये । श्राज भी कहीं सड़कों से गुजरेंगे तो हजारों पशु श्रोरिजिनल प्लेस पर लौटते हुए नजर श्रायेंगे । सेलस टैक्स का वर्किंग है, उसके श्रन्तर्गत यह है कि जैसे ही सीमा पार करेंगे टैक्स रखा लिया जायगा । राजस्थान में ऐसी स्थिति फिर नहीं श्राये, श्रगर कहीं ऐसा स्थिति फिर पैदा हो गई श्रौर राजस्थान में श्रकाल की पुनरावृत्ति हो गई श्रौर लाखों की तादाद में पशु-धन को बाहर दूसरे प्रान्त में भेजना पड़ा तो क्या स्थिति होगी ? जबरदस्ती उनके पशुश्रों को रोका जायगा, गाय, भैंस, बैल, पाड़ा घोड़ा खच्चर पर टैक्स लिया जावेगा श्रौर किसानों को टैक्स देने की स्थिति नहीं होगी तो श्रकाल के गाल में श्रपने पशु धन को जाने देंगे, भूख से तड़फ-तड़फ कर मरने के लिये श्रपने पशुश्रों को छोड़ देंगे या फिर मन्दी कीमत पर श्रपने पशु बेच कर टैक्स चुकायेंगे ।

इसमें एक बात कही गई है लम्पसम बेसिस पर टैक्स वसूल कर सकते हैं । यह भी सरकारी श्रधिकारियों के हाथ में रखा है, उनकी मर्जी पर रखा है, यह उनको बहुत बड़ा पॉवर दे दिया गया है । एक बैल की कीमत 150 भी हो सकती है । श्रौर एक बधिया की कीमत एक हजार रु. भी हो सकती है यह सरकारी श्रधिकारियों के हाथ में बहुत बड़ा श्रधिकार दे दिया गया है । एक लाख के टर्न श्रोवर पर....

श्री नत्थीसिंह : पजेशन पर टैक्स लगा दिया है ।

श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल : पजेशन पर टैक्स लगे तो इस प्रकार का प्रावधान श्राप किसानों के लिये इस सदन से पास करवाना चाहते हैं, श्राप इस भावना से कि इधर कुछ ज्यादा श्रादमी बैठे है उधर कुछ कम श्रादमी बैठे हैं मनचाही करना चाहते हैं, पर मैं निवेदन करूं कि श्राज राजस्थान का श्रर्थतन्त्र है, उसकी बहबूदी के बारे में उधर बैठने वाले भी एक भावना श्रपने दिल में रखते हैं । मैं विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि किसी स्टेज पर जितना चाहें टैक्स लगा सकते हैं इस प्रकार का रखने से पंचायतों की श्राय के साधन मेले वगैरह हैं वह बरबाद हो जायेंगे, किसानों की रीढ़ की हड्डी है पशु-पालन, वह खत्म हो जायगा । इसलिये नम्रता के साथ निवेदन करना चाहता हूं सरकार से श्रौर सदन के माननीय सदस्यों से कि इस प्रकार के प्रॉविजन पर फिर से विचार करें, वापिस ले लें फिर से परिपक्व बुद्धि बनावें, सेकन्ड थॉट नहीं थर्ड थॉट दे कर इसे फिर सदन में लावें । मैं तो कहता हूं कि इस बिल को सदन में ला कर श्रापने वायदा खिलाफी की है। श्रापने घोषणा की थी कि पशु-धन पर मेले का टैक्स लगाने की बात हम वापिस लेते हैं । पर यह बिल ला कर पशु धन चाहे खेत में हो, खलिहान में हो, मेले में हो, हाट में हो, बाजार में हो, सब जगह टैक्स वसूल कर सकते हैं श्रौर केवल किसानों के हितचिन्तक होने का ढिंढोरा पीटने के लिये.......

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्राधा मिनिट में समाप्त करता हूं । यह ढिंढोरा पीटने के लिये कि राजस्थान

(श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल)

सरकार कितनी प्रगतिशील है, मेलों में पशुधन पर टैक्स लेना बन्द कर दिया, यह घोषणा सदन में कर दी और दूसरी तरफ यह बिल ला कर हर जगह इस प्रकार का टैक्स पशुधन पर लागने का प्रावधान कर दिया है। मैं समझता हूं वित्त मत्री जी सही तरीके से जन-भावना का आदर करते हुए इस पर पुन: विचार करेंगे और इसको विथड्रा कर लेंगे।

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल : दो स्पष्टीकरण मैं वित्त मंत्रीजी से चाहूंगा। यह जो ओरिजिनल क्लॉज है, जिसमें प्रॉविजो जोड़ना चाहते हैं, उसमें सेक्शन 5 बी. है, उसमें 'एनीमल' वर्ड कहीं नहीं आया है। उसमें वर्ड है 'लाइव स्टाक।' इस समय लम्पसम टैक्स लगाना चाहते हैं वह है 'पर एनिमल,' वह पर एनिमल लम्पसम कैसे दिया जायगा ?

दूसरी बात यह है कि 'एनीमल' वर्ड ओरिजिनल क्लॉज में नहीं है, प्रॉविजो में इसे जोड़ा है। ओरिजिनल सेक्शन में 'एनिमल' वर्ड नहीं है तो उसमें जो प्रॉविजो जोड़ते हैं उसमें एनीमल पर टैक्स लगाने की बात नहीं कह सकते, जो वर्ड ओरिजिनल सेक्शन में है उसी पर टैक्स लगा सकते हैं। 'लाइव स्टाक' ओरिजिनल सेक्शन में है तो प्रॉविजो में उस ही पर टैक्स लगा सकते हैं।

मेरी पहली आपत्ति यह है कि सेक्शन 5 बी. में ओरिजिनल वर्ड है उस ही पर टैक्स लगा सकते हैं, दूसरा वर्ड प्रॉविजो में जोड़कर उस पर टैक्स नहीं लगा सकते।

साथ ही मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पर एनीमल पर लम्पसम नहीं लग सकता। एक बैल पर 5 परसेन्ट किया गया है तो पर बैल लम्पसम क्या होगा ? 5 परसेन्ट एक बैल पर टैक्स है तो पर एनिमल का वर्ड यूज करना रिडेन्डेन्ट हो गया तो आप क्लीयर कीजिये कि पर एनीमल का मतलब एक एनीमल पर है इसलिए पर एनीमल लम्पसम का कोई टैक्स नहीं लग सकता। एनीमल का मतलब है भैंस, बैल पाड़ा गाय तो पर बैल, पर भैंस, पर गाय, पर गधा, पर खच्चर तो वह तो एक ही होगा, उस पर 5 परसेन्ट है, फिर पर बैल, पर गाय, लम्पसम का क्या मतलब ?

शायद आपकी मंशा यह होगी कि जितनी गाय भैंस है सब पर लम्पसम लगा दें तो वह प्रॉविजो में नहीं जोड़ सकते। इसका स्पष्टीकरण कीजिये।

एनीमल वर्ड का मतलब डिक्शनरी में है.......

श्री उपाध्यक्ष : लाइव स्टाक की डेफिनेशन दीजिये फिर एनीमल की डेफिनेशन दीजिये।

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल : एनीमल का मतलब है डोमेस्टिक एनीमल, मैं नहीं समझता हू कि वित्त मंत्रीजी अपने घर पर सांड पालते हैं। डोमेस्टिक एनीमल नहीं है सांड.......

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

'Sand' is a community animal It is not a domestic animal. सांड किसी व्यक्ति के घर पर नहीं रहता सांड किसी एक व्यक्ति की प्रॉपर्टी नहीं हो सकती।

श्री उपाध्यक्ष : डोमेस्टिक का मतलब है जो पालतू हैं। जगल में नहीं फिरता है तो डोमेस्टिक तो है ही।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपको शायद मालूम होगा कि सांड को कोई व्यक्ति पाल नहीं सकता। सांड को गांव पालता है। कोई व्यक्ति सांड हो सकता है, सांड व्यक्ति नहीं हो सकता।

श्री नत्थीसिंह : सांड अपनी ताकत पर पलता है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सांड को जो आपने डोमेस्टिक एनीमल में यूज किया है वह नहीं है। दूसरा एनीमल जो शब्द है पशु और उसके साथ में आपने लाइव स्टॉक वाली बात रखी है। यह एनीमल की डेफीनेशन है अंग्रेजी डिक्शनरी में। इसका मतलब है Noer animal, one below man, a stupid or a sensual man.

क्यों वित्तमंत्रीजी, सेन्सुअल मैन की बात हो सकती है But you are not an animal.

श्री मथुरादास माथुर : वह तो आप और हम हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह डिक्शनरी गलत हो सकती है। एनीमल की डेफीनेशन इसमें दी गई है इसलिए पर एनीमल का वर्ड यूज किया है।

श्री विशम्भर नाथ जोशी : डोमेस्टिक का अंग्रेजी का मतलब है Domestic means tame.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : टेम तो करें किया जा सकता है In the house you are also domestic and you are tamed by your mother but you are not an animal.

श्री विशम्भर नाथ जोशी : It is different........

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : This is absolutely different। डोमेस्टिक एनीमल की बात नहीं कह सकते। सांड किसी घर का टेम्ड एनीमल नहीं है। 'Sand' is never a tame animal.

इसलिए टैक्स किस से वसूल करेंगे? सांड पर टैक्स 5 प्रतिशत लगाना चाहते हैं तो किस से लेंगे?

श्री मथुरादास माथुर : Sale of Sand.....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपने परचेज पर लगाया है। यह इन्ह्यूमन है। सारा गांव, एक पर्टीक्यूलर कम्यूनिटी इस चीज को खरीदती है। गांव वाले सामूहिक

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

चन्दा करके खरीदेंगे, तो टैक्स कैसे वसूल करेंगे ? तो इट इज नाट ए डीलर। आपने कहा, subject to the provisions of sections 10 A. इसलिए सारे एक्ट को पढ़ने के बाद आपने सांड पर टैक्स लगाने वाली बात कही है। इसमें यह नहीं आ सकता।

दूसरी बात एक 'एनीमल' वर्ड यूज किया है, गलत है। आप यहां पर 'एनीमल' वर्ड नहीं यूज कर सकते।

तीसरी बात 29 मई, को जो नोटिफिकेशन जारी किया, उसका 6 जून को आपने विधान सभा में बयान दिया और इस सदन में आश्वासन दिया कि हमने 29 मई को जो टैक्स प्रोपोजल रखी थीं उनमें संशोधन करते हैं कि मेढों पर टैक्स नहीं लगाते........

श्री उपाध्यक्ष : 'एनीमल' की जगह आपका सुझाव क्या है ? क्या सब्सटीट्यूट किया जाय ?

श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल: जिस किसी चीज पर लगाना चाहें नाम लगा दें, बकरी....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Each groups or units of live-stock पर एनीमल का मतलब हो जाता है कि ईच एनीमल। इसलिए लम्पसम नहीं हो सकता क्योंकि आपने 5% of the purchase value of cow or anything और इसलिए पर एनीमल पर टैक्स लम्प सम नहीं हो सकती। वैसे भी ग्रेमेटीकली भी, अंग्रेजी की पॉइंट आफ व्यू से, ड्राफ्टिंग पॉइंट आफ व्यू से, हर दृष्टि से यह बहुत डिफेक्टिव है।

साथ में हमको एप्रीशियेट करेंगे कि ओरिजिनल सेक्शन में जिस चीज का हवाला नहीं है फिर लम्पसम पर सारा कहां रहता है ? Apart from this' fact that this is inconsistent.

दूसरी बात जिस समय विधान सभा में 6 जून को घोषणा की और यह कहा कि 29 मई को जिन मुद्दों पर मैंने पशुओं पर टैक्स लगाने की घोषणा की थी, उनमें से मेढों पर नहीं लगेगा। बाकी चीजों पर लगेगा। 29 जून की विज्ञप्ति में बकरी कहां है ? बकरी पर कोई टैक्स नहीं लगाया था और 6 जून को आपने नोटिफिकेशन निकाला है। उसमें आपको ध्यान में गलती आई कि बकरी रह गया था इसलिए 29 मई के नोटिफिकेशन में, विधान सभा में कमिटमेंट के अनुसार, आपने संशोधन किया लेकिन साथ में बकरी और जोड़ दिया। मैं समझता हूं कि विधान के साथ यह हाइड-एण्ड-सीक खेलना है। नोटिफिकेशन निकालना, रद्द करना, विधान सभा में वक्तव्य देना, और नए आइटम्स जोड़ देना, यह परम्परा अच्छी नहीं है। सरकार ने सोचा होगा कि कौन गहराई से देखेगा 29 मई को नोटिफिकेशन में जो टैक्स लगाया है, उस सूची में आपने लिखा है, सांड बैल व बच्चा सांड और खच्चर। फिर लिखा

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल):

है गधा, घोड़ा, सूग्रर, इत्यादि। अब कर दिया भैंस, भेड़ बकरी, ऊंट, बधे इत्यादि। आप नोटिफिकेशन में लिखते हैं बच्चा सांड. दूसरे में करते हैं बछडे। आपके हिसाब से बछड़े बच्चे सांड हैं? यह उचित नहीं है। बछड़ा पालतू हो सकता है लेकिन बच्चा सांड पालतू नहीं हो सकता। आप ध्यान नहीं देते नोटिफिकेशन्स पर और विधान सभा की आप मजाक उड़ाते हो, कानून बनने के बाद हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट में कानून रद्द होता है। इस पर आप गम्भीरता से विचार करें और अपना दिमाग लगायें।

श्री मथुरादास माथुर : इस क्लॉज के एड करने की मन्शा यह थी कि इस बजट सेशन से पहले हमारे यहां से मवेशी राजस्थान के बाहर जाते थे। लास्ट परचेज पर हमारे यहां पर टैक्स था। उसके बाद में जब बजट पेश किया उस समय मैंने प्रस्ताव रखा था कि मेंढों पर टैक्स लगेगा। बहस के बाद मैंने वापस ले लिया इसलिए जो ओरिजिनल पोजीशन थी उस पर चले गए। आज भी स्थिति वही है। यह नोटिफिकेशन 29 मई का जो निकाला है 29 मई का नोटिफिकेशन उसके अन्दर जो बकरी रह गई थी उस शब्द का कोरीजेंडम प्रेस में इश्यू कर दिया गया है। It was ssued before the date of second notification. अब उस नोटिफिकेशन को मैंने विथ्ड्रा कर लिया है।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की अनुमति से सदन का समय एक घंटे के लिए और बढ़ाया जाता है।

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल : हमें शादियों में जाना है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : माननीय सदस्यों को जाना है इसलिए एक घंटे का समय नहीं बढ़ाया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने कई बार निवेदन किया कि भाषण थोड़े छोटे हों। इस विधेयक को आज पारित करना है। यह वित्त विधेयक है, आज करना जरूरी है।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : पारित करना मुश्किल होगा।

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल : संशोधन हैं। क्लाज बाई क्लाज रीडिंग हैं, थर्ड रीडिंग है, यह टैक्सेशन का बिल है। कल और परसों दो दिन भी एक परटीक्यूलर बिल के लिए रखा है। उसमें से एक दो घंटे एडजस्ट करेंगे। किसी को शादी में जाना है· एट होम में जाना है। 5 बजे बाद बैठने की परम्परा नहीं होनी चाहिये।

(5 म. प.)

हाउस की परम्परा है। रूल्स में लिखा है। यह स्कूल थोड़े ही है कि घंटा और बैठ जाओ विधान सभा है।

श्री मथुरादास माथुर : मैं निवेदन कर रहा था...

श्री देवीदत्त गाड़िया : समय के लिये क्या रहा फिर ?

श्री उपाध्यक्ष : समय एक घटा बढ़ा दिया ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, नहीं ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : सदस्य स्वीकार नहीं करते हैं ।

श्री रामकिशन : मन्त्रीजी को सुन लिया जावे और फिर खतम किया जावे ।

श्री उपाध्यक्ष : वोट कराया जावे । आपकी तरफ से अधिकार दिया हुआ है कि सदन की अनुमति लेकर समय बढ़ाया जावे और इसी तरह बढ़ाया जाता रहा है । पांच से छः ही तो किया गया है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : नियमों में वैसे बहुत बड़े अधिकार हैं आपको । मैं उन अधिकारों को चुनौती नहीं दे रहा हूं । पर बेटरमेन्ट आफ दी इन्ट्रेस्ट आफ दी मेम्बर्स मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेम्बर फील करते हैं इसे कल पर रखा जावे । थर्ड रीडिंग पर बोलने वाले हैं । वैसे भी आज यह पास नहीं हो सकता । समय बढ़ाने की मशा मेम्बर्स की नहीं है । अगर चेयर सैंस आफ दी हाउस नहीं देखेगी तो फिर उपयोग और दुरुपयोग में सिर्फ 'दु' का ही तो फर्क है ।

श्री बिश्वम्भरनाथ जोशी : On a point of Order, Sir. There can be no convessing on the ruling of the Chair.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : चेयर आप से ज्यादा समझती है । आपका नम्बर नहीं आने वाला है ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : उपाध्यक्ष महोदय, आज कई शादियां हैं, एट होम्स हैं लोगों को जाना है ।

श्री उपाध्यक्ष : छः बजे से पहले शादी होती नहीं । 5।। बजे से पूर्व का कोई इन्वीटेशन कार्ड मैंने तो देखा नहीं । फिर आपकी इच्छा होगी तो एडजोर्न कर देंगे ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : 15 क्लॉज है, पांचवां चल रहा है । अगर छः बजे तक के लिये भी क्लॉज खतम कर भी दिये तो थर्ड रीडिंग पर बोलने वाले हैं । तो, उपाध्यक्ष महोदय, यह बिल तो इसलिये पास नहीं हो सकेगा । तो जब कल बैठना ही है तो आज क्यों रोका जावे ?

श्री उपाध्यक्ष : कोशिश कर लें एक घन्टा ।

श्री नत्थीसिंह : मन्त्री महोदय का क्लेरिफिकेशन सुन लिया जावे । फिर एडजोर्न कर दिया जावे ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : वित्त मन्त्रीजी को क्या दिक्कत है । सदस्यों की राय है तो वित्त मन्त्रीजी को स्वीकार कर लेना चाहिए । कल पर रख देना चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष : समय बढ़ाया है चेयर ने। वित्त मन्त्री के कहने पर नहीं बढ़ाया गया है। समय हमेशा ही बढ़ाया जाता रहा है। आज ही कोई अनहोनी बात नहीं है। छः बजे से पहले कोई डिनर भोज या शादी नहीं होती। मेरे भी इन्वीटेशन कार्ड आते हैं, किसी में 5।। से पहले का समय मैंने तो नहीं देखा।

श्री विजयसिंह रावत : यहां से जावेंगे स्नान भी करेंगे। विधेयक तो कल भी आ सकता है, पर आज की शादी तो कल नहीं आने वाली है।

श्री उपाध्यक्ष : व्यवस्था दे दी गई है। वित्त मन्त्रीजी !

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : माननीय वित्तमन्त्रीजी आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप एक घन्टे यदि ज्यादा बिठायेंगे भी तो हम तो फिर बोलेंगे क्लॉज बाई क्लॉज कल वैसे दो घन्टे में खतम हो सकता है, पर इस तरह से तो फिर दो घन्टे क्या चार घन्टे में भी समाप्त होने वाला नहीं होगा। अगर आप हमारे कोऑपरेशन से नहीं चलना चाहते और सदन के मेम्बरों की राय को देखकर नहीं चलना चाहते तो फिर हमसे भी कोआपरेशन की उम्मीद आप नहीं कर सकते।

एक माननीय सदस्य : एक घन्टे में क्या होता है ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप को क्या करना है, आप तो चाय पीकर चले जाते हैं।

श्री बिश्वम्भरनाथ जोशी : These tactics will not prevail

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : टैकटिक्स का सवाल नहीं है। सरकार का व्यू पॉइन्ट क्या है ? कल दो घन्टे बैठ जाइये। वह एकोमोडेट करने को तैयार हैं तो हम भी तैयार हैं। नहीं तो फिर देखते हैं कैसे आप इसे पास करते हैं ?

श्री मथुरादास माथुर : जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ऐसी भाषा में नहीं बोलें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं निवेदन कर रहा हूं।

श्री मथुरादास माथुर : हमें सुना किसने है ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, सरकार की तरफ से इच्छा जाहिर ही नहीं की गई। तो सरकार नहीं चाहती, हम नहीं चाहते तो, उपाध्यक्ष, फिर काहे को हमारे बीच में पड़ेंगे। यह दुनियां में और हिन्दुस्तान की किसी विधान सभा में नहीं है कि गवर्नमेन्ट नहीं चाहती और विरोधी पक्ष नहीं चाहता और चेयर चाहती रहे। तो चेयर तो गवर्नमेन्ट का व्यू देना चाहती है। गवर्नमेन्ट कहती है कल करदो तो फिर बीच में चेयर को काहे को घसीटते हो ?

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। अगर सदन की ऐसी इच्छा है तो इसका जवाब दे दीजिये। उनका जवाब आ जावे। इसके बाद में एडजोर्न कर देंगे।

(हीयर, हीयर की ध्वनि)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ऐसी तालियां बजवाया करें न । हमारे साथ कोग्रॉपरेट किया करें ।

श्री मथुरादास माथुर : इस क्लॉज के बारे में मैं निवेदन कर दूं कि कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो नोट लिया है उन्होंने उसका करेक्शन नहीं देखा। नोटिफिकेशन वह तो विथड्रा कर लिया। लेटेस्ट उन्होंने पोजीशन नहीं देखी।

अब यह क्लॉज क्यों लाया गया ? इस क्लॉज को लेने की वैसे कोई आवश्यकता नहीं थी और इस क्लाज के लिये मैं इनसिस्ट भी नहीं करता मेरा यह कहना है कि लाये क्यों इसे, यह समझ लिया जावे ।

मैंने जब टैक्स मवेशियों पर विथड्रा कर लिया तो अब इसके बाद में सवाल यह पैदा हुआ कि लास्ट पॉइन्ट पर एक आदमी पांच बकरे, बीस बैल लेकर मेले में खरीद कर टैक्स देकर राजस्थान के बाहर जाता है तो उस समय आपने खुद ने पास किया है सदन में मौके पर सवाल पैदा होता है कि बैल, भेड़, बकरी की कीमत कैसे आंकेगे ? पचास बकरी, भेड़ है । वह कहता है दस रुपया है। हमारा आदमी कहता है कि 20) की है। तो इस पर अमुमन करप्शन की गुंजाइश रहती है। तो भेड़, बकरी पर एक नोशनल मानकर लगा दें तो उस पर टैक्स ले सकेंगे कीमत पर। तो एक नॉमिनल कीमत तै कर दें तो अगर 50) तै कर दिया तो उस पर 2।।) होगा वह ले लेंगे। वरना गुंजाइश यह रहती है कि 50) की कीमत की भी है अधिक की भी होने की गुंजाइश रहती है तो कीमत तो होती नहीं रसीद होती नहीं। सौ की है या दो सौ की है। ऐसा आपस में रहता है तो इसको सोचकर यह क्लॉज लाया गया था। लम्पसम रख देते हैं। लम्पसम का मतलब यह था कि उसके ऊपर जो आपका मेन क्लॉज है 5 परसेन्ट की लम्पसम की कीमत पर टैक्स ले लें। मगर सदस्य अगर यह समझते हों कि नहीं लाना चाहिये....

(5.08 म. प.)

(श्री कृष्णकुमार गोयल, सभापति, पदासीन)

तो मैं मेरी तरफ से विथड्रा करने को तैयार हूं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : नहीं चाहते , नहीं ।

श्री मथुरादास माथुर : तो मैं विथड्रा करता हूं ।

(हीयर, हीयर की ध्वनि)

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि खण्ड 5 को विलोपित किया जाय ।

Page No.167

(स्वीकृत)

खण्ड 5 को विलोपित किया गया ।

सदन की कार्यवाही कल 11 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है ।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही मध्यान्ह पश्चात् 5 बज कर 10 मिनिट पर बुधवार दिनांक 12-7-67 के प्रातः 11 बजे तक के लिये स्थगित हुई) ।

335]

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या 725 का उत्तर देखिये)

माह	गेहूं	शक्कर
	(मात्रा क्विन्टल्स् में)	
अगस्त, 66	285	—
सितम्बर, 66	320	—
अक्टूबर, 66	420	58
नवम्बर, 66	335	73
दिसम्बर, 66	495	160
जनवरी, 67	580	177
फरवरी, 67	605	61
मार्च, 67	670	115
अप्रैल, 67	630	98
	4340	742

परिशिष्ट २

(समयाभाव के कारण समय में न लिये जा सकने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर)

क्रय-विक्रय संघ, राजगढ़

740. **श्री समर्थलाल** (राजगढ़) : क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजगढ़ (अलवर) में क्रय-विक्रय संघ की स्थापना कब की गई थी ?

(2) क्या उसके बाद क्रय-विक्रय संघ का ऑडिट हुआ है ? यदि हां, तो कब कब ऑडिट हुआ तथा किन किन आडिटर्स ने आडिट किया ?

(3) क्या आडिट करने के बाद उसमें कोई ऑडिट ऑब्जेक्शन्स हुए हैं ? यदि हां, तो ऑडिट आब्जेक्शन्स का क्या परिणाम निकला है ?

(4) क्या क्रय-विक्रय संघों में कोई सरकारी पदाधिकारी होता है ? यदि नहीं, तो क्यों और यदि हां,तो राजगढ़ क्रय विक्रय संघ में क्यों नहीं है ?

(5) राजगढ़ क्रय-विक्रय संघ से राज्य सरकार को अब तक कितना लाभ हुआ है ?

उत्तर

(1) राजगढ़ क्रय-विक्रय सहकारी समिति का रजिस्ट्रेशन दिनांक 7-10-1960 को हुआ ।

(2) जी हां । निम्नलिखित आडिटरों ने उनके सामने अंकित अवधि एवं तिथियों में ऑडिट किया है :—

क्र०सं०	नाम निरीक्षक (आडिट)	ऑडिट अवधि	ऑडिट करने का दिनांक
1-	श्री रमेशचंद शर्मा	7-10-66से 30-6-67	8-8-61से 14-8-61 ।
2-	श्री कृष्णदत्त शर्मा	1-7-61से 30-6-62	15-7-62से 23-10-62
3-	श्री „ „	1-7-62से 30-6-63	7-10-63से 12-11-63
4-	श्री प्रभूदयाल गोयल	1-7-63से 30-6-66	18-10-66से 30-12-66

श्री इन्द्रसिंह

श्री राधेश्याम वरिष्ठ

(सहकारिता मंत्री)

(3) जी हां। ऑडिट रिपोर्ट में उठाये गये आक्षेपों की पूर्ति रिपोर्ट समिति द्वारा नहीं भेजी गई है।

(4) जी हां। प्रश्न ही नहीं उठता।

(5) राज्य सरकार को कोई लाभ नहीं हुआ है।

राजस्व लेखाकारों के सेवा नियम

741. **श्री दौलत राम आगरी** (देसुरी) क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राजस्व लेखाकारों के पद की सेवा के लिये आवश्यक सेवा नियम आदि बनाये गये हैं ?

(2) इनकी वेतन शृंखला का निर्धारण किस आधार पर किया गया है?

(3) क्या तहसील व जिला राजस्व लेखाकारों की सेवा अधीनस्थ सेवा में मान्य करने हेतु विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो इनकी सेवा लेखा लिपिक की मानी गई या क्या ?

उत्तर

(1) विचाराधीन है।

(2) इन कर्मचारियों से सम्बन्धित नियम उस समय निश्चित न होने के कारण इनकी वेतन शृंखला अधीक्षक ग्रेड 1, अधीक्षक ग्रेड 2 एवं उच्च लिपिक सचिवालय की वेतन शृंखलाओं के आधार पर निर्धारित की गई।

(3) जी, हां। आगे प्रश्न नहीं उठता।

गंगापुर स्थित वाणिज्य कर कार्यालय के तृतीय श्रेणी के कर्मचारी

742. **श्री रिद्धिचन्द पल्लीवाल**–(गंगापुर) क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) सवाई माधोपुर एव टोंक जिले के गंगापुर स्थित वाणिज्यकर कार्यालय में कितने तृतीय श्रेणी कर्मचारी हैं तथा वे गंगापुर में कब से हैं ?

(2) ऐसे कर्मचारी कौन कौन हैं जो आपस में रिश्तेदार हैं और उनका आपस में क्या रिश्ता है ?

(3) कौन कौन से क्लर्क वाणिज्य कर अधिकारी द्वारा ही नियुक्त किये गये हैं ?

(4) क्या तीन साल बाद स्थानान्तरण का नियम इस विभाग में लागू नहीं है ? अगर है, तो इस विभाग के क्लर्कों को इसी स्थान पर रखने का कारण क्या है ?

उत्तर

(1) सवाई माधोपुर एवं टोंक जिले के गंगापुर स्थित वाणिज्य कर कार्यालय में दिनांक 30-6-67 को तृतीय श्रेणी के 25 कर्मचारी कार्य कर रहे हैं उनको गंगापुर कार्यालय में नियुक्ति संलग्न परिशिष्ट 'अ' में दर्शायी गई है।

(वित्त मंत्री)

(2) इस प्रकार के विवरण रखने का कोई प्रावधान नहीं है।

(3) गंगापुर स्थित कार्यालय में वाणिज्य कर अधिकारी गंगापुर द्वारा निम्न लिखित तृतीय श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है :—

(1) श्री लक्ष्मी कांत शर्मा

(2) श्री हरिशंकर शर्मा

(3) श्री प्रेमचन्द विजय

(4) श्री सीताराम शर्मा

(5) श्री कैलाश चन्द

(6) श्री रमेश चन्द शर्मा पुत्र श्री आत्माराम

(7) श्री रमेश चंद शर्मा पुत्र श्री जगन्नाथ प्रसाद

(8) श्री हरिचरन लाल गुप्ता

(9) श्री करोड़ी लाल माहवर

(10) श्री रामस्वरूप शर्मा

(11) श्री स्वरूपनारायण शर्मा

(12) श्री जगदीश प्रसाद गोयल

(13) श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता

(14) श्री रामगोपाल गुप्ता

(4) राज्य सरकार द्वारा ऐसा कोई नियम लागू नहीं किया गया है जिसके अन्तर्गत तृतीय श्रेणी बैंक कर्मचारी का एक स्थान से दूसरे स्थान पर तीन साल बाद स्थानान्तर करना आवश्यक हो।

(तारांकित प्रश्न संख्या 742 की सूची देखिये)

....

सूची

क्रमांक 1	कर्मचारी का नाम व पद 2		गंगापुर में पोस्टिंग का दिनांक 3
1.	श्री सुवालाल हैड क्लर्क		दिसम्बर, 1949 रिटायर्ड दिनांक 1-7-67 से
2.	श्री प्यारेलाल लोढा	वरिष्ठ लिपिक	24-10-1966
3.	श्री राधाकृष्ण महेश्वरी	वरिष्ठ लिपिक	2-6-1966
4.	श्री उदय सिंह	कनिष्ठ लिपिक	11-4-1966
5.	श्री ओमप्रकाश शर्मा	कनिष्ठ लिपिक	23-5-1959
6.	श्री रामसहाय गर्ग	कनिष्ठ लिपिक	5-10-1961
7.	श्री श्यामबाबू शर्मा	कनिष्ठ लिपिक	13-12-1965
8.	श्री ओमप्रकाश विजय	कनिष्ठ लिपिक	7-10-1961
9.	श्री लक्ष्मीकान्त शर्मा	कनिष्ठ लिपिक	7-10-1966
10.	श्री हरिशंकर शर्मा	कनिष्ठ लिपिक	3-5-1967
11.	श्री प्रेमचन्द विजय	कनिष्ठ लिपिक	27-1-1965
12.	श्री सीताराम शर्मा	कनिष्ठ लिपिक	27-1-1965
13.	श्री केसर चन्द	कनिष्ठ लिपिक	29-1-1965
14.	श्री रमेशचन्द शर्मा पुत्र आत्माराम	कनिष्ठ लिपिक	3-5-1967
15	श्री रमेशचन्द पुत्र जगन्नाथ	कनिष्ठ लिपिक	24-5-1965

1	2	3
16.	श्री हरिहरदयाल गुप्ता कनिष्ठ लिपिक	2-7-1965
17.	श्री किरोड़ीलाल मेहरवाल कनिष्ठ लिपिक	5-11-1965
18.	श्री मुरारीलाल कनिष्ठ लिपिक	9-2-1966
19.	श्री रामस्वरूप शर्मा कनिष्ठ लिपिक	15-10-1965
20.	श्री स्वरुप नारायण कनिष्ठ लिपिक	6-1-1967
21.	श्री जगदीश प्रसाद गोयल ,,	27-1-1967
22.	श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता ,,	27-1-1967
23.	श्री राम गोपाल गुप्ता कनिष्ठ लिपिक	6-5-1967

....

तहसील अनूपगढ़ में भूतपूर्व जागीरदारों को भूमि का अलॉटमेन्ट

744. **श्री ललित सिंह**-(बड़ी सादड़ी): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि भूतपूर्व जागीरदारों के लिए जिला गंगानगर तहसील अनुपगढ़ में सरकार ने 19,000 एकड़ भूमि अलॉट करने का आदेश किया है ?

(2) क्या यह सही है कि 19000 एकड़ भूमि में से कुछ ही जमीन अलॉट की गई है और जिनको की गई है उनको कब्जा नहीं दिया जा रहा है अगर कब्जा नहीं दिया जा रहा है ? तो क्यों और दिये जाने की सम्भावना है तो कब तक ?

(3) क्या ऐसा कोई प्रावधान है कि जमीन जल्द आवटन करदी जाये ? अगर हां तो कब तक ?

(4) क्या यह सच है कि किसी मंत्री महोदय ने चुनाव के कुछ समय पूर्व ऐसा आदेश दिया था कि उपरोक्त जमीन को अभी अलॉट नहीं किया जाय और न ही किसी को कब्जा दिया जाय ? अगर हां, तो किस कानून के अन्तर्गत ऐसा आदेश जारी हुआ है ? या ऐसा कोई केबिनेट का निर्णय था ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं। लो लेवल ब्रांच में जमीन अलॉट ही नहीं की गई तो कब्जा देने का प्रश्न ही नहीं उठता। लो लेवल ब्रांच के चक प्लान अभी तक सिंचाई विभाग से तैयार होकर नहीं आये हैं।

(3) राजस्थान नहर परियोजना के अलॉटमेंन्ट रूल्स अन्तिमरूप से स्वीकृत होने पर हा आवंटन के सम्बन्ध में कहा जा सकता है।

(4) जी नहीं।

पेंशन वितरण की व्यवस्था, तहसील निवाई

745. **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई) : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि तहसील निवाई में करीब 42 औरतों व मर्दों को पेन्शन देने के लिये हर माह की 5 तारीख नियत की हुई है ?

(2) क्या यह भी तत्य है कि 5 जून, 1967 को तहसील क्षेत्र के दूर दूर से बूढ़ी औरतें व मर्द पेंशन लेने आये पर उस दिन वहां पर न तो तहसीलदार ही था और न नायब तहसीलदार और इसलिये सबको वापिस जाना पड़ा ? यदि हां, तो क्या सरकार इस सबंध में कोई उचित व्यवस्था करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। ऐसे मौके कभी 2 संयोगवश आ जाते है जिनके लिये किसी विशेष व्यवस्था करना संभव नहीं है।

अरवली पेपर मिल को दी गई भूमि

747. **श्री गामा** (आबू): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे —

(1) आबूरोड तहसील में क्या अरवली पेपर मिल नाम की कोई इन्डस्ट्री है ? यदि हां, तो कब से ?

(2) क्या इस अरवली पेपर मिल को कोई जमीन भू-राजस्व विभाग से दी गई है ? यदि हां, तो कितनी, कब और किस कीमत पर ?

(3) क्या इस भू-खण्ड पर अरवली पेपर मिल का भवन बन चुका है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इस भू खण्ड को आदिवासियों को काश्त के लिये अलॉट करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) ग्राम किवरली तहसील आबूरोड में अरावली पेपर मिल के नाम भूमि इन्डस्ट्री लगाने हेतु जरिये एग्रीमेंट दिनांक 22-6-65 से लीज पर दी गई है ।

(2) ग्राम किवरली में 112 बीघा 7 बिस्वा भूमि राजस्व विभाग द्वारा 15) रू० सालाना किराया फी एकड़ लीज पर दी गई है ।

(3) जी नहीं । पेपर मिल वालों ने इस प्रकार दी हुई भूमि पर उद्योग हेतु कोई भवन नहीं बनाया है, किन्तु लीज एग्रीमेंट के अनुसार दो साल में उद्योग यानि इन्डस्ट्री लगाने की शर्त है । इस भूमि का पेपर मिल वालों को दिनांक 10-8-65 को कब्जा सौंपा गया था । अतः लीज एग्रीमेंट की शर्त के अनुसार 2 साल में इन्डस्ट्री लगाने की अवधि दिनांक 10-8-67 को समाप्त होगी । अतः लीज एग्रीमेंट की शर्त के अनुसार दिनांक 10-8-67 से पूर्व पेपर मिल वालों से भूमि को लेने व काश्त के लिये आदिवासियों को भूमि देने का कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

पंचवर्षीय योजनाओं में प्रति व्यक्ति आय एवं व्यय, जिला भरतपुर

748. **श्री रामकिशन** (वैर) : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे —

(1) प्रथम पंचवर्षीय योजना के आरम्भ में भरतपुर जिले के प्रति व्यक्ति की आमदनी क्या थी तथा तीसरी पंचवर्षीय योजना के समाप्त होने पर वह कुल कितनी बढ़ी है ?

(2) पहली दूसरी तथा तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं में प्रति व्यक्ति कुल कितना व्यय किया गया है ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(सरकार से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

ऊन ग्रेडिंग सेन्टर, नवलगढ़

749. **श्री सांवरमल बासोतिया** (नवलगढ़) : क्या पशुपालन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) नवलगढ़ ऊन ग्रेडिंग सेंटर की स्थापना कब हुई तथा उसमें ग्रेडिंग का कार्य कब से प्रारम्भ हुआ तथा प्रारम्भ से लेकर अब तक कुल कितने मूल्य का ऊन ग्रेड हुआ ?

(2) क्या अब भी उक्त ऊन ग्रेडिंग सेंटर में कार्य चालू है ?

(3) क्या यह सही है कि सरकार उक्त ऊन ग्रेडिंग सेंटर को शीघ्र ही बन्द करने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) नवलगढ़ ऊन ग्रेडिंग सेंटर की स्थापना दिनांक 6-11-65 को हुई और उसी समय से इस केन्द्र पर ऊन वर्गीकरण का कार्य प्रारम्भ किया गया।

(2) वित्त वर्ष 1965-66 में इस केन्द्र पर 2.41 लाख किलो ग्राम ऊन का वर्गीकरण किया गया। 1966-67 के वित्त वर्ष में 300 लाख किलोग्राम ऊन का वर्गीकरण किया गया जो कि लगभग 30 लाख रुपये के मूल्य का है।

(3) उक्त ग्रेडिंग सेंटर को इस वर्ष के अन्तर्गत किए गये इकोनोमी कट के कारण बन्द कर दिया गया है।

हरिजनों की सहकारी समिति की काश्त की भूमि

750. **श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता** (बानसूर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम मोहम्मद पुर, तहसील बहरोड़, जिला अलवर के हरिजनों की सहकारी समिति को काश्त के लिए सरकार ने सिवाय चक की जमीन अलॉट करने की आज्ञा प्रदान की थी ?

(2) यदि हां, तो क्या इस सहकारी समिति को सरकार की आज्ञानुसार जमीन पर दखल दिया जा चुका है ? यदि नहीं तो अब तक दखल नहीं दिये जाने के क्या कारण हैं और इसके लिए कौन जिम्मेदार है।

(3) सरकार इस समिति को अब दखल दिलाने की कार्यवाही कब तक करेगी ?

उत्तर

1—जी हां।

2—उक्त सहकारी समिति को दखल दिलाने में तहसीलदार द्वारा जिलाधीश कार्यालय से जनवरी 1967 में कुछ स्पष्टीकरण मांगा गया था जिस पर ता. 10-2-67 को जिलाधीश कार्यालय द्वारा स्पष्टीकरण भिजवा दिया गया था। इसी दौरान चतुर्थ सामान्य चुनाव का कार्य प्रारम्भ हो जाने के कारण तहसीलदार द्वारा दखल को

11 July, 1967

बाड़मेर जिले के कृषकों की कृषि कुओं को गहरा कराने के लिए जमा कराई धनराशि

753. **श्री बुद्धिचन्द्र जैन** (बाड़मेर) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे —

(2) बाड़मेर जिले की पंचायत समितियों द्वारा किन किन कृषकों की राशि कृषि कुओं को गहरा कराने के लिये जोधपुर डिवीजन के कमिश्नर और ब्लास्टिंग यूनिट के पास जमा कराई हुई है ?

(2) वह राशि कब से जमा कराई हुई है ?

(3) उन कृषकों में किन किन के कुये गहरे किये गये हैं और किन किन के नहीं ?

(4) कुये गहरे नहीं किये जाने के क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1+2) ग्राम मारुड़ी के कृषकों सर्व श्री हरलाल, दौलतसिंह और पृथ्वीसिंह ने दो दो सौ रुपये और श्री जोराराम ने चार सौ रुपये कुओं को गहरा कराने के लिए जमा । ।

(3) इन सब कृषकों के कुए उसी मास में गहरे कर दिये गये थे ।

(4) प्रश्न ही नहीं उठता ।

अनाज के निर्यात व आयात के परमिट

754. **श्रीमती सुमित्रा** (झुंझुनू) : खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) भूतपूर्व जिलाधीश, झुन्झुनू कैलाशदान उज्जवल ने झुंझुनू से अपने स्थानान्तरण आदेश मिलने के बाद किन किन व्यापारियों को किस किस अनाज के जिले से निर्यात और आयात के परमिट दिये ?

(2) इन परमिट लेने वालों में से कितने व्यापारी हैं जो स्मगलिंग के केसेज में सजायाफ्ता हैं ?

उत्तर

(1) पांच आयात परमिट जारी किये । सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। निर्यात परमिट एक भी नहीं दिया गया ।

(2) इनमें से किसी व्यापारी का स्मगलिंग के केसेज में सजायाफ्ता होना जिलाधीश झुंझुनू के कार्यालय के रेकार्ड पर नहीं है ।

(तारांकित प्रश्न सख्या 754 की सूची देखिये)

....

11 July 1967

सूची

सूची व्यापारियान, जिनको आयात परमिट जारी किये गये-

(1)	रामचन्द्र पतराय, सूरजगढ़-गंगानगर		150 क्वी० चना
			150 क्वी० जौ
(2)	सेडूराम सजनकुमार, सूरजगढ़-भादरा		120 बोरी बाजरा
(3)	रामचन्द्र पतराय, चिड़ावा-नोहर		150 क्वी० बाजरा
(4)	डून्गरसीदास, रामकुमार, झुंझुनू	गंगानगर	150 क्वी० जौ
			150 क्वी० चना दाल
(5)	मथुरा प्रसाद रघुवीर प्रसाद, चिड़ावा	जयपुर	150 क्वी० चना ।

....

परिशिष्ट ३

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या 732 देखिये)

तहसील राशमो व गंगरार में सन् 1962 तक निम्न प्रकार भूमि अलॉट हुई है।

नाम तहसील	तादाद कुल किसान	कुल रकबा जो अलॉट किया गया
राशमी	545 कुल व्यक्ति	1340 एकड़ रकबा अलॉट किया गया
	430 तादाद किसान	1065 एकड़ रकबा अलॉट किया गया
	6 तादाद हरिजन	16 एकड़ रकबा जो एलॉट किया गया
	109 तादाद आदिवासी	259 एकड़ रकबा जो अलॉट किया गया
गंगरार	440 कुल व्यक्ति	1636 एकड़ रकबा अलॉट किया
	273 तादाद किसान	1022 रकबा अलॉट किया
	2 तादाद हरिजन	6 एकड़ रकबा जो अलॉट किया गया
	165 तादाद आदिवासी	608 एकड़ रकबा अलॉट किया।

....

परिशिष्ट 4

(अतारांकित प्रश्न संख्या 268 का उत्तर देखिये)

अजमेर शहर के देशी शराब के ठेकेदारों में वर्ष 1962-63 से 1965-66 तक गारन्टी में कमी रहने का सालवार ब्योरा।

वर्ष	गारन्टी कमी की रकम	सिक्योरिटी डिपोजिट की रकम जमा	शेष वसूली योग
1962-63	7,38,301	2,53,139	4,85,162
1963-64	4,99,213	2,79,992	2,19,221
1964-65	8,58,759	3,08,606	5,50,153
1965-66	–	–	–
	20,96,273	8,41,737	12,54,536

परिशिष्ट ५

(कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या 272 का उत्तर देखिये)

प्रश्न के भाग 3 से संबंधित सूचना:-

क्र०सं०	नाम तहसील	तादाद म्यूटेशन बाकी				
		धारा 13,15,19	बेचान	उत्तराधिकारी	अन्य	कुल
1.	नागौर	–	5	205	50	260
2.	जायल	–	521	–	–	521
3.	मेड़ता	–	91	–	–	91
4.	डेगाना	–	75	282	–	357
5.	डीडवाना	सेटलमेंट	चालू है	–	–	–
6.	लाडनू	,,	,,	–	–	–
7.	परबतसर	–	–	399	–	399
8.	नावां	107	–	163	296	566

प्रश्न 3 के भाग 5 का मानचित्र में उत्तर:-

क्र सं०	नाम तहसील	संख्या आसामी जिनसे फीस स 2014 से 2020 तक वसूल की		विवरण म्यूटेशन फीस	
		आसामी	रकम वसूल	रेवेन्यू इन्सपेक्टर	पटवारी
1	2	3	4	5	6
1–	नागौर	6901	48708.21	15994.17	32807.10
2–	जायल	17672	44186.00	8836 00	17675.55

1	2	3	4	5	6
3–	मेड़ता	8593	81688.88	16337.77	32675 54
4–	डेगाना		46588.00	9470 00	18389.00
5-	डीडवाना	2539	28605.00	5721.00	11442.00
6-	लाडनू		27581 97	8878.69	18703.28
7–	नावां	3958	27858.00	9248.00	18609.26
8-	परबतसर	11911	51194.56	17180.95	34013 56

....

परिशिष्ट ६

(कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या 279 का उत्तर देखिये)

विवरण जो ओलों व सर्दी द्वारा नुकसान हुआ ।

तहसील महुवा :– रकबा जिससे नुकसान हुआ ।

नाम जिन्स जिनमें नुकसान हुआ ।	गेहूं	जौ	गोजरा	वेजड़	धनिया	जीरा
रकबा एकड़ों में	54	71	15	6	1	1
पदावार प्रति एकड़ कुन्टल में ।	$5\frac{1}{2}$	$5\frac{1}{2}$	$5\frac{1}{2}$	$1\frac{1}{2}$	1	10 कि०
कुल पैदावार कुन्टलों में	297	391	83	8	1	10
दर प्रति कुन्टल	100	70	75	75	250	400
कुल नुकसान रुपयों में	29700,	27370,	6225,	600,	250,	40

तहसील हिण्डौन

नाम जिन्स जिसमें नुकसान हुआ ।	गेहूं	जौ	गोजरा	बेजड़	धनिया	जीरा
रकबा एकड़ों में	160	93	8	--	2	22
पैदावार प्रति एकड़ कुन्टल में ।	$5\frac{1}{2}$	$5\frac{1}{2}$	$5\frac{1}{2}$	—	1	1
कुल पैदावार एकड़ों में	880	511	44	—	2	22
दर प्रति कुन्टल	100	70	75	—	250	400
कुल नुकसान रुपयों में	8800,	35770,	3300	--	500	8800

....

परिशिष्ट ७

(कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या 304 का उत्तर देखिये)

(Lakh Rupees)

Budget heads.	Expenditure. 1964-65	Expenditure 1965-66	Expenditure 1966-67.
Pay of Officer.		0.11	0.13
Pay of Eatablishment		0.41	0.63
T. A.		0.08	0.15
Other Allowances.	6.62	0.16	0.32
Other Charges.		2.50	1.92
Panchayat Samiti		8.78	14.48
Total :	6.62	12.04	17.63

Since the final accounts are not closed in A.G.'s office hence the figures for the year 1966-67 are not final.

परिशिष्ट ८

'म'

(कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या 305 का उत्तर देखिये)

STATEMENT II

Sheep Breeding Farms	Ramlambs raised						Rams Distributed					
	1962 -63	1763 -64	1964 -65	1665 -66	1966 -67	Total	1962 -63	1963 -64	1964 -65	1965 -66	1966 -67	Total
1. Jorbeer (Bikaner)	134	65	99	62	-	360	-	-	-	-	-	-
2. Mandore	-	61	58	38	42	199			50	4	14	68
3. Jaipur	-	32	9	18	-	59		18	29	4	-	51
4. Kodemdasar	-	104	2	-	75	181	-	104	2	-	25	131
5 Pokaran	-	66	37	62	53	218	-	-	-	7	74	81
TOTAL	134	328	20-5	180	170	1017	-	122	81	15	113	331

'ब'

STATEMENT SHOWING THE EXPENDITURE INCURRED AT SHEEP BREEDING FARMS

Rs. in lakhs

Sheep Breeding farm	1963-64 N/Plan	1963-64 Plan	1964-65 Non Plan	1964-65 Plan	1965-66 Non Plan	1965-66 Plan	1966-67 Non-plan	1966-67 Plan	1966-67 Cap.	Total Non Plan	Total Plan	Total Capital
1. Pokaran	0.21	-	0.23	-	0.25	0.82	0.27	0.20	-	0.96	1.02	
2. Mandore	0.21	-	0.23	-	0.25	0.80	0.25	0.20	0.55	0.94	1.00	0.55
3. Jaipur	0.48	-	0.49	-	0.49	0.06	0.46	0.18	0.29	1.92	0.24	0.29
4. Kodamdesar	0.21	-	0.23	-	0.25	0.20	0.24	0.18	0.26	0.93	0.38	0.26
5. Jerebeer	0.51	-	0.56	-	0.35	0.47	0.60	0.09	0.49	2.02	0.56	0.49
	1.62	-	1.74	-	1.59	2.35	1.82	0.85	1.59	6.77	3.20	1.59

Year wise total: 1963-64 1.62
1964-65 1.74
1965-66 3.94
1966-67 4.26

Rs. 11.56 Lakhs

11 जुलाई, 67

(356)

परिशिष्ट ६

(कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या 306 का उत्तर देखिये)

Statement Showing the Amount of advance drawn–Statement I

Sheep & wool	AMOUNT OF ADVANCE DRAWN				AMOUNT FOR WHICH D C. PREPARED AND SUBMITTED				AMOUNT FOR WHICH D.C. BILL NOT PREPARED			
District Officer	1963–64	64–65	65–66	66–67	1963–64	64–65	65–66	66–67	63-64	64–65	65–66	66–67
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Jaipur	–	63000	200000	915000	–	63000	200000	180000	–	–		735000
2. Churu	30000	490854	1563251	1687000	30000	490854	1563251	1687000	–	–	–	–
3. Jodhpur	–	–	243000	571000	–	–	198080	571000	–	–	44920	–
4. Barmer	–	–	590000	422000	–	–	590000	322000	–	–	–	100000
5. Ajmer	–	–	–	396000	–	–	–	392000	–	–	–	4000
6. Bhilwara	–	–	–	100000	–	–	–	100000	–	–	–	–
7. Bikaner	–	170000	475000	679963	–	170000	475000	679963	–	–	–	–
8. Sikar	–	540000	1000000	450000	–	540000	1000000	450000	–	–	–	–
9. Tonk	–	–	–	310000	–	–	–	235000	–	–	3	75000
10. Jaisalmer	–	–	300000	721000	–	–	300000	721000	–	–	–	–
11. Jalore	–	–	141000	460000	–	–	141000	210000	–	–	–	250000
12. Pali	–	–	380000	637000	–	–	380000	637000	–	–	–	–
13. Udaipur	–	–	–	999000	–	–	–	67000	–	–	–	32000
14. Nagaur	–	646000	683000	1411000	–	646000	683000	1411000	–	–	–	–
TOTAL	30000	1909854	5575251	8858963	30000	1909854	5530331	7662963	–	–	44920	1196000

Sd/-
Director of Sheep & Wool,
Rajasthan, Jaipur.

परिशिष्ट १०

(कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या 301 का उत्तर देखिये)

पंचायत समिति बाली को संयुक्त कृषि सहकारी समितियों को राज्य सरकार द्वारा दी गई सहायता एवं ऋण की सूची ।

क्र० सं०	नाम कृषि समिति	हिस्सा पूंजी अंशदान (ऋण)	अनुदान	कुल योग
1	विसलपुर सं०कृ०स०स०लि०	2000)	—	2000)
2	रघुनाथपुरा ,,	2000)	—	2000)
3	बेड़ा ,,	2000)	—	2000)
4	बोया ,,	2000)	—	2000)
5	धणी ,,	2000)	600) व्यवस्थापक	2600)
6	चामुन्डेरी ,,	2000)	—	2000)
7	मालारी ,,	2000)	—	2000)
8	मीठवाडा ,,	2000)	—	2000)
9	सेणा ,,	—	—	—
10	चाकलाई ,,	2000)	—	2000)
	कुल योग	18000)	600)	18600)

परिशिष्ट ११

(कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या 311 का उत्तर देखिये)

पंचायत समिति, चिड़ावा में दिनांक 5-5-67 को मदवार बची हुई धनराशि की सूची :

क्रमांक	मद	बचत
(1)	विकास	23,586.52
(2)	कृषि	—
(3)	पशुपालन	—
(4)	स्वास्थ्य चिकित्सा	2,378.49
(5)	शिक्षा	—
(6)	समाज शिक्षा	152.00
(7)	सार्वजनिक निर्माण	1,231.67
(8)	समाज कल्याण	—
(9)	उद्योग	2,165.94
(10)	प्रधान भत्ता	—
(11)	स्थानीय विकास कार्य	—
(12)	फ्री फण्ड	7,385.00
(13)	गृह निर्माण योजना	45,000.00
(14)	रेवेन्यू तकाबी	—
(15)	सहकारिता	11,134.91
(16)	पंचायत समिति की निजि आय	—

परिशिष्ट 12

(कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या 314 का उत्तर देखिये)

सीकर सहकारी विश्रान्ति-गृह लि०, सीकर

– संतुलन चित्र –

30 जून, 1960

देना		लेना	
प्राप्त रकम हिस्सा	570.00	रोकड हाथ में	85.47
प्रवेश शुल्क कोष	55.00	हिस्से बैंक में	50.00
अमानत बैंक की	87.45	डैड स्टाक	447.00
विविध देना :-		अन्य लेना :-	
(1) वेतन	307.35	(1) उधार	431.84
(2) झूमरलाल	40.11	(2) कूपन खाता	67.55
(3) प्रेम किशोर	27.00	(3) रोकड-फर्क	27.02
वर्ष का शुरू लाभ-	112.80	(4) रामदेवसिंह	80.24
		सस्पेन्स	10.59
योग :-	1199.71	योग :-	1199.71

ह. जी. एल गुप्ता
इन्सपेक्टर (आडिट)
कोऑपरेटिव सोसायटीज, सीकर

परिशिष्ट 13

(कृपया अतारांकित प्रश्न सख्या 320 का उत्तर देखिये)

नागोर जिले की पंचायत समितियों में अध्यापकों के रिक्त स्थानों को सूची जिन पर सम्बन्धित पंचायत समितियों द्वारा अस्थाई नियुक्तियां की गई ।

क्रमांक 1	पंचायत समिति 2	रिक्त स्थान 3
1	नागोर	23
2	मूंडवा	66
3	मेड़ता	8
4	ीया	49
5	परबतसर	19
6	डेगाना	39
7	मकराना	20
8	जायल	15
9	डीडवाना	35
10	लाडनू	21
11	कूचामन	33
		328

परिशिष्ट १४

(कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या 324 का उत्तर देखिये)

पंचायत समिति, हिण्डोली में डेरी के लिये दी गई राशि की सूची

क्र० सं०	नाम	ऋण की रकम	रकम देने की तारीख	उपयोग हुआ या नहीं	किश्त जमा करना आरंभ हुआ या नहीं।
1	2	3	4	5	6
1.	श्री भंवरलाल आ० श्री गोकुललाल महाजन नि० आकोदा	3,000) रु०	5-3-60	अनुपयोग	हां
2.	श्री दुर्गासिंह आ० नन्दाजी राजपूत नि० बड़ा नयागांव	3,000) रु०	9-3-60	अनुपयोग	नहीं
3.	श्री गौरानाथ आ० मोटा नि० बाबाजी की झोपड़ियां	2,500) रु०	7-7-60	अनुपयोग	हां
4.	श्री करणीदान आ० कालदानसिंह राजपूत नि० हरना	3,000) रु०	16-5-61	75 प्र० श० उपयोग हुआ	हां
5.	श्री लक्ष्मीचन्द आ० श्री रूपचन्द नि० आलोद	800) रु०	2-3-66	अनुपयोग	1-4-67 को डिमान्ड भेजी गई है।

1	2	3	4	5	6
6.	श्री रणधीरसिंह ग्रा० हरिसिंह नि० मांगली	1,200) रु०	19-3-66	50 प्र० श० उपयोग हुआ	1-4-67 को डिमान्ड भेजी गई है।
7.	श्री विजयभूषण ग्रा० प्रेमचन्द महाजन नि. मांगली	1,200) रु०	19-3-66	,,	
8.	श्री परसराम ग्रा० चतरा मीणा नि० बटवछड़ी	1,500) रु०	29-3-66	अनुपयोग	,,
9.	श्री सुलवेन्द्रसिंह ग्रा० वीरसिंह नि० चौता	2,000) रु०	4-7-66	पूरा उपयोग हो गया	किश्त अभी देय नहीं है।
10.	श्री देवी शंकर ग्रा० हरदेव माली नि० पचकीय बावेड़ी	1,200) रु०	1-10-66	सिर्फ 33 प्र०श० का उपयोग हुआ।	,, ,,
11.	श्री महेशचन्द्र मेहता ग्रा० लालचन्द बा० बून्दी हाल तलाब गांव	2,000) रु०	9-11-66	पूरा उपयोग हो गया	,, ,,
12.	श्री बदरीलाल ग्रा० लालूजी बा० हिन्डोली	1,500) रु०	15-11-66	सिर्फ 60 प्र० श० का उपयोग हुआ।	,, ,,

परिशिष्ट ६

(कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या 306 का उत्तर देखिये)

Statement Showing the Amount of advance drawn–Statement I

Sheep & wool District Officer	AMOUNT OF ADVANCE DRAWN				AMOUNT FOR WHICH D C. PREPARED AND SUBMITTED				AMOUNT FOR WHICH D.C. BILL NOT PREPARED			
	1963–64	64–65	65–66	66–67	1963–64	64–65	65–66	66–67	63 64	64–65	65–66	66–67
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Jaipur	–	63000	200000	915000	–	63000	200000	180000	–	–		735000
2. Churu	30000	490854	1563251	1687000	30000	490854	1563251	1687000	–	–	–	–
3. Jodhpur	–	–	243000	571000	–	–	198080	571000	–	–	44920	–
4. Barmer	–	–	590000	422000	–	–	590000	322000	–	–	–	100000
5. Ajmer	–	–	–	396000	–	–	–	392000	–	–	–	4000
6. Bhilwara	–	–	–	100000	–	–	–	100000	–	–	–	–
7. Bikaner	–	170000	475000	679963	–	170000	475000	679963	–	–	–	–
8. Sikar	–	540000	1000000	450000	–	540000	1000000	450000	–	–	–	–
9. Tonk	–	–	–	310000	–	–	–	235000	–	–	3	75000
10. Jaisalmer	–	–	300000	721000	–	–	300000	721000	–	–	–	–
11. Jalore	–	–	141000	460000	–	–	141000	210000	–	–	–	250000
12. Pali	–	–	380000	637000	–	–	380000	637000	–	–	–	–
13. Udaipur	–	–	–	999000	–	–	–	67000	–	–	–	32000
14. Nagaur	–	646000	683000	1411000	–	646000	683000	1411000	–	–	–	–
TOTAL	30000	1909854	5575251	8858963	30000	1909854	5530331	7662963	–	–	44920	1196000

शुद्धि – पत्र

(मंगलवार, दिनांक 11 जुलाई, 1967)

स्कम्भ संख्या 1	पंक्ति संख्या 2	अशुद्ध 3	शुद्ध 4
2	15	रग का	रंग का
4	10	भीमगज	भीमगंग
5	10 व 23	भडार	भंडार
5	15	मडी	मंडी
5	20	केसरीमल	केसरीलाल
6	21	छ ड़ा	छोड़ा
7	6	ग्राथा	ग्राधार
7	9	मुनहसर	मुनस्सर
9	अन्तिम से 4	कीमनरी	कोमरी
10	13	88,25	88.25
11	2	अवस्या	अवस्था
11	18	(किशनपोल बाजार :	(किशनपोल, जयपुर):
12	अन्तिम से 10	इ िगेशन	इरिगेशन
13	3	इग्गिशन	इरिगेशन
14	2	वदि	यदि
14	अन्तिम	2821	28.21
15	अन्तिम से 2	की है	की सोची है
17	शीर्ष	(श्री मथुरादास माथुर)	(श्री परसराम मदेरणा)
18	19	ग्रसित	ग्रस्त
22	4	श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा :	श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा (अकलेरा) :
24	20	सरकारा	सरकारी
37	शीर्षक	–21 जुलाई, 67–	–11 जुलाई, 67–

2

स्कम्भ संख्या 1	पंक्ति संख्या 2	अशुद्ध 3	शुद्ध 4
27	अन्तिम	को ऐसी	की ऐसी
29	अन्तिम	लिया गया ?	लिया गया ?
31	अन्तिम से 3	पिक अप करके	पिक अप नहीं करके
31	„ से 2	नहीं जिसने	जिसने
34	6	ाथ थान	राजस्थान
36	अन्तिम	ओर ह	ओर हफ्ते
38	10	डाइवट	डाइबर्ट
38	22	हफ्ते फर	हफ्ते भर
45	4	इसये	इसमें
48	अन्तिम से 2	इसमें	इसमें पैरवी
49	15	रजिश	रंजिश
54	16	अ धा	आधा
56	6	औ रराजस्थान	और राजस्थान
56	8	कहीं गई ?	कहां कई ?
59	10	विघ	विथ
62	6	क्या जोजना	क्या योजना
65	7	आटीकलड	आर्टिकल
66	10	में पत ो	में पतरों
66	21	देकिन	लेकिन
68	4	टेम्डरर	टेन्डर
75	शीर्षक के नीचे	....	(अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर)
75	अन्तिम से 6	बंजढ़ों	बंजड़ो
76	9	जिजमें	जिसमें
77	अन्तिम से 7	नीजाम शुदा	नीलाम शुदा
78	4	बोवा	बीघा
79	अन्तिम से 5	के वावत	के बाबत

स्कम्भ संख्या 1	पंक्ति संख्या 2	अशुद्ध 3	शुद्ध 4
86 से 104	शीर्षक	अनु. सदस्यों के -11 जुलाई, 67- तारांकित प्रश्नोत्तर	अतारांकित प्रश्नोत्तर -11 जुलाई,67- अतारांकित प्र.
87	15	रख की गई	रख दी गई
90	अन्तिम से 9	गई वसूली	की गई वसूली
96	,, 3	के हों जाने	के हो जाने
97	3	कार्यवावी	कार्यवाही
123	अन्तिम से 5	216. श्री सुवालाल चौधरी	296. श्री सुवालाल चौधरी
129	17	(मड़ेता)	(मेड़ता)
135	4	समितियों डिफंक्ट	समिति डिफंक्ट
136	16	अपर्ण	अर्पण
148	अन्तिम से 4	बछिया कर	बधिया कर
150	,, 7	श्री बालसिंह सोंठ	श्री बालसिंह सोठा
151	शीर्ष	(श्री बालसिंह सोंठ	(श्री बालसिंह सोठा)
169 व 171	शीर्षक	स्थगन प्रस्तावों सम्बन्धी	ध्यानाकर्षण प्रस्ताव
185	12	आपका व्यान	आपका ध्यान
187	अन्तिम से 6	रालस्थान	राजस्थान
196	5	आंमद नी	आमदनी
202	12	रसाद	रसीद
206	15	बॉडी बिल्डिंग	बॉडी बिल्डिंग
288	12	it poses	it imposes
243	3	एसेसिबल	एक्सेसिबल
160	अन्तिम से 3	क्लोरिफिकेशन	क्लेरिफिकेशन
288	5	Seperaately	separately
290	अन्तिम से 2	हा पक्ष	हां पक्ष
296	,, 3	वोटेड आउड	वोटेड आउट

स्कम्भ संख्या 1	पंक्ति संख्या 2	अशुद्ध 3	शुद्ध 4
297	15	वोटेट	बोटेड
298	शीर्षक	विधयक	विधेयक
302	4	शब्दा	शब्दों
303	1	A but	About
,,	अन्तिम से 6	क्लॉ ही	क्लॉज ही
306	13	मनीवृत्ति	मनोवृत्ति
,,	21	करतें हैं	करती है
311	5	श्री मुकुट बिहारीलाल गोवल	श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल
,,	10	मे	मैं
317	9	कहीं ऐसा	कहीं ऐसी
,,	अन्तिम से 6	रु. थी हो	रु. भी हो
320	19	जाड़ सकते	जोड़ सकते
325	19	बगेगा	लगेगा
,,	अन्तिम से 5	ssued	issued
326	15	रींडिग	रीडिंग
,,	19	घटे एडस्जट	घंटे एडजस्ट
331	5	श्रा मथुरादास माथुर	श्री मथुरादास माथुर
336	10	7-10-66	7-10-60
,,	11	30-6-67	30-6-61
341	19	किसो मंत्री	किसी मंत्री
342	1	अखली	अरावली
343	अन्तिम से 6	वर्प में	वर्ष में
344	1	देद्दाती	देहाती

स्कम्भ संख्या 1	पंक्ति संख्या 2	अशुद्ध 3	शुद्ध 4
,,	8	राजरथान	राजस्थान
345	1	की कृषि	के कृषि
,,	6	(2)	(1)
,,	23	।	कराये ।
352	3	ज र	जीरा
353	9	Eatablishment	Establishment

———